G20 भारत 2023 INDIA
वसुधैव कुटुम्बकम्
ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

सत्यमेव जयते

आज़ादी का अमृत महोत्सव

वार्षिक रिपोर्ट

2022-23

मत्स्यपालन विभाग
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
भारत सरकार

वार्षिक रिपोर्ट

2022–2023

मत्स्यपालन विभाग
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
भारत सरकार

विषय सूची

1.	मत्स्यपालन विभाग – एक अवलोकन	1
2.	भारत में मात्स्यिकी क्षेत्र की स्थिति	13
3.	मत्स्यपालन विभाग की प्रमुख योजनाएं और कार्यक्रम	20
	3.1 प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना	20
	3.2 मात्स्यिकी एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि	29
	3.3 किसान क्रेडिट कार्ड	30
	3.4 आयोजित महत्वपूर्ण कार्यक्रम	31
4.	सागर परिक्रमा यात्रा कार्यक्रम	45
5.	मत्स्यपालन विभाग के अधीनस्थ और स्वायत्त संगठन	48
	5.1 राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड	48
	5.2 तटीय जल कृषि प्राधिकरण	61
	5.3 केन्द्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान	69
	5.4 केन्द्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान	75
	5.5 भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण	88
	5.6 राष्ट्रीय मात्स्यिकी पोस्ट–हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण संस्थान	99
6.	व्यापार संबंधी मामले	108
7.	अनुसूचित जाति उप–योजना और जन जातीय उप–योजना	111
8.	महिला सशक्तिकरण	112
9.	अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग	115
10.	विभागीय लेखा संगठन	120
11.	अनुलग्नक - I	133
12.	अनुलग्नक - II	135
13	संक्षिप्ति	136

अध्याय–1

मत्स्यपालन विभाग - एक अवलोकन

1.1 संगठनात्मक ढांचा

मत्स्यपालन, पशुपालन तथा डेयरी मंत्रालय में दो विभाग हैं–अर्थात मत्स्यपालन विभाग और पशुपपालन तथा डेयरी विभाग। मत्स्यपालन विभाग मंत्रिमंडल सचिवालय की दिनांक 5 फरवरी, 2019 की अधिसूचना संख्या 1/21/21/2018 – मंत्रि के द्वारा पूर्ववर्ती पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग के मत्स्यपालन प्रभाग से अलग कर अस्तित्व में आया।

यह विभाग श्री परशोत्तम रूपाला, माननीय केन्द्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री के समग्र प्रभार में है। उनकी सहायता के लिए दो राज्य स्तर के मंत्री, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी अर्थात डॉ. एल. मुरूगन और डॉ. संजीव कुमार बालियान हैं। इस विभाग के प्रशासनिक अध्यक्ष, सचिव, मत्स्यपालन हैं।

सचिव, मत्स्यपालन विभाग की सहायता के लिए दो संयुक्त सचिव हैं, अर्थात अन्तर्देशीय तथा समुद्री मात्स्यिकी प्रभाग। इस विभाग के संगठनात्मक ढांचे का ब्यौरा **अनुलग्नक – I** में दिया गया है।

1.1.1 कार्य

यह विभाग अपने चार अधीनस्थ संस्थाओं और दो स्वायत्त निकायों सहित अन्तर्देशीय समुद्री तथा तटीय मत्स्यपालन और मात्स्यिकी संस्थाओं के विकास संबंधी नीतियों और योजनाओं को तैयार करने संबंधी विषयों के लिए जिम्मेदार है।

विभाग राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को मत्स्य पालन के क्षेत्र में नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करने में परामर्श देता है। गतिविधियों का मुख्य ध्यान निम्नलिखित पर रहता है:

क. स्वच्छ जल और खारे जल में जलीय कृषि का विस्तार

ख. समुद्री मात्स्यिकी संसाधनों का संरक्षण और सततता

ग. समुद्री कृषि, समुद्री शैवाल .षि, केज कल्चर, पुनः संचारी जलीय कृषि प्रणाली (आर.ए.एस), सजावटी मत्स्यपालन, शीत जल में मात्स्यिकी और मात्स्यिकी व्यापार

घ. मात्स्यिकी इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास

ङ अन्तर्देशीय मात्स्यिकी विकास

च. जलीय संगरोध नेटवर्क की स्थापना

छ. जी.आई.एस के माध्यम से जल स्रोतों की मैपिंग आदि ।

यह विभाग सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मत्स्यपालन संबंधी नीतियों, रणनीतियों, कार्यक्रमों तथा योजनाओं को तैयार करने, कानूनों, विनियमों और उपबंधों से संबंधित प्रारूप तैयार करने, और पर्यवेक्षण और कार्यान्वयन के दायित्व का भी निर्वहन करता है।

1.1.2 आवंटित किए गए विषयों की सूची निम्नवत है:

क. ऐसे उद्योग जो संघ द्वारा नियंत्रित हों, जिनकी घोषणा संसद द्वारा पारित कानून से की गई हो, ऐसे उद्ययोग लोक हित में समीचीन होंगे जहाँ तक इनका संबंध मछली चारा और मछली उत्पाद के विकास की उस सीमा से संबंधित है, मत्स्य पालन विभाग का कार्य उद्योगों के विकास के बारे में मांग निरूपण और लक्ष्य निर्धारण से अधिक नहीं होना चाहिए।

ख. मत्स्यन तथा मात्स्यिकी (अन्तर्देशीय, समुद्री तथा सागरीय जल सीमा से अधिक) तथा इससे संबद्ध गतिविधियों जिनमें अवसंरचना विकास, विपणन, निर्यात और संस्थागत व्यवस्था आदि शामिल है, का संवर्धन और विकास।

ग. मछुआरों तथा अन्य मछुआरा समुदायों का कल्याण और उनकी आजीविका का सुकृढ़ीकरण

घ. मात्स्यिकी विकास संबंधी मामलों में अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संपर्क तथा सहयोग

ड. मात्स्यिकी संबंधी आंकड़े

च. प्राकृतिक आपदाओं के कारण मछली स्टॉक के नुकसान संबंधी मामले

छ. मछली स्टॉक की आवाजाही का विनियमन, संगरोध और प्रमाणन

ज. भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, मुम्बई

झ. संक्रमित या संदूषित रोग या एक राज्य से दूसरे राज्य में मछली को प्रभावित करने वाली महामारी के प्रसार को दूर करने संबंधी कानून

ण. राज्य एजेंसियों/सहकारी संघों के माध्यम से विभिन्न राज्य उपक्रमों, मत्स्यपालन विकास योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता के पैटर्न के संबंध में विधायन

ट. मत्स्य स्टॉक का परीक्षण, संरक्षण तथा सुधार एवं तत्संबंधी रोगों के निवारण और पशुचिकित्सा प्रशिक्षण और पद्धति

ठ. मत्स्य स्टॉक का बीमा

1.2 विभाग के अंतर्गत कार्यरत अधीनस्थ कार्यालय/मात्स्यिकी संस्थान

मत्स्यपालन विभाग (डीओएफ), मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के नियंत्रणाधीन चार संस्थान/उपकार्यालय के नियंत्राधीन चार संस्थान हैं। यह संस्थान निम्नलिखित हैं। (i) भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण (एफएसआई), मुंबई (ii) केंद्रीय मात्स्यिकी समुद्री तथा इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान (सिफनेट), कोच्चि (iii) राष्ट्रीय मात्स्यिकी पोस्ट–हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण संस्थान (निफेट), कोच्चि (iv) केन्द्रीय तटीय मात्स्यिकी इंजीनियरी संस्थान (सीआईसीईएफ), बेंगलुरू। इन चार संस्थानों के अतिरिक्त मत्स्यपालन विभाग के दो स्वायत्त/नियामक निकाय हैं, नामतः राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी), हैदराबाद और तटीय जलकृषि प्राधिकरण (सीएए), चेन्नई हैं, इन संस्थानों पर संक्षेप विवरण नीचे दिया गया है।

1.2.1 भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, मुम्बई

भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण (एफ. एस.आई) की स्थापना भारत सरकार द्वारा वर्ष 1946 में एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में की गई थी जिसे सामान्य तौर पर गहरे समुद्र में मत्स्यन स्टेशन (डी. एस . एफ. एस) के रूप में जाना जाता है, जिसका उद्देश्य गहरे समुद्र में मत्स्यन के विकास के माध्यम से खाद्य आपूर्ति को बढ़ावा देना है। अपने प्रारंभिक समय में, इस संस्थान ने ''एस. टी. मीना'' ए माइन स्वीपर नामक अपने एक जलयान को ट्रॉलर में बदल कर अपनी गतिविधियां शुरू की। गहरे समुद्र में मत्स्यन केन्द्र का मुख्य उद्देश्य मत्स्यन का आधार तैयार करना तथा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए कर्मियों को प्रशिक्षित करना था।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के केन्द्र के भारी–भरकम कार्य को महसूस करते हुए, भारत सरकार द्वारा भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटीय क्षेत्रों में ऐसे अनेक केन्द्रों की स्थापना की गई। इस प्रकार, भारतीय मात्स्यिकी संस्थान भारत में नोडल मात्स्यिकी संस्थान के रूप में उभर कर सामने आया है। इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ई.ई.जेड) तथा समीपवर्ती क्षेत्रों में मात्स्यिकी संसाधनों का सर्वेक्षण तथा मूल्यांकन करना और समुद्री मात्स्यिकी संसाधनों का दोहन तथा प्रबंधन करना है।

इस समय भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण गहरे समुद्र में डिमर्सल संसाधनों, तटीय पेल जिक संसाधनों, समुद्री टूना संसाधनों, अधिवास प्रबंधन तथा अधिवास जोखिम निर्धारण, अन्य गतिविधियों में कोरल रीफ इकोसिस्टम में अन्वेषण तथा अनुसंधान करता है।

1.2.2 केन्द्रीय मात्स्यिकी समुद्री तथा इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान (सिफनेट), कोच्चि

केन्द्रीय मात्स्यिकी समुद्री तथा इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान अपने आप में एक अनूठा संस्थान है जिसमें एम. एस (संशोधन) अधिनियम, 1987 में यथा उपबंधित शक्ति चालित मत्स्यन जलयानों के स्कीपर्स, मेट्स, इंजीनियर्स और इंजन ड्राइवर्स जैसे तकनीकी और प्रामाणित प्रशिक्षण अपेक्षाओं की शिक्षा प्रदान की जाती है।

सिफनेट तटीय संस्थापनाओं को सहयोग देने और मत्स्यन जलयानों के प्रभावी प्रचालन के लिए भी उत्तरदायी है। इस संस्थान द्वारा विभिन्न प्रकार के अल्पकालिक पाठ्क्रम संचालित किए जाते हैं जिनमें मत्स्यन प्रौद्योगिकी के एकी.त बहु–आयामी क्षेत्र, समुद्री विज्ञान, समुद्री इंजीनियरी शामिल हैं जिनमें अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों और केन्द्रीय/राज्य सरकारों के विभागों के अन्तर्गत विभिन्न संगठनों, कॉलेजों तथा अन्य

सार्वजनिक/निजी क्षेत्र की संस्थापनाओं में कार्यरत कर्मी लाभान्वित हुए हैं। इस समय, यह संस्थान गहरे समुद्र में महासागरीय टूना के मत्स्यन के लिए मछुआरों के कौशल विकास संबंधी प्रशिक्षण, जिम्मेदारी पूर्वक मछली पकड़ने की पद्धति पर विशेष बल दे रहा है और अपने पाठ्यक्रम पाठ्यचर्चा के माध्यम से समुद्री प्रदूषण के विनाशकारी प्रभाव से बचने के उपायों के बारे में जानकारी दे रहा है।

1. 2. 3 राष्ट्रीय मात्स्यिकी पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्ययोगिकी और प्रशिक्षण संस्थान (निफेट), कोच्चि

राष्ट्रीय मात्स्यिकी पोस्ट–हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण संस्थान (निफेट), पूर्ववर्ती एकीकृत मात्स्यिकी परियोजना है, जिसकी स्थापना पोस्ट–हार्वेस्ट प्रौद्योगिकियों के समग्र विकास पर नजर रखने के लिए की गई थी। सिफनैट में न्यूनतम पोस्ट – हार्वेस्ट नुकसान तथा अधिकतम पोस्ट–हार्वेस्ट मत्स्य उपयोग के जरिए उच्च कोटि की मछली तथा मत्स्य उत्पाद के वितरण किए जाने की परिकल्पना की गई है। अनुकूलन अनुसंधान के माध्यम से पोस्ट– हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी को अपग्रेड किए जाने का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है जिसमें नवीन प्रक्रिया, उत्पाद तथा पैकेजिंग विकसित करके उपभोक्ताओं की मांग निरन्तर बढ़ रही तथा उनकी बदलती जरूरतों की पूर्ति की जा रही है। कंसल्टैंसी, प्रशिक्षण, उत्पादों की लोकप्रियता, और सर्वेक्षण के प्रति उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया के माध्यम से उन्नत प्रौद्योगिकी के प्रचार–प्रसार का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है।

1.2.4 केन्द्रीय तटीय मात्स्यिकी इंजीनियरी संस्थान, बेंगलुरू

केन्द्रीय तटीय मात्स्यिकी इंजीनियरी संस्थान (सी. आई. सी. ई. एफ) बेंगलुरू की स्थापना संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन (एफ.ए.ओ/यू.एन) के सहयोग से कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मत्स्यन बन्दरगाहों के निवेश– पूर्व सर्वेक्षण के रूप में जनवरी 1968 में की गई थी। इस संस्थान की स्थापना किए जाने का मुख्य उद्देश्य भारतीय तटों के साथ उपयुक्त स्थलों पर मत्स्यन बन्दरगाहों को विकसित करने तथा यांत्रिक मत्स्यन जलयानों को मत्स्यन बन्दरगाहों की सुविधाएं प्रदान करने के लिए इंजीनियरी एवं आर्थिक अन्वेषण करना और तकनीकी आर्थिक संभाव्य रिपोर्ट तैयार करना था। एफ.ए.ओ/यू.एन से सहायता बन्द होने के पश्चात, इस संस्थान ने जनवरी, 1974 से 2 वर्ष की अवधि के लिए स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी (सीडा) से उपकरण तथा विशेषज्ञ परामर्शी सेवा के रूप में तकनीकी सहायता प्राप्त की। अगस्त, 1983 में, इस संस्थान का नाम बदल कर केन्द्रीय तटीय मात्स्यिकी इंजीनियरी संस्थान कर दिया गया। वर्ष 1983 से उत्तर वर्ती वर्षों में तकनीकी विशेषज्ञता और विकसित की गई। यह संस्थान भारतीय तटों के साथ–साथ तटवर्ती जलीय कृषि फार्मों के विकास के लिए जलीय कृषि इंजीनियरी की अपेक्षाओं की भी पूर्ति कर रहा है।

इस संस्थान ने तटवर्ती जलीय कृषि फार्म के विकास के लिए वर्ष 1986 से वर्ष 1991 तक उपस्कर कंसल्टेंट्स के रूप में यू. एन. डी. पी/एफ. ए.ओ से सहायता प्राप्त की। इस प्रकार, यह संस्थान इंजीनियरी तथा आर्थिक अन्वेषण संचालित करने में आवश्यक तकनीकी सहयोग देने के लिए समुद्री राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

1.3 स्वायत्त और विनियामक निकाय

1.3.1 राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड, हैदराबाद

राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी) की स्थापना सितंबर, 2006 में हैदराबाद में मुख्यालय के साथ की गई थी, संगठन को भारत में मात्स्यिकी और जल.षि, के प्रचार और विकास के लिए मान्यता प्राप्त है। और विभिन्न आवश्यकता–आधारित परियोजनाओं प्रौद्योगिकी उन्नयन, जलीय कृषि में प्रजाति विविधीकरण, नई और उन्नत मत्स्य किस्मों का प्रसार, समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देना, सजावटी, मात्स्यिकी, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण आदि के माध्यम से मुख्य रूप से मछुआरों को समर्पित कर रहा है। पीएमएमएसवाई और एफआईडीएफ योजनाओं के प्रचार और कार्यान्वयन में राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के मत्स्यपालन विभागों और हितधारकों के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना, गतिविधियों को लागू करने में निकाय और आउटरीच विस्तार सेवाओं के रूप में कमियों की पहचान करना एक सलाहकार/तकनीकी निकाय, एनएफडीबी ने मत्स्य के प्रबंधन, संरक्षण और विपणन में महत्तवपूर्ण सुधार लाने, उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने, मछुआरों की आजीविका में सुधार करने मात्स्यिकी में उद्यमशीलता के अवसरों को

बढ़ावा देने, बीमा सहायता प्रदान करने और ई–स्थापना करने के लिए बुनियादी सुविधाओं को बढ़ावा देने में एक महत्त्वपूर्ण और अनुकरणीय भूमिका निभाई है और बाजार मूल्य नियमितीकरण के लिए ट्रेडिंग प्लेटफार्म, मत्स्य की खपत बढ़ाने के लिए मत्स्य उत्सव, आउटडोर और डिजिटल अभियान जैसे आउटरीच गतिविधियों का आयोजन और वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

1.3.2 तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण चैन्नई

तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण की स्थापना दिनांक 22 दिसंबर, 2005 के राजपत्र की अधिसूचना द्वारा तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत की गई थी। इस प्राधिकरण का उद्देश्य तथा लक्ष्य केन्द्रीय सरकार द्वारा तटीय क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित क्षेत्रों में और उससे संबद्ध विषयों में या उससे जुड़ी घटनाओं में तटीय जलीय कृषि की गतिविधियों का विनियमन करना है । इस प्राधिकरण को तटीय क्षेत्रों में जलीय कृषि फार्म के निर्माण तथा संचालन, जलीय कृषि फार्मों और हैचरियों का पंजीकरण करने, पर्यावरण प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण करने, तटीय जलीय कृषि फार्मों को हटाने या तोड–फोड करने जिनके कारण प्रदूषण हो सकता है, तटीय जलीय कृषि इनपुट के मानक निर्धारित के लिए विनियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। इन नियंत्रणों और उपायों के माध्यम से, तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण का उद्देश्य पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार तथा सामाजिक रूप से स्वीकार्य तटीय जलीय कृषि को सुगम बनाना है ।

उपर्युक्त के अलावा, एक राष्ट्र स्तरीय पंजीकृत संस्था अर्थात नेशनल फेडरेशन ऑफ फिशर्स को – आपरेटिक्स लिमिटेड (फिशकोपफेड) नई दिल्ली है।

1.3.3 राष्ट्रीय मछुआरा सहकारी संघ लिमिटेड

राष्ट्रीय मछुआरा सहकारी संघ लिमिटेड (फिशकोपफेड) एक राष्ट्र स्तरीय भारतीय मात्स्यिकी सहकारी आंदोलन का शीर्ष संस्थान है। इसकी स्थापना 1980 में अखिल भारतीय मछुआरा सहकारी संघ के रूप में की गई थी और वर्ष 1982 में इसका नाम बदल कर राष्ट्रीय मछुआरा सहकारी संघ लिमिटेड कर दिया गया।

फिशकोफेड अपने स्वयं के अनुमोदित उपनियमों से ऊपर मल्टी स्टेट को–ऑपरेटिव सोसाइटी (एम.एस.ई.एस.) अधिनियम, 2002 के उपबंधों के माध्यम से संचालित है। फिशकोफेड का उद्देश्य देश में मछुआरों की सेवा करना, उनकी आर्थिक–सामाजिक दशा का विकास करना तथा उनका उत्थान करना है। यह सरकारी प्रयासों के माध्यम से भारत में मत्स्यपालन उद्योग को सुविधाजनक बनाता है, समन्वय करता है और बढ़ावा देता है।

1.4 उन्नत और सतत मत्स्य उत्पादन के लिए शुरू की गई प्रमुख पहल

इस क्षेत्र की असीम संभावनाओं को ध्यान में रखकर, नीली क्रांति की उपलब्धियों को समेकित करने और इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने के लिए, मत्स्यपालन विभाग प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी. एम. एम. एस. वाई) कार्यान्वयन कर रहा है।

भारत सरकार ने मई, 2020 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी. एम. एम. एस. वाई) का अनुमोदन किया जिसका अनुमानित निवेश 20,050 करोड़ रुपए है जिसमें केन्द्र का हिस्सा 9,407 करोड़ रुपए, राज्य का हिस्सा 4,880 करोड़ रुपए और लाभार्थी का अंशदान 5,763 करोड़ रुपए का है। यह योजना वित्त वर्ष 2020–21 से 2024–25 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए है। वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान कुल 7,007.23 करोड़ रुपये के केंद्रीय हिस्से के साथ 3,224.19 करोड़ रुपये के प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। वर्ष 2022–23 के बजट अनुमान में, इस विभाग को कुल 2118.47 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता आवंटित की गई है, जिसे संशोधित करके 1624.18 बजटीय सहायता कर दी गई। जिसमें योजना तथा गैर–योजना घटक के लिए आवंटन भी शामिल है। 2022–23 वर्ष 2021–22 के लिए घटक–वार बजट अनुमान (बी.ई). संशोधित अनुमान (आर. ई) तथा व्यय को **अनुलग्नक–II** में दर्शाया गया है।

इस योजना का उद्देश्य मत्स्य उत्पादन तथा उत्पादकता में महत्वपूर्ण अंतरालों को कम करना, अभिनव प्रयोग तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी का समावेश करना, पोस्ट–हार्वेस्ट अवसंरचना तथा प्रबंधन, मूल्य श्रृंखला का आधुनिकीकरण और सु.ढ़ीकरण करना, ट्रेसेबिलिटी, मजबूत मात्स्यिकी प्रबंधन ढांचे की स्थापना करना और मछुआरों का कल्याण करना है। सतत, जिम्मेदार समावेशी तथा सम्यक रूप में मात्स्यिकी क्षमता के प्रति जागरूकता पैदा करने और मात्स्यिकी क्षमता का दोहन करने के लिए समुचित ध्यान भी दिया जा रहा है। इसके अलावा, एक ओर जहां

मात्स्यिकी क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा बढ़ाने, अधिक आय सृजित करने, इस क्षेत्र को संगठित तरीके से वृद्धि को गतिशील तथा विस्तृत करने के लिए क्लस्टर या क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है वहीं दूसरी ओर लाभार्थी उन्मुख घटकों/गतिविधियों को अनुमोदित/कार्यान्वित किया जा रहा है।

पी.एम.एम.एस.वाई का उद्देश्य मछुआरों, मत्स्य किसानों तथा मत्स्य कामगारों की आय को वर्ष 2024–25 तक दुगुना करना, मत्स्य उत्पादन को बढाकर 2024–25 तक 22 मिलियन मीट्रिक टन (एम.एम.टी) (वर्ष 2018–19 में जो 13.75) मिलियन मीट्रिक टन था, करना, औसत वार्षिक वृद्धि को बढ़ाकर लगभग 9 प्रतिशत (वर्ष 2018–19 के दौरान जो 7 प्रतिशत थी) करना । पी. एम. एम. एस. वाई का उद्देश्य जलीय कृषि उत्पादकता को बढ़ाकर 5 टन प्रति हेक्टेयर (जो राष्ट्रीय औसत 3 टन प्रति हेक्टेयर थी) करना, महत्वपूर्ण मात्स्यिकी अवसंरचना का सृजन करना, पोस्ट–हार्वेस्ट नुकसान को कम करना मूल्य श्रृंखला का आधुनिकीकरण और सदृढ़ीकरण करना, मत्स्य निर्यात आय को दुगुना बढ़ाकर 1,00,000 करोड़ रुपए करना, तदनुरूपी स्वास्थ्य फायदों के साथ घरेलू मछली की खपत को बढ़ाना, अन्य स्रोतों से मात्स्यिकी क्षेत्र में लगभग 55 लाख प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर का सृजन करना है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी.एम.एम.एस. वाई) के अन्तर्गत कुछ प्रमुख क्षेत्र है जिनका उल्लेख नीचे किया जा रहा है:

क. समुद्री शैवाल कृषि सहित समुद्री कृषि

ख. सजावटी तथा मनोरंजन मात्स्यिकी

ग. स्तरीय बीज

घ. गहरे समुद्र और समुद्री संसाधन में समुद्री इस्टतम हार्वेस्टिंग और

ङ. शीत जल में मत्स्य पालन

च. क्षारीय/लवणीय क्षेत्रों का उत्पादक उपयोग करके जलीय कृषि का विकास

छ. जलाशयों का एकीकृत विकास

ज. नए कैंडिडेट के माध्यम से प्रजातियों की विविधता आदि

पी. एम. एम. एस. वाई योजना में उत्पादकता को बढ़ाने तथा पोस्ट–हार्वेस्ट नुकसान को कम करने के साथ–साथ अनेक उप गतिविधियों/घटकों की परिकल्पना की गई है। इसे लागू करने के लिए उत्पादन तथा पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन जिनमें उच्च घनत्व वाले तालाबों में जलीय कृषि, पुनःसंचारी जलीय कृषि प्रणाली (आर. ए. एस), बायोलॉक, पिंजरा कृषि, नैनो फीड, लाइव फीड प्रौद्योगिकी, ब्लॉक चेन, मूल्य संवर्धन क्वालिटी परिरक्षण तथा विपणन आदि शामिल है, में आधुनिक प्रौद्यगिकी का अपनाया जाना है, जिसका मुख्य उद्देश्य ''मोर क्रॉप पर ड्रॉप्स है । पी. एम. एम. एस. वाई योजना के अन्तर्गत मत्स्यपालन क्षेत्र के विस्तार, पाली जाने वाली मछलियों के स्तरीय ब्रूड और फीड तथा प्रजाति विशिष्ट चारा की मांग और आपूर्ति को पूरा करने हेतु वित्तीय सहायता देने के लिए प्रावधान किए गए हैं।

इन प्रावधानों का उद्देश्य संख्या में ब्रूड बैंकों, हैचरियों, सीड रियरिंग इकाइयों की स्थापना करने, विशिष्ट रोग जनक मुक्त या प्रतिरोधी बीज आनुवांशिक रूप से परिष्कृत ब्रूड स्टॉक या चारा मिल की स्थापना है। मत्स्यपालन क्षेत्र की अवसंरचनात्मक अपेक्षाओं की पूर्ति करने के लिए, एक समर्पित निधि अर्थात मात्स्यिकी तथा जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि (एफ. आई.डी.एफ) का सृजन 2018–19 में किया गया जिसकी कुल राशि 7,522.48 करोड़ रुपए की है। मात्स्यिकी अवसंरचना विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और राज्य संस्थाओं सहित पात्र संस्थाओं (ई. ई.) को ब्याज सवेंशन के माध्यम से चिह्नित मात्स्यिकी अवसंरचना के विकास हेतु रियायती धनराशि प्रदान की जाती है।

मछुआरों की क्रेडिट आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता हेतु सरकार ने वर्ष 2018–19 के दौरान को किसान क्रेडिट कार्ड (के. सी. सी.) की सुविधा प्रदान की है ताकि वे अपनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। इससे मत्स्यपालक मछुआरों और पशुपालन किसानों को पशुपालन, पोल्ट्री बर्ड, मछली, झींगा मछली, अन्य जलचर मत्स्यन में सहायता मिलेगी। के.सी.सी. के अन्तर्गत मात्स्यिकी से संबंधित कार्यशील पूंजी घटकों में बीज, चारा, ओर्गेनिक एवं गैर–ओर्गेनिक खाद्य, चूना/अन्य भू कंडीनर्स, हार्वेस्टिंग एवं विपणन प्रभार, ईंधन/बिजली प्रभार, श्रम, लीज किराया आदि की आवर्ती लागत आदि शामिल है।

1.5 जन शिकायत प्रकोष्ठ

जनता की शिकायतों को देखने के लिए विभाग में एक लोक शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएम) को नागरिकों की जरूरतों के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए इसे उन्नत करने के लिए एक व्यापक समीक्षा की गई है। पीजी से निपटने के लिए नोडल अधिकारी डीएस (प्रशासन) हैं और अपीलीय प्राधिकारी संयुक्त सचिव (प्रशासन) हैं। डीएआरपीजी के दिशा–निर्देशों के अनुसार, शिकायतों के गहन विश्लेषण, सीपीजीआरएएम संस्करण 7.0 के सार्वभौमिकरण के लिए अंतिम मील तक शिकायत की ऑटो रूटिंग आदि के लिए कदम उठाए गए हैं, लोक शिकायत अधिकारियों के रूप में योजना अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। लोक शिकायत अधिकारियों को 30 दिनों की निर्धारित समय–सीमा के भीतर शिकायतों को हल करने के लिए जागरूक किया गया है। 1 अप्रैल 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक विभाग में जन शिकायतों का विवरण नीचे दिया गया है:

अग्रानीत	उक्त अवधि के दौरान निपटाए गए मामले	कुल प्राप्ति	उक्त अवधि के दौरान निपटाए गए मामले	अंत शेष
52	320	372	353	19

1.6 अनुसूचित जाति (एस.सी.) अनुसूचित जन जाति (एस.टी.) तथा निःशक्त व्यक्तियों (पी. डब्लू.डी.) के लिए संपर्क अधिकारी:

इस विभाग के मत्स्यपालन विभाग मुख्यालय में संपर्क अधिकारी के अंतर्गत अ.पि.व. और अ.जा/अ.ज.जा./पी. डब्ल्यू. डी. श्रेणी के लिए संपर्क अधिकारी की नियुक्ति की गई है। इसके अतिरिक्त सेवा में आरक्षण संबंधी सरकारी नीति के समुचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अधीनस्थ कार्यालयों में भी संपर्क अधिकारी की नियुक्ति की गई है।

1.7 सतर्कता इकाई

सतर्कता प्रभाग विभाग और उसके अधीनस्थ कार्यालयों से संबंधित सतर्कता मामलों/अनुशासनात्मक मामलों की प्रक्रिया करता है। प्रशासनिक सतर्कता पर उन्मुखीकरण कार्यक्रम और अधीनस्थ अधिकारियों के प्रमुखों और सतर्कता अधिकारियों के साथ बातचीत जैसे अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए विभिन्न निवारक सतर्कता उपाय किए गए हैं। सीवीसी पोर्टल पर त्रैमासिक प्रगतिशील रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, संबंधित पोर्टल में सत्यनिष्ठा की जानकारी प्रस्तुत की गई है। मुख्य सतर्कता अधिकारी नियमित आधार पर सतर्कता मामलों की निगरानी करता है। विभाग में 31 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 तक **"भ्रष्टाचार मुक्त भारत एक विकसित राष्ट्र"** विषय पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया।

1.8 हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

इस विभाग में पहली बार सहायक निदेशक (राजभाषा) के एक पद तथा कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी (जेटीओ) के दो पद सृजित होने के फलस्वरूप विभाग में राजभाषा अनुभाग की स्थापना की गई। नतीजतन, अनुवाद आदि के लिए परामर्शदाताओं को नियुक्त करने की प्रणाली समाप्त कर दी गई। अनुभाग ने सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की दिशा में सक्रिय रूप से विभिन्न गतिविधियां शुरू की हैं।

संयुक्त सचिव (प्रशासन) की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी) का गठन किया गया है। विभाग में हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति की बैठकों में समीक्षा की जा रही है और सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्राप्त सुझावों पर अमल किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप हिंदी में पत्राचार का प्रतिशत काफी बढ़ गया है। संसदीय राजभाषा समिति ने 2022 के दौरान एनएफडीबी मुख्यालय, हैदराबाद, सिफनेट मुख्यालय, कोच्चि और एफएसआई मुख्यालय, मुंबई का निरीक्षण किया और उन्होंने इस नवसृजित छोटे विभाग के प्रदर्शन पर संतोष व्यक्त किया।

विभाग में 17 से 30 सितंबर 2022 तक 'हिंदी पखवाड़ा' का आयोजन किया गया। पखवाड़े के दौरान निबंध लेखन, टिप्पण एवं मसौदा लेखन, पेंटिंग, टंकण/आशुलिपि आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रम/प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं और विभाग के अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विजेताओं को विभाग के सचिव ने नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। राजभाषा

कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जिसमें अधिकारियों को विभिन्न राजभाषा नीतियों, अधिनियमों, नियमों और अन्य निर्देशों की जानकारी दी गई।

माननीय मंत्री, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की अध्यक्षता में हिंदी सलाहकार समिति का गठन किया गया है और इसकी पहली बैठक नवंबर, 2022 में आयोजित की गई थी।

1.9 सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत विभाग ने केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) और अपीलीय प्राधिकारियों को नामित किया गया है। इस प्रकार विभाग के अंतर्गत विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों और स्वायत संगठनों के लिए भी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अलग–अलग सीपीआईओ और अपीलीय अधिकारी नामित किए गए हैं। ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आरटीआई आवेदनों को त्वरित निपटान के लिए संबंधित सीपीआईओ को भेजा जाता है। वर्ष 2022–23 तक (1 अप्रैल से 31 दिसम्बर, 2022 तक) 172 आरटीआई आवेदन और 25 आरटीआई अपील इस विभाग को प्राप्त हुई हैं।

1.10 महिला कर्मचारियों के उत्पीड़न की रोकथाम

इस विभाग में कार्यस्थल पर महिला कर्मियों के यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करने और कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए एक समिति विद्यमान है। वर्ष 2022 के दौरान विभाग (समुचित) या विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन संगठनों में कार्यस्थल पर यौन उत्पाड़न की कोई शिकायत नहीं है।

1.11 न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन

उत्तरदायी और जवाबदेही शासन के हिए कुशल निर्णय लेना मौलिक है। निर्णय लेने की गति और दक्षता में तेजी लेना अर्थिक विकास और नागरिकों के जीवन को आसान बनाने/व्यापार करने में आसानी के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन के उद्देश्य से विभिन्न कार्रवाई की गई हैं जिसमें प्रस्तुत करने के स्तर, समुचित स्तर पर शक्तियों का प्रत्यायोजन, डेक्स ऑफिसर प्रथा का प्रयोग, सेंट्रल रजिस्ट्री यूनिटों का डिजीटलीकरण और जहां तक संभव हो प्राद्योगिकी का इस्तेमाल शामिल है । मंत्रालय/विभाग के बीच फाइलों और प्राप्तियों के निर्बाध अंतर–अंतरण के लिए ई–ऑफिस को वर्जन 7.0 में अपग्रेड किया गया है।

लंबित मामलों की निगरानी और समीक्षा नियमित रूप से की जा रही है । विभिन्न विषयों के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों और मासिक रिपोर्ट अर्थात प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले अभ्यावेदन केन्द्र राज्य सहयोग और मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडल समिति के निर्णय, की ई–समीक्षा पोर्टल के माध्यम से नियमित रूप से निगरानी की जा रही है ।

डीओएफ गैलरी
2022-23

सागर परिक्रमा चरण – I

सागर परिक्रमा चरण – II

पंजाब के गडवासू–लुधियाना में गहन जल कृषि प्रौद्योगिकी के लिए क्षमता निर्माण संसाान केन्द्र का शुभारंभ

डीओएफ गैलरी

2022-23

समीक्षा बैठक

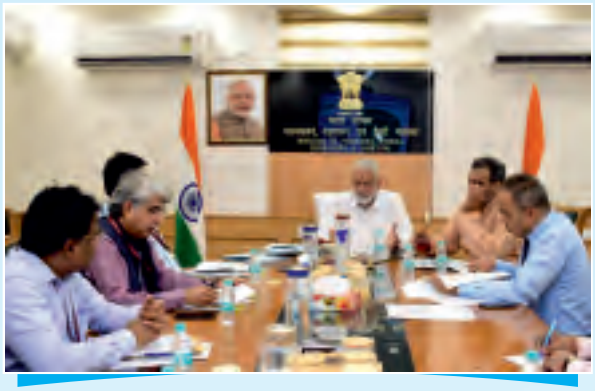

अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस–2022

डीओएफ गैलरी

2022-23

पाकशाला तालिका पुस्तक "फिश एंड सी फूड–75 स्वादिष्ट व्यंजनों का संग्रह" का विमोचन (10 अगस्त,2022)

पीएमएमएसवाई के दूसरे वार्षिकोत्सव का प्रारम्भ (सितम्बर, 2022)

सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए वार्षिक योजना तैयार करने के लिए कार्यशाला

डीओएफ गैलरी

2022-23

राजभाषा पखवाड़ा 2022

सर्तकता जागरुकता सप्ताह 2022

डीओएफ गैलरी
2022-23

उद्योग विशेषज्ञों के साथ फ्रोजन मत्स्य और मत्स्य उत्पादों के प्रचार–प्रसार पर वेबिनार आयोजित

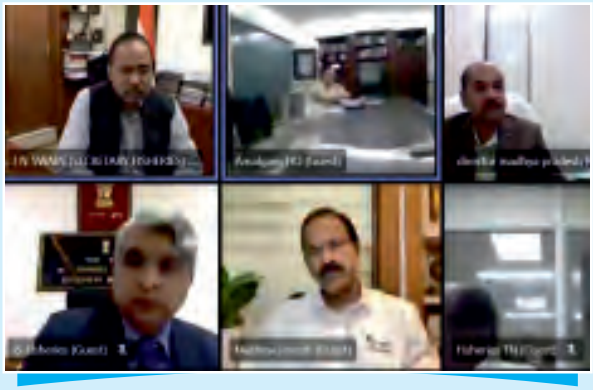

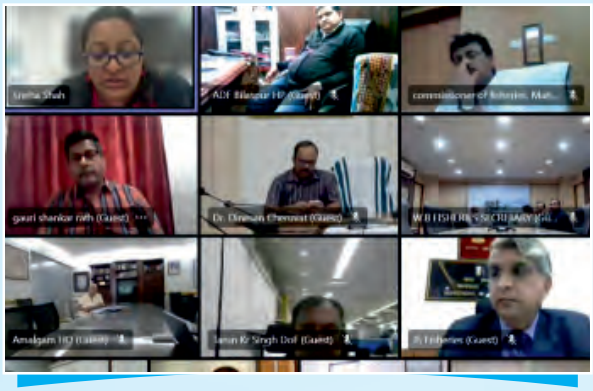

परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक के रुप में महिलाएं फिशरीज क्षेत्रों में लैंगिक अंतर कम करने पर वेबिनार

अध्याय–2

मात्स्यिकी क्षेत्र का विहंगावलोकन

2.1 भारतीय मात्स्यिकी क्षेत्र–वर्तमान परिदृश्य

भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है और इसका वैश्विक उत्पादन 7.96 प्रतिशत है। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान कुल अनुमानित मत्स्य उत्पादन 16.25 मिलियन मीट्रिक टन है जिसमें 12.12 मिलियन मीट्रिक टन अन्तर्देशीय क्षेत्र से और 4.13 मिलियन मीट्रिक टन समुद्री क्षेत्र से है। पिछले पांच वर्षों में मात्स्यिकी क्षेत्र में वार्षिक औसत वृद्धि दर 7% रही है। मात्स्यिकी क्षेत्र राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और 2022–2023 में स्थिर कीमतों पर कुल सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) में मात्स्यिकी क्षेत्र की हिस्सेदारी 1,37,716 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। जो कुल राष्ट्रीय जीवीए का लगभग 1.09 प्रतिशत और कृषि जीवीए का 6.72 प्रतिशत है, मात्स्यिकी और जलकृषि लाखों लोगों के लिए भोजन, पोषण, आय और आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत बना हुआ है। भारत के मात्स्यिकी क्षेत्र ने वर्ष 2015–16 से 2020–21 के दौरान 9.03% (स्थिर मूल्य रू 2011–12) की प्रभावशाली वृद्धि दर दिखाई है।

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, समुद्री उत्पादों का निर्यात 1.37 एमएमटी रहा और हाल के वर्षों में लगभग 10% की प्रभावशाली औसत वार्षिक वृद्धि दर के साथ 57,586.48 करोड़ रुपये (यूएसडीः 7.76 बिलियन) मूल्य का रहा। विदेशी बाजारों के लिए, यूएसए 3371.66 मिलियन अमरीकी डालर के आयात के साथ भारतीय समुद्री भोजन का प्रमुख आयातक बना रहा, जो अमेरिकी डॉलर मूल्य के संदर्भ में 43.45 प्रतिशत की हिस्सेदारी के लिए जिम्मेदार है।

वर्ष 2018 में, भारत की कुल अनुमानित मात्स्यिकी क्षमता 22.31 मिलियन मीट्रिक टन थी जिसमें समुद्री मात्स्यिकी क्षमता 5.31 मिलियन मीट्रिक टन तथा अंतर्देशीय मात्स्यिकी क्षमता 17 मिलियन मीट्रिक टन शामिल थी। भारत जलीय .षि के माध्यम से मछली का प्रमुख उत्पादक देश भी है और चीन के बाद विश्व में दूसरा स्थान है। अंतर्देशीय मछली उत्पादन देश के कुल मछली उत्पादन का लगभग 75 प्रतिशत हिस्सा है और देश में मछली उत्पादन स्वतंत्रता प्राप्ति से लगातार और सतत वृद्धि दर्शा रहा है। वर्ष 2021–22 केदौरान समुद्री मात्स्यिकी क्षमता 77 प्रतिशत बढ़ी है और अंतर्देशीय मात्स्यिकी क्षमता में 71 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

एनिमल प्रोटीन का एक सस्ता और समृद्ध स्रोत होने के कारण मत्स्य भूख और पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए स्वास्थ्यप्रद विकल्पों में से एक है। इस क्षेत्र में अपने निर्यात को दोगुना करने की अपार क्षमता है। इस प्रकार केंद्र सरकार द्वारा नीति और वित्तीय सहायता के माध्यम से सतत, जिम्मेदार, समावेशी और न्यायसंगत तरीके से इसके विकास में तेजी लाने के लिए मात्स्यिकी क्षेत्र पर निरंतर और केंद्रित ध्यान दिया जा रहा है।

भारत जलकृषि के माध्यम से मत्स्य का एक प्रमुख उत्पादक भी है और चीन के बाद दुनिया में दूसरे स्थान पर है। अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन देश के कुल मत्स्य उत्पादन का लगभग 75 प्रतिशत है और उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर भी उच्च रही है। मत्स्य उत्पादन 2000–01 में 5.66 एमएमटी से बढ़कर 2011–12 में 8.67 एमएमटी और 2021–22 में 16.25 एमएमटी हो गया है।

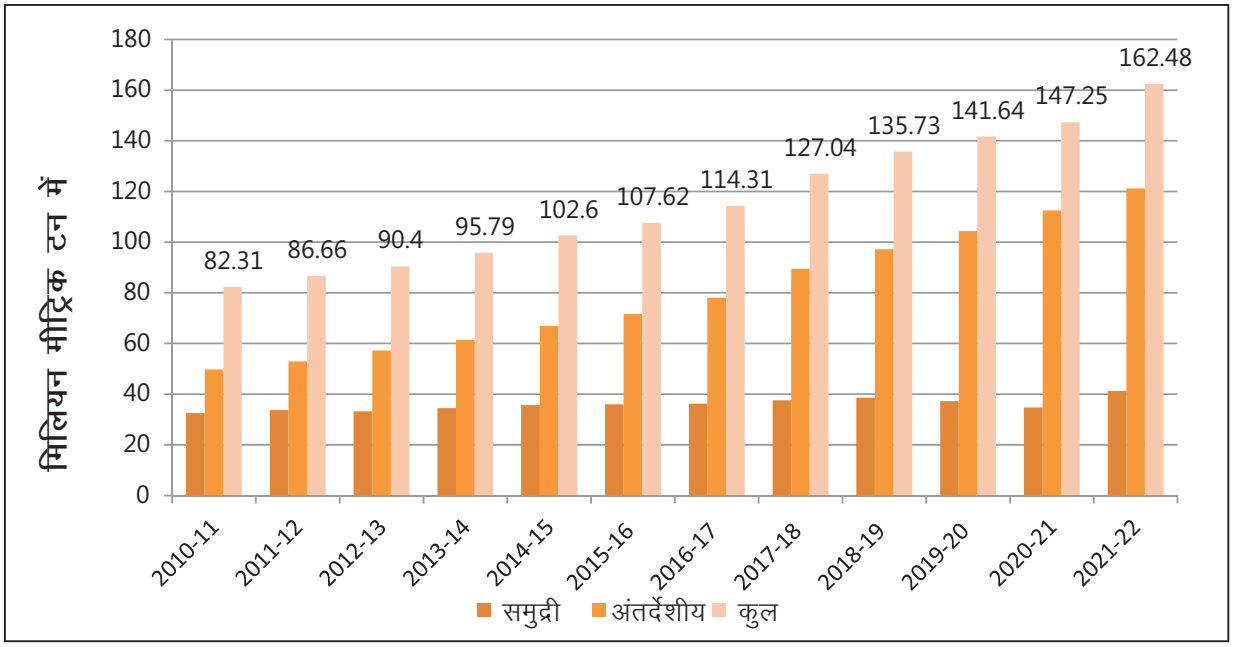

पिछले ढाई दशकों के दौरान अंतर्देशीय मात्स्यिकी के अन्दर कैप्चर मत्स्यपालन से जलीय कृषि में परिवर्तन हुआ है। 1980 के मध्य में अंतर्देशीय मात्स्यिकी में ताजे जल की जलीय कृषि का जो हिस्सा 34 प्रतिशत था वह हाल के वर्षों में बढ़कर लगभग 76 प्रतिशत हो गया है।

2.2 भारत में मात्स्यिकी क्षेत्र

भारत में मत्स्यपालन की गाथा हड़प्पा सभ्यता के दिनों की याद दिलाती है। मछली, मछली व्यापार तथा मछुआरा समुदाय के संदर्भ संगम काल (पहली से चौथी शताब्दी ईसवी) के गीतों में मिलते हैं। भारत में मत्स्यपालन क्षेत्र की महत्ता और भूमिका को अधिकारिक रूप से मान्यता तब मिली जब वर्ष 1897 में "भारतीय मत्स्य अधिनियम" का अधिनियम हुआ। इस अधिनियम के द्वारा भारत में मत्स्यपालन क्षेत्र के विकास की आधारशिला रखी गई और देश में मत्स्यपालन के विकास और संरक्षण के प्रति राज्यों की जिम्मेदारी की रूपरेखा तैयार की गई है। इस अधिनियम के माध्यम से राज्यों को मछली और मात्स्यिकी संसाधनों के संरक्षण के लिए नियम/कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया।

भारत सरकार की पहली पंचवर्षीय योजना (1951–56) में टेलीस्कोपिक नजरिए के साथ मत्स्यपालन योजना को कैनवास पर चिंहित किया गया जिसमें निम्नलिखित के माध्यम से समुद्री मात्स्यिकी तथा अंतर्देशीय मात्स्यिकी दोनो क्षेत्रों के लिए प्राथमिकताएं की गई –

क. देशी जलयानों का यांत्रिकरण या नई यांत्रि.त नौकाओं को लागू किया जाना

ख. मत्स्यन बन्दरगाह सुविधाओं का विकसित किया जाना

ग. मछुआरों को आवश्यक सामग्री की आपूर्ति किया जाना

घ. विपणन गतिविधियों को विकसित किया जाना

ङ. आइस तथा कोल्ड स्टोरेज का प्रावधान किया जाना और परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था करना

च. अनुषंगी पोत प्रचालन आरंभ करना

छ. पर्स–सीनर्स तथा ट्रॉलर्स जेसे विद्युत चालित बड़े जलयानों के साथ अपतटीय मत्स्यन उपलबध कराना

ज. नए सागरीय क्षेत्र जिनमें मत्स्यपालन किया जा सकता है, का सर्वेक्षण तथा स्टॉकिंग किया जाना

झ. मछलियों का संग्रहण

इस क्षेत्र के महत्व को ध्यान में रखकर फरवरी, 2019 में मत्स्यपालन विभाग का सृजन किया गया जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र को गतिशीलता प्रदान करना तथा इस पर विशेष ध्यान देना है। इसके पश्चात, जून 2019 में एक स्वतंत्र रूप से मत्स्यपालन, पशुपालन तथा डेयरी मंत्रालय का सृजन किया गया।

इस विभाग का मुख्य उद्देश्य पर्यावरणीय रूप से सतत मछली उत्पादन तथा उत्पादकता को बढ़ावा देना, सामाजिक रूप से समानता के आधार पर भारतीय मत्स्यपालन की अदोहित क्षमता का दोहन करना, जलीय संसाधनों तथा आनुवांशिक विविधता का संरक्षण करना, पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य का परिक्षण करना, हार्वेस्ट में अवसंरचनाको सु.ढ़ करना, पोस्ट हार्वेस्ट, मूल्य संर्वधन तथा विपणन, लाभप्रद रोजगार का सृजन करना और क्षमता सु.ढ़ीकरण के साथ मछुआरों और जलीय किसान समुदाय का उत्थान करना है।

चूंकि मत्स्यपालन राज्य का विषय है, अतः मत्स्यपालन क्षेत्र विशेषरूप से मछुआरा समुदाय के कल्याण तथा सहयोग प्रदान करने के लिए मत्स्यन गांवों/तटीय मत्स्यन गांवों, मत्स्यन बन्दरगाहों तथा पत्तनों में राज्यों द्वारा अभूतपूर्व तरीके से निवेश किया गया है। तथापि, संसाधनों के लिए बढ़ती अपेक्षाओं के साथ–साथ भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण/सलाह और नीतिगत उन्मुखीकरण प्रयत्नों को सहयोग देने हेतु मत्स्यपालन क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाता है।

मत्स्यपालन एक सनराइज क्षेत्र के रूप में उभरा है और यह एक ऐसा महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है जो भारत में खाद्य, पोषण, रोजगार, आय और आजीविका प्रदान कर रहा है। मत्स्यपालन क्षेत्र का रूपांतरण पारंपरिक रूप से वाणिज्यिक रूप में हो गया है। वर्ष 1950–51 में जो मछली उत्पादन 0.75 मिलियन मीट्रिक टन था, वह वर्ष 2019–20 के दौरान बढ़कर 16.25 मिलियन मीट्रिक टन हो गया। इस क्षेत्र ने प्राथमिक स्तर पर लगभग 16 मिलियन मछुआरों तथा मछली किसानोंको आजीविका प्रदान की है, और मूल्य श्रंखला में अनेक लाख को।

2.3 मात्स्यिकी संसाधन

भारत के पास मात्स्यिकी संसाधनों की प्रचुरता तथा विविधता है जो गहरे समुद्र से लेकर तालाबों, नदियों तक है और मछली तथा शैल–फिश प्रजातियों के संदर्भ में यह वैश्विक जैव–विविधता का 10 प्रतिशत से अधिक है। समुद्री मात्स्यिकी संसाधन देश के वृहत तटवर्ती तथा अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ई ई जेड) और बड़े महाद्वीपीय शेल्फ क्षेत्र के साथ फैला हुआ है। अंतदेर्शीय मत्स्यपालन संसाधन नदियों तथा नहरों, बाढ़ युक्त झीलों, तालाबों, जलाशयों, खारे जल, लवणीय/क्षारीय प्रभावित क्षेत्रों आदि के रूप में है।

देश के समुद्री संसाधनों में 2.02 मिलियन वर्ग किलोमीटर अनन्य आर्थिक क्षेत्र, 0.53 मिलियन वर्ग किलोमीटर महाद्वीपीय शेल्फ क्षेत्र और 8, 118 किलोमीटर तटवर्ती क्षेत्र शामिल है। भारतीय सागरों में समुद्री मात्स्यिकी क्षमता का आकलन 5.31 मिलियन मीट्रिक टन किया गया है जिसमें लगभग 43.3 प्रतिशत डिमर्सल, 49.5 प्रतिशत पेलेजिक तथा 4.3 प्रतिशत समुद्री समूहों, 1.1 प्रतिशत अंतर्देशीय संसाधनों तथा 1.8 प्रतिशत अन्य संसाधनों का हिस्सा है।

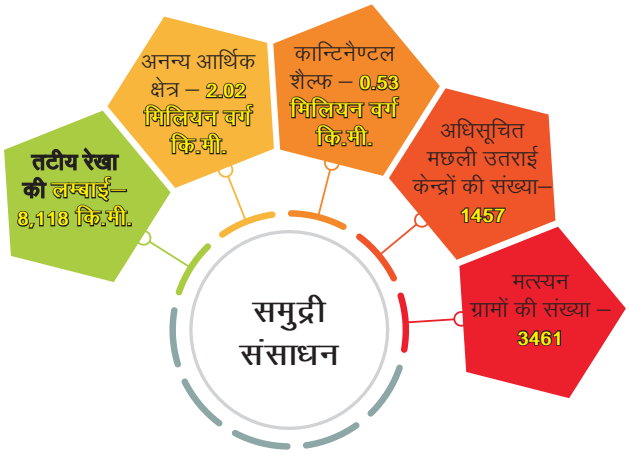

पिछले वर्षों में, देश में समुद्री जल कृषि व्यापक रूप से मस्सल, एडिबल आयस्टर्स तथा पर्ल ओयस्टर्स जैसे बाइवल्व मोलस्क और कुछ हद तक समुद्री शैवाल तक सीमित थी । विगत दशक के दौरान, समुद्री पिंजरा मत्स्य

.षि से संबधित प्रौद्योगिकी के विकास पर विशेष ध्यान दिए जाने के साथ देश में सी–फूड के उत्पादन में प्रमुख अंशदायी बनने के लिए उन गतिविधियों की अनुमति देकर फारवर्ड तथा बैकवर्ड लिंकेज दोनो के साथ विकास योजनाओं की परिकल्पना की गई।

यद्यपि, अंतर्देशीय मत्स्यपालन क्षेत्र में उल्लेखनीए वृद्धि हुई किन्तु अपेक्षित क्षमता के अनुरूप लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सका है। प्रचुर अंतर्देशीय संसाधनों में 0.28 मिलियन किलोमीटर नदियां तथा नहरे 1.2 मिलियन हेक्टेयर बाढ़युक्त झीले, 2.45 मिलियन हेक्टेयर तालाब और टैंक तथा 3.15 मिलियन हैक्टेयर के जलाशय है।

भारतीय मत्स्यपालन क्षेत्र की प्रवृत्ति का विश्लेषण करने से यह पता चलता है कि इसका प्रतिमान समुद्री बहुल मात्स्यिकी से शिट होकर इस परि.श्य में चला गया है जहां अंतर्देशीय मात्स्यिकी देश में समग्र मत्स्य उत्पादन के लिए एक प्रमुख अंशदायी के रूप में उभरकर सामने आया है जिसे निम्नलिखित चार्ट में देखा जा सकता है। इस समय, अंतर्देशीय मत्स्यपालन का हिस्सा देश के कुल मत्स्य उत्पादन में 75 प्रतिशत है।

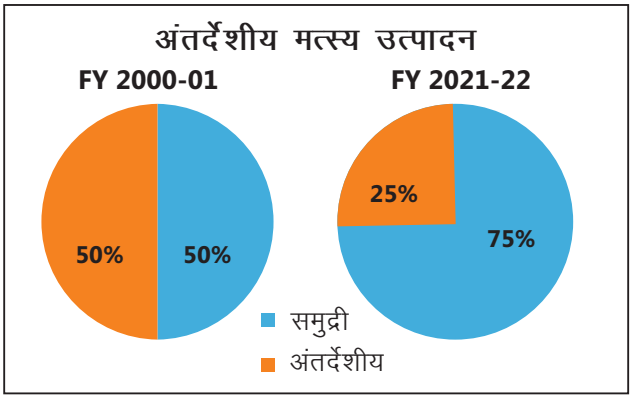

"मात्स्यिकी" की विषय वस्तु भारत के संविधान की राज्य सूची (अनुच्छेद 246 की सातवीं अनुसूची के तहत 21 प्रविष्टि) में सूचीबद्ध है; तथापि, केन्द्रीय सरकार इस क्षेत्र में विकास के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को बढ़ावा देती है। कुल मिला कर, अंतर्देशीय क्षेत्र राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में है जबकि समुद्री क्षेत्र की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार और तटवर्ती राज्य सरकारों के बीच वहन की जाती है। तटवर्ती राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की जिम्मेदारी है कि वे 12 नॉटिकल मील (22 किलोमीटर) की प्रादेशिक सीमा के भीतर जल सीमा क्षेत्र में मात्स्यिकी के विकास एवं प्रबंधन/विनियमन की जिम्मेदारी निभाएं। भारत सरकार 12 नॉटिकल मील के बीच अनन्य आर्थिक क्षेत्र के जल सीमा क्षेत्र में मात्स्यिकी के विकास और विनियमन की जिम्मेदारी निभाती है। ताजे जल में मछली पालन के लिए स्तरीय बीज, चारे, स्वास्थ्य प्रबंधन तथा विपणन समर्थन जैसे निवेश अपेक्षित है। देश भर में, अंतर्देशीय मात्स्यिकी तथा जलीय कृषि में अधिक से अधिक उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से जलीय कृषि, कृषि आधारित कैप्चर मत्स्यपालन, पाली जानेवाली प्रजातियों के पालन, तथा क्वालिटी के जल की उपलब्धता के लिए स्तरीय बीज और चारे के उत्पादन और वितरण के प्रयास किए जा रहे हैं।

शीतजल के संसाधनों का विस्तार मुख्यतरू उन जल धाराओं, नदियों, झीलों और जलाशयों के रूप में है जो जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और सभी पूर्वोत्तर राज्यों जैसे हिमालयन कोरिडॉर के मध्यम से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। वर्तमान में ऊपरी क्षेत्रों से कुल मछली उत्पादन भारत के अंतर्देशीय मछली उत्पादन का लगभग 3 प्रतिशत है जो कुल उत्पादन का एक बहुत छोटा हिस्सा है। उच्च मूल्य वाली शीतजल की प्रजातियां जिनमें रेनबो ट्राउट जैसी मछलियां के वाणिज्यिक फार्मिंग है, का सफलतापूर्वक पालन किया गया है और इसमें उल्लेखनीय प्रगति हुई है। खाराजल एसचुअरीज या नदी का मुहाना जल निकायों का एक अन्य स्त्रोत है जिसमें ज्वार और भाटों प्रभावों के कारण खाराजल में कमी–वेशी होने से फिनफिश और शैलफिश कृषि दोनों की असीम संभावना है।

सीबाश, पर्ल स्पोट और झींगा जैसी मूल्यवान मछली की खेती बड़े पैमाने पर की जा सकती है। भारत में 1.24 मिलियन हेक्टेयर खाराजल क्षेत्र है जो सभी समुद्री तटीय राज्योंध्संघ राज्यों (यू.टी.) में फैला हुआ है लेकिन इसमें खारेजल का 15% हिस्सा ही मुश्किल से व्यावसायिक फार्मिंग के लिए विकसित है। इसमें कुछ हद तक झींगा, ओएस्टर, मसल्स, क्रैब, लोबस्टार सीबास, ग्रुपर्स, मुलैट्स, मिल्क फिश, कोबिया, सिल्वर पोम्पानों, पर्लस्पाट, सजावटी, मछलियां और समुद्री शैवाल की ही फार्मिंग की जा रही है। तटीय जल.षि प्राधिकरण (सी.ए.ए.) तटीय जलीयकृषि क्षेत्र के धारणीय विकास के लिए सतत हाई टाइड लाइन से 2 कि.मी. के अन्दर खाराजल प्रणाली में इन गतिविधियों का विनियमन कर रहा है।

मृदा का क्षारीय होना एक पारिस्थितिकी चुनौती है जिसकी वजह से कृषि उत्पादन और कृषि करने वाला समुदाय बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। उत्तरी भारत में अंतर्देशीय क्षारीयता जिस दर से बढ़ रही है, कहीं न कहीं खतरे की घंटी बन रही है और अंतदेर्शीय क्षारीय मृदा परित्यक्त और अनुपयोगी हो गई है। अंतदेर्शीय क्षारीय क्षेत्र का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा (92.33 लाख हेक्टेयर) हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तरप्रदेश में है और यह किसी भी कृषि कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है। इस प्रकार, जलीय कृषि के माध्यम से इस मृदा का उत्पादक उपयोग करने के लिए इस बंजर भूमि को धन भूमि में बदलना आरंभ कर दिया गया है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीआई) और नीली क्रांन्ति योजना के अंतर्गत चार राज्यों में क्षारीय प्रभावित क्षेत्रों में मछली तथा झींगा पालन पहले आरंभ कर दिया गया है। जलीय कृषि के माध्यम से ये बड़े क्षारीय प्रभावित संसाधन की संभाव्यता उपयोग किए जाने से इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए नए केन्द्र बिंदु बन सकते हैं, इससे मत्स्य उत्पादन में वृद्धि होगी, भरपूर पोषण युक्त प्रोटीन प्राप्त होगी, निर्यात आय में वृद्धि होगी, और बंजर भूमि को धनभूमि में परिवर्तित किया जा सकेगा। इस चारो राज्यों के झींगा किसानों ने इस स्वीकार किया है और उन्होंने अच्छी उत्पादकता दर्शाते हुए झींगा पालन का प्रचार–प्रसार भी किया है। परंपरागत कार्य .षि को उच्च मूल्य वाली झींगा . षि में विविधता लाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। क्षारीय मृदा/जल के लिए एलवेन्नामेयी, सी बास और अन्य किस्म की मछली प्रजातियों का पालन आरंभ करके नई प्रजातियों को आरंभ कार्य .षि मूल्य वर्धित किया है। झींगा, क्रैब और फिनफिश के कुछ उत्पादन तकनीकों को मानकीकृत किया गया है।

सजावटी मत्स्यपालन दूसरी सबसे अधिक लोकप्रिय आदत है इस आदत के अनुमानतः 100 मिलियन लोक विश्व में हैं। भारत वर्ष का वैश्विक सजावटी मछली निर्यात में 0.53 प्रतिशत हिस्सा है और आयात हिस्सा 0.45 प्रतिशत है। तथापि, इस क्षेत्र में देश में बढ़त की बहुत अधिक संभावना है क्योंकि विभाग द्वारा तैयार किए गए 2020–25 के सजावटी मत्स्यपालन के विकास के लिए कार्रवाई योजना में स्रोत संभावना और मत्स्य उत्पादन तथा विपणन के लिए वर्तमान मूल्य श्रृंखला प्रणाली और स्रोत संभावना के आधार पर संभावित राज्यों में सजावटी मत्स्यपालन के विकास पर प्रकाश डाला गया है। सजावटी मत्स्यपालन के विकास के लिए संभावित जिले, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटक, असम और मणिपुर हैं। विभाग इस क्षेत्र की प्रगति के लिए आईसीएआर–सीआईएफए के साथ कार्य कर रहा है। अवसर क्षेत्रों का अनुमान लगाने के लिए आईसीएआर–सीफा के लिए मूल्य श्रृंखला विश्लेषण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

शैवाल कृषि संभावित क्षेत्रों में से एक ऐसा क्षेत्र है जिसका पता लगाया जाना चाहिए। आशा की जाती है कि यह क्षेत्र खास कर तटीय क्षेत्रों में महिलाओं के लिए रोजगार का एक नया द्वार खोलेगा, ग्रामीण क्षेत्रों में समाज के आर्थिक रूप में कमजारे वर्गों के लिए आय का संसाधन प्रदान करेगा और उद्यमिता को बढ़ावा देगा। लंबी तटीय रेखा तथा अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) के साथ, भारत के पास समुद्री शैवाल कृषि और समुद्री शैवाल उद्योग संवर्धन के लिए काफी संभावनाएं हैं। सूचित किया गया है कि भारत के पास समुद्री शैवाल की लगभग 844 किस्में है जिनमें से लगभग 60 किस्में वाणिज्यिक महत्व की हैं। विभाग और एनएफडीबी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों एवं अनुसंधान संस्थानों के साथ संयुक्त कार्यक्रमों के माध्यय से इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए नीति बनाने और अवसंरचनात्मक परिवर्तन करने के लिए ध्यान दे रहे हैं। विभाग द्वारा तमिलनाडु में समुद्री शैवाल पार्क की स्थापना, कृषि के लिए अनुकूल स्थानों की पहचान के लिए व्यवहार्य अध्ययन करने, समुचित .षि प्रौद्योगिकियों के लिए ज्ञान हस्तानतरण, आसानी से प्राप्य समुद्री शैवाल शीड बैंक की स्थापना को अग्रता से किया जा रहा है।

नदियों में मत्स्य के घटते भंडार को फिर से भरने के लिए रीवर रेंचिंग को प्राथमिकता गतिविधि के रूप में लिया गया है। देशी स्टॉक के सीड रेंचिंग द्वारा नदियों में देशी प्रजातियों का उत्पादन, रिवराइन लैंडिंग केंद्रों का उन्नयन और मछुआरों की भलाई के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले उपकरणों को लक्षित किया जा रहा है। जैसा कि भारत को 14 प्रमुख, 44 मध्यम और कई छोटी नदियाँ मिली हैं, जो 2.52 लाख किलोमीटर के माध्यम से चलती हैं, जो 1 लाख टन के वर्तमान उत्पादन में योगदान करती हैं। नदी की मत्स्य पालन की क्षमता का इष्टतम उपयोग करने के लिए, विभाग 9 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में नीली क्रांति के तहत स्वीकृत नदी के मत्स्य

पालन के अभ्यास और नदी के मत्स्य पालन कार्यक्रम में स्वदेशी मत्स्य संसाधनों के संरक्षण और प्राकृतिक उत्पादकता की बहाली पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। गंगा और गंगा नदी प्रणाली की सहायक नदियों, ब्रह्मपुत्र और बराक नदी वितरिकाओं और अन्य नदियों, महानदी और महानदी नदी प्रणाली की सहायक नदियों और गोदावरी, कावेरी, नर्मदा और सिंधु नदी में रिवर रेंचिंग को लागू किया जा रहा है।

कृत्रिम भित्तियाँ (एसीआर), एक सदियों पुरानी तकनीक, समुद्री जीवन के रहने के लिए एक ठोस सब्सट्रेट प्रदान करती है, मछली को आकर्षित करती है जो शैवाल और अन्य जीवों का उपभोग कर सकती है जो कृत्रिम सब्सट्रेट को आबाद करते हैं।

कम उपयोग वाले क्षेत्रों में उत्पादन और मछली पकड़ने की क्षमता बढ़ाने के लिए दुनिया भर में एआर का उपयोग किया जाता है। वे क्षेत्र की जैविक उत्पादकता को भी बढ़ाते हैं और मछलियों के लिए स्पानिंग और नर्सरी ग्राउंड के रूप में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। उनके मुख्य उद्देश्य निवास स्थान के नुकसान को कम करना, जैव विविधता को बढ़ाना, किशोर और परिपक्व जानवरों के लिए आश्रय प्रदान करके जलीय जीवों की आबादी को बढ़ाना, शैवाल और मोलस्क संस्कृति के लिए नए सबस्ट्रेट्स प्रदान करना, मछली जीवन चक्र और कनेक्टिविटी को विनियमित करने के लिए संभावित समुद्री संरक्षित क्षेत्र (एमपीए) नेटवर्क स्थापित करना है।, पेशेवर और मनोरंजक मत्स्य पालन को बढ़ाना, गोताखोरी के लिए उपयुक्त क्षेत्रों का निर्माण करना और तटीय गतिविधियों का प्रबंधन करने और संघर्षों और अनुसंधान और शैक्षिक गतिविधियों को कम करने के लिए एक साधन प्रदान करना। विभाग उपयुक्त स्थानों पर तटीय बेल्ट में कृत्रिम रीफ स्थापित करने के लिए विशेष परियोजनाएं चला रहा है।

वित्त वर्ष 2022–23 के लिए, निम्नलिखित अध्ययन शुरू किए गए हैं:

1. ट्रांसफॉर्मिंग फिशरीज – पीएमएमएसवाई और उपलब्धियों पर पुस्तिका
2. मत्स्य सम्पदा: मत्स्यपालन विभाग न्यूजलेटर का तीसरा संस्करण
3. निर्यात विविधीकरण के भाग के रूप में तिलापिया कार्य योजना
4. भारत में स्कैम्पी के उत्पादन को बढ़ाने की योजना
5. राष्ट्रीय बीज योजना: 2022–2025

सांख्यिकीय प्रभाग भी मात्स्यिकीय संबंधी सांख्यिकी, मत्स्य उत्पादन डेटा इत्यादि पर एक हैंडबुक तैयार करने में भी लगा हुआ है। इसके लगातार प्रयासों से विभाग के लिए डेटा गवर्नेस क्वालिटी इंडेक्स (डीजीक्यूआई) 1.07 से 3.26 बढ़ गया है।

2.4 विशेष क्षेत्र तथा भावी उपाय

मत्स्य उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, एकीकृत मछली पालन, शीतजल में मछली पालन, नदीय मत्स्यपालन, कैप्चर मत्स्यपालन, खारे जल में मत्स्यपालन आदि जैसे अन्य मत्स्य उत्पादन क्षेत्रों में विविधता लाए जाने की आवश्यकता है। अतः हाल ही में एकीकृत मछली पालन, कार्प पॉली कृषि, ताजे जल में झींगा कृषि, नदीय मत्स्यपालन विकास के जरिए तालाबों और टैंकों में लक्षित गहन जलीय कृषि के उपाए किए गए हैं।

मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जलीय कृषि के अंतर्गत क्षेत्र का विस्तार किया जाना एक महत्वपूर्ण विकल्प बन गया है। इस संदर्भ में, परित्यक्त जल स्रोत काफी उपयोगी हो सकते हैं और देश में भावी मछली की मांग की पूर्ति के लिए मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के क्षेत्र में महत्वपूर्ण साधन सिद्ध हो सकते हैं। इस समय, देश में लगभग 1.3 मिलियन हेक्टेयर बील्स और अन्य परित्यक्त जल स्त्रोत हैं। इन जल स्त्रोतों को मत्स्यपालन के दायरे में लाने से मछली उत्पादन को काफी बढ़ावा मिलेगा और इन जल स्रोतों में मत्स्यपालन का विस्तार किया जा सकेगा। मछली उत्पादन को बढ़ावा देना इस विभाग के प्रमुख क्षेत्रों में से एक क्षेत्र है।

यह विभाग दीर्घकालीन रूप में अंतर्देशीय मछली उत्पादन में सतत रूप से वृद्धि किए जाने के लिए स्तरीय बीज तथा चारे की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता पर ध्यान देता है। अनुमान के अनुसार, मौजूदा तालाबों, नए तालाबों तथा जलाशयों में इष्टतम स्टॉकिंग के लिए कुल लगभग 60000 मिलियन फ्राइ फिश बीज की आवश्यकता होगी। इसकी तुलना में, वर्ष 2020–21 में बीज उत्पादन लगभग 540689.32 मिलियन फ्राइ है। इस

प्रकार, इसे ध्यान में रखते हुए अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन तथा अन्य उत्पादन क्षेत्र में जैसे प्रौद्योगिकी समावेशन, आरएएस, वायो–लॉक, पिंजरा कृषि, पेन कृषि आदि जैसे माध्यम से उल्लेखनीय उपलब्धि हुई है। कुल अनुमानित अंतर 15,365.38 मिलियन मत्स्य है । देश में ब्रूड बैंकों तथा हैचरियों की स्थापना स्थापना करना विभाग का प्राथमिक क्षेत्र है।

उत्पादकता में सुधार करने के लिए उत्तरदायी जलीय कृषि, जलीय रोग निवारण और प्रबंधन, जैविक कृषि, तथा इनब्यूस्ड ब्रीडिंग इस क्षेत्र की अन्य चुनौतियां है जिनसे निपटा जाना है।

मत्स्यन बन्दरगाह का आधुनिकीकरण किया जाना एक अन्य विशेष क्षेत्र है जिसके अन्तर्गत मुख्य रूप से बन्दरगाह सुविधाओं की स्वच्छता स्थिति में सुधार करना है और इसका उद्देश्य निर्यात आय को बढ़ावा देना तथा संकुलता को सुगम बनाना है। इस परियोजना के आधुनिकीकरण किए जाने की जो परिकल्पना की गई है, उनमें नीलामी हॉल का सुधार, मछली पैकिंग हॉल सह ट्रक पार्किंग क्षेत्र का निर्माण, स्वच्छता तथा जलापूर्ति संबंधी सुविधाओं में सुधार, विद्युतीकरण और ड्रेनेज प्रणाली में सुधार, वार्फ बैक–अप क्षेत्रों की रिसर्फेशिंग, मौजूदा भवनों का आधुनिकीकरण, फिंगर जेट्टी का निर्माण, मौजूदा आरसीसी जेट्टी का नवीकरण, वार्फ फ्रंटेज एरिया की रि–लोरिंग, टॉवर लाइटिंग ढांचे का नवीकरण, रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली का निर्माण, चिल्ड फिश स्टोरेज सुविधाओं का निर्माण तथा आइस प्लांट और कोल्ड स्टोरेज, प्रसंस्करण प्लांट, डॉक लोटिंग ६ स्लीप वेध्स्लीप लिट/ड्राई डॉक का निर्माण तथा कृषि–निर्यात प्रबंधन इत्यादि हैं।

अध्याय–3

मत्स्यपालन विभाग की प्रमुख योजनाएँ और कार्यक्रम

3.1 प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना

नीली क्रांति की उपलब्धियों को सशक्त करने और इस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, वित्तीय वर्ष 2019–20 के अपने केंद्रीय बजट में भारत सरकार ने एक नई योजना "प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना" की घोषणा की। प्रमुख योजना के रूप में, प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनाका उद्देश्य मछली उत्पादन और उत्पादकता में महत्वपूर्ण अंतराल को समाप्त करना, नवाचार और आधुनिक प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, हार्वेस्ट के बाद के बुनियादी ढांचे के प्रबंधन में सुधार करना और आधुनिक मूल्य श्रृंखला और ट्रेसबिलिटी को बढ़ावा देना, सुदृढ़ मत्स्य प्रबंधन और मछुआरों का कल्याण के लिए रूपरेखा स्थापित करना है। एक स्थायी, जिम्मेदार, समावेशी और न्यायसंगत तरीके से में संभाव्य मात्स्यिकी का दोहन करने हेतु जागरूकता पैदा करने की दिशा में जोर दिया गया है।

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना को राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के सक्रिय सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है। इसे कार्यान्वयन योग्य योजना बनाने के लिए और कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच विश्वास पैदा करने का एक उपाय, राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को प्रारंभिक चरण से शामिल किया गया हैं। सभी राज्योंध्केंद्रशासित प्रदेशों में मत्स्यन गतिविधियों की वर्तमान स्थिति के आकलन के साथ योजना तैयार की गई है। निष्पादन के समय सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए व्यावहारिक तंत्र पर पहुंचने और लक्ष्यों की मात्रा को सुव्यवस्थित करने के लिए गहन चर्चा की गई है ।

3.1.1 प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी. एम. एम. एस.वाई.) का उद्देश्य :

(क) स्थायी, जिम्मेदार, समावेशी और न्यायसंगत तरीके से संभाव्य मात्स्यिकी का दोहन

ख) भूमि और पानी के विस्तार, गहनता, विविधीकरण और उत्पादक उपयोग के माध्यम से मछली उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना

(विजन)

"पारिस्थितिकी रूप से स्वच्छ, आर्थिक रूप से व्यावहारिक तथा सामाजिक रूप से समावेशी मात्स्यिकी क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसका विजन मछुआरों, मत्स्य किसानों एवं अन्य हित धारकों की आर्थिक समृद्धि तथा खुशहाली के लिए सतत एवं जिम्मेदार तरीके से देश की खाद्य और पोषण सुरक्षा में योगदान करना है"।

(मिशन)

तालाबों में उच्च घनत्व की जलीय कृषि, पुनः संचारी जलीय कृषि प्रणाली (आर. ए.एस.), बायो लॉक, केज कृषि, लाइव फीड, टेक्नोलॉजी, ब्लॉक चेन, मूल्य संवर्धन, क्वालिटी परिरक्षण और विपणन आदि सहित उत्पादन तथा पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन में प्रौद्योगिकियों को शामिल करना और उनके अंगीकरण को बढ़ावा देना है।

(ग) मूल्य श्रृंखला का आधुनिकीकरण और सु.ढ़ीकरण – पोस्ट हार्वेस्ट का प्रबंधन और गुणवत्ता में सुधार

(घ) मछुआरों और मछली किसानों की आय को दुगुना करना और रोजगार का सृजन

(ड़) .षि सकल मूल्य वर्धित (जी वी ए) और निर्यात में योगदान बढ़ाना

(च) मछुआरों और मछली किसानों के लिए सामाजिक, शारीरिक और आर्थिक सुरक्षा

छ) सशक्त मत्स्य प्रबंधन और नियामक ढांचा

3.1.2 प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना का घटक

पी. एम. एम. एस.वाई. दो अलग–अलग घटकों के साथ एक समग्र योजना है। अर्थात् (ए) केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएस) और (बी) केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस)। केंद्र प्रायोजित योजना को निम्नलिखित तीन व्यापक शीर्षों के तहत गैर–लाभार्थी उन्मुख और लाभार्थी उन्मुख घटकोंग्तिविधियों में विभाजित उप किया गया है:

क. उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि

ख. इंफ्रास्ट्रक्चर और पोस्ट– हार्वेस्ट प्रबंधन

ग. मात्स्यिकी प्रबंधन और नियामक ढांचा पी. एम. एम. एस.वाई. को कुल 20,050 करोड़ रुपये केकुल अनुमानित निवेश पर मंजूरी दी गई है जिसमें 9,407 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा 4, 880 करोड़ रुपये का राज्य हिस्साऔर रु 5,763 करोड़ रुपये का लाभार्थी योगदान शामिल है ।

3.1.2.1 केंद्रीय क्षेत्र योजना

पीएमएमएसवाई की केंद्रीय योजना के तहत संपूर्ण परियोजना/इकाई लागत केंद्र

केंद्रीय क्षेत्र योजना ते तहतशामिल विभिन्न घटक/गतिविधियाँ हैं:

क) आनुवंशिक सुधार कार्यक्रम और नूक्लियर प्रजनन केंद्र (एन बी सी)

ख) नवाचार और अभिनव परियोजनाएं/गतिविधियाँ, वस्टार्टअप, इन्क्यूबेटरों और पायलट परियोजनाओं सहित प्रौद्योगिकी प्रदर्शन ग) प्रशिक्षण, जागरूकता, एक्सपोजर और क्षमता निर्माण

घ) जलीय संगरोध सुविधाएं

ड़) केंद्र सरकार और इसकी संस्थाओं के मत्स्यन बंदरगाहों का आधुनिकीकरण

च) एन एफ डी बी, मात्स्यिकी संस्थानों और मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार के नियामक प्राधिकारियों को सहयोग और राज्य मत्स्यपालन विकास बोर्डको आवश्यकतानुसार सहायता ।

छ) सरकार के स्वामित्व वाले ड्रेजर टीएसडी सिंधुराज सहित मात्स्यिकी संस्थानों के लिए प्रशिक्षण पोतों और सर्वेक्षण के लिए समर्थन

ज) रोग निगरानी और निगरानी नेटवर्क

झ) मछली डेटा संग्रह, मछुआरों के सर्वेक्षण और मात्स्यिकीडेटाबेस को मजबूत बनाना

ञ) समुद्र में समुद्री मछुआरों की सुरक्षा एवं बचाव सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को समर्थन

ट) मछली किसान उत्पादक संगठन/कंपनियां (एफ.एफ.पी.ओ./सी. एस.)

ठ) प्रमाणन, मान्यता, ट्रेसबिलिटी और लेबलिंग ड) पी.एम.एम.एस.वाई. के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक व्यय (दोनों केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के घटकों के खर्चों को पूरा करने के लिए)

3.1.2.2 केंद्र प्रायोजित योजना केंद्र

केंद्र प्रायोजित योजना केंद्र (सी.एस.) पी. एम. एम. एस. वाई. के घटक को आगे चलकर गैर–लाभार्थी उन्मुख और लाभार्थी उन्मुख उप घटकों में विभाजित किया गया है। यह वित्तीय वर्ष 2020–21 से वित्तीय वर्ष 2024–25 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए 18,330 करोड़ रुपये के निवेश की परिकल्पना करता है। केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत विभिन्न व्यापक घटक/गतिविधियाँ नीचे दी गई हैं।

सरकार (अर्थात 100 प्रतिशत केंद्रीय वित्तपोषण) द्वारा वहन की जाएगी और जहाँ कही भी प्रत्यक्ष लाभार्थी उन्मुख यानि व्यक्तिगत/समूह गतिविधियाँ राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एन एफ डी बी) सहित केंद्र सरकार की संस्थाओं द्वारा की जाती है वहाँ केंद्रीय सहायता इकाई/परियोजना लागत के 40 प्रतिशत सामान्य वर्ग के लिए होगी और अनुसूचित जाति/जनजाति महिला वर्ग के लिए 60 प्रतिशत होगी। इसमें वित्त वर्ष 2020–21 से वित्त वर्ष 2024–25 तक पांच साल की अवधि के लिए रु. 1,720 करोड़ रुपये के निवेश की परिकल्पना की गई है।

केन्द्र प्रायोजित योजना घटक के रुप में प्रस्तावित गतिविधियां।

प्रौद्योगिकी समावेश सहित मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि

- अंतर्देशीय मात्स्यिकी और जलीय कृषि का विकास।
- मैरिकल्चर और समुद्री शैवाल की खेती सहित समुद्री मात्स्यिकी का विकास।
- उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मात्स्यिकी का विकास।
- सजावटी और मनोरंजक मात्स्यिकी का विकास।
- प्रौद्योगिकी संचार और अनुकूलन

इन्फ्रास्ट्रक्चर और पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन

- मत्स्यन बंदरगाहों और मत्स्य लैंडिंग केंद्रों का विकास
- पोस्ट हार्वेस्ट औक कोल्ड चेन इन्फ्रास्ट्रक्चर
- गहरे समुद्र में मत्स्यन का विकास
- एकीकृत आधुनिक तटीय मत्स्यन गाँव
- बाजार और विपणन इन्फ्रास्ट्रक्चर

मछुआरा कल्याण सहित मात्स्यिकी प्रबंधन और नियामक ढांचा

- मानीटरिंग नियंत्रण और निगरानी (एमसीएस)
- मछुआरों की सुरक्षा और बचाव को सुदृढ करना।
- मात्स्यिकी विस्तार और समर्थन सेवाएं।
- प्रौद्योगिकी संचार और अनुकूलन मत्स्यन पोतों और मछुआरों का बीमा ।
- मछुआरों की आजीविका और पोषण संबंधी सहायता ।

3.1.3 केंद्र प्रायोजित घटक के फंडिंग पैटर्न

केंद्र प्रयोजित घटक (सी.एस.) के तहत अभिप्रेरित, व्यक्तिगत/समूह गतिविधियों उप–घटकों गतिविधियों हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित, केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सरकारी सहायता परियोजना/सामान्य श्रेणी के लिए परियोजना इकाई के लागत की 40 प्रतिशत तक सीमित होगी। यूनिट लागत का 60 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति महिलाओं के लिए। सरकारीवित्तीय सहायता को निम्नलिखित अनुपात में केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच साझा किया जाएगा ।

क. उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यः 90 प्रतिशत केंद्रीय हिस्सा और 10 प्रतिशत राज्य का हिस्सा।

ख. अन्य राज्यः 60 प्रतिशत केंद्रीय हिस्सा और 40 प्रतिशत राज्य का हिस्सा।

ग. केंद्र शासित प्रदेश (विधायिका के साथ और विधायिका के बिना): 100 प्रतिशत केंद्रीय हिस्सा (यूटी शेयर नहीं)

घ. केंद्र शासित प्रदेश (विधायिका के साथ और विधायिका के बिना) 100 प्रतिशत केंद्रीय हिस्सा।

राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा कार्यान्वित किए केंद्र प्रायोजित घटक (सी.एस.) के तहत अभिप्रेरित, जाने वाले सी. एस. घटक के तहत गैर–लाभार्थी उन्मुख उप–घटक/गतिविधियों हेतु संपूर्ण परियोजना/इकाई लागत नीचे दिया गया हैं। इसके अनुसार विस्तृत रूप से केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच साझा किया जाएगाः

पी.एम.एम.एस.वाई. के तहत "मछली प्रतिबंध/लीन पीरियड" के दौरान मत्स्य संसाधनों के संरक्षण के लिए सामाजिक रूप से पिछड़े और सक्रिय पारंपरिक मछुआरों के परिवारों के लिए "आजीविका और पोषण संबंधी सहायता" के बारे में साझा फंडिंग पैटर्न नीचे संक्षेप में प्रस्तुत

राज्य/संघ राज्य	फंडिंग पैटर्न	योगदान
(i)	(ii)	(iii)
सामान्य राज्य	50:50 केंद्र और केंद्र शेयर रु 1500 सामान्य राज्य	केंद्र शेयर रु 1500 + राज्य शेयर रु 1500 + लाभार्थी शेयर रु 1500 = रु 4500/– प्रति वर्ष
उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्य	80:20 केंद्र और उत्तर पूर्वी एवं केंद्र शेयर रु 2400 हिमालयी राज्य	केंद्र शेयर रु 2400 + राज्य शेयर रु 600 + लाभार्थी शेयर रु 1500 = रु 4500/– प्रतिवर्ष
संघ राज्य	100% केंद्रीय हिस्सा, संघ राज्य के लिए (विधायिका के साथ और विधायिका के विना)	केंद्र शेयर रु 3000/– + लाभार्थी शेयर रु 1500 = रु 4500/– प्रतिवर्ष

3.1.4 प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना का परिणाम

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना ने 5 साल (2020–2025) की अवधी में स्थायी आधार पर सालाना लगभग 9: की वृद्धी दर का लक्ष्य रखा । यह संभव हो सकता हैं कि यदि उत्पादन 2024–25 के अंत तक 22 एम. एम. टी. पर लाक्षित हो । महत्वाकांक्षी योजना के परिणामस्वरूप निर्यात आय दोगुनी हो जाएगी। 100000 लाख करोड़ और 5 वर्ष में मत्स्य क्षेत्रमें लगभग 55 लाख के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करेंगे । प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना आगे जलीय कृषि उत्पादकता को 5 टन प्रति हेक्टर तक बढाने, घरेलू मछली की खपत बढ़ाने और अन्य स्रोतों से मत्स्यपालन क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने का उद्धेश्य हैं। मत्स्यन पोतों के लिए बीमा योजना

पहली बार प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के तहत पेश किया जा रहा हैं। ऊपर दिये गए ग्राफ के अनुसार 2015–19 से मछली उत्पादन (वास्तविक और लक्ष्य) प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना का लक्ष्य के अनुसार उपर्युक्त ग्राफ में दिया गया है ।

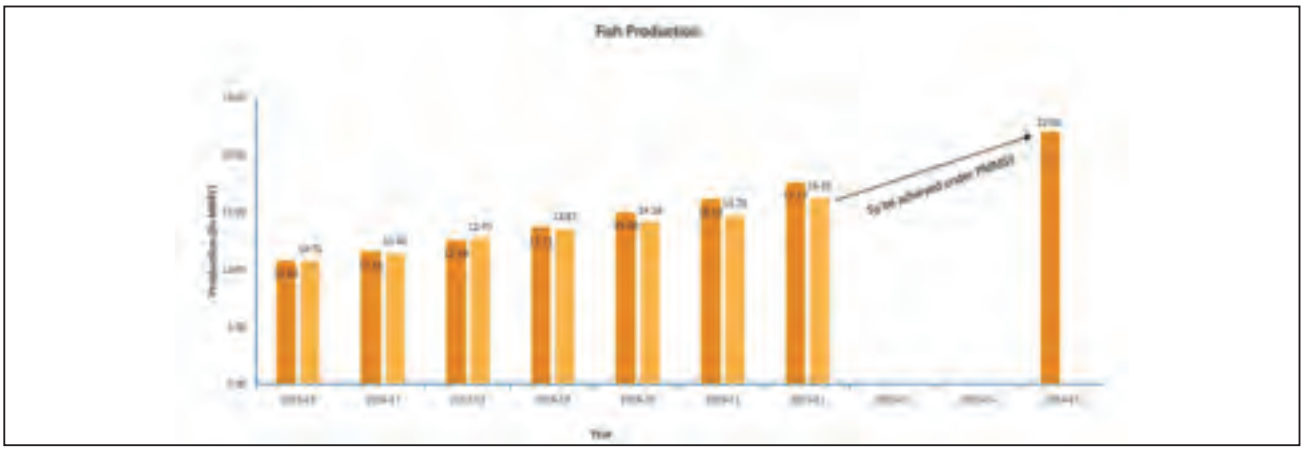

3.1.5 परियोजनाओं को अनलॉक करने के लिए रणनीति

क्षेत्र के निर्धारित उद्धेशों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के तहत देश में मत्स्यपालन और . षि विकास के लिए कार्यक्रमों और रणनीतियों का विकास किया गया हैं। योजना के तहत परिकल्पित संसाधनो के प्रबंधन और संरक्षण पर समान रूप से मजबूत फोकस के साथ उपयुक्त पिछड़े और आगे के लिंकेज के साथ क्लस्टर आधारित .ष्टिकोण " पर अधिक जोर दिया गया हैं ।

ख) आर्द्रभूमि और जलाशयों में .षि आधारित मात्स्यिकीरू जब खुले जल प्रणाली में मत्स्य खेती पूर्ण रूप से और मुख्य रूप से बनावटी स्टोकिंग पर निर्भर होती है तो इसे . षि आधारित मात्स्यिकी कहते हैं। विभिन्न .ष्टि कोणों जैसे कि .षि आधारित मात्स्यिकी (सीबीएफ) और जलाशयों में कैज फार्मिंग जैसी एनक्लोजर .षि तकनीकें जैसे विभिन्न . ष्टि कोणों से आज–कल लोकप्रिय हो रही है क्योंकि इससे देश में बढ़ते हुए मानविय स्रोतों के लिए रोजगार सृजित हो रहे हैं। आर्द्रभूमि सबसे अधिक उत्पादक जलीय इको प्रणाली सहायता हैं

3.1.6 मत्स्यपालन विकास के लिए एकीकृत दृष्टिकोण

बिभिन्न उत्पादन उन्मुख एकीकरणगतिविधियों जैसेरू (i) गुणवत्ता वाली मछली बीज का उत्पादन (ii) किफायती फीड (iii) व्यवहार्य प्रौद्योगिकी की उपलब्धता(iv) पोस्ट हार्वेस्ट की सुविधाएं औरप्रसंस्करण (v) पास के क्षेत्र में विपणन की सुविधाजहाँ वाणिज्यिक जलीय .षि की जाती हैजो मछली उत्पादन को बढ़ाएगा। श्क्लस्टर आधारित. ष्टिकोण श्यह उद्यमी और प्रगतिशील मछुआरों के बीच समूह बनाकर करना हैं जिससे हैचरी और खेतीमें अच्छे एक्वाकल्चर व्यवसाय (जीएपी) अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा

क) तालाबों में जलीय .षिरू यह देश में जलीय .षि का सर्वाधिक समान तरीका और मत्स्य उत्पादन का मुख्य स्रोत है। अर्ध– गहन और गहन जलीय अर्ध–गहन कृषि के माध्यम से वर्तमान तालाबों और टैंक संसाधनों काउपयोग इस विभाग की प्राथमिकता वाली गतिविधियों में से एक है। और यह साफ जल में मत्स्य के लिए फिडिंग और ब्रिडिंग ग्राउंड है। इसके अतिरिक्त फलडप्लैन आर्द्रभूमि मत्स्य उत्पादन और आजीविका के लिए महत्वपूर्ण है। आर्द्रभूमि और जलाशय में देशी प्रजातियों की फिंगर लिंग की स्टोकिंग, एक्स–सीटू फिंगरलिंग उत्पादन के लिए पर्याप्त पालन स्थान विकसित करना और तैरते पिंजरे और पेन में इन सीटूबीज उत्पादन जलाशय और आद्रभूमि से मत्स्य उत्पादन की वृद्धि करने में महत्वपूर्ण होंगे।

ख) मछली बीज उत्पादनरूजलीय कृषि और संवर्धन आधारित मत्स्यपालन के विकास के लिए गुणवत्तापूर्ण मछली बीज एक प्रमुख आवश्यकता

है–केंद्रीय मीठा जल जीव पालन संस्थान (सी आई एफ ए) और राष्ट्रीय मछली आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (एन बी एफ जी आर) की सहायता से ज्ञात किस्मों के अच्छी गुणवत्ता वाले बूडर के उत्पादन के लिए एन एफ डी बी द्वारा एक राष्ट्रीय मीठे पानी की मछली ब्रूड बैक की स्थापना की गई है।

(ग) बीज उत्पादन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए विचार किए जाने वाले अन्य मुद्दे प्रत्येक राज्य में ब्रूड बैंक की स्थापनाऔर ब्रूड स्टॉक के साथबीज को बनाए रखने के लिए हैचरी का उन्नयन है । प्रयोगशालाओं से मत्स्यपालक किसानों के फिल्ड में ब्रिडिंग और बीज उत्पादन प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण पर ध्यान दिया जाना है।

घ) चारा आधारित जलीय .षि को बढ़ावा देनारू फिश फीड मिलों और मौजूदा फीड मिलों से उत्पादन बढ़ाने की परिकल्पना की गई है । इसके अलावा बेहतर उत्पादकता हासिल करने के लिए निष्कासित फीड आधारित एक्वाकल्चरको लोकप्रिय बनाना हैं।

ङ) मछली पालन प्रजातियों का विविधीकरणः भारत में मीठे पानी की जलीय .षि कार्प केंद्रित हैं। इसलिए विदेशी और अन्य विविध प्रजातियों को इस तरह से संवर्धित करना है कि देशी प्रजातियों और पारिस्थितिक तंत्र पर किसी भी प्रतिकूल प्रभाव के बिना मछली उत्पादन की वृद्धि की जा सके।

च) स्पेसिफिक पैथोजन फ्री (एसपीएफ) झींगा बीज के लिए अतिरिक्त अवसंरचनारू

श्रिम्प ब्रूड मल्टीप्लिकेशन सेंटर (बीएमसी) ऐसी सुविधाएं हैं जो न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर (एनएमबी) से विशिष्ट रोगजनक मुक्त (एसपीएफ) पोस्ट लार्वा (पीएल) प्राप्त करते हैं और सख्त जैव सुरक्षा और करीबी बीमारी के अंतर्गत हैचरी को आपूर्ति के लिए वयस्क ब्रूड स्टॉक तक रियर पीएल प्राप्त करते हैं। निगरानी करना । झींगा बीज की आवश्यकताओं के अंतर को भरने के लिए और अधिक बीएमसी और हैचरी स्थापित करने का प्रस्ताव है।

वे क्षेत्र जिन्हें संबंधित योजनाओं जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), राष्ट्रीय .षि विकास योजना (आरकेवीवाई), और सागरमाला आदि के साथ अभिसरण के लिए मछली उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए नीति स्तर के हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

3.1.7 जलीय जीव रोगों के लिए राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम (एनएसपीएएडी)

रोग के प्रकोप के साथ–साथ नए क्षेत्रों में रोगजनकों का प्रसार जलीय कृषि प्रथाओं के गहनता और विविधीकरण के कारण जलीय कृषि के विकास के लिए महत्वपूर्ण खतरा है। राष्ट्रीय स्तर की रोग निगरानी देश में रोग की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करती है । जलीय जंतुओं के मामले में, यह जलीय जंतु रोगों के प्रसार के जोखिम को नियंत्रित करने और कम करने के प्रयासों के बेहतर लक्ष्यीकरण की अनुमति देता है, रोग आपात स्थिति की प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करता है, अधिक विशिष्ट आकस्मिक योजना की सुविधा देता है और देश के जलीय जंतु स्वास्थ्य की स्थिति पर अंतर्राष्ट्रीय विश्वास को मजबूत करता है।

जलीय पशु रोगों के लिए राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम (एनएसपीएएडी) की शुरुआत अप्रैल, 2013 में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चिंता के जलीय जंतु रोगों की निगरानी और उनके प्रसार पर नियंत्रण के उद्देश्य से की गई थी। यह प्रभावी स्वास्थ्य प्रबंधन और अंततः स्थायी जलीय कृषि के लिए एक प्राथमिक आवश्यकता बन गई है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जलीय जंतुओं में व्यापार से जुड़े रोगजनकघें के हस्तांतरण के जोखिमों के आकलन और प्रबंधन के लिए वैज्ञानिक रूप से सटीक और लागत प्रभावी जानकारी प्रदान करना और उत्पादन क्षमता में सुधार करना है। कार्यक्रम का अन्य उद्देश्य उन्नत नैदानिक तकनीकों के माध्यम से नए और विदेशी संक्रामक रोगों का तेजी से पता लगाना है। यह एक परिभाषित भौगोलिक क्षेत्र या एक विशिष्ट आबादी के भीतर चिंता के रोगों से मुक्ति को प्रमाणित करने में भी मदद करता है और हमारे जल चर के निर्यात को बढ़ावा देता है। मार्च, 2022 तक चरण –1 में यह कार्यक्रम देश के 31 चिन्हित सहयोगी केंद्रों को नेटवर्क मोड में शामिल करके 19 चयनित राज्यों और जलीय कृषि महत्व के 3 संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करने के लिए कार्यान्वित किया गया है, जिसमें आईसीएआर मत्स्य संस्थान, मत्स्यपालन कॉलेज, राज्य मत्स्यपालन विभाग और अन्य संबंधित सहयोगी भागीदार शामिल हैं।

जलीय पशु रोगों पर राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम (एनएसपीएएडी) को प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के साथ समर्थन दिया जा रहा है। दूसरे चरण में कार्यक्रम को 59 केंद्रों के माध्यम से कार्यान्वित किया गया, जिसमें राज्य के सभी मत्स्यपालन विभाग और सभी एनएसपीएएडी सहयोगी केंद्र शामिल हैं, जिसमें 10 आईसीएआर अनुसंधान संस्थान, राज्य ध केंद्रीय मात्स्यिकी / कृषि / पशु चिकित्सा विश्वविद्यालयों के अंतर्गत 15 मात्स्यिकी महाविद्यालय (सीओएफएस) शामिल हैं। 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2025 तक तीन साल की अवधि के लिए दूसरे चरण में एनएसपीएएडी के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी गई है। रिपोर्ट के अंतर्गत वर्ष के दौरान सभी चार तिमाहियों के लिए त्रैमासिक जलीय पशु रोग रिपोर्ट को एनएसपीएएडी से उत्पन्न इनपुट के आधार पर संकलित किया गया था और एशिया के लिए ओआईई क्षेत्रीय प्रतिनिधि और एक्वाकल्चर सेंटर के प्रशांत और नेटवर्क को प्रस्तुत किया गया था। यह परिकल्पना की गई है कि कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर रोगों का पता लगाने और नियंत्रण करने की क्षमता में वृद्धि करेगा, और जलीय पशु रोगों के कारण होने वाले नुकसान को कम करने पर एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा और इस प्रकार देश में जलीय .षि का सतत विकास होगा।

3.1.8 जलीय जीव स्वास्थ्य और संगरोध निदेशालय (डीएएएचक्यू)

जलीय पशु स्वास्थ्य और संगरोध निदेशालय (डीएएएचक्यू) की स्थापना मत्स्य विभाग में जलीय पशु संगरोध इकाई (एएक्यूयू) और रोग निदान प्रयोगशाला (डीडीएल) की स्थापना के लिए चेन्नई में पूर्वी तट और मुंबई के पास पश्चिमी तट पर नई दिल्ली मुख्यालय में समन्वय इकाई के साथ की गई थी। चेन्नई में एएक्यूयू और डीडीएल के लिए, तमिलनाडु के चेन्नई के कांचीपुरम जिले के पड़प्पाई में भूमि का अधिग्रहण किया गया था और भवन के डिजाइन और लेआउट को भी अंतिम रूप दिया गया है। विभाग ने एक्वाटिक एनिमल क्वारंटाइन यूनिट (एएक्यूयू) एवं डिजीज निदान केन्द्र,पड्डुपई, चौन्नै में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के माध्यम से 19.27 करोड़ रु. की लागत से भवन निर्माण हेतु आवश्यक अनुमोदन जारी किया गया है। इन सुविधाओं की आधारशिला माननीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री द्वारा 21 जनवरी, 2021 को रखी गई है। जलीय पशु संगरोध इकाई और रोग निदान प्रयोगशाला का निर्माण सीपीडब्ल्यूडी द्वारा किया जा रहा है और पूरा होने के अंतिम चरण में है । पश्चिमी तट के लिए मुंबई के आसपास एएक्यूयू और डीडीएल की स्थापना के लिए, विभाग ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तावित वैकल्पिक स्थलों का प्रारंभिक निरीक्षण किया है। उक्त सुविधाओं के लिए भूमि के हस्तांतरण पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। इसके अलावा, पीएमएमएसवाई के अंतर्गत जल चर और उनके उत्पादों के लिए देश में जलीय संगरोध सुविधाओं की स्थापना पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पीएमएमएसवाई के अंतर्गत आवश्यकता के आधार पर देश में लगभग 5 जलीय संगरोध सुविधाएं स्थापित की जाएंगी। प्रत्येक एक्यूएफ के लिए इकाई लागत परियोजना के लिए 20 करोड़ रु. की ऊपरी सीमा के साथ डीपीआर के अनुसार होगी।

3.1.9 प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) की उपलब्धियां

उत्पादन और उत्पादकता, गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे और प्रबंधन के संदर्भ में मत्स्यपालन मूल्य श्रृंखला के साथ विविध कार्यक्रमों और गतिविधियों के साथ पीएमएमएसवाई का उद्देश्य मत्स्यपालन क्षेत्र को बदलना और मछुआरों और मछली किसानों के लिए आर्थिक समृद्धि लाना है।

भारत में कुल मछली उत्पादन में अंतर्देशीय मछली उत्पादन हावी है, जो देश में कुल उत्पादन का लगभग 75% योगदान देता है। इसे पूरी क्षमता से उपयोग करने के लिए पीएमएमएसवाई प्रौद्योगिकी जलसेक के माध्यम से अंतर्देशीय मत्स्यपालन का विस्तार, गहन और विविधीकरण कर रहा है, नए मीठे पानी की हैचरी और ब्रूड बैंक स्थापित कर रहा है, नए पालन और विकसित तालाबों का निर्माण कर रहा है, जलाशयों में पिंजरों और कलमों का निर्माण कर रहा है, ठंडे पानी की मत्स्यपालन विकसित कर रहा है। पीएमएमएसवाई के केंद्र समर्थित और केंद्र प्रायोजित घटकों के अंतर्गत देश के 35 राज्यों ध संघ राज्य क्षेत्रों में स्वी.त परियोजनाओं को लागू किया जा रहा है।

पीएमएमएसवाई भूमि और पानी के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित मछली पालन को बढ़ावा दे रहा है। विभाग अगले 4 वर्षों में 1,236 करोड़ का निवेश करके बायोलोक टेक्नोलॉजी और रीसर्क्युलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (आरएएस) जैसी उन्नत आधुनिक मछली पालन तकनीकों को बढ़ावा

दे रहा है। 636.00 करोड़ के निवेश से जलाशयों में समुद्री केजों और पेन कल्चर की स्थापना की योजना बनाई जा रही है।

देश में लगभग 5,701 बड़े बांध हैं और 32 लाख हेक्टेयर से अधिक के कवरेज वाले कई मध्यम और छोटे जलाशय हैं। ये जलाशय श्स्लीपिंग जाइंट हैं और पीएमएमएसवाई एकीकृत जलाशयों के विकास द्वारा उनकी क्षमता का दोहन करने का लक्ष्य बना रहा है। विभाग जलाशयों और जल निकायों में 20,000 केज स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो बदले में 2025 तक 60,000 मीट्रिक टन अतिरिक्त मछलियों का उत्पादन करेगा।

भारत की जलीय कृषि निर्यात वृद्धि मुख्य रूप से झींगा के खारे पानी की जलीय कृषि की सफलता के कारण है। भारत में खारे पानी की जलीय कृषि के लिए उपयुक्त 11.86 लाख हेक्टेयर भूमि क्षेत्र है। हालांकि केवल 1.84 लाख हेक्टेयर (15.5%) क्षेत्र का उपयोग खारे पानी की जलीय कृषि के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त, भारत में 2.73 लाख हेक्टेयर लवणीय/क्षारीय मिट्टी है, जिसमें से केवल 726 हेक्टेयर (0.27%) का ही उपयोग किया जाता है। इस प्रकार विभाग वाणिज्यिक मछली पालन के लिए अप्रयुक्त खारा – क्षारीय संस्ति और खारे जल निकाय की क्षमता का दोहन करने के लिए प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दे रहा है।

पीएमएमएसवाई के अंतर्गत, पीएमएमएसवाई के अंतर्गत क्षेत्र के विस्तार को इन बंजर भूमि को धन भूमि में परिवर्तित करके क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण में क्षारीय और लवणीय मिट्टी वाले अंतर्देशीय क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। तदनुसार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में झींगा जलीय .षि के अंतर्गत अतिरिक्त 4,000 हेक्टेयर खारा क्षेत्र लाने के लिए पीएमएमएसवाई के अंतर्गत 526 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

भारत के हिमालयी क्षेत्र को बड़ी नदियों, सहायक नदियों, पहाड़ी धाराओं, झीलों और जलाशयों के रूप में विविध जलीय संसाधनों के साथ व्यापक पहाड़ी श्रृंखलाओं और जंगलों से नवाजा गया है। इस तरह के विशाल और विविध ठंडे जल संसाधनों के साथ, हिमालयी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने स्वदेशी मछली जर्मप्लाज्म और इस क्षेत्र के लिए स्थानिक प्रजातियों को संजोया है। अधिक ऊंचाई पर ट्राउट, विशेष रूप से रेनबो प्रजाति, स्नो ट्राउट, ब्राउन ट्राउट के साथ–साथ महसीर और विदेशी कार्ल्स जैसे "कम मात्रा, उच्च मूल्य वाली प्रजातियों" के विकास के लिए एक जबरदस्त गुंजाइश है। ठंडे पानी की मात्स्यिकी के विकास के उद्देश्य से हम ठंडे पानी की मात्स्यिकी के लिए 852 करोड़ रुपये का निवेश कर रहे हैं। हम पूरे ठंडे पानी की मात्स्यिकी मूल्य श्रृंखला को और मजबूत करने के तरीके तलाश रहे हैं ताकि इसकी वास्तविक क्षमता का पता लगाया जा सके।

सजावटी मछली पालन दुनिया में दूसरा सबसे आम शौक है, फोटोग्राफी के बाद दूसरा । यह जलीय कृषि का एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक घटक है, जो सौंदर्य संबंधी आवश्यकताओं और पर्यावरण के रखरखाव के लिए प्रदान करता है। सजावटी और मनोरंजक मत्स्यपालन को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए पीएमएमएसवाई ने 1 लाख ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार और जीवंत अवसर पैदा करने के लिए 576.00 करोड़ की परिकल्पना की है। पीएमएमएसवाई उत्पादन इकाइयों की स्थापना, व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण विदेशी प्रजातियों की शुरुआत, प्रजनन तकनीक का आयात, और उद्यमियों को तकनीकी विपणन और रसद सहायता प्रदान करके सजावटी मछली की खेती का सहायता कर रहा है।

समुद्री शैवाल की खेती एक ऐसे क्षेत्र के रूप में उभरी है जिसमें तटीय समुदायों के जीवन को बदलने, बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करने और आय में विविधता लाने की क्षमता है। पीएमएमएसवाई के अंतर्गत, देश में समुद्री शैवाल उत्पादन को मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 5 वर्षों में 11.2 लाख टन गीला वजन के साथ समुद्री शैवाल कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की परिकल्पना की गई है। समुद्री शैवाल की खेती के विकास के लिए 640 करोड़ का निवेश निर्धारित किया गया है, जिसमें सभी तटीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में समुद्री शैवाल बीज बैंक, नर्सरी, ऊतक संवर्धन इकाइयां, प्रसंस्करण और विपणन इकाइयां आदि स्थापित की जाएंगी। इस प्रयास में, डीओएफ ने पहले ही 52,700 राट और 64,231 मोनोलिन ट्यूबनेट को समुद्री शैवाल की खेती के लिए मान्यता दी है।

पोस्ट– हार्वेस्ट नुकसान को कम करने के उद्देश्य से, डीओएफ कुशल रसद समाधान, मत्स्यन बंदरगाह के आधुनिकीकरण, अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ मछली लैंडिंग केंद्र और सहायक इकाइयों के साथ मछली परिवहन सुविधा के लिए आपूर्ति श्रृंखला अंतराल को मजबूत कर रहा है। शीत संयंत्र और कोल्ड स्टोरेज। पीएमएमएसवाई ने मत्स्यपालन के आधुनिकीकरण और

विकास के लिए 3,340 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं। मूल्यवर्धन और किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्ति के लिए उद्यमिता मॉडल को बढ़ावा दिया जा रहा है।

विभाग ने समग्र मछली उत्पादन के साथ–साथ खपत को बढ़ाने पर ध्यान देने के साथ क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया है। संगठित मछली बिक्री का खुदरा नेटवर्क बनाने के लिए, पीएमएमएसवाई ने शहरी, पेरी–शहरी और अर्ध शहरी स्थानों में अल्ट्रा–आधुनिक मछली कियोस्क और अन्य बाजार बुनियादी ढांचे की स्थापना करके खुदरा नेटवर्क स्थापित करने के लिए 1000 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं।

सामूहिकता की शक्ति का उपयोग करने के लिए, विभाग ने देश भर में 720 एफएफपीओ के निर्माण के लिए मत्स्य किसान उत्पादक संगठनों (एफएफपीओ) को बढ़ावा देने के लिए एक दिशानिर्देश तैयार किया है। विभाग ने 37.80 करोड़ रुपये की कुल लागत से 70 एफएफपीओ की स्थापना के लिए राष्ट्रीय रोग नियंत्रण सहकारी समिति (एनसीडीसी) और पीएमएमएसवाई के अंतर्गत 22 एफएफपीओ की स्थापना के लिए राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड को 10 करोड़ रुपये की मंजूरी प्रदान की है।

भारतीय जल में समुद्री मात्स्यिकी क्षमता 5.31 एमएमटी आंकी गई है और पीएमएमएसवाई मत्स्यन जहाजों के आधुनिकीकरण और उन्नयन, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाजों की खरीद, नाव के प्रतिस्थापन, खुले समुद्री पिंजरे की संस्कृति और बुनियादी ढांचे के निर्माण के द्वारा स्थायी मछली पकड़ने को बढ़ावा दे रही है। जैसे मत्स्यन बंदरगाह, फिश लैंडिंग सेंटर, एकीकृत आधुनिक तटीय गांवों का विकास। यह योजना मछुआरे मछुआरों को दुबले और प्रतिबंध की अवधि के दौरान आजीविका सहायता भी प्रदान करती है और मछुआरों और मछुआरों को सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षा जाल प्रदान करती है।

समग्र सुरक्षा, सुरक्षा और कल्याण के लिए मछुआरों के सामाजिक–आर्थिक– सुरक्षा जाल को सुनिश्चित करने के लिए हमने मत्स्य प्रतिबंध और मत्स्य लीन अवधि के दौरान अपने मछुआरों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रति परिवार 4,500 की वित्तीय सहायता के साथ पीएमएमएसवाई के अंतर्गत ष्बचत सह राहत कोषष् शुरू किया है। इस संबंध में 60.27 लाख रु. की धनराशि पहले ही मंजूर किया जा चुका है। मछुआरों के लिए एक समूह दुर्घटना बीमा योजना (जीएआईएस) भी शुरू की गई है, जिसमें स्थायी विकलांगता के लिए 5.00 लाख रुपए और आंशिक विकलांगता के लिए 2.5 लाख रु. और दुर्घटना होने की स्थिति में आकस्मिक अस्पताल में भर्ती होने के लिए 25,000 रु. का कुल बीमा कवर प्रदान किया जाता है।

प्रस्तावित कार्यक्रमों को अपनाने के साथ, पीएमएमएसवाई योजना औसत वार्षिक विकास दर का 9% प्राप्त करने और वर्ष 2025 तक अपने वर्तमान उत्पादन 162.53 लाख मीट्रिक टन से 220 लाख मीट्रिक टन के अपने उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने के लिए तैयार है। यह मछुआरों और मछुआरों के कौशल और क्षमता निर्माण द्वारा धीरे–धीरे जीविका से मत्स्यपालन के वैज्ञानिक तरीकों की ओर बढ़ते हुए महसूस किया जाएगा।

वित्त वर्ष 2022–23 (31 मार्च, 2023 तक) में प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

क. मत्स्यपालन क्षेत्र के लिए 1,147.90 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी

ख. 4449.75 हेक्टेयर क्षेत्र को अंतर्देशीय जलीय कृषि के अंतर्गत लाने के लिए सहायता प्रदान की गई

ग. 8,092 रीसर्क्युलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (आरएएस) और 497 बायोलोक स्वीकृत।

घ. जलाशयों और अन्य खुले जल निकायों में 11,075 केज और 177 हेक्टेयर पेनों की स्थापना को मंजूरी दी

ङ. 317 मत्स्य/झींगा हैचरी की स्थापना को मंजूरी दी

च. लवणीय–क्षारीय संवर्धन के अंतर्गत स्वीकृत 783.39 हेक्टेयर तालाब क्षेत्र स्वीकृत

छ. स्वीकृत 726 सजावटी मत्स्यपालन इकाइयां।

ज. 180 गहरे समुद्र में मत्स्यन जहाजों और मौजूदा मत्स्यन जहाजों के 500 उन्नयन को मंजूरी दी

झ. मशीनीकृत मत्स्यन जहाजों में 42 जैव–शौचालयों का निर्माण

ञ. मछुआरों के लिए 2,263 प्रतिस्थापन नौकाओं और जालों की संख्या

ट. स्वीकृत 171 कोल्ड स्टोरेज और 594 फीड मिल यूनिट

ठ. 17 मत्स्य खुदरा बाजार और सजावटी कियोस्क सहित 3,127 मत्स्य कियोस्क स्वीकृत

ड. मत्स्यपालन प्रतिबंध/लीन अवधि के दौरान मत्स्य संसाधनों के संरक्षण के लिए 5,87,198 मछुआरों के परिवारों के लिए आजीविका और पोषण संबंधी सहायता

ढ. विस्तार और सहायता सेवाओं के लिए 80 मत्स्य सेवा केंद्र।

सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन, शीर्ष अनुसंधान और सरकारी संगठनों और अन्य हितधारकों के अपार सहायता के साथ, विभाग मत्स्यपालन क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और "आत्मनिर्भर भारत" बनाने की दिशा में योगदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

3.1.10 तिलापिया कल्चर का संवर्धन

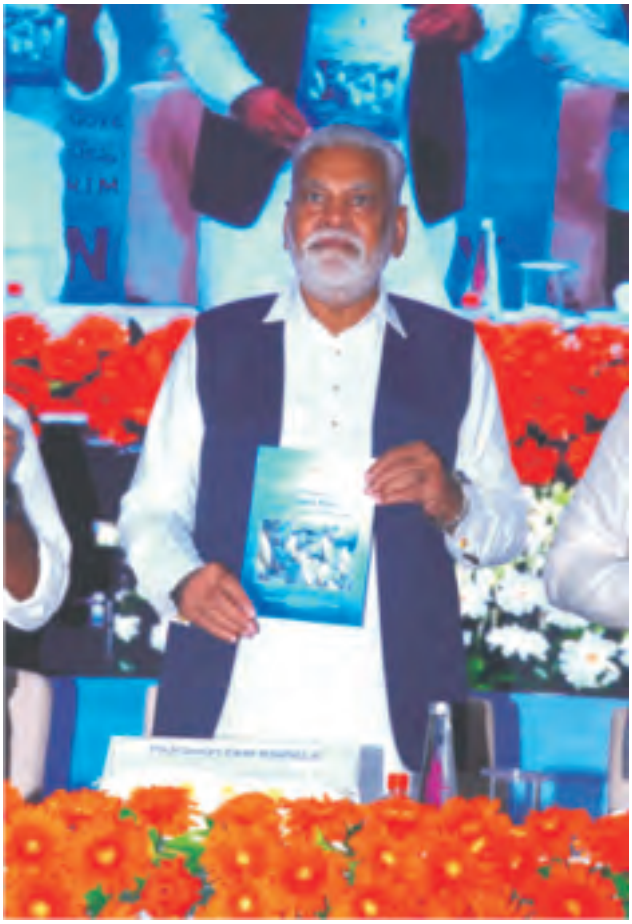

अधिक मत्स्य की मांग को देखते हुए तिलापिया भारत में जलीय कृषि के लिए एक महत्वपूर्ण प्रजाति बनने की व्यापक आशा रखती है, आनुवंशिक रूप से उन्नत खेती वाली तिलापिया (गिफ्ट) भारत में जलीय कृषि के लिए महत्वपूर्ण उम्मीदवार प्रजातियों में से एक है। यह पसंदीदा मत्स्य बन गई है क्योंकि यह तेजी से बढ़ रही है और पशु प्रोटीन का एक किफायती स्रोत है। इस प्रजाति की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता ताजे पानी की भारतीय मत्स्य से अधिक है। मत्स्यपालन विभाग ने एक लाख टन उत्पादन हासिल करने के लिए स्कैम्पी की योजना शुरु की है।

3.2 मात्स्यिकी और जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि

मत्स्यपालन के बुनियादी ढांचे में अंतराल को दूर करने के लिए, सरकार ने वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान 7,522.48 करोड़ रु. की कुल धनराशि के साथ मात्स्यिकी और जलीय .षि अवसंरचना विकास निधि (एफआईडीएफ) बनाया है। एफआईडीएफ राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और राज्य संस्थाओं सहित पात्र संस्थाओं (ईई) को चिन्हित मात्स्यिकी अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए रियायती वित्त/ऋण प्रदान करता है। एफआईडीएफ के अंतर्गत रियायती वित्त नोडल ऋण संस्थाओं (एनएलई) द्वारा प्रदान किया जाता है, अर्थात्

- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)
- राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम (एनसीडीसी)
- सभी अनुसूचित बैंक

एफआईडीएफ के अंतर्गत, विभाग एनएलई द्वारा कम से कम 5% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर रियायती वित्त प्रदान करने के लिए 3% प्रति वर्ष तक ब्याज सबवेंशन प्रदान करता है। एफआईडीएफ के अंतर्गत ऋण देने की अवधि 2018–19 से 2022–23 तक पांच वर्ष है और मूलधन के पुनर्भुगतान पर 2 वर्ष की मोहलत सहित अधिकतम 12 वर्ष की चुकौती अवधि है ।

एफआईडीएफ के अंतर्गत, अब तक राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों सहित विभिन्न पात्र संस्थाओं (ईई) से 7649.58 करोड़ के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ये प्रस्ताव कुल 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, जम्मू–कश्मीर, तेलंगाना, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, असम, लक्षद्वीप, गुजरात, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, त्रिपुरा, गोवा और बिहार से प्राप्त हुए हैं। मात्स्यिकी क्षेत्र के लिए बुनियादी ढांचे की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने 2018–19 के दौरान 7522.48 करोड़ की कुल धनराशि के साथ मात्स्यिकी और जल.षि अवसंरचना विकास निधि

(एफआईडीएफ) नाम से समर्पित फंड बनाया है। एफआईडीएफ पात्र संस्थाओं (ईईएस) को रियायती वित्त प्रदान करता है, जिसमें राज्य सरकारें/केंद्र शासित प्रदेश और राज्य संस्थाएँ शामिल हैं, जो नोडल ऋण देने वाली संस्थाओं (एनएलई) के माध्यम से पहचान की गई मात्स्यिकी बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए हैं। मत्स्यपालन विभाग ने निजी लाभार्थियों के प्रस्तावों सहित विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 3738.19 के रुपये ब्याज सबवेंशन के लिए सीमित परियोजना लागत के साथ 5588.63 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। नोडल ऋण संस्थाओं (एनएलई) द्वारा 2233.81 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। नाबार्ड ने राज्य सरकारों को क्रमशः 2221.98 करोड़ रुपये तथा निजी हितग्राहियों को अनुसूचित बैंकों द्वारा 11.83 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (i) संबंधित (ऋण प्राप्त करने वाली) राज्य सरकार, (ii) नाबार्ड और (iii) मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए नाबार्ड द्वारा एफआईडीएफ के अंतर्गत निष्पादित किया जाता है। हालाँकि, अब तक केवल 12 राज्य सरकारों अर्थात् तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, हरियाणा, गोवा, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर के संघ राज्य क्षेत्रों ने रियायती वित्त का प्रारंभिक लाभ उठाने के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

3.3 पशुपालन किसानों और मत्स्यपालन किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) प्रदान करना

बजट घोषणा वित्त वर्ष 2018–19 में, सरकार ने पशुपालन और मत्स्यपालन किसानों को उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करने के उद्देश्य से किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की सुविधाओं के विस्तार की घोषणा की।

पशुपालन किसानों और मत्स्यपालन के लिए केसीसी सुविधा के विस्तार के लिए दिशानिर्देश भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपने पत्र दिनांक 4 फरवरी, 2019 के माध्यम से जारी किए हैं। मछुआरे, मछली किसान (व्यक्तिगत और समूह/भागीदार/बटाईदार/किरायेदार किसान), स्वयं सहायता समूह, संयुक्त देयता समूह और महिला समूह केसीसी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं। अंतर्देशीय मात्स्यिकी और जल कृषि मछुआरों के लिए, मत्स्य किसान (व्यक्तिगत और समूह/भागीदार/साझेदार/किरायेदार किसान), स्वयं सहायता समूह, संयुक्त देयता समूह और महिला समूह केसीसी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं। लाभार्थियों को तालाब, टैंक, खुले जल निकायों, रेसवे, हैचरी, पालन इकाइयों, नावों, जालों और इस तरह के अन्य मत्स्यन गियर जैसी किसी भी मत्स्य से संबंधित संपत्ति मत्स्यन मत्स्य का स्वामित्व या पट्टे पर होना चाहिए मत्स्यपालन और मत्स्यन से संबंधित गतिविधियों के लिए संबंधित राज्यों में और किसी भी अन्य राज्य विशिष्ट मात्स्यिकी और संबद्ध गतिविधियों के लिए राज्यों में लागू आवश्यक प्राधिकरण /प्रमाणपत्र हों। समुद्री मात्स्यिकी के लिए, ऊपर सूचीबद्ध लाभार्थी, जिनके पास पंजी.त मत्स्यन जहाज/नाव का स्वामित्व या पट्टे पर है, जिनके पास मुहाना और समुद्र में मत्स्यन के लिए आवश्यक मत्स्यन लाइसेंस/अनुमति हो, मुहाने और खुले समुद्र में मत्स्यपालन/समुद्री कृषि गतिविधियाँ और कोई अन्य राज्य विशिष्ट मात्स्यिकी और संबद्ध गतिविधियाँ हैं।

केसीसी के अंतर्गत आने वाले मत्स्यपालन से संबंधित कार्यशील पूंजी घटकों में बीज, चारा, जैविक और अकार्बनिक उर्वरक, चूना/अन्य मृदा कंडीशनर, कटाई और विपणन शुल्क, ईंधन/बिजली शुल्क, श्रम, पट्टा किराया (यदि पट्टे पर दिया गया जल क्षेत्र) आदि की आवर्ती लागत शामिल है। मत्स्यपालन पर कब्जा करने के लिए, कार्यशील पूंजी में ईंधन की लागत, बर्फ, श्रम शुल्क, मूरिंग/लैंडिंग शुल्क आदि शामिल हो सकते हैं।

पहले से केसीसी रखने वाले और पशुपालन और मत्स्यपालन से संबंधित गतिविधियों में शामिल किसानों के लिए 3 लाख की क्रेडिट सीमा तय की गई है। पशुपालन और मत्स्यपालन के नए केसीसी धारकों (किसानों) के लिए प्रति वर्ष 2 लाख की ऋण सीमा निर्धारित की गई है।

मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) के साथ विशेष शिविरों और संचार के अन्य माध्यमों के माध्यम से केसीसी के बारे में मछुआरों और मछली किसानों के बीच सूचना प्रसारित करने के लिए प्रयासरत है। पशुपालन और मत्स्यपालन किसानों को केसीसी के माध्यम से ऋण वितरण की प्रक्रिया को और कारगर बनाने के लिए, वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) द्वारा 24 सितंबर 2021 को पशुपालन, डेयरी और

मत्स्यपालन किसानों के लिए अलग केसीसी जारी करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) ६ दिशानिर्देश जारी किए गए थे।

सभी पात्र मात्स्यिकी किसानों और पशुपालन किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा प्रदान करने के लिए, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने वित्तीय सेवा विभाग के साथ मिलकर 15 नवंबर 2021 से 31 जुलाई 2022 तक "राष्ट्रव्यापी एएचडीएफ केसीसी अभियान" का आयोजन किया। इस अभियान में, प्राप्त आवेदनों की मौके पर ही जांच के लिए अग्रणी जिला प्रबंधक (एलडीएम) द्वारा समन्वित केसीसी समन्वय समिति द्वारा साप्ताहिक रूप से जिला स्तरीय केसीसी शिविरों का आयोजन किया गया था। "राष्ट्रव्यापी एएचडीएफ केसीसी अभियान" 15.09.2022 से अगले छह महीनों के लिए फिर से शुरू हुआ। मार्च, 2023 तक 1.30931लाख केसीसी मछुआरों/मत्स्य किसानों और फिशरमैन को स्वीकृत की जा चुकी हैं।

3.4 आयोजित महत्वपूर्ण कार्यक्रम

3.4.1 प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का कार्यान्वयन

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के प्रस्ताव की समीक्षा के लिए माननीय प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में 25 जून, 2020 को एक बैठक आयोजित की गई। डीपीआईआईटी ने निश्चित किए गए नोड्स को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भारत सरकार की लैगशिप इन्फ्रास्ट्रक्चर स्कीम भारतमाला, सागरमाला डेडिकेटेड फ्रेंट कॉरिडोर, नेशनल गैस–ग्रिड और नेशनल वाटर– वे को दर्शाते हुए पहचान की गई परियोजना को प्रस्तुत किया । तदनुसार, डीपीआईआईटी को विभिन्न प्रकार के आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्रों को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए परिवहन संबंधी और अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क को जोड़ने के लिए पूरे देश के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी का आधार प्रदान करने के लिए व्यापक मास्टर प्लान तैयार करने का निर्देश दिया गया था। निर्देशों के अनुपालन के रूप में, डीपीआईआईटी ने संबंधित विभागों से संबंधित क्षेत्रों के विस्तृत क्लस्टर और अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को तैयार करने का अनुरोध किया। मत्स्यपालन विभाग (डीओएफ) से मत्स्यनध समुद्री खाद्य समूहों (मौजूदा और प्रस्तावित दोनों) और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए की जा रही गतिविधियों का एक राष्ट्रव्यापी मैप तैयार करने का अनरोध किया गया था।

- 2014 की स्थितिय
- 2020 तक उपलब्धियांय और
- कार्यान्वयन के तहत परियोजना और 2024 तक पूरा करने की योजना है।

डीपीआईआईटी के अनुरोध के बाद, डीओएफ ने सूचित किया कि जहां तक मछली पकड़ने और समुद्री भोजन समूहों का संबंध है, पिछले 5 वर्षों के दौरान डीओएफ एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) नीली क्रांति योजना– मात्स्यिकी का एकी.त विकास और प्रबंधन को लागू कर रहा थाः सरकार और हितधारकों के प्रयासों के कारण हाल के वर्षों में राज्यों में "क्रिटिकल मास" के साथ केंद्रित मत्स्य गतिविधियां सामने आई हैं, जो "क्लस्टर" होने के लिए अर्हता प्राप्त कर सकती हैं। जैविक रूप से विकसित कुछ उल्लेखनीय समूह आंध्र प्रदेश के कृष्णा, गुंटूर और पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी जैसे तटीय जिलों में वन्नामेई झींगा समूह, गुजरात में मोनोडॉन झींगा समूह, झारखंड और छत्तीसगढ़ में पंगेसियस मत्स्य (बासा), पश्चिम बंगाल और चेन्नई, तमिलनाडु में सजावटी मत्स्य, तमिलनाडु के मंडपम क्षेत्र में सी वीड कल्चर, तमिलनाडु और केरल के दक्षिणी जिलों में टूना मत्स्यन और आंध्र प्रदेश और केरल में समुद्री खाद्य प्रसंस्करण है। इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा मई 2020 में 20050 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश पर शुरू की गई नई प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) मुख्य रूप से "क्लस्टर या क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण" अपनाने और मात्स्यिकी क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने, बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को सुविधाजनक बनाने, उच्च आय उत्पन्न करने, संगठित तरीके से क्षेत्र के विकास और विस्तार में तेजी लाने, परिणामों को बढ़ाने आदि के लिए बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के माध्यम से मात्स्यिकी कलस्टरों के निर्माण पर केंद्रित है। तदनुसार, संकेतित समुद्री खाद्य समूहों/मत्स्यन बंदरगाहों/मत्स्य उतरान केंद्रों के साथ डीपीआईआईटी के साथ एक विस्तृत नोट साझा किया गया था। सीफूड कलस्टरों 2014 के दौरान मौजूदा मछली पकड़ने के समूहों, मत्स्यन बंदरगाहों और मछली उतरान केंद्रों का कुल संचय, 2020 के दौरान विकासाधीन परियोजनाओं और 2024 के दौरान विकास के लिए प्रस्तावित संख्या 153 थी। इसके अलावा, प्रधान

मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के और मात्स्यिकी और एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (एफआईडीएफ) के तहत नए मत्स्यन बंदरगाह और प्रमुख मछली उतरान केंद्रों की परिकल्पना की गई थी) जिसकी कुल संख्या 202 में से 49 थी। इसके बाद, डीपीआईआईटी द्वारा उस पर एक कैबिनेट नोट साझा किया गया, जिसकी जांच की गई और डीओएफ ने उसका समर्थन किया। क्लस्टर के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान का बाद में नाम बदलकर पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टरप्लान कर दिया गया है।

माननीय प्रधान मंत्री ने 13 अक्टूबर, 2021 को नई दिल्ली में मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत की। यह परिकल्पना की गई थी कि राष्ट्रीय मास्टर प्लान पूरे देश में समग्र योजना और विकास लाएगा। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) नोडल मंत्रालय है और अन्य बुनियादी ढांचा मंत्रालय योजना के लिए अग्रणी हैं। राष्ट्रीय मास्टर प्लान संबंधित मंत्रालयों/विभागों को एक निश्चित समय सीमा में आर्थिक क्षेत्रों के लिए अंतिम मील कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए कनेक्टिविटी संवर्द्धन को प्राथमिकता देने में सहायता करेगा। मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय को भी पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान में शामिल किया गया है। एकल एकीकृत मंच में दर्शाए गए सभी आर्थिक क्षेत्र और बुनियादी ढांचे के विकास भौतिक लिंकेज की स्थानिक दृश्यता प्रदान करेंगे जो जीवन को आसान बनाने, व्यापार करने में आसानी, व्यवधानों को कम करने और कार्यों को लागत प्रभावी ढंग से पूरा करने के उद्देश्य से, परिवहन और रसद के व्यापक और एकी.त मल्टी–मोडल राष्ट्रीय नेटवर्क को बढ़ावा देंगे। बीआईएसएजी–एन (भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू–सूचना विज्ञान संस्थान) के सहयोग से जीआईएस आधारित ईआरपी प्रणाली का विकास, स्थानिक योजना, साक्ष्य–आधारित निर्णय लेने, प्रशासन और समय–समय पर और वास्तविक समय के आधार पर मास्टर प्लान की प्रभावी निगरानी में इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी मंत्रालयों से युक्त सभी हितधारकों और नेटवर्क योजना समूह को सक्षम करेगा। 200 से अधिक पटलों के साथ, पोर्टल सभी महत्वपूर्ण नेटवर्क लिंकेज की .श्यता प्रदान करेगा और लॉजिस्टिक क्षेत्र में बेहतर दक्षता के लिए निर्णय लेने के लिए नेटवर्क प्लानर्स का समर्थन करेगा। देश भर में 500.00 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली ढांचागत परियोजनाओं में विकास को पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत उच्च प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के रूप में माना जाता है। पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान पर सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएस) डीपीआईआईटी द्वारा कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में गठित किया गया था और सचिव, मत्स्यपालन विभाग इसके सदस्यों में से एक है।

हालांकि मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय को प्रमुख बुनियादी ढांचा मंत्रालय के रूप में नहीं माना जाता है, मत्स्यपालन विभाग द्वारा कई कार्रवाई की गई है। परियोजनाओं के कुशल कार्यान्वयन और समय पर मंजूरी के लिए बीआईएसएजी–एन द्वारा डिजाइन किए गए तकनीकी समाधानों और स्थानिक नियोजन उपकरणों को समझने के लिए क्षेत्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया गया। भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण (एफएसआई) और राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी) ने क्षेत्रीय सम्मेलन में मत्स्यपालन विभाग का प्रतिनिधित्व किया। मत्स्यपालन विभाग ने बीआईएसएजी–एन के साथ कई बैठकें कीं और उनके साथ पीएम गतिशक्ति एनएमपी पोर्टल में मैपिंग के लिए डेटा का स्तर साझा किया, जिसमें मत्स्यन बंदरगाह (एफएच) और मत्स्य लैंडिंग केंद्र (एफएलसी), खारे पानी की हैचरियाँ, फार्म आदि का विवरण शामिल है। गतिशक्ति एनएमपी पर लक्ष्य के अनुपालन के रूप में, मत्स्यपालन विभाग ने अब तक प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत 615.28 करोड़ रुपये की कुल लागत पर आधुनिकीकरण के लिए 5 मत्स्यन बंदरगाह प्रस्तावों को मत्स्यपालन विभाग को साझा करके कार्यान्वयन के अभिसरण मोड में मंजूरी दे दी है। मत्स्यपालन विभाग की पीएमएमएसवाई और पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) की सागरमाला के बीच समान रूप से केंद्रीय वित्तीय लायबिलिटी। इसके अलावा, केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत कुल 1433.95 करोड़ रुपये की लागत से 5 मत्स्यन बंदरगाह और 12 मत्स्य लैंडिंग केंद्र के विकास/उन्नयन की मंजूरी दी गई है। संयुक्त सचिव अंतर्देशीय मात्स्यिकी) को मत्स्यपालन विभाग से पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के लिए नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। संयुक्त सचिव (अंतर्देशीय मात्स्यिकी) की अध्यक्षता में पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के लिए एक विशेष सेल का गठन किया गया है। उक्त पोर्टल में अपलोडिंगध्मैपिंग के लिए राज्योंध्केंद्र शासित प्रदेशों से

नियमित रूप से उनसे संबंधित सूचना प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। इसके अलावा, सचिव (मत्स्यपालन) और सचिव (पशुपालन और डेयरी) की सह–अध्यक्षता में 27 अक्टूबर, 2022 को मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अधिकारियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए पीएम गतिशक्ति एनएमपी पर एक कार्यशाला आयोजित की गई थी।

3.4.2 आजादी के अमृत महोत्सव (एकेएएम) का उत्सव

स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने और उनके बलिदान को याद करने के लिए पूरे देश में 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह राष्ट्रीयता और गर्व की भावना का जश्न मनाने और युवाओं और युवा पीढ़ियों के बीच इसे बढ़ावा देने का भी समय है। इस प्रकार भारत सरकार ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाने और भारत के आजादी के 75वें गौरवशाली वर्ष को मनाने का फैसला किया। उसी के मद्देनजर, कृषि सहकारिता, किसान कल्याण विभाग के सचिव की अध्यक्षता में 8 मार्च 2021 को इंडिया @75 के उत्सव की योजना को अंतिम रूप देने के लिए ग्रामीण और कृषि पर सचिवों के क्षेत्रीय समूह (एसजीओ) की बैठक आयोजित की गई।

माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 12 मार्च, 2021 को "इंडिया@75" नामक महोत्सव का शुभारंभ किया गया था और उसके बाद, कार्यक्रमों और कार्यक्रमों की श्रृंखला 75 सप्ताह तक जारी रहेगी। मत्स्यपालन विभाग ने महोत्सव के लिए संभावित सारिणी के साथ कार्यक्रमों का प्रस्ताव दिया है। अभियान का उद्देश्य, जैसा कि इस विभाग द्वारा किया गया है, मात्स्यिकी क्षेत्र में विकास को प्रदर्शित करना है और आत्मनिर्भर भारत दृष्टि के प्रति इसके योगदान पर प्रकाश डालना है।

पिछले वर्ष की निरंतरता में, सूचना का प्रसार करने और एक मंच पर हितधारकों के साथ जुड़ने के उद्देश्य से, निम्नलिखित वेबिनार आयोजित किए गए:

क) अप्रैल, 2022 को आयोजित "मात्स्यिकी और जल कृषि में आधुनिक तकनीक और प्रौद्योगिकी" पर वेबिनार

ख) 22 जुलाई, 2022 को आयोजित "मात्स्यिकी सहकारी समितियों की क्षमता और भूमिका" पर वेबिनार

ग) अगस्त, 2022 को "वीमेन एज कैटेलिस्ट फॉर चेंज–ए वेबिनार ऑन नैरोइंग जेंडर गैप इन फाई–एसएचई–रीज सेक्टर" पर वेबिनार आयोजित किया गया

घ) अगस्त, 2022 को "सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ आर्टिफिशियल रीस" पर वेबिनार का आयोजन

ङ) 21 अक्टूबर, 2022 को आयोजित "डब्ल्यूटीओ–मात्स्यिकी सब्सिडी समझौते" पर वेबिनार

च) 29 नवंबर, 2022 को "फ्रोजन मत्स्य और मत्स्य उत्पादों का प्रचार" पर वेबिनार आयोजित किया गया ।

छ) 29 दिसंबर, 2022 को "मात्स्यिकी और जल कृषि के लिए बीमा कवरेज" पर वेबिनार का आयोजन किया गया ।

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना की उपलब्धियां

डीओएफ गैलरी

2022-23

चेन्नई में स्थित मत्स्यन बंदरगाह

नग्गापट्टिनम, तमिलनाडु के पूम्पुरहार में आधुनिक मत्स्यन बंदरगाह

झारखण्ड के जलाशयों में उच्च भंडारण के घनत्व के साथ केच कल्चर

चांडिल बांध, सरायकेला खरसावां जिला, झारखण्ड में फिश केज कल्चर

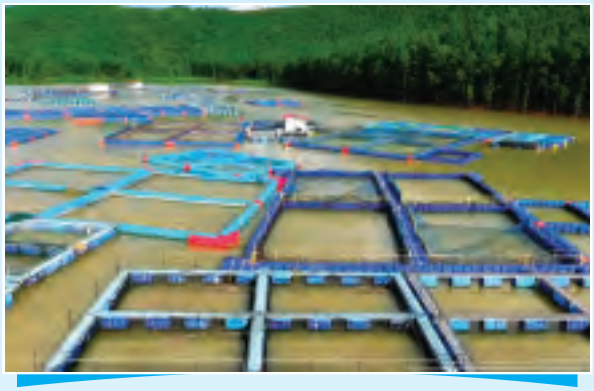

फिश मोबाईल वैन झारखण्ड

फिश मोबाईल वैन उत्तर प्रदेश

डीओएफ गैलरी

2022-23

कोच्चि, केरल में फिशरवुमैन एसएचजी फिश ड्रायर के साथ मत्स्य प्रसंस्करण करती हुई

फिशरवुमैनका स्वयं सहायता समूह फकीरपाड़ा गांव, खोरया जिला, ओडिशा

कोच्चि, केरल में श्रीम्प प्रसंस्करण संयंत्र में काम करती फिशरवुमैन

मंडपम तट, तमिलनाडू में समुद्री शैवाल की खेती करती फिशरवुमैन

मालगुड़ी गांव बस्का जिला, असम में जलकृषि फार्म तालाब

बायोफ्लॉक टैंक अरनिया जिला, जम्मू कश्मीर

डीओएफ गैलरी

2022-23

पीएनबी बैंक, उत्तराखण्ड में किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा प्राप्त करते मत्स्य किसान

मछुआरों को नेट और बोट/नांव के लिए सहायता

कोच्चि केरल में केज

यंत्रीकृत मत्स्यन जहाज कोच्चि बंदरगाह

मोटर–युक्त मत्स्यन जहाज, कोच्चि बंदरगाह

प्रशिकक्षण–गहरे समुद्र में मत्स्यन का आधुनिक जहाज, कोच्चि बंदरगाह

डीओएफ गैलरी

2022-23

प्रतिस्थापन नाव ओर नेट

बायोफ्लॉक से मत्स्य उत्पादन, भागवानपुर

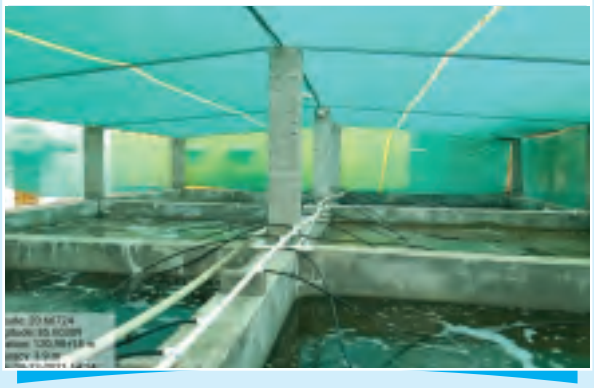

श्रीनिवास बतूल, विशाल बायोफ्लॉक इकाई, गंजम

बालेश्वर ओडिशा में मत्स्य हैचरी

नयागढ़, ओडिशा में तीन पहिया और मोटर साईकिलों का विवरण

पीएमएमएसवाई की वास्तविक उपलब्धियां

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान पीएमएमएसवाई के अंतर्गत 31 मार्च, 2023 तक क्षेत्रवार उपलब्धियों का विवरण

अंतर्देशीय मात्स्यिकी

अंतर्देशीय जलकृषि के अंतर्गत **14685.47** हेक्टेयर तालाब क्षेत्र स्वीकृत

2825 बायोफ्लॉक और **11013** आरएएस

जलाशयों और अन्य जल निकायों में **30288** केज और **376** हेक्टेयर पेन को स्वीकृत

13 ब्रूड बैंक इकाईयाँ स्वीकृत

लवणीय–क्षारीय कल्चर के अंतर्गत **1790** हेक्टेयर तालाब क्षेत्र स्वीकृत

629 फिश और **4** स्कैम्पी हैचरियाँ को स्वीकृत

समुद्री मात्स्यिकी

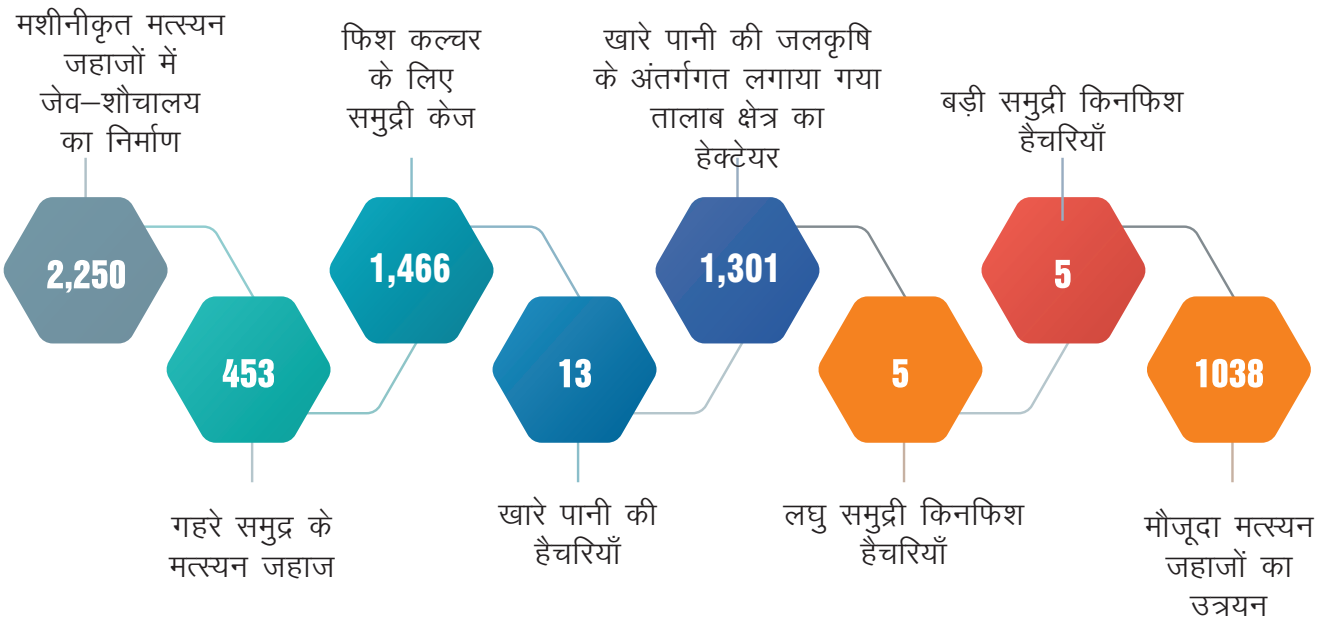

मछुआरा कल्याण

5,472
मछुआरों के लिए प्रतिस्थापन नौकाएं और जाल

मत्स्यन प्रतिबंध/लीन अवधि के दौरान मत्स्य संसाधनों के संरक्षण के लिए
6,77,462
मछुआरा परिवारों की आजीविका और पोषण संबंधी सहायता

60
विस्तार और सहायता सेवाएं (मत्स्यसेवा केन्द्र)

मात्सियकी अवसंरचना

423
आईस प्लांट/कोल्ड स्टोरेज स्वीकृत

731
फिश फीड मिल/प्लांट

मत्स्य परिवहन सुविधाओं की **21,680** ईकाइयां

8,257 मोटर साईकिल

8,652 आईस बॉक्स के साथ बासाईकिल

2800 ऑटो रिक्शा

1,002 इंसुलेटेड ट्रक

237 रेफ्रिजरेटेड

मत्स्य खुदरा बाजार की **6,241** इकाईयों और **6053** सजावटी कियोस्क के साथ **188** मत्स्य कियोस्क

अब तक **95** मूल्यों वर्धित उद्यम इकाईयों को स्वीकृत

मत्स्यन बंदरगाहों और मत्स्य लैंडिंग केन्द्र

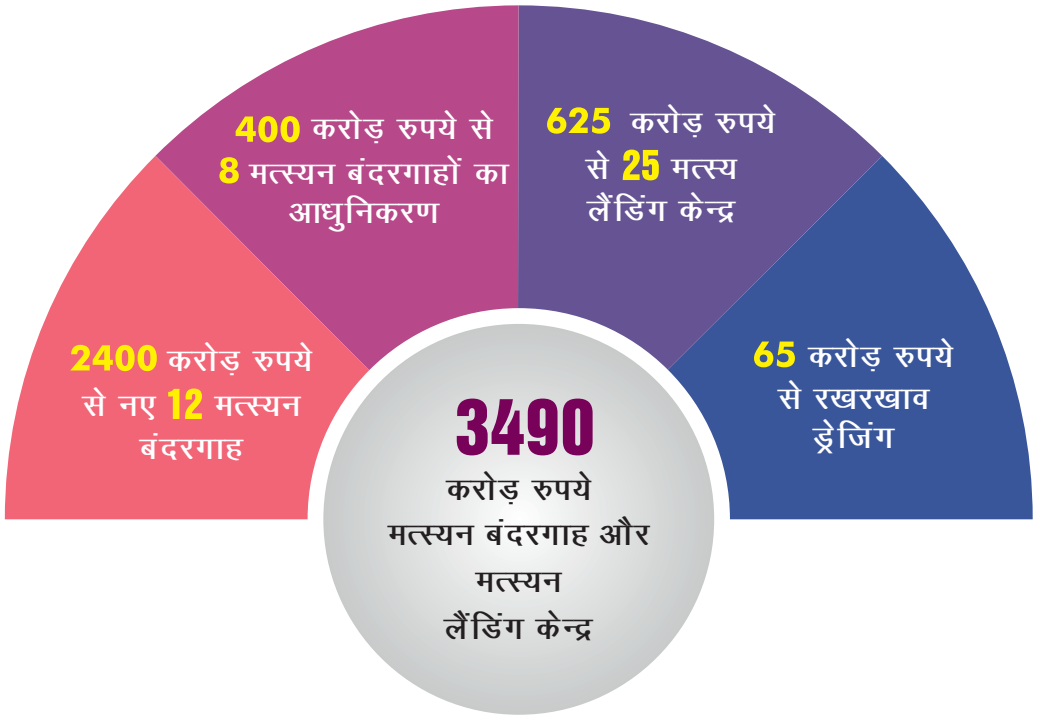

जलीय स्वास्थ्य प्रबंधन

13
रोग निदान केन्द्र और गुणवत्ता परिक्षण प्रयोगशालाएं

23
मोबाईल केन्द्र और परिक्षण प्रयोगशालाएं

5
जलीय परामर्श प्रयोगशालाएं

सजावटी मत्स्यिकी

1806 सजावटी फिश रेयरिंग इकाईयां स्वीकृत

139 एकीकृत सजावटी मत्स्य इकाईयां (प्रजनन और पालन) स्वीकृत

समुद्री शैवाल खेती

64,231 समुद्री शैवाल कल्चर के लिए मोनोलिन टयूब नेट स्वीकृत

52,700 समुद्री शैवाल खेती के लिए राफ्ट स्वीकृत

उत्तर–पूर्वी क्षेत्र में विकास

958.26 करोड़ रुपये के केन्द्रीय हिस्से के साथ **525.28** करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत

3591 हेक्टेयर नए तालाब का निर्माण

3019.35 हेक्टेयर एकीकृत मत्स्य खेती

440 बायोफ्लाक इकाईयां

480 सजावटी मात्स्यिकी इकाईयां

160 हैचरियां

146 पुनः संचारी जलकृषि प्रणाली (आरएएस)

108 फीड मील

5 ब्रूड बैंक

शीतजल मत्स्यिकी

रीवर रेंचिंग

822.0

लाख फिंगरलिंग की
रेंचिंग

आर्टिफिशियल रीफ

631
रीफ इकाईयां

अन्य महत्त्वपूर्ण गतिविधियां

2489
सागर मित्र

21
एकीकृत आधुनिक मत्स्य लैंडिंग केन्द्र

26
जलाशयों का एकीकृत विकास

2142
एफएफपीओ
1070 एनसीडीसी
22 एनएफडीबी
500 एनएएफईडी
और एसएफएसी
550

6
अत्याधुनिक थोक बाजार

2
एकीकृत आधुनिक तटीय मत्स्यन गांव

5
एकीकृत एक्वा पार्क

अध्याय–4

सागर परिक्रमा यात्रा कार्यक्रम

हिंद महासागर अपने तटीय राज्यों की अर्थव्यवस्थाओं, सुरक्षा और आजीविका के लिए महत्वपूर्ण है। देश की 8118 किमी की तटरेखा है, जो 9 समुद्री राज्यों/4 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करती है और लाखों तटीय मछुआरों को आजीविका सहायता प्रदान करती है। हमारे समुद्रों के प्रति कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में विभाग 75वें आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर ''सागर परिक्रमा'' कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। ''सागर परिक्रमा'' का उद्देश्य है समुद्री मात्स्यिकी के उचित और स्थिर उपयोग पर मछुआरों और अन्य हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करना, तटीय क्षेत्रों में रहने वाले मछली किसानों के जीवन स्तर को बढ़ाना, सार्वजनिक क्षेत्र की योजनाओं के लाभों को अधिकतम करना, समुद्री जीवन की रक्षा करना और मत्स्य किसानों की समस्याओं का समाधान करना है।

तटीय मछुआरों की समस्याओं को जानने के लिए और मछुआरों, मत्स्य किसानों और हितधारकों के लाभ के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी का प्रसार करने के लिए भी सागर परिक्रमा को गुजरात, दीव, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार ,लक्षद्वीप द्वीप समूह से नीचे पूर्व–निर्धारित समुद्री मार्ग के माध्यम से इन स्थानों और जिलों में मछुआरों, मछुआरा समुदायों और हितधारकों के साथ बातचीत कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सभी तटीय राज्योंध्केंद्र शासित प्रदेशों में मनाए जाने की परिकल्पना की गई है।

सागर परिक्रमा' का पहला चरण 5 मार्च 2022 को ''क्रांति से शांति'' की थीम के साथ शुरू किया गया था।, जिसमें माननीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ने मांडवी, गुजरात (श्यामजी कृष्ण वर्मा का स्मारक), ओखा–द्वारका का दौरा किया और यात्रा को 06.03.2022 को गांधी जी के जन्म स्थान पोरबंदर में पूरा किया गया। यात्रा 23 से 25 सितंबर 2022 के दौरान आयोजित दूसरे चरण में जारी रही, जिसमें गुजरात के मांगरोल, वेरावल, दीव, जाफराबाद, सूरत, दमन और वलसाड और दमन और दीव के यूटी से 07 स्थानों को कवर किया गया। 'सागर परिक्रमा' का चरण–III 19 फरवरी 2023 को सूरत, हजीरा पोर्ट गुजरात से शुरू किया गया था, इसके बाद 20–21 फरवरी 2023 के दौरान माननीय मंत्री, एफएएचडी की महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र की यात्रा के दौरान सतपती, वसई, वर्सोवा, भौचा धक्का और सैसन डॉक मुंबई की यात्रा हुई।

सागर परिक्रमा यात्रा के तीन चरण एक सफल कार्यक्रम रहे हैं, जिसने जनता, विशेष रूप से तटीय समुदायों और मछुआरों के बीच बहुत जागरूकता पैदा की। सागर परिक्रमा कार्यक्रम भी विभाग को उन जमीनी चुनौतियों को समझने और उनसे जोड़ने में मदद कर रहा है, जिनका सामना मछुआरों को करना पड़ रहा है। इससे विभाग को तटीय समुदाय के लोगों विशेषकर मछुआरों के जीवन की गुणवत्ता और आर्थिक कल्याण में सुधार के लिए बेहतर नीति तैयार करने में मदद मिलेगी।

*****

"સાગર પરિક્રમા યાત્રા-૨૦૨૩"
તૃતીય ચરણ - શુભારંભ
પત્રકાર પરિષદ

अध्याय–5

मत्स्यपालन विभाग के अधीनस्थ और स्वायत्त संगठन

प्रस्तावना

मत्स्यपालन विभाग (डीओएफ), मत्स्यपालन, पशुपलान और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन निम्नलिखित दो संगठन/संस्थान हैः– राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी) हैदराबाद और तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण (सीएए) चेन्नै जिनकी कार्य पद्धति के संबंध में स्वायत्ता/प्राधिकरण का दर्जा है। इनके अलावा, मत्स्यपालन विभाग के निम्नलिखित चार अधीनस्थ–संस्थान हैः– (i) केंद्रीय मात्स्यिकी तटीय इंजीनिरी संस्थान (सीआईसीइएफ), बंगलूरू, (ii) केन्द्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरिंग संस्थान (सीआईएफएनइटी), कोच्चि, (iii) भारतीय मात्यिकी सर्वेक्षण (एफएसआई), मुंबई और (iv) केन्द्रीय मात्स्यिकी पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान (एनआईएफपीएचएटीटी), कोच्चि। छः संगठनों पर एक संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैः

5.1 राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी)

5.1.1 संस्थान का इतिहासः

मत्स्यपालन क्षेत्र की अप्रयुक्त क्षमता का उपयोग करने के लिए मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक स्वायत्तशासी संगठन के रूप में वर्ष 2006 में राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एन.एफ.डी.बी.) की स्थापना की गई थी। एन.एफ.डी.बी. ने कई विकासात्मक गतिविधियाँ शुरू की हैं, जिससे इस क्षेत्र के मत्स्य उत्पादन, उत्पादकता और पोस्ट–हार्वेस्ट एवं विपणन सुविधाओं में सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी.एम.एम.एस.वाई.) के शुभारंभ के बाद, एन.एफ. डी.बी. को पी.एम.एम.एस.वाई. की केंद्र प्रायोजित योजना (सी.एस.एस.) के घटक के अंतर्गत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त प्रस्तावों के मूल्यांकन का काम सौंपा गया है। पी.एम.एम.एस.वाई. के प्रावधानों के अनुसार, सी.एस. एस. घटक के अंतर्गत प्राप्त परियोजना प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए एन.एफ.डी.बी. में मुख्य कार्यकारी की अध्यक्षता में एक परियोजना मूल्यांकन समिति (पी.ए.सी.) का गठन किया गया है। पी.एम.एम.एस.वाई. के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग के लिए एक परियोजना मॉनीटरिंग इकाई (पी.एम.यू.) का गठन किया गया है। एन.एफ.डी.बी. को पी.एम.एम.एस. वाई. की बीमा योजनाएं, उद्यमी विकास मॉडल, रिवर रैंचिंग, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, प्रमाणन और ट्रेसेबिलिटी, जागरूकता और प्रचार अभियान के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

5.1.2 संस्थान का अधिदेशः

i. केन्द्रीकृत ध्यान एवं व्यावसायिक प्रबंधन के लिए मत्स्यपालन और जलकृषि से संबंधित प्रमुख गतिविधियों को प्रस्तुत करना।

ii. केंद्र सरकार की मत्स्यपालन गतिविधियों का समन्वय करना तथा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश के साथ भी समन्वय करना।

iii. उत्पादों के उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन और विपणन में सुधार करना।

iv. प्राकृतिक जलीय संसाधनों का सतत प्रबंधन और संरक्षण ।

v. इष्टम उत्पादन और उत्पादकता के लिए आधुनिक अनुसंधान उपकरण का उपयोग।

vi. रोजगार का सृजन ।

vii. भोजन तथा पौष्टिकता सम्बन्धी सुरक्षा के लिए मत्स्य का योगदान बढ़ाना ।

5.1.3. संगठनात्मक संरचना

एन.एफ.डी.बी. की अध्यक्षता मुख्य कार्यकारी करते हैं। केन्द्रीय मंत्री की अध्यक्षता में एक शासी निकाय एन.एफ. डी.बी. की गतिविधियों की देखरेख करता है। शासी निकाय और कार्यकारी समिति बोर्ड की गतिविधियों पर विचार करती है और निर्णय लेती है और मार्गदर्शन प्रदान करती है। कार्यकारी समिति, मत्स्यपालन विभाग के

सचिव की अध्यक्षता में, बोर्ड के मामलों और कार्यों का सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण प्रदान करती है। एनएफडीबी का संगठनात्मक चार्ट निम्नलिखित है:

संगठनात्मक चार्ट

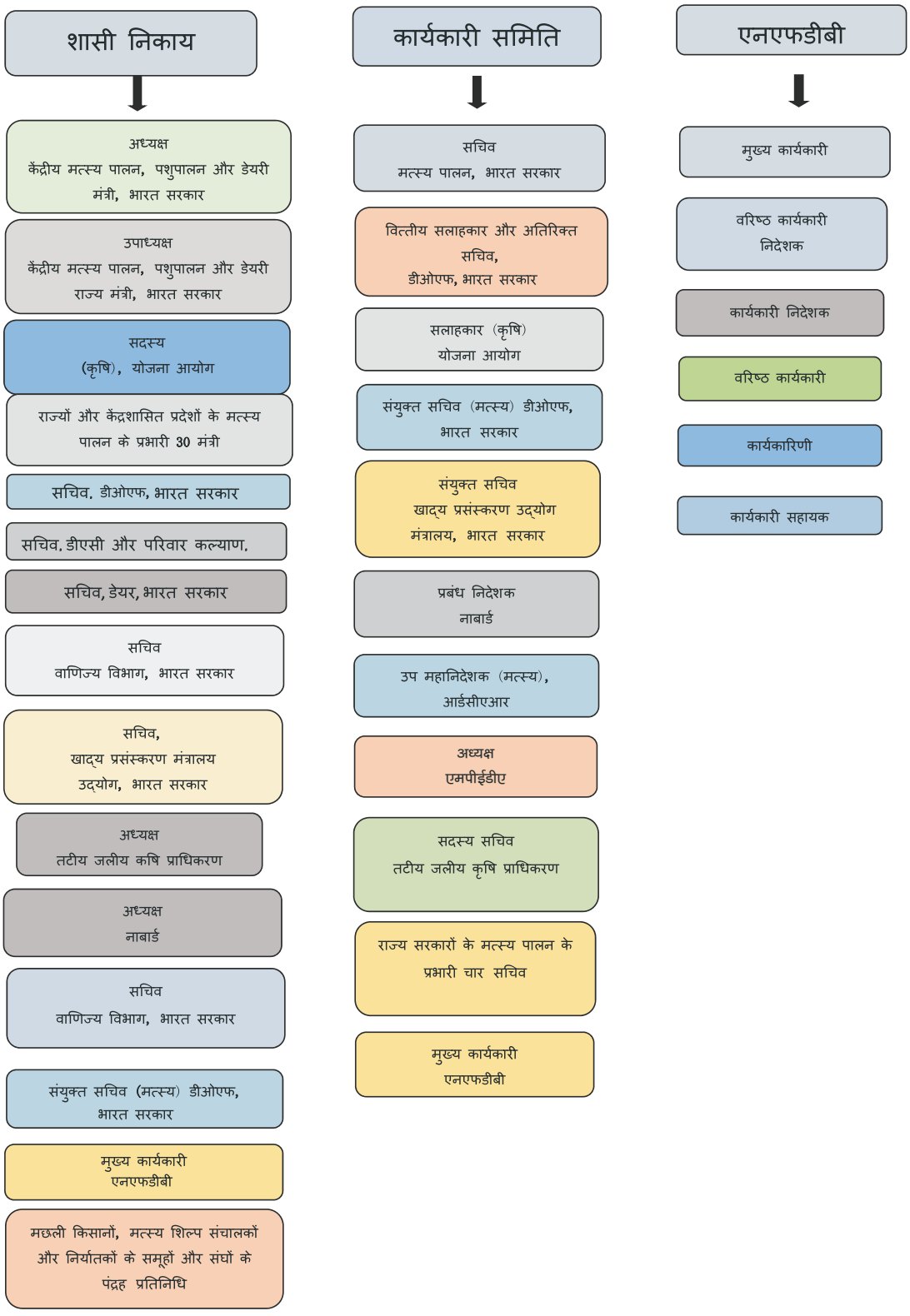

5.1.4. एन.एफ.डी.बी. की प्रमुख पहल और उपलब्धियां

एन.एफ.डी.बी. को पी.एम.एम.एस.वाई. की केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। एन.एफ.डी.बी. ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जहां कहीं भी आवश्यक हो, प्रस्ताव तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक सहायता और परामर्श प्रदान किया है। वार्षिक कार्य योजना 2022–23 के अनुसार एन.एफ.डी.बी.,पी.एम.एम. एस.वाई. के केंद्रीय क्षेत्र के घटक के अंतर्गत विभिन्न आवश्यकता आधारित गतिविधियों और समय–समय पर मत्स्यपालन विभाग द्वारा सौंपी गई गतिविधियों को कार्यान्वित कर रहा है। एनएफडीबी कार्य योजना वित्त वर्ष 2022–23 के तहत, कुल 90.59 करोड़ रुपये की कुल राशि के साथ 13 परियोजनाओं को लागू करने का प्रस्ताव है, जिसे एनएफडीबी की 43वीं कार्यकारी समिति में अनुमोदित किया है, तत्पश्चात डीओएफ ने जनवरी 2023 के दौरान आदेश जारी किया है।

एनएफडीबी इसे लागू करने की प्रक्रिया में है। एनएफडीबी द्वारा 2022–23 के दौरान शुरू की गई परियोजनाओं/गतिविधियों का विवरण नीचे दिया गया है::–

क. एन.एफ.डी.बी. में पी.एम.एम.एस.वाई.– परियोजना मूल्यांकन समिति (पी.ए.सी.)

एन.एफ.डी.बी. ने सभी राज्यों से डी.ओ.एफ. द्वारा किए गए राज्य–वार आवंटन के अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान पी.एम. एम.एस.वाई. के अंतर्गत 1007 स्व–निहित प्रस्ताव (एस. सी.पी.)/डी.पी.आर. 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त हुए और एन.एफ.डी.बी. द्वारा उनकी जांच की गई है। मुख्य कार्यकारी एन.एफ.डी.बी. की अध्यक्षता में पी.ए.सी. की दस बैठकें आयोजित की गईं और 1469.912 करोड़ रुपये के केंद्रीय हिस्से के साथ 3677.86 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय से मत्स्यपालन विभाग के सी.एस.एस. घटक के तहत 814 परियोजनाओं की सिफारिश की गई। एनएफडीबी ने पीएमएमएसवाई के तहत विभिन्न गतिविधियों को लागू करने में राज्य कार्य योजनाओं/प्रस्तावों की तैयारी में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता की एवं तकनीकी सलाह जारी की।

ख. एन.एफ.डी.बी. में एन.एफ.डी.बी– पीएमएमएसवाई परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू सेल)

''परियोजना निगरानी इकाई'' का गठन एन.एफ.डी.बी. में मु.का., एन.एफ.डी.बी. के अध्यक्ष के रूप में किया गया है। पी.एम.यू. – राज्य अनुश्रवण टीमों का गठन किया गया था और प्रत्येक टीम को 6–8 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए सौंपा गया है। पी.एम.यू. सेल ने फील्ड दौरों के लिए डेटा संग्रह और चेकलिस्ट के लिए मॉनीटरिंग प्रारूप विकसित किए हैं। पी.एम.यू. राज्य निगरानी टीमों ने संबंधित राज्य नोडल अधिकारियों के साथ आभासी बैठकें की हैं और पी.एम.एम. एस.वाई. परियोजनाओं की प्रगति का पता लगाया है। राज्योंध केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त वित्तीय और भौतिक प्रगति के आधार पर डेटा का पी.एम.यू. द्वारा समय–समय पर विश्लेषण किया गया। पी.एम.यू.–राज्य की टीमें भी पी.एम.एम.एस.वाई. गतिविधियों की प्रगति का आकलन करने के लिए क्षेत्र का दौरा भी करते हैं।दिसंबर 2022 तक , राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ 5 त्रैमासिक

अनुमोदित इकाइयों में पी.एम.यू. द्वारा दौरा

पीएमयू समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं, और 30 राज्यों के लिए क्षेत्र का दौरा किया गया, जबकि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह भेजी जा रही है, प्रमुख अवलोकनों को समय–समय पर डीओएफ को प्रस्तुत किया जा रहा है।

ग. मत्स्यपालन और जलकृषि में उद्यमी मॉडल

एन.एफ.डी.बी. मत्स्यपालन और जलकृषि क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए पी.एम.एम.एस.वाई. के केंद्रीय क्षेत्र के घटक के अंतर्गत मत्स्यपालन और जलकृषि में उद्यमी मॉडल लागू कर रहा है। दिसंबर,

2022 के अंत तक एनएफडीबी ने 64.99 करोड़ के कुल परिव्यय और 17.86 करोड़ की पात्र सब्सिडी के साथ 27 परियोजनाओं को मंजूरी दी।

घ. समूह दुर्घटना बीमा योजना (जी.ए.आई.एस)

लाभार्थी उन्मुख गतिविधियों के अंतर्गत मछुआरों का बीमा पी.एम.एम.एस.वाई. योजना के उप घटकों में से एक है। योजना के अंतर्गत, 18 से 70 वर्ष के आयु वर्ग के मछुआरे और मत्स्य पकड़ने और मत्स्यपालन से संबंधित गतिविधियों में सीधे तौर पर शामिल किसी भी अन्य श्रेणी के व्यक्ति (प) मृत्यु या स्थायी पूर्ण विकलांगता के लिए 5. 00 लाख रुपये की बीमा कवरेज के लिए पात्र हैं, (पप) स्थायी आंशिक विकलांगता के लिए 2.50 लाख रु. और आकस्मिक अस्पताल में भर्ती होने पर रु.25,000/– प्रदान किया जाता है। यह योजना मेसर्स ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के माध्यम से 72.44 रुपये प्रति मछुआरे प्रति वर्ष के बीमा प्रीमियम के साथ कार्यान्वित की जाती है। वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, 18 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 29.11 लाख मछुआरों और वित्त वर्ष 2021–23 में, 31 दिसंबर 2022 तक, 22 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 31.89 लाख मछुआरों का बीमा किया गया है। कुल 227 दावों का निपटान किया गया है और 10.91 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है।

ङ. क्षमता निर्माण और आउटरीच गतिविधियां

देश भर में मछुआरों/मत्स्य किसानों/छात्रों/युवाओं आदि के लाभ के लिए, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मात्स्यिकी विभागों, विभिन्न केंद्रीय और राज्य शैक्षणिक, प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों, मत्स्य अनुसंधान स्टेशनों, केवीके, एक्वा एक केंद्र (एओसी) के सहयोग से एनएफडीबी ने मात्स्यिकी क्षेत्र और पीएमएमएसवाई योजना गतिविधियों के विभिन्न विषयों पर जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। एनएफडीबी ने कुल 316 वेबिनारध्प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ 55'संस्थानों/राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशोंध्मत्स्य विश्वविद्यालयों/कॉलेजों/एओसी/एएएचएल/केवीके को जागरूकता/प्रशिक्षण कार्यक्रम स्वीकृत किए हैं और रु.208.56 लाख की राशि स्वीकृत की है जिससे 16,880 प्रतिभागी लाभान्वित हुए हैं। अनुसूचित जाति के प्रतिभागियों के लाभ के लिए पीएमएमएसवाई पर कुल 584 कार्यक्रम आयोजित किए गए जिससे अनुसूचित जाति के 30,785 लोग लाभान्वित हुए, जिनमें से एससीएसपी प्रशिक्षण के तहत 19,736 प्रतिभागियों को कवर करते हुए 282 कार्यक्रम आयोजित किए गए। कुल मिलाकर, कुल 86,410 को प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के तहत कवर किया गया।

च. मत्स्य उत्सवः

एनएफडीबी ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, के साथ सिक्किम सीआईएफई, मुंबई, त्रिपुरा, केरल, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, तेलंगाना और मेघालय में 11 मत्स्य उत्सवों को प्रायोजित किया है ताकि मत्स्य की खपत में जागरूकता पैदा की जा सके और इसे बढ़ाया जा सके। नियोजित उत्सवों में से 9 मत्स्य उत्सवों का आयोजन किया गया है।

छ. पीएमएमएसवाई का प्रचार और घरेलू मत्स्य की खपत को बढ़ावा देनाः

मछुआरों, मत्स्य किसानों और अन्य हितधारकों के बीच पीएमएमएसवाई की पहुंच और प्रचार के लिए विभिन्न आउटरीच गतिविधियां जैसे वेबिनार, विश्व मत्स्य दिवस (डब्ल्यूएफडी), राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस (एनएफएफडी) समारोह, मत्स्य उत्सव और एक्सपो, शिखर सम्मेलन आयोजित किए गए। डिजिटल अभियान, मास मीडिया अभियान, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार, पीएमएमएसवाई योजनाओं पर पोस्टर और मत्स्यसेतु ऐप के माध्यम से वर्चुअल लर्निंग आयोजित की गई। एनएफडीबी द्वारा वित्तपोषित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश 75 साल के आजादी का अमृत महोत्सव मानाएं और मत्स्य उत्सवों का आयोजन किए, डब्ल्यूएफडैड और एनएफएफडी मनाए गए। गुजरात, दीव और दमन और चेन्नई, गुजरात, आंध्र प्रदेश और गोवा में स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर को कवर करते हुए सागर परिक्रमा के दो चरणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। 16 राज्यों में 9 स्थानीय भाषाओं और सोशल मीडिया आदि में 26 जिंगल्स प्रसारित किए गए हैं। सागर परिक्रमा पर 2 गाने बनाए गए। शंकर महादेवन द्वारा गाए गए एक गीत का 7 स्थानीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है और तमिल में स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर पर एक गीत बनाया गया है और इन कार्यक्रमों के अभियानों के दौरान उपयोग किया गया है। इनका उद्देश्य घरेलू मत्स्य की खपत को बढ़ावा देना और अधिक मछुआरों और जनता तक पहुंचने

के लिए पीएमएमएसवाई योजना को लोकप्रिय बनाना है। इस प्रकार, कई आउटरीच गतिविधियों के माध्यम से 46,33,632 हितधारकों तक पहुंच बनाई गई है।

ज. एनएफडीबी द्वारा शुरू की गई नई परियोजनाएं/गतिविधियां:

i. "नवाचार और नवोन्मेषी परियोजनाएं/गतिविधियां, स्टार्ट–अप, इनक्यूबेटर और पायलट परियोजनाओं सहित प्रौद्योगिकी प्रदर्शन"।

- एनएफडीबी ने 2022–23 के दौरान क्षेत्र में उभरती नई और परिवर्तनात्मक तकनीकों को लोकप्रिय बनाने के लिए कई पहल की हैं ताकि देश में मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता में सुधार किया जा सके। अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022 के दौरान निम्नलिखित परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है (2.56 करोड़ रुपये)
- उत्तरी भारत में बायोफ्लोक प्राप्त मत्स्य के विकास प्रदर्शन, स्वास्थ्य की स्थिति और मीट की गुणवत्ता का प्रदर्शन (19.47 लाख रुपये)
- तटीय लोगों के बीच आय सृजन के लिए स्वदेशी खारे पानी की सी वीड प्रजातियों के लिए व्यवहार्य कृषि प्रोटोकॉल का प्रदर्शन (21.95 लाख रुपये)
- घरेलू मत्स्य की खपत बढ़ाने के लिए फील्ड स्तर पर "स्मार्ट पैकिंग टेक्नोलॉजी: फिश फ्रेशनेस इंडिकेटर" का प्रारम्भिक पैमाने पर कार्यान्वयन (40.50 लाख रुपये)।
- जम्मू और कश्मीर में संरक्षण और कल्चर के लिए गंभीर रूप से लुप्तप्राय कैटफिश ग्लाइप्टोथोरैक्स कश्मीरेंसिस के बीज (सीड) उत्पादन का प्रदर्शन (26.40 लाख रुपये)
- मत्स्य और श्रिम्प के लिए सी वीड आधारित चारा उत्पादन का प्रायोगिक पैमाने पर प्रदर्शन (36 लाख रु.)
- रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (आरएएस) में सिंघी कैटफिश कल्चर का प्रौद्योगिकी प्रदर्शन और क्षेत्र में उद्यमिता विकास (38.95 लाख रुपये)।
- तेलंगाना के ग्रामीण युवाओं में ज्ञान में सुधार के लिए मत्स्य के चारे में प्राकृतिक कैरोटीनॉयड के समावेश के माध्यम से सजावटी मत्स्य कल्चर और प्रजनन तकनीक का प्रदर्शन (23.50 लाख रुपये)।
- घरेलू और निर्यात बाजारों के लिए लक्षद्वीप में प्रीमियम गुणवत्ता वाले मासमिन उत्पादन का प्रौद्योगिकी प्रदर्शन (23.54 लाख रुपये)
- बायोफ्लॉक कल्चर सिस्टम में उत्पन्न मत्स्य प्रजातियों का प्रौद्योगिकी प्रदर्शन (26 लाख रुपये)

(ii) सीएमएफआरआई द्वारा चांदीपुर तट, बहावलपुर, ओडिशा में भारतीय पोम्पानो का केज कल्चर प्रदर्शन

वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान, एनएफडीबी ने आईसीएआर–सीएमएफआरआई को 100 प्रतिशत केंद्रीय सहायता के साथ 3 साल की अवधि के लिए 257.32 लाख रुपये की लागत से 'चांदीपुर तट में भारतीय पोम्पानो के केज कल्चर प्रदर्शन' परियोजना को मंजूरी दी थी। इस परियोजना द्वारा उत्तरी ओडिशा के बालासोर के साथ–साथ बहावलपुर में एक मॉडल भारतीय पोम्पानो मेरीन केज कृषि इकाई स्थापित की जा सकी, जो राज्य में प्रौद्योगिकी के बड़े पैमाने पर प्रसार के लिए एक न्यूक्लियर केंद्र के रूप में कार्य करेगी। इस परियोजना द्वारा 59.53 लाख रुपये की कीमत वसूली के साथ 30 केजों से 20 मीट्रिक टन की दूसरी और अंतिम क्राप हार्वेस्ट होती हुई देखी गई। पीएमएमएसवाई के तहत परियोजना को अपने दूसरे चरण में विस्तारित किया गया है जिसमें केंद्रीय हिस्सा 45 लाख रुपये (60:) और शेष 30 लाख लाभार्थी हिस्से के निर्धारित शेयरिंग पैटर्न के साथ मछुआरा संस्थाध्संस्थानों को शामिल करके परिचालन लागत के लिए 75 लाख रुपये की एकमुश्त सब्सिडी दी गई है 30 केजों के लिए बहाबलपुर, बालासोर में केज कल्चर प्रदर्शन तथा केज के वितरण के लिए 36 (18 मछुआरे और 18 महिला मछुआरा) लाभार्थियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। परियोजना को आईसीएआर–सीएमएफआरआई की तकनीकी विशेषज्ञता के साथ कार्यान्वित किया जाएगा।

(iii) रीवर रेचिंग

नदियों में मत्स्य के घटते स्टॉक को दूर करने और

मछुआरों की आजीविका में सुधार करने के लिए, पीएमएमएसवाई के तहत रिवर रेचिंग योजना को शामिल किया गया है। यह योजना एक सतत कार्यक्रम है, प्रारंभिक वर्ष में योजना को तीन नदी घाटियों में लागू किया गया था। अर्थात् (i) गंगा और गंगा नदी प्रणाली की सहायक नदियों (ii) ब्रह्मपुत्र और बराक नदी की सहायक नदियां और अन्य नदियाँ और (iii) महानदी और महानदी नदी प्रणाली की सहायक नदियाँ। वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, इस योजना को दो साल के लिए बढ़ाया गया था, जिसमें कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और असम राज्यों को कवर करते हुए गोदावरी, कावेरी, नर्मदा और सिंधु जैसी 4 और नदियाँ शामिल थीं। राज्यों ने लगातार निगरानी और मार्गदर्शन के तहत समय–सीमा के अनुसार गतिविधियों को लागू किया है। 555.05 लाख फिंगरलिगों के पालन के लिए 13 राज्यों को कुल 16.05 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2022–23 के दिसंबर तक, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, त्रिपुरा, ओडिशा, बिहार, असम, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम में गंगा और उसकी सहायक नदियों, महानदी, ब्रह्मपुत्र बराक और इसकी सहायक नदियाँ और अन्य नदियाँ के प्रमुख क्षेत्रों में 311. 53 लाख फिंगरलिगों को पाला जा रहा है।

तीन नदियों अर्थात 1. गंगा 2. ब्रहमपुत्र और बराक 3. महानदी तथा सहायक नदियों में रिवर रैन्चिंग कार्यक्रम

(iv) पूर्वोत्तर राज्यों में स्वदेशी मत्स्य प्रजातियों की प्रजनन इकाइयों की स्थापना

पूर्वोत्तर राज्यों में मागुर, सिंघी, पाबडा और कोई जैसी मत्स्य प्रजातियों की विशेष उपभोक्ता प्राथमिकताएं हैं और उनसे उच्च बाजार मूल्य प्राप्त होती हैं। हालांकि, स्थानीय मत्स्य बीज (सीड) उत्पादन के लिए पर्याप्त संख्या में हैचरियों की कमी, किसानों के बीच प्रजनन तकनीक के प्रसार की कमी और अन्य आवश्यक सहायता की कमी के कारण इन प्रजातियों का व्यावसायिक प्रजनन और प्रसार और कल्चर विस्तार अभी भी कम है। स्थानीय रूप से महत्वपूर्ण स्वदेशी मत्स्य प्रजातियों के लिए प्रजनन इकाइयों की स्थापना की सहायता के लिए, एनएफडीबी ने संबंधित राज्य मत्स्यपालन विभाग के माध्यम से असम (5 इकाइयां), मेघालय (2 इकाइयां), सिक्किम (3 इकाइयां) और त्रिपुरा जैसे 4 राज्यों को कवर करते हुए 17 प्रजनन इकाइयों की स्थापना के लिए 64.40 लाख रुपये मंजूर एवं जारी किए। प्रजनन इकाइयों को लागू किया गया है और सिविल कार्य की प्रगति की गति औसतन 90 प्रतिशत है।

(v) मत्स्य किसान उत्पादन संगठन (एफएफपीओ):

एनएफडीबी ने 30, मई 2022 को सीबीबीओ के चयन के लिए अधिसूचना जारी की, जिसकी अंतिम तिथि 08.07.2022 दी गई। विभिन्न श्रेणियों के तहत 53 आवेदन प्राप्त हुए जैसे श्रेणी I – 27 संख्या, श्रेणी II –2 संख्या और श्रेणी III–24 संख्या। उनकी जांच की गई । मैनेज और आईआईएम, हैदराबाद के विशेषज्ञों के साथ आवेदनों का मूल्यांकन किया गया। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, असम, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुडुचेरी, मणिपुर, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश जैसे 10 राज्यों को कवर करते हुए 20 एफएफपीओ के गठन के लिए 1 नवंबर 2022 को सीबीबीओ के रूप में 6 एजेंसियों को शॉर्टलिस्ट किया गया और सम्मानित किया गया। चयनित सीबीबीओ के साथ एमओए का निष्पादन एनएफडीबी द्वारा प्रक्रियाधीन है। चयनित सीबीबीओ ने राज्यों में स्थानों की पहचान करना शुरू कर दिया है और एफएफपीओ का मोबोलाइजेशन प्रक्रियाधीन है।

(vi) जलकृषि क्षेत्र में प्रमाणन, प्रत्यायन, ट्रेसबिलीटी और लेबलिंग

एनएफडीबी ने पीएमएमएसवाई–केंद्रीय क्षेत्र के तहत परियोजना, प्रमाणीकरण, प्रत्यायन, ट्रेसबिलीटी और लेबलिंग के कार्यान्वयन में भाग लेने के लिए उपयुक्त

ईओआई के माध्यम से प्रमाणित निकायों के रूप में कार्य करने के लिए आठ प्रमाणन निकायों को सूचीबद्ध किया है जिसके नाम हैं ब्यूरो वेरिटास (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (तेलंगाना), कंट्रोल यूनियन, सीयू इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (महाराष्ट्र), कोटेकना इंस्पेक्शन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पश्चिम बंगाल), इंटरटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (दिल्ली), क्वेस्ट सर्टिफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड (तमिलनाडु)), एसजीएस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पश्चिम बंगाल), टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (तेलंगाना) और टीयूवी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (महाराष्ट्र) जिनका फील्ड स्तर और राज्य स्तर पर बारीकी से निगरानी और समन्वय किया जाएगा। 1740 इकाइयों को प्रमाणित करने के लिए विभिन्न गतिविधि क्षेत्रों जैसे, हैचरी, फीड मिल र मत्स्य फार्म के लिए व्यक्तियों और समूहों– दोनों से लगभग 3040 लाभार्थियों को शामिल करते हुए 1740 इकाइयों को प्रमाणित करने के लिए एनएफडीबी 6 राज्यों से सम्मति प्राप्त हुई।

(vii) मत्स्य बाजार और मूल्य सूचना प्रणाली (एफएमपीआईएस)

एन.एफ.डी.बी. व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण अंतर्देशीय और समुद्री मत्स्य प्रजातियों की कीमतों को एकत्रित और प्रसारित करके वेबध्मोबाइल आधारित एप्लिकेशन के माध्यम से प्रमुख शहरों और कस्बों से मत्स्य बाजारों में मत्स्य की कीमत की जानकारी का विश्लेषण करने के लिए एक प्रमुख परियोजना के रूप में मत्स्य बाजार मूल्य सूचना प्रणाली (एफएमपीआईएस) लागू कर रहा है। व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण मछलियों के बाजार मूल्य सिंगल वेब प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। एफ.एम.पी.आई.एस. के माध्यम से कैप्चर किए गए मत्स्य के मूल्य के संबंध में डेटा बेहतर विपणन क्षमता (मछुआरे/विक्रेता) और मत्स्य तक पहुंच (उपभोक्ता/खरीदार) की सुविधा प्रदान करेंगे। वर्तमान में, 29 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 42 थोक मत्स्य बाजार, 64 खुदरा मत्स्य बाजार, 17 मत्स्य लैंडिंग केंद्र और 18 मत्स्यन बंदरगाह एफएमपीआईएस के दायरे में हैं।

(viii) जलीय जीव स्वास्थ्य और गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला (एएएच और क्यूटीएल)

एनएफडीबी, हैदराबाद के तत्वावधान में राष्ट्रीय स्तर की प्रयोगशाला एक आईएसओ 9001–2015 प्रमाणित प्रयोगशाला है जो मछुआरों, किसानों और मात्स्यिकी में शामिल अन्य हितधारकों को विभिन्न परीक्षण सेवाएं प्रदान करती है। प्रयोगशाला में आणविक निदान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, फीड, पानी और मिट्टी, और अवशिष्ट परीक्षण प्रभाग विद्यमान हैं। प्रयोगशाला जीन अनुक्रमण, भारी धातुओं परिमाणन, अमीनो एसिड और विटामिन आदि की रूपरेखा के लिए परिष्कृत उपकरणों के साथ काम कर रही है। एएएचक्यूटीएल आरटी– पीसीआर और इसके अनुप्रयोगों, पीसीआर और इसके अनुप्रयोगों, जैव तकनीकों, मत्स्य और मत्स्य उत्पादों के पोषक तत्वों की रूपरेखा, पानी की गुणवत्ता के मापदंडों पर व्यावहारिक दृष्टिकोण के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करता है। मई–दिसंबर 2022 के दौरान 47 प्रशिक्षुओं के लिए कुल 7 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

एएएचक्यूटीएल 'मत्स्य और एक्वा फीड में पोषक तत्वों और अवशिष्ट प्रदूषक प्रोफाइलिंग के साथ–साथ रोगजनक सूक्ष्मजीवों का आकलन' शीर्षक से एक अध्ययन भी आयोजित करता है। परियोजना के तहत कुल मत्स्य, झींगा, पीने योग्य पानी, बर्फ और खुदरा विक्रेता के स्वच्छता संबंधी नमूने एकत्र किए गए और माइक्रोबियल प्रसार के लिए परीक्षण किया गया। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र से कुल 151 नमूने विभिन्न थोक, खुदरा, लैंडिंग केंद्रों और सड़क बाजारों से एकत्र किए गए थे। यह परियोजना एचजी, पीडी, एएस, सीडी जैसी भारी धातुओं की उपस्थिति को उचित महत्व देते हुए पोषक तत्व और अमीनो एसिड प्रोफाइलिंग को भी सामने लाती है, जिसमें आंध्र प्रदेश के फार्म से 40 नमूनों का विश्लेषण किया गया था।

एएएचक्यूटीएल, एनएफडीबी ने विभिन्न मात्स्यिकी और पर्यावरण संबंधी अनुसंधान करने के लिए तेलंगाना संस्कार के पर्यावरण संरक्षण प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (ईपीटीआरआई) , के साथ एक समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया है। एएएचक्यूटीएल ईपीटीआरआई के सहयोग से मेदिगड्डा बैराज, अन्नाराम बैराज और सुंदिला बैराज, तेलंगाना' नाम के स्थलों पर 'गोदावरी नदी के जलीय जैव विविधता अध्ययन' नामक परियोजना शुरू कर रहा है।

भारत के एएएचक्यूटीएल–एनएफडीबी में श्री जतीन्द्र नाथ स्वैन, आईएएस, सचिव मात्स्यिकी, भारत सरकार का दौरा।

परियोजनाओं के तहत एएएचक्यूटीएल टीम द्वारा नमूना संग्रह

(ix) चेन्नई में जलीय संगरोध सुविधा (एक्यूएफ)।

चेन्नई में 2009 में स्थापित ए.क्यू.एफ., लिटोपेनियस वन्नामेई के आयातित ब्रूड स्टॉक की एस.पी.एफ. स्थिति सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एल. वन्नामेई ब्रुडस्टॉक के निरंतर आयात में शामिल जोखिमों को कम करने के लिए ए.क्यू.एफ. सुविधा आवश्यक है। एक्यूएफ ने धीरे–धीरे 9 वर्षों की अवधि में चरणवार विस्तार किया। अब चरण–IV में 6 संगरोध क्यूबिकल्स और सहायक बुनियादी ढांचे के साथ, सुविधा में 7,33,400 संख्या में आयातित एल वन्नामेई ब्रूड स्टॉक को समायोजित करने की वार्षिक क्षमता है। इस सुविधा का शुभारंभ श्री जतिंद्र नाथ स्वैन, आईएएस, सचिव मात्स्यिकी, भारत सरकार द्वारा 10 जनवरी 2022 को शुरू की गई।

एनएफडीबी ने एमपीईडीए–आरजीसीए के साथ प्रत्येक वर्ष एक्यूएफ द्वारा उत्पन्न सकल राजस्व का 2.5: एनएफडीबी को साझा करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तदनुसार, एमपीईडीए–आरजीसीए ने वित्त वर्ष 2020–21 के लिए 17,88,275/– रुपये और वर्ष 2021–22 के लिए 20,63,541/– रुपये की राशि एक्यूएफ से एनएफडीबी के हिस्से में साझा की।

(x) मूलापोलम, श्रीकाकुलम जिला, आंध्र प्रदेश में तटीय जलकृषि का विकास और संचालन

एनएफडीबी कार्य योजना 2020–21 और 2021–22 के अनुसार, एनएफडीबी को एपी (चरण–डी) में मुलापोलम में तटीय जलकृषि के विकास और संचालन के लिए मंजूरी दी गई थी। एनएफडीबी ने आवश्यक साइट लेवलिंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग, लागत अनुमान के साथ सामान्य न्यूनतम सुविधाओं जैसे कि समुद्री जल और मीठे पानी का सेवन, निस्पंदन, भंडारण और आपूर्ति की व्यवस्था, आंतरिक सड़कें, बिजली, जनरेटर जल निकासी, कार्यालय भवन आदि के साथ फिंगरलिंग और विपणन योग्य आकार की समुद्री फिनफिश (कोबिया, पोम्पानो और सी बास) और मिट्टी के केकड़े पालने के लिए नर्सरी और ग्रो आउट तालाबों के लिए बुनियादी ढांचे का विकास किया है। चरण–I के लिए जलकृषि बुनियादी सुविधाओं का विकास सीपीडब्ल्यूडी, विजयवाड़ा को सौंपा गया था और निर्माण कार्य का 65% पूरा हो गया है।

ईएलए अध्ययन और सीआरजेड रिपोर्ट ने एक्वाकल्चर लेने के लिए सीएए की अनुमति पूरी कर ली है और एपीपीसीबी से एनओसी प्राप्त कर ली है। एपीसीजेडएमए ने प्रस्ताव पर विचार किया है और अनुमति के लिए एमओईएफ को सिफारिश की है। वन भूमि से समुद्री जल इनटेक एवं आउटलेट पाइप लाइन बिछाने के लिए वन विभाग की प्रथम चरण की अनुमति प्राप्त हो चुकी है तथा द्वितीय चरण की अनुमति प्रगति पर है इसके अतिरिक्त इनलेट एवं आउटलेट पाइप लाइन बिछाने के लिए वन विभाग द्वारा जारी कार्य अनुमति और कार्य प्रगति पर है।

40 वीं और 41 वीं कार्यकारी समिति के निर्देश के अनुसार, एनएफडीबी ने मुलापोलम में 'तटीय जलकृषि सुविधाओं' के चरण–I के संचालन और प्रबंधन और चरण–II के

विकास, वित्त, निर्माण, संचालन और प्रबंधन और हस्तांतरण (डीएफबीओटी) के लिए आरएफपी दस्तावेज तैयार किया है। इसे पीपीपी मोड में लागू किया जाएगा, जो प्रक्रियाधीन है।

आंध्र प्रदेश के मुलापोलम में जलकृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास सुविधाऐं

(xi) मात्स्यिकी और जलकृषि अवसंरचना विकास निधिः–

मात्स्यिकी इन्फ्रास्ट्रक्चर में गैप्स को दूर करने के लिए, सरकार ने वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान 7522.48 करोड़ रुपये की राशि के साथ मात्स्यिकी और जलकृषि अवसंरचना विकास निधि (एफआईडीएफ) तैयार किया। एफआईडीएफ चिह्नित मात्स्यिकी अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए राज्य सरकारोंध्संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों और राज्य संस्थाओं सहित पात्र संस्थाओं (ईई) को रियायती वित्तध्ऋण प्रदान करता है। संचयी रूप से, 31 दिसंबर 2022 को, एनएफडीबी को 7880.20 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत के लिए 25 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से 236 प्रस्ताव प्राप्त हुए। एनएफडीबी ने सीएएमसी को 121 प्रस्तावों की सिफारिश की और सीएएमसी द्वारा 110 प्रस्तावों की सिफारिश की गई और 5247.85 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के लिए डीओएफ (जीओआई) द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी दी गई।

झ. एनएफडीबी द्वारा आयोजित कार्यक्रम/अभियान

(i) राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 2022

10 जुलाई 2022 को एनएफडीबी ने हाइब्रिड मोड में एनएफडीबी, हैदराबाद में 25 वां राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुजफ्फरनगर, यूपी से डॉ. संजीव कुमार बाल्यान माननीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री और वेल्लोर, तमिलनाडु से डॉ. एल. मुरुगन माननीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री ने की। इस कार्यक्रम में पूरे देश के 1000 से अधिक मत्स्य किसान, एक्वाप्रेन्योर, मछुआरे, व्यवसायी, अधिकारी और वैज्ञानिक शामिल हुए। आयोजन के दौरान, घरेलू मत्स्य खपत और टिकाऊ उत्पादन पर आउटरीच के लिए 4 पोस्टर जारी किए गए हैं। डॉ. संजीव कुमार बालियान, माननीय केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री द्वारा 'फिश फॉर मदरहुड' और 'मत्स्य पोषक तत्व और उनके कल्याणकारी लाभ' पर दो पोस्टर जारी किए गए और 'सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिस' और 'स्टेटफिश ऑफ इंडिया' पर दो पोस्टर गए डॉ. एल. मुरुगन, माननीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री द्वारा जारी किए। श्री जतीन्द्र नाथ स्वैन, आईएएस, सचिव, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार द्वारा 'मत्स्य

तमिलनाडु के थारागमवाडी में मत्स्यन बंदरगाह की स्थापना

और एक्वा फीड में पोषक तत्वों और अवशिष्ट प्रदूषक प्रोफाइलिंग के साथ–साथ रोगजनक सूक्ष्मजीवों का आकलन' पर परियोजना का शुभारंभ किया गया। लगभग 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने वर्चुअल रूप से समूहों में भाग लिया, जिसमें लगभग 570 लोगों का सम्मेलन था और 3 राज्यों तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के 50 प्रतिभागियों ने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया। इस अवसर पर एनएफडीबी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बीच एफआईडीएफ और एंटरप्रेन्योर मॉडल स्कीम की सुविधा के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। कार्यक्रम का प्रचार विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया गया और कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया जिसे 580 प्रतिभागियों ने देखा।

एनएफडीबी, हैदराबाद में राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 2022 हाईब्रिड मोड में मनाया गया।

एम कार्यक्रम के दौरान आउटरीच घरेलु मत्स्य खपत और सतत उत्पादन के लिए चार पोस्टर जारी किए गए है।

(ii) विश्व मात्स्यिकी दिवस 2022

एनएफडीबी और मत्स्यपालन विभाग (भारत सरकार) ने 21 नवंबर 2022 को स्वामी विवेकानंद सभागार, दमन में 'विश्व मात्स्यिकी दिवस' मनाया। कार्यक्रम दो सत्रों, उद्घाटन और तकनीकी सत्र में आयोजित किया गया था। इस आयोजन में विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मात्स्यिकी अधिकारियों सहित 800 से अधिक मछुआरे, मत्स्य किसान शामिल हुए। मात्स्यिकी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए विभिन्न श्रेणियों के तहत 28 पुरस्कार दिए गए जिसमें सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों को कवर करने वाले नकद पुरस्कार शामिल थे। कार्यक्रम के दौरान, 'सागर परिक्रमा गीत' का गुजराती संस्करण लॉन्च किया गया और सिफनेट द्वारा 3 पुस्तकें, एनएफडीबी द्वारा 'सुपर सक्सेस स्टोरीज/100' (अंग्रेजी और हिंदी) नामक 1 पुस्तक और डीओएफ (जीओआई) द्वारा कुछ पुस्तकें जैसे मात्स्यिकी सांख्यिकी–2022 पर हैंडबुक, मत्स्यन जहाज पर संचार और नेविगेशनल उपकरण, नाव इंजन में दोष सुधार और रखरखाव, मोनोफिलामेंट लॉग लाइन मत्स्यन पर क्षमता निर्माण और समुद्री शैवाल पर बोर्ड और पोस्टर पर टूना की हैंडलिंग, वेल्थ फ्रॉम वेस्ट और मूल्यवर्धन का अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में प्रमोचन किया गया।

एनएफडीबी और डीओएफ (जीओआई) ने स्वामी विवेकानंद ऑडिटोरियम, दमन में विश्व मात्स्यिकी दिवस 2022 मनाया।

(III) सफलता की 100 कहानियों 'SSS/75' का प्रकाशन

एनएफडीबी ने 28 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों से 134 सफलता की कहानियां एकत्रित कीं और 100 की सर्वश्रेष्ठ सफलता की कहानियां चुनीं और 'एसएसएस इंडिया/75; 100 सुपर सक्सेस स्टोरीज फ्रॉम इंडियन फिशरीज' को प्रकाशित किया और पुस्तक का विमोचन 21 नवंबर 2022 को विश्व मत्स्य दिवस 2022 के अवसर पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में किया गया। यह पुस्तक हाल के वर्षों में भारत भर में व्यक्तियों, एफएफपीओ, एसएचजी, एनजीओ और सरकारी संगठनों द्वारा की गई सफल मात्स्यिकी और जलकृषि गतिविधियों की कहानियों को दर्शाती है। एकीकृत मत्स्यपालन, सजावटी मत्स्यपालन और विपणन, सी बिड कल्चर, श्रिंप हैचरी, मत्स्य बीज (सीड) उत्पादन, श्रिंप टॉयलट का उपयोग, चारा (फिड) निर्माण, आरएएस कल्चर, बायोफ्लोक कल्चर, मत्स्य उत्पादों की तैयारी पर व्यक्तियों या समूहों द्वारा प्रमुख सफल मत्स्य गतिविधियाँ है। 100 कहानियों में से 31 कहानियाँ महिला मत्स्य किसानों पर आधारित हैं, 31 सीमांत किसानों/उद्यमियों पर आधारित हैं, 10 एससी मछुआरों पर आधारित हैं और 20 एसटी मत्स्य किसानों से संबंधित हैं और एसएचजी पर आधारित 8 कहानियाँ हैं।

(क) अन्य गतिविधियों :

(i) उपकरण निर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं सूची बद्ध करना:

एनएफडीबी ने श्री जतिंद्र नाथ स्वैन, आईएएस, सचिव मात्स्यिकी, भारत सरकार जलकृषि, आरएएस/बायोफ्लोक, समुद्री केज/जलाशय, केजध्पेन, कोल्ड चेन सुविधा (कोल्ड स्टोरेज/आइस प्लांट), फिश फीड मिल, हैचरी, समुद्री मात्स्यिकी, प्रशीतित वाहन/इन्सुलेट वाहन, बायोटॉयलेट आदि जैसी विभिन्न श्रेणियों के तहत 67 फर्मों को सूचीबद्ध किया है। यह सूची राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और हितधारकों के लाभ के लिए एनएफडीबी वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(ii) परामर्शदाताओं को सूचीबद्ध करना :

मात्स्यिकी और जलकृषि क्षेत्र में 53 व्यक्तिगत सलाहकार और परामर्श फर्मों को सूचीबद्ध किया गया है और एनएफडीबी वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। इन सलाहकार सेवाओं का उपयोग हितधारकों द्वारा किया जा रहा है।

(iii) प्रशिक्षण, जागरूकता और क्षमता निर्माण गतिविधियों को लागू करने के लिए ''कार्यान्वयन भागीदारों'' के रूप में सूचीबद्ध निजी एजेंसियों/संस्थानों/संगठनों/विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में कुल 8 फर्मों को सूचीबद्ध किया गया है।

(ख) एनएफडीबी उपलब्धियां :

खाद्य, कृषि, बागवानी, पशुपालन, मात्स्यिकी और संबद्ध जैसे प्रमुख क्षेत्रों में प्रमुख हितधारकों द्वारा हासिल किए गए विकास और आधुनिकीकरण को प्रदर्शित करने के लिए इंडियन चौंबर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर (आईसीएफए), एक भारतीय सरकारी निकाए ने बड़ी संख्या में राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक संघों और संबंधित संगठनों के साथ तकनीकी सहयोग पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा कैंपस, नई दिल्ली में ''एग्रो वर्ल्ड 2022''– भारत अंतर्राष्ट्रीय कृषि व्यापार और प्रौद्योगिकी फेयर 9–11 से नवंबर 2022 तक, का आयोजन किया।

इस आयोजन के एक भाग के रूप में, एनएफडीबी को मात्स्यिकी क्षेत्र में किए गए अच्छे कार्यों के लिए ''इंडिया एग्रीबिजनेस अवार्ड्स 2022'' से सम्मानित किया गया। डॉ. सुवर्णा चंद्रपागरी, आईएफएस, मुख्य कार्यकारी एनएफडीबी ने दिल्ली में कार्यक्रम में भाग लिया और नई दिल्ली में मात्स्यिकी, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉ. संजीव कुमार बालियान और नीति आयोग के सदस्य डॉ. रमेश चंद से पुरस्कार प्राप्त किया।

डॉ सुवर्णा चन्द्रपागरी, आईएफएस, मुख्य कार्यकारी एनएफडी ने मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉ. संजीव कुमार बालयान और नीति आयोग के सदस्य डॉ. रमन चंद से ''इंडिया एग्रीबिजनेस अवार्ड 2022'' प्राप्त किया।

(ग) एनएफडीबी–क्षेत्रीय केंद्र

(i) एनएफडीबी–पूर्वी क्षेत्रीय केंद्र, भुवनेश्वर

एनएफडीबी–ईआरसी की स्थापना भुवनेश्वर में की गई थी। केंद्र पीएमएमएसवाई के तहत प्रस्ताव प्राप्त करने और उनकी समीक्षा के लिए ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल राज्यों के साथ समन्वय करता है। केंद्र 2013 में स्थापित नेशनल फ्रेशवाटर फिश ब्रूड बैंक (एनएफएफबीबी) का संचालन कर रहा है, जिसका उद्देश्य आनुवंशिक रूप से उन्नत मत्स्य ब्रूड स्टॉक को बनाए रखना और मान्यता प्राप्त हैचरी में इसके वितरण के साथ ब्रीडर बीज (सीड) (सीड) का उत्पादन करना है। वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान एनएफडीबी पूर्वी क्षेत्रीय केन्द्र ने स्थापना के बाद से ही 107.7 करोड़ (स्पॉन93:, फ्राई– 4: और फिंगरलिंग–3:) और 18,306.35 किलोग्राम जंयती रोहू, बेहतर कतला, अमूर कॉमन कार्प, सीफी जीआई स्कैप्पी (केवल ब्रूड स्टॉक), मृगल, ग्रास कार्प और जावा पुट्टी को पूरे भारत में हैचरी संचालकों और बीज (सीड) उत्पादकों को उपलब्ध करवाकर उन्नत मत्स्य बीज (सीड) किस्मों का प्रसार किया है। गुणवत्तापूर्ण बीज (सीड) की आपूर्ति और उच्च उत्पादन प्राप्त करने के लिए अधिकतम लाभार्थियों तक पहुंचने के लिए, इसने अब देश भर में 14 राज्यों में 70 नेटवर्क हैचरी और 13 राज्यों में 50 बीज (सीड) उत्पादकों को पंजीकृत करके बीज (सीड) के वितरण को मजबूत किया है। एनएफडीबी ने जीआई स्कैम्पी के न्यूक्लियान सीड की आपूर्ति के लिए आईसीएआर–सीफा के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आईसीएआर– सीआईएफए 70000 पीएल जीआई स्कैम्पी बीज (सीड) की आपूर्ति करेगा।

(ii) एनएफडीबी–पूर्वोत्तर क्षेत्रीय केंद्र, गुवाहाटी

एनएफडीबी ने 2014 में गुवाहाटी में पूर्वोत्तर क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना की। एनएफडीबी–एनईआरसी का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में मात्स्यिकी और जलकृषि के विकास के लिए भारत के 8 पूर्वोत्तर राज्यों के साथ समन्वय करना है। केंद्र तकनीकी मार्गदर्शन जागरूकता कार्यक्रमों, प्रशिक्षण, कार्यशालाओं, वित्तीय सहायता आदि के माध्यम से क्षेत्र में मात्स्यिकी विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एनएफडीबी–एनईआरसी ने मात्स्यिकी से जुड़ी 8 एसटी महिलाओं के लिए एक्सपोजर विजिट किया और कोलकाता में 9 से 11 अगस्त 2022 के दौरान उपयुक्त प्रौद्योगिकी और सशक्तिकरण के साथ स्वेधी ज्ञान के सम्मिश्रण पर जलवायु अनुकूल जनजातीय विकास पर भारतीय जैव सामाजिक अनुसंधान एवं विकास संस्थान द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया। वाइब्रेंट नॉर्थ ईस्ट 2022 में एग्री एंड रूरल एक्सपो, इंडस्ट्रियल एक्सपो और नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट मीट का आयोजन 25 से 27 अगस्त 2022 के दौरान वेटरनरी ग्राउंड, खानापारा में आयोजित किया गया। कॉलेज ऑफ फिशरीज (सीएयू–I), लेम्बुचेरा, त्रिपुरा द्वारा सह–भागीदारों के रूप में 13 –16 दिसंबर 2022 के दौरान आरएएसएचआई 2022 का आयोजन किया गया।

वेटनरी ग्राउंड खानपारा में दिनांक 25–27 अगस्त, 2022 को वाइब्रैन्ट नॉर्थ ईस्ट बैठक 2022 में कृषि एवं ग्रामीण एक्सपो, औद्योगिक एक्सपो और नॉर्थ ईस्ट विकास बैठक का आयोजन

5.2 तटीय जलकृषि प्राधिकरण (सीएए)

5.2.1 तटीय जलकृषि प्राधिकरण की स्थापना तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 के तहत की गई थी। प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य जिम्मेदार तटीय जलकृषि पद्धतियों का पालन करते हुए तटीय पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना सतत विकास को बढ़ावा देना और तटीय क्षेत्रों में रहने वाले विभिन्न हितधारकों की आजीविका की रक्षा करना है।

तटीय जलकृषि प्राधिकरण के नियमोंधदिशानिर्देशों में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार तटीय जलकृषि करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए सीएए के साथ अपने फार्मों को पंजीकृत करना अनिवार्य है। पंजीकरण पांच साल की अवधि के लिए वैध है, जिसे समय–समय पर समान अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है। प्राधिकरण द्वारा सभी योग्य तटीय जलकृषि फार्मों के पंजीकरण को सुनिश्चित करने के साथ–साथ निर्धारित दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता शिविरों का आयोजन, समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार आदि जैसे कई उपाय शुरू किए गए हैं।

सीएए को पशुधन आयात अधिनियम, 1898 के तहत दिनांक 15 अक्टूबर 2008 को पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के तहत एग्जोटिक श्रिंप अर्थात एसपीएफ लिटोपेनियस वन्नामेई के वाणिज्यिक परिचय को विनियमित करने का कार्य सौंपा गया था। झींगा उत्पादन तटीय जलकृषि से वर्ष 2008–09 के दौरान 84,000 मीट्रिक टन के स्तर से वर्ष 2021–22 के दौरान 10.2 लाख मीट्रिक टन के स्तर तक बढ़ गया है। तटीय जलकृषि की उपलब्ध क्षमता को देखते हुए इसके और बढ़ने की उम्मीद है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पिछले 10 वर्षों के दौरान, देश में किसी भी अन्य खाद्य उत्पादन क्षेत्र ने जलकृषि जितनी तेजी से विकास दर हासिल नहीं की है।

2008–09 से 2021–22 के दौरान झींगा कृषि उत्पादन

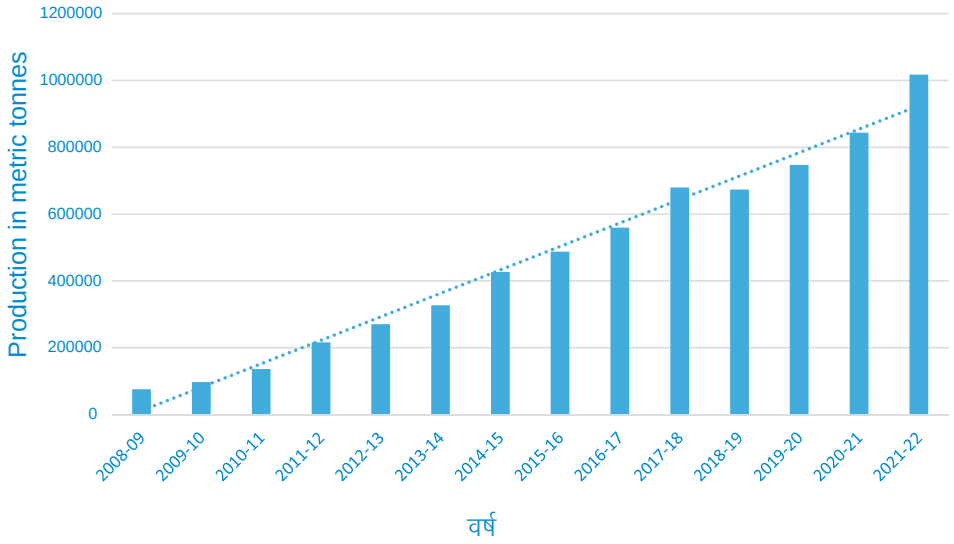

तटीय जलकृषि प्राधिकरण की उपलब्धियां

(जनवरी 2022 – दिसंबर 2022)

सीएए नियमों में संशोधन, 2005

सीएए नियमों, 2005 के अध्याय V, नियम 10 (उप नियम 9) में वर्णित फार्म के पंजीकरण और नवीनीकरण के लिए समुद्री तटवर्ती राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सीएए की सहायता की जाती है। 15 वर्षों के बाद पहली बार सीएए नियमों में संशोधन किया गया था। मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (एमओएफएएचडी) में भारत सरकार ने 15 मार्च 2022 को जीएसआर 216 (ई) के माध्यम से तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) नियम 2022 को अधिसूचित किया है जो पंजीकरण प्रक्रिया को आसान करेगा और किसानों का समर्थन करेगा । जो तटीय जलकृषि फार्मों के पंजीकरण के लिए पूरी की जाने वाली आवश्यकताओं से समझौता किए बिना जलकृषि क्षेत्र के प्रमुख हितधारक हैं। तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) नियम, 2022 की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं। इन संशोधनों से देश में तटीय जलकृषि फार्मों के पंजीकरण की प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है।

i) ऑनलाइन फाइलिंग और आवेदन के प्रसंस्करण का प्रावधान, उप–मंडल स्तरीय समिति (एसडीएलसी) का गठन, पुनर्गठित जिला स्तरीय समिति के साथ राज्य स्तरीय समिति के प्रतिस्थापन तटीय जलकृषि फार्मों के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल करता है।

ii) एसडीएलसी तटीय जलकृषि फार्मों के पंजीकरण के लिए सभी आवेदनों को प्राप्त करने के लिए अधिकृत है, भले ही उनके आकार या जल प्रसार क्षेत्र (डब्ल्यूएसए) की सीमा कुछ भी हो और 5 हेक्टेयर क्षेत्र तक के फार्म के आवेदनों को सीधे सीएए और अन्य को जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) को अनुशंसा करते हैं।

iii) डीएलसी सीएए को 5 हेक्टेयर क्षेत्र से ऊपर के फार्म के आवेदनों की सिफारिश करेंगे, सीएए को आवेदन की सिफारिश करने के लिए डीएलसी में 'कोरम' की आवश्यकता, वैधता अवधि के भीतर पंजीकरण के प्रमाण पत्र के स्वामित्व में बदलाव के प्रावधान और एसडीएलसी/डीएलसी के बिना सीधे नवीनीकरण आवेदनों को संसाधित करने के लिए सीएए को अधिकृत करना सीएए (संशोधन) नियम, 2022 की मुख्य विशेषताएं हैं।

इसके बाद अधिसूचना में, सीएए ने सभी समुद्री राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से एसडीएलसी गठित करने का अनुरोध किया। सीएए ने उन नवीनीकरण आवेदनों पर भी कार्रवाई शुरू कर दी जो सीधे किसानों से प्राप्त हुए थे।

फार्मों का पंजीकरण/नवीनीकरण:

i) 69,526.08 हेक्टेयर (डब्ल्यूएसए – 47,112.84 हेक्टेयर) के कुल कृषि क्षेत्र के साथ कुल 45,113 फार्म एसएलसी/डीएलसी/राज्यों के एसडीएलसी से दिसंबर 2022 तक पंजीकृत किए गए थे। इसमें से जनवरी से दिसंबर 2022 तक 2,405.31 हेक्टेयर (डब्ल्यूएसए–1,615.76 हेक्टेयर) के कुल कृषि क्षेत्र के साथ कुल 1,604 फार्म पंजीकृत किए गए थे।

ii) 24,584 हेक्टेयर (डब्ल्यूएसए–17165 हेक्टेयर) के कुल कृषि क्षेत्र के 1,1871 फार्म के पंजीकरण का नवीनीकरण 2013 से दिसंबर 2022 तक किया गया था। जनवरी से दिसंबर 2022 की अवधि के दौरान, 3,417.7 हेक्टेयर (डब्ल्यूएसए–2359.7 हेक्टेयर) के कुल कृषि क्षेत्र के 1,250 फार्म का पंजीकरण का नवीनीकरण किया गया।

iii) सीएए (संशोधन) नियम, 2022 के अनुसार, सीएए ने अप्रैल 2022 से अपने तटीय एक्वा फार्मों के पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए सीधे किसानों से आवेदन प्राप्त करना शुरू कर दिया । तदनुसार, 380.67 हेक्टेयर (डब्ल्यूएसए – 283. 16 हेक्टेयर) के कुल कृषि क्षेत्र वाले 186 फार्म से आवेदन प्राप्त हुए थे और अप्रैल से दिसंबर 2022 की अवधि के दौरान इन फार्म के पंजीकरण का नवीनीकरण किया गया था ।

तालिका 1 स्थापना के बाद से दिसंबर 2022 तक और जनवरी से दिसंबर 2022 तक तटीय जलकृषि फार्मों का राज्यवार पंजीकरण विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रारंभ से दिसंबर 2022 तक			जनवरी से दिसंबर – 2022 तक		
	फार्म की संख्या	टीएफए	डब्ल्यूएसए	फार्म की संख्या	टीएफए	डब्ल्यूएसए
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	5	23	6	0	0	0
आंध्र प्रदेश	22395	32855	22861	1763	3321	2241
दीव और दमन	12	60	38	0	0	0
गोवा	46	170	121	0	0	0
गुजरात	1111	5166	3683	47	227	176
कर्नाटक	321	468	356	2	2	1
केरल	1489	2984	2055	41	66	49
महाराष्ट्र	312	2322	1474	8	11	8
ओडिशा	12478	14960	9334	666	701	420
पुदुचेरी	81	135	102	5	9	7
तमिलनाडु	2205	6183	4245	233	591	390
पश्चिम बंगाल	4658	4201	2837	0	0	0
कुल योग	**45113**	**69526**	**47113**	**2765**	**4929**	**3293**

हैचरियों/एनआरएचएस का पंजीकरण/किए गए पंजीकरण का नवीनीकरण:

i) कुल 314 एसपीएफ एल. वन्नामेई हैचरी और 183 नौप्लि रीयरिंग हैचरी (एनआरएच) तटीय राज्यों में फैले हुए हैं, एल वन्नामेई के बीज (सीड) उत्पादन के लिए 80,000 मिलियन बीज (सीड) (एनआरएच सहित) की कुल उत्पादन क्षमता के साथ को 2009 से दिसंबर 2022 तक सीएए द्वारा अनुमोदित किया गया था

ii) जनवरी से दिसंबर 2022 की अवधि के दौरान तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में स्थापित कुल 25 हैचरी और 29 एनआरएच का निरीक्षण किया गया और एसपीएफ एल. वन्नामेई के बीज (सीड) उत्पादन के लिए पंजीकरण के लिए प्रक्रिया की गई।

iii) कुल 11,37,000 एल. वन्नामेई ब्रूड स्टॉक को पंजीकृत हैचरी के माध्यम से के आयात करने की अनुमति दी गई थी। जनवरी से दिसंबर 2022 की अवधि के दौरान सूचीबद्ध विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से कुल 2,43,176 कितने ब्रूड्स टॉक का आयात किया गया था

iv) सीएए ने हैचरी और एनआरएच के नवीनीकरण के लिए आवेदन प्राप्त किए और इनका निरीक्षण नामित समिति द्वारा किया गया

v) 11 हैचरी और 22 एनआरएच, जिनके लिए पंजीकरण की वैधता 31 मार्च 2022 को समाप्त हो गई थी, को हैचरी के स्वामित्व पर एक स्व–घोषणा प्रस्तुत करने की सलाह दी गई ताकि निरीक्षण के लिए हैचरी और हैचरी की तत्परता को मान्य किया जा सके, ताकि पंजीकरण के निरीक्षण और प्रक्रिया के नवीनीकरण को शेड्यूल करने के लिए सीएए को सक्षम किया जा सके। तदनुसार, सीएए ने इन इकाइयों से निरीक्षण के लिए हैचरी की स्व–घोषणा और तैयारी प्राप्त की । पंजीकरण के नवीनीकरण की प्रक्रिया के लिए नामित समिति द्वारा सभी 33 हैचरी और एनआरएच का निरीक्षण किया गया है

vi) जनवरी से दिसंबर 2022 की अवधि के दौरान तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में स्थित कुल 6 हैचरी और 5 एनआरएच एसपीएफ पी. मोनोडॉन के बीज (सीड) उत्पादन के लिए पंजीकरण के लिए संसाधित किए गए थे।

vii) डीएलसी, एमपीईडीए और सीबा के सहयोग से सीएए की निरीक्षण समिति ने इस अवधि के दौरान आर्टीमिया नौप्लि केंद्र के पंजीकरण के लिए आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में स्थित एक उत्पादन सुविधा का निरीक्षण किया था।

नवीनीकरण से पहले नामित समिति द्वारा हैचरी सुविधाओं का निरीक्षण

पी. मोनोडॉन के लिए गुजरात के भरूच जिले के जम्बूसर तहसील के देहगाम गांव में मैसर्स वैष्णवी एक्वाटेक की बीएमसी सुविधा का निरीक्षण

12 अप्रैल 2022 को आयोजित संयुक्त सचिव (समुद्री मात्स्यिकी) मत्स्यपालन विभाग (भारत सरकार) के साथ आभासी बैठक के निर्णय के अनुसार और दिनांक 19 अप्रैल 2022 निदेशक, सीबा से प्राप्त पत्र संख्या एसपीए/डीआईआर/3–142 को तकनीकी और निरीक्षण समिति जिसमें सीबा, एनबीएफजीआर के वैज्ञानिक और निदेशक (तकनीकी) के वैज्ञानिक शामिल हैं सीएए, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने 28 अप्रैल 2022 को मैसर्स वैष्णवी एक्वाटेक, देहगाम गांव, जम्बूसर तहसील, भरूच जिला, गुजरात के एसपीएफ श्रिम्प ब्रूडस्टॉक गुणन केंद्र का निरीक्षण किया और रिपोर्ट प्रस्तुत की।

एल. वन्नामेई एसपीएफ पी. मोनोडॉन ब्रूडस्टॉक के विदेशी आपूर्तिकर्ताओं का अनुमोदन

i) सीएए सीआईबीए, एनएफडीबी और एमपीईडीए के परामर्श से आनुवंशिक आधार और रोग की स्थिति के आधार पर एसपीएफ एल. वन्नामेई और एसपीएफ पी. मोनोडॉन ब्रूडस्टॉक के आपूर्तिकर्ताओं को सूचीबद्ध किया। समिति की सिफारिशों के आधार पर, 15 आपूर्तिकर्ता (एसपीएफ एल. वन्नामेई के लिए 13 आपूर्तिकर्ता और एसपीएफ पी. मोनोडॉन के लिए 2 आपूर्तिकर्ताओं) को सीएए द्वारा अनुमति प्राप्त हैचरियों को एसपीएफ ब्रूडस्टॉक की आपूर्ति के लिए सूचीबद्ध किया गया था।

ii) मैसर्स ब्लू जेनेटिक्स, मेक्सिको को 27 अगस्त 2020 को उनकी खेप में आईएचएचएनवी का पता लगाने के लिए पैनल से निलंबित कर दिया गया था। नमूने और परीक्षण के दो साल पूरे होने के बाद मैसर्स ब्लूजेनेटिक्स, मेक्सिको ने निलंबन रद्द करने का अनुरोध किया। तदनुसार, सदस्य सचिव, सीएए की अध्यक्षता वाली तकनीकी समिति ने सदस्यों के साथ मूल्यांकन किया।

iii) सीएए 3 नवंबर 2022 को एसपीएस ब्रूड स्टॉक के विपणन और ब्रूडस्टॉक की आपूर्ति करने की उनकी क्षमता के लिए प्रस्तुतिकरण और फर्म द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों के सत्यापन के आधार पर समिति ने उत्पत्ति, आनुवंशिक आधार, रोग निगरानी, जैव–सुरक्षित सुविधा, प्रदर्शन और उत्पादन विवरण अनुभव का आंकलन किया। समिति ने सुविधा के लाइव वर्चुअल दौरे

के माध्यम से फैसिलिटी का मूल्यांकन भी किया, जिसे प्रस्तुतिकरण के दौरान और तुष्टि पर बनाया गया था। मैसर्स ब्लू जेनेटिक्स, मेक्सिको को भारत में एसपीएफ एल. वन्नामेई ब्रूडस्टॉक और पीपीएल के आपूर्तिकर्ताओं के रूप में फिर से सूचीबद्ध करनेकी सिफारिश की गई।

एंटीबायोटिक मुक्त एक्वा इनपुट के लिए अनुपालन प्रमाणपत्र जारी करना:

सीएए जल निकायों और उनमें पाले गए जीवों और अन्य जलीय जीवन के पारिस्थितिक और पर्यावरणीय संतुलन के स्वस्थ रखरखाव के लिए तटीय जलकृषि आदानों अर्थात् फीड, ग्रोथ सप्लीमेंट और रसायनोंध्दवाओं (एंटीबायोटिक मुक्त) के लिए अनुपालन का प्रमाण पत्र जारी करता है। सीएए ने अब तक आठ श्रेणियों (दिसंबर 2022 तक) में 3,904 एक्वा इनपुट के अनुपालन का प्रमाण पत्र जारी किया है। जनवरी से दिसंबर 2022 की अवधि के दौरान, 94 निर्माताओं के आवेदनों के आधार पर 418 उत्पादों को अनुपालन प्रमाणपत्र जारी किया गया है।

निगरानी और मोनेटोरिंग गतिविधियों

एल. वन्नामेई के अनधिकृत बीज (सीड) उत्पादन के लिए हैचरी के विरूद्ध कार्रवाई की गई

सीएए, मत्स्यपालन विभाग, आंध्र प्रदेश, एमपीईडीए और सीबा के अधिकारियों वाली एक समिति ने 3 फरवरी 2022 को आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले, के यू. कोथापल्ली और थोंडांगी मंडलों में स्थित ग्यारह (11) हैचरी का सरप्राइज(अकस्मात) निरीक्षण किया। टीम ने पांच हैचरियों में एल. वन्नामेई के लार्वा चरणों (जोइया, मैसिस और पीएल) को देखा, जो सीएए के साथ पंजीकृत नहीं थे और उनके पास एल वन्नामेई के बीज (सीड) का उत्पादन करने की अनुमति नहीं थी । समिति ने उपरोक्त हैचरियों के नकली स्टॉक को नष्ट कर दिया। इसके बाद, उन्हें पंजीकरण के लिए आवेदन करने के लिए डीएलसी की मदद लेने की सलाह दी गई।

आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में पी. मोनोडॉन हैचरी पर कार्रवाई की गई

पी. मोनोडॉन के कृत्रिम बीज उत्पादन के लिए आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के मत्स्य विकास अधिकारी के साथ सीएए के अधिकारियों ने 7 से 8 फरवरी, 2022 को आंध्र प्रदेश के नल्लोर जिले के कोठा कोडुरू, वेंकन्नापलेम, मायपादु, कुदिथिपलेम गांवों में स्थित चार पंजीकृत हैचरी का आकस्मक निरीक्षण किया। टीम को तीन हैचरियों में पी. मोनोडॉन के कृत्रिम बीज (सीड) मिले। ब्लीचिंग पाउडर लगाकर सभी स्टॉक को नष्ट कर दिया गया और संचालकों को पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना एलआरटी सेक्शन के सभी पानी को ईटीएस में डालने का निर्देश दिया। इसके अलावा, हैचरी के संचालन को निलंबित करने और उनके प्रदर्शन बैंक गारंटी को लागू करने के लिए पंजीकृत हैचरियों पर कार्रवाई शुरू की गई थी ।

एक्यूएफ में एसपीएफ ब्रूड स्टॉक में ईएचपी का पता लगने पर कार्रवाई

मैसर्स के आपूर्तिकर्ता से 24 दिसंबर 2022 को एल . वन्नामेई की एसपीएफ ब्रूडस्टॉक खेप । कोना बे, हवाई को जलीय संगरोध सुविधा, नीलांकरई, चेन्नई में एंटरोसाइटोजून हेपेटोपेनाई (ईएचपी) के लिए सकारात्मक पाया गया था और सीबा रेफरल प्रयोगशाला द्वारा संक्रमण को मान्य किया गया था। एक्यूएफ की देखरेख और निगरानी के लिए गठित तकनीकी समिति (टीसी) को सीएए द्वारा 29 दिसंबर 2022 को बुलाया गया था और टीसी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, सीएए, सीआईबीए, एक्यूसीएस के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में स्टॉक को हटा दिया गया और जला दिया गया। एआईएसएचए और विदेशी आपूर्तिकर्ता एक ही दिन। इसके साथ ही, 30 दिसंबर 2022 को क्यूबिकल्स को तुरंत खोलने के लिए एक्यूएफ की जैव सुरक्षा का मूल्यांकन करने के लिए पैथोलॉजिस्ट की एक विशेषज्ञ समिति द्वारा दौरा किया गया। विशेषज्ञ समिति की राय के अनुसार, बिना किसी देरी केएक्यूएफ की गतिविधि उसी दिन फिर से शुरू की गई थी।

"संक्रमित स्टॉक को हटाना और एक्यूएफ में विशेषज्ञ समिति द्वारा मूल्यांकन"

पर्यावरणीय मॉनिटरिंग

सीएए के अधिकारियों ने आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और गोवा में स्थित हैचरी और फार्मों का दौरा किया और निम्नानुसार विश्लेषण के लिए हैचरी और फार्म के ईटीएस के डिस्चार्च से पानी के नमूने एकत्र किए। पानी की गुणवत्ता के मापदंडों ने निर्धारित मानकों से कोई भिन्नता नहीं दिखाया।

		फार्म		हैचरी		कुल	
क्र.सं.	राज्य का नाम	मॉनिटोरेड किए गए फार्म की संख्या	एकत्र किए गए नमूनों की संख्या	मॉनिटोरेड की गई हैचरियों की संख्या	एकत्र किए गए नमूनों की संख्या	मॉनिटोरेड	एकत्र किए गए नमुने
1	आंध्र प्रदेश	5838	440	906	61	6744	501
2	गुजरात	713	44	3	0	716	44
3	ओडिशा	1193	119	67	9	1260	128
4	तमिलनाडु	2467	189	150	12	2617	201
5	महाराष्ट्र	336	24	0	0	336	24
6	पश्चिम बंगाल	172	15	3	0	175	15
7	गोवा	44	0	0	0	44	0
	कुल	**10763**	**831**	**1129**	**82**	**11892**	**913**

एंटीबायोटिक अवशेषों की मॉनीटरिंग जनवरी से दिसंबर 2022 की अवधि के दौरानः सीएए के अधिकारियों ने एमपीईडीए के अधिकारियों के साथ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित 197 हैचरी और फार्म का दौरा किया और एनआरसीपी कार्यक्रम के तहत नमूने एकत्र किए।

बैठकों का आयोजन/सहभागिता

सीएए प्राधिकरण की बैठकें: नवगठित प्राधिकरण के सदस्यों के साथ तटीय जलकृषि प्राधिकरण (सीएए) की चार बैठकें 14 मार्च 2022, 3 जून 2022, 22 सितंबर 2022 और 2 दिसंबर 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल मोड में संयोजित की गईं। बैठक की अध्यक्षता सीएए के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अमर सिंह चौहान ने की ।

एक्यूएफ की टीसी बैठक: 5 अप्रैल 2022 को एक्यूएफ के सदस्य सचिव, सीएए सह अध्यक्ष, टीसी की अध्यक्षता में जलीय संगरोध के कामकाज की देखरेख और निगरानी के लिए तकनीकी समिति की बाईसवीं बैठक एक हाइब्रिड मॉडल(भौतिक और ऑनलाइन) के माध्यम से आयोजित की गई थी।

एएचपीएनडी प्रभावित देशों से झींगा ब्रूडस्टॉक के आयात की जांच के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की बैठक

वर्तमान स्थिति में आयात के संभावित जोखिमों का आकलन करने के लिए और सदस्य सचिव सीएए द्वारा बुलाई गई वर्चुअल बैठकों में इस वर्चुअल मुद्दे पर

विचार–विमर्श करके भारत में मोजूदा प्रतिबंध हटाने के मामले में अपनाए जाने वाले उपायों का सुझाव देने के लिए दिनांक 5 जुलाई, 2022 को मत्स्यपालन विभाग के आदेश संख्या 35027/6/2013–मा. (एच एंड डी) पीटी (ई–20392) द्वारा विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। विशेषज्ञ समिति द्वारा रिपोर्ट 19 सितंबर 2022 को भारत सरकार के सचिव (मत्स्यपालन) को समिति के अध्यक्ष डॉ. आई. करुणासागर द्वारा प्रस्तुत की गई थी ।

यूरोपीय आयोग के डीजी–एसएएनटीई द्वारा भारत के ऑडिट की उद्घाटन और समापन बैठक

निर्यात निरीक्षण परिषद, नई दिल्ली ने सीएए को क्रमशः 12 और 29 सितंबर 2022 को निर्धारित यूरोपीय आयोग के स्वास्थ्य और सुरक्षा महानिदेशक (डीजी–सांटे) द्वारा ऑडिट की उद्घाटन और समापन बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। निदेशक (तकनीकी) ने नई दिल्ली में ईआईसी कार्यालय में ऑडिट की उद्घाटन बैठक में भाग लिया और 'तटीय एक्वाकल्चर में रोगाणुरोधी अवशेष नियंत्रण पर तटीय एक्वाकल्चर प्राधिकरण की भूमिका' पर प्रस्तुति दी। सदस्य सचिव, सीएए ने 29 सितंबर 2022 को वर्चुअल आयोजित समापन बैठक में भाग लिया और अपने विचार और टिप्पणियां रखीं।

गुजरात – एनजीटी ओए 476ध्2022 के संबंध में बैठक एवं साइट निरीक्षण

सदस्य सचिव सीएए ने 28 अगस्त 2022 को एनजीटी ओए 476/2022 पर चर्चा के लिए प्रधान कार्यालय, गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गांधीनगर में श्री आरबी बराड (आईएएस), अध्यक्ष– जीपीसीबी द्वारा बुलाई गई बैठक में भाग लिया। इसके बाद 20 सितंबर 2022 को नवसारी जिले, गुजरात में विवादित क्षेत्र का निरीक्षण संयुक्त निरीक्षण समिति द्वारा किया गया था जिसमें सीएए के प्रतिनिधि ने भाग लिया था। यह देखा गया कि जिस भूमि में जलकृषि गतिविधि की जा रही है, वह उक्त उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा आवंटित की गई है और सीएए के साथ पंजीकरण के लिए आवेदन नवसारी की जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) के पास लंबित हैं।

कोचीन, केरल में अध्यक्ष, एमपीईडीए के साथ बैठक: सदस्य सचिव और निदेशक (तकनीकी), सीएए ने 22 अप्रैल 2022 को कोचीन, केरल का दौरा किया और कृषि पंजीकरण, बीज (सीड) उत्पादन, एंटीबायोटिक अवशेष और अन्य मुद्दों के संबंध में एमपीईडीए के अध्यक्ष के साथ चर्चा की। उद्योग के विकास के लिए इन्हें एक सामंजस्यपूर्ण तरीके से संयुक्त रूप से संबोधित करने का संकल्प लिया।

सचिव (मात्स्यिकी) और मत्स्यपालन निदेशक, पश्चिम बंगाल के साथ बैठक: सदस्य सचिव और वरिष्ठ तकनीकी सहायक, सीएए ने 2 नवंबर 2022 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल का दौरा किया और सचिव (मात्स्यिकी), मात्स्यिकी निदेशक और मत्स्यपालन विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ, तटीय एक्वा फार्मों के पंजीकरण और पंजीकरण के नवीनीकरण से संबंधित मुद्दे पर चर्चा की । पश्चिम बंगाल के लिए विशिष्ट विचारणीय बिंदुओं पर ध्यान दिया गया और यह निर्णय लिया गया कि मुद्दों को पारस्परिक रूप से संबोधित किया जाए और राज्य में अधिक जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएं।

जिला स्तरीय समितियों के साथ सहभागिता

सीएए (संशोधन) नियम, 2022 पर उन्मुखीकरण कार्यक्रम

दिनांक 15 मार्च 2022 के जीएसआर 216 (ई) द्वारा अधिसूचित, सीएए (संशोधन) नियम, 2022 में प्रावधानों के कार्यान्वयन के मद्देनजर ,सीएए ने 29 जून 2022 को हाइब्रिड मोड (भौतिक और ऑनलाइन दोनों मोड)के माध्यम से मात्स्यिकी आयुक्त, चेन्नई के कार्यालय में तमिलनाडु के तटीय जिलों में एसडीएलसी और डीएलसी के सदस्य संयोजकों के लिए एक उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया। सदस्य सचिव, सीएए, मात्स्यिकी आयुक्त, तमिलनाडु और निदेशक (तकनीकी), सीएए ने सीएए नियमों में नए संशोधित प्रावधानों के बारे में जानकारी प्रदान किया। बैठक में तमिलनाडु में डीएलसी और एसडीएलसी के सभी संयोजकों ने भाग लिया।

समीक्षा बैठक: 22 दिसंबर 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और गुजरात के तटीय जिलों के एसडीएलसी और डीएलसी के सदस्य संयोजकों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। सदस्य सचिव, सीएए ने सीएए नियमों में नए संशोधित प्रावधानों के बारे में जानकारी प्रदान की है जो तटीय जलकृषि फार्मों के पंजीकरण से संबंधित हैं। इसके अलावा, एसडीएलसी के गठन की स्थिति और एसडीएलसी/डीएलसी में लंबित तटीय जलकृषि फार्मों के पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदनों की स्थिति की समीक्षा की गई।

सीएए अधिनियम (2005) में मसौदा संशोधन की प्रक्रिया

सीएए अधिनियम (2005) में संशोधन की आवश्यकता को समझते हुए मत्स्यपालन विभाग ने वर्ष 2021 में ही कार्रवाई शुरू कर दी और 2022 में इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए विभिन्न गतिविधियों को लागू किया गया। हितधारकों की बैठक आयोजित करने, टिप्पणियों के लिए सार्वजनिक डोमेन में मसौदा रखने, प्राप्त प्रतिक्रियाओं को संकलित करने और तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2022 का मसौदा तैयार करने में पूरे वर्ष सीएए द्वारा सहायता प्रदान की गई ।

सीएए संशोधन अधिनियम के प्रथम मसौदे को विकसित करने के लिए उप–समिति की बैठक: सदस्य सचिव, सीएए की अध्यक्षता में सीएए संशोधन अधिनियम के प्रथम मसौदा को विकसित करने के लिए उप–समिति की बैठक 22 फरवरी 2022 को सीबा, एनसीएससीएम, एमपीईडीए और निदेशक (तकनीकी) सीएए के प्रतिनिधियों के साथ बुलाई गई थी। सीएए द्वारा तैयार किए गए प्रस्तावित संशोधन के एक प्रथम मसौदे पर समिति द्वारा विचार–विमर्श किया गया और सुझाए गए संशोधनों को शामिल किया गया ।

तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2022 का मसौदा तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की बैठक

दिनांक 6 तारीख दिसंबर 2021 के डीओएफ के आदेश संख्या 1903336/4/2021–मा.(ई–19119) द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की बैठक 22 जुलाई 2022 को तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2022 का मसौदा तैयार करने के लिए संयुक्त सचिव (समुद्री मात्स्यिकी) की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बुलाई गई थी। सीबा, एमपीईडीए, एनसीएससीएम के प्रतिनिधियों और आंध्र प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र और गुजरात के मत्स्यपालन विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारियों ने भाग लिया और तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2022 का मसौदा तैयार करने के लिए अपने विचार और सुझाव प्रस्तुत किए।

अंतर्राष्ट्रीय बैठक में भागीदारी

5 से 9 सितंबर 2022 तक रोम, इटली में मात्स्यिकी समिति का 35 वां सत्र

मत्स्यपालन विभाग, सरकार से प्राप्त पत्र के अनुसार, निदेशक (तकनीकी), सीएए ने संयुक्त सचिव (समुद्री मात्स्यिकी) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में 5 से 9 सितंबर 2022 के दौरान रोम, इटली में मत्स्यपालन समिति के 35 वें सत्र में भाग लिया।

अन्य गतिविधियों

9 मई 2022 को शोर मंदिर महाबलीपुरम, तमिलनाडु में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस –2022 के लिए ''योगोत्सव'' का समारोह

मत्स्यपालन विभाग के दिनांक 5 मई 2022, पत्र संख्या ए–43011/27/2022–प्रशासन के अनुपालन में सीएए ने दिनांक 9 मई 2022 को शोर मंदिर, महाबलीपुरम, तमिलनाडु के ऐतिहासिक स्थल पर योगोत्सव–2022 का आयोजन किया।

इस कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी और सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री ने की। माननीय अध्यक्ष, सीएए, अपर मुख्य सचिव, सरकार, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन और मछुआरा कल्याण विभाग, तमिलनाडु सरकार सदस्य सचिव, सीएए, अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, अखिल भारतीय झींगा हैचरी एसोसिएशन, टीएन चौप्टर के प्रतिनिधि और केंद्रीय और राज्य सरकारों के अधिकारियों और हैचरी संचालकों, किसानों, मछुआरों और अधिकारियों सहित लगभग 150 प्रतिभागियों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया।

शोर मंदिर, महाबलीपुरम, तमिलनाडु में मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री के योगात्सव का समारोह

माननीय मंत्री ने प्रतिभागियों को योगा मैट वितरित की। गणमान्य व्यक्तियों के साथ प्रतिभागियों ने मोरारजी देसाई

राष्ट्रीय योग संस्थान के योग प्रशिक्षकों के निर्देशानुसार तट मंदिर, महाबलीपुरम, तमिलनाडु के ऐतिहासिक स्थल पर योग किया।

21 जून 2022 को 8 वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का अवलोकनः सीएए ने कार्यालय परिसर में 8 वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को बड़े उत्साह के साथ मनाया और मैसर्स कृष्णमाचार्य योग मंदिरम, चेन्नई के योग प्रशिक्षक के नेतृत्व में एक योग सत्र आयोजित किया। ।

17 सितंबर 2022 को बेसेंट नगर बीच, चेन्नई में 'अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई' दिवस पर तटीय स्वच्छता अभियान

मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार के दिनांक 26 अगस्त, 2022 के पत्र संख्या 17001/16/2022मा. (ई–19905) के निदेशानुसार एनएफडीबी की ओर से तटीय सफाई पर जागरूकता पैदा करने के लिए सीएए ने चेन्नई के बेसेंट नगर बीच में चेन्नई तटीय सफाई जागरूकता 6के रन 2022 का आयोजन किया। डॉ एल. मुरुगन, माननीय राज्य मंत्री (एमओएस) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी और सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया जिसमें 3000 से अधिक लोगों ने भाग लिया पद्मश्री सुश्री अनीता पॉलदुराई (चेन्नई के प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी) और श्री पुरुषोत्तम, राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी ने इस अवसर की शोभा बढ़ाई । पुरुषों और महिलाओं दोनों श्रेणियों में पहले 10 विजेताओं को विशेष पदक और नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा सभी फिनिशर्स को मेडल और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया।

महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रमों का मनाया जाना

आधिकारिक आदेशों के अनुसार सीएए ने वर्ष के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह, राष्ट्रीय एकता दिवस (राष्ट्रीय एकता दिवस), स्वच्छता ही सेवा अभियान और संविधान दिवस मनाया।

बेसेंट नगर बीच में सफाई जागरुकता, 6 किमी दौड़ 2022 के विजेता

तटीय जलकृषि प्राधिकरण के संबंध में अव्ययित शेष राशि और उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) का विवरण (आंकड़े करोड़ में)

योजना का नाम	31 मार्च, 2022 तक			31 दिसंबर, 2022 तक		
	2019–20 तक देय यूसी	नो ड्यू यूसी	अव्ययित शेष राशि	2020–21 तक देय यूसी	नो ड्यू यूसी	अव्ययित शेष राशि
तटीय जलकृषि प्राधिकरण	-	3	रुपये 0.13	-	-	-

5.3 सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्टल इंजीनियरिंग फॉर फिशरी (सीआईसीईएफ), बेंगलुरु, कर्नाटक ,

5.3.1 परिचय

संस्थान की स्थापना जनवरी , 1968 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ/यूएन) के सहयोग से कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मत्स्यन बंदरगाहों के पूर्व–निवेश सर्वेक्षण (पीआईएसएफएच) के रूप में की गई थी। संस्थान की स्थापना का प्राथमिक उद्देश्य यांत्रिक मत्स्यन जलयानों (एमएफवी) को मात्स्यिकी बंदरगाह सुविधाएं प्रदान करने के लिए भारतीय तट के साथ उपयुक्त स्थलों पर मात्स्यिकी बंदरगाहों के विकास के लिए इंजीनियरिंग और आर्थिक जांच करना और

तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करना था। एफएओ/यूएन सहायता की समाप्ति के बाद, जनवरी 1974 से 2 साल की अवधि के लिए संस्थान को स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी (एसआईडीए) से उपकरण और विशेषज्ञ परामर्श सेवाओं के रूप में तकनीकी सहायता प्राप्त हुई। अगस्त 1983 में, पीआईएसएफएच का नाम बदलकर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्टल इंजीनियरिंग फॉर फिशरी (सीआईसीईएफ) कर दिया गया और इसकी तकनीकी विशेषज्ञता को बाद के वर्षों में और विकसित किया गया और अगस्त 1983 से, संस्थान भारतीय तट के साथ तटीय एक्वाकल्चर फार्म के विकास के लिए एक्वाकल्चर इंजीनियरिंग की आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर रहा है। संस्थान को तटीय जलकृषि फार्मों के विकास के लिए 1986 से 1991 तक उपकरण और सलाहकार के रूप में यूएनडीपी/एफएओ सहायता प्राप्त हुई।

5.3.2 संगठन

संस्थान का नेतृत्व निदेशक द्वारा किया जाता है और तकनीकी और प्रशासनिक कर्मियों सहित अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल स्वीकृत संख्या 47 है। पदों का ब्रेक–अप इस प्रकार है:

समूह	गैर योजना	
	तकनीकी	गैर तकनीकी
क	10	-
ख (राजपत्रित)	03	01
ख (अराजपत्रित	09	02
ग	07	15
कुल	**29**	**18**

एक अंतःविषय टीम जिसमें इंजीनियर और अर्थशास्त्री शामिल हैं, जिनके पास मात्स्यिकी बंदरगाहों, मत्स्य लैंडिंग केंद्रों और खारा पानी झींगा फार्मों के विकास के लिए साइटों की पहचान करने के लिए आवश्यक पूर्व–निवेश अध्ययन करने, तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने, परियोजनाओं के लिए विस्तृत निर्माण योजना बनाने एवं सहायक सुविधाओं में विशेष ज्ञान और विशाल ऑन–फील्ड अनुभव है वे इस संस्थान के रोल पर हैं। संस्थान का संगठन चार्ट नीचे दिखाया गया है।

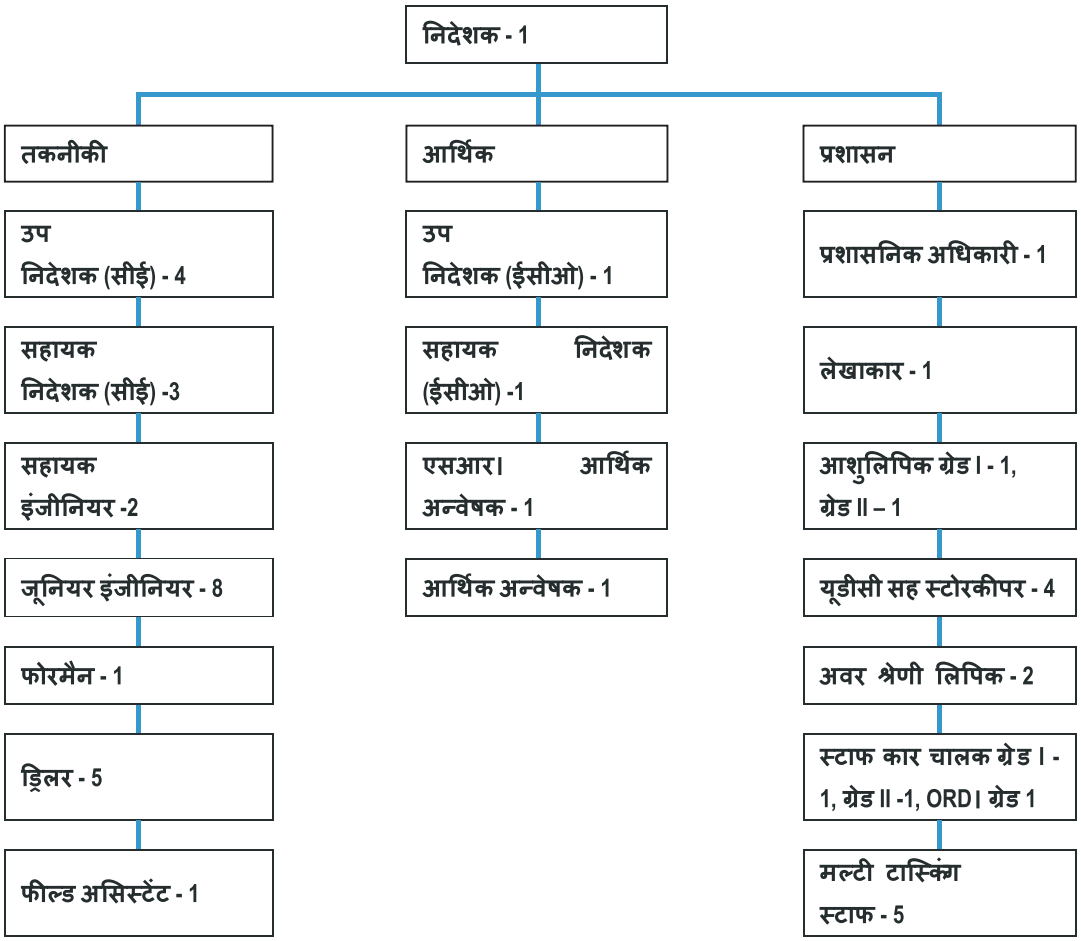

जनादेश

मात्स्यिकी बंदरगाहा/मत्स्य लैंडिंग केंद्रों, तटीय जलकृषि फार्मों और हैचरी के विकास के संबंध में संस्थान के उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

5.3.3 मत्स्यन बंदरगाह

i) मात्स्यिकी बंदरगाहों के विकास के लिए प्राथमिक स्थलों की पहचान करने के लिए पूर्व सर्वेक्षण/पूर्व–व्यवहार्यता अध्ययन करना, विस्तृत इंजीनियरिंग और आर्थिक जांच द्वारा इसका पालन करना और तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करना।

ii) मात्स्यिकी बंदरगाहों के लिए प्रारंभिक निर्माण योजना और सहायक सुविधाएं आदि तैयार करना।

iii) मात्स्यिकी बंदरगाहों और मत्स्य लैंडिंग केंद्रों के विकास के लिए जहां भी आवश्यक हो इंजीनियरिंग और आर्थिक पहलुओं पर तकनीकी सलाह देना।

iv) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के सहयोग से केंद्र प्रायोजित योजना के तहत स्वीकृत मात्स्यिकी बंदरगाह और मत्स्य लैंडिंग केंद्रों के निर्माण की प्रगति की निगरानी करना।

5.3.4 तटीय एक्वाकल्चर फार्म और हैचरी

i) आर्थिक और इंजीनियरिंग जांच करने के लिए, फार्म के लिए उपयुक्त डिजाइन तैयार करना और तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करना।

5.3.5 संस्थान की उपलब्धियां

संस्थान ने मार्च 2022 के अंत तक 104 स्थलों पर जांच की है और मात्स्यिकी बंदरगाहों/मत्स्य लैंडिंग केंद्रों के विकास के लिए 122 (संशोधित सहित) के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार की है।

यूएनडीपी/एफएओ सहायता के दौरान, चार प्रारंभिक खारे पानी के श्रिंप फार्म और एक श्रिंप बीज (सीड) हैचरी विकसित की गई। विश्व बैंक से सहायता प्राप्त श्रिंप कल्चर परियोजना के तहत , संस्थान ने 9640 हेक्टेयर के कुल क्षेत्र को कवर करते हुए 13 स्थलों पर सर्वेक्षण और उप–मृदा की जांच की। 3826 हेक्टेयर के कुल उत्पादक तालाब क्षेत्र को कवर करने वाले 10 स्थलों के संबंध में तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की गई थी। ट्रायल कल्चर ऑपरेशन पश्चिम बंगाल में दीघा, कैनिंग और दिघिरपार और आंध्र प्रदेश में भैरवपलेम में किए गए।

सीआईसीईएफ द्वारा जाँचे गए मात्स्यिकी बंदरगाह स्थलों को दर्शाने वाला मानचित्र

5.3.6 2022–23 के दौरान उपलब्धियां (31 दिसंबर 2022 तक)

5.3.7 तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर)

i) कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के बेलांबर में मात्स्यिकी बंदरगाह के विकास के लिए तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) प्रस्तुत

ii) पश्चिम बंगाल में पुरबा मिदिनीपुर जिले में पेटुआघाट मात्स्यिकी बंदरगाह के आधुनिकीकरण/ उन्नयन प्रस्ताव प्रस्तुत

iii) पश्चिम बंगाल में पुरबा मिदिनीपुर जिले में शंकरपुर मात्स्यिकी बंदरगाह के आधुनिकीकरणध्उन्नयन प्रस्ताव प्रस्तुत

iv) पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में काकद्वीप मात्स्यिकी बंदरगाह के आधुनिकीकरण/उन्नयन प्रस्ताव प्रस्तुत

v) पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में फ्रेजरगंज मात्स्यिकी बंदरगाह का आधुनिकीकरण/ उन्नयन प्रस्ताव प्रस्तुत

5.3.8 पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट

i) केरल में तिरुवनंतपुरम में वलियाथुरा मत्स्य स्थल के लिए पूर्व–व्यवहार्यता रिपोर्ट जारी की

ii) मात्स्यिकी बंदरगाह के विकास के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मायाबंदर साइट के लिए पूर्व–व्यवहार्यता रिपोर्ट जारी की

iii) मात्स्यिकी बंदरगाह के विकास के लिए तमिलनाडु में रामेश्वरम और पुलिकट झील की पूर्व–व्यवहार्यता साइट का दौरा किया गया।

5.3.9 तकनीकी टिप्पणियां और मूल्यांकन

5.3.9.1 तमिलनाडु में निम्नलिखित प्रस्तावों की जांच की गई और तकनीकी टिप्पणियांधसिफारिशें जारी की गईं:

i. नागापट्टिनम जिले में नागापट्टिनम फिशिंग हार्बर का आधुनिकीकरण

ii. तिरुवल्लुर जिले के सत्तनकुप्पम में मत्स्य लैंडिंग केंद्र का निर्माण

iii. सुन्नमबुकुलम तिरुवल्लुर जिले में मत्स्य लैंडिंग केंद्र का निर्माण

iv. विल्लुपुरम जिले के मुधलियारकुप्पम और चेट्टीनगर गांवों में मत्स्य लैंडिंग केंद्र की स्थापना

v. विल्लुपुरम जिले के पुधुकुप्पम और अनीचनकुप्पम गांवों में मत्स्य लैंडिंग केंद्र की स्थापना

vi. कुड्डालोर जिले के चिथिरैपेट्टई और नंजलिंगमपेट्टई गांवों में मत्स्य लैंडिंग केंद्र की स्थापना

vii. कुड्डालोर जिले के सुनामी नगर और अक्कराइगोरी गांवों में मत्स्य लैंडिंग केंद्र की स्थापना

viii. कुड्डालोर जिले के सोथिकुप्पम और रसापेट्टई गांवों में मत्स्य लैंडिंग केंद्र की स्थापना

ix. कुड्डालोर जिले के सोनानकुप्पम गांव में फिश लैंडिंग सेंटर की स्थापना

x. थूथुकुडी जिले में थूथुकुडी फिशिंग हार्बर को अतिरिक्त बुनियादी सुविधाएं (नीलामी हॉल, नेट मेंडिंग शेड, कंपाउंड वॉल ओवर हेड टैंक और यूजी सम्प) प्रदान करना

5.3.9.2 महाराष्ट्र में निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए जांच की गई और तकनीकी टिप्पणियों की पेशकश की गई:

i) महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में जीवना

ii) महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में भरदखोल

iii) महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हरनाई

iv) महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में सखरीनेट

v) महाराष्ट्र के पालघर जिले में सतपती

5.3.9.3 केरल के अलाप्पुझा जिले में आर्थुंगल मात्स्यिकी बंदरगाह के लिए जांच की गई और तकनीकी टिप्पणियों की पेशकश की गई।

5.3.9.4 चालू परियोजनाओं की परियोजना निगरानी/तृतीय पक्ष निरीक्षण।

i) कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़, उडुपी और उत्तर कन्नड़ जिलों में चल रहे मात्स्यिकी संबंधी सभी कार्यों का तृतीय पक्ष निरीक्षण किया गया।

5.3.9.5 मात्स्यिकी बंदरगाहों और मत्स्य लैंडिंग केंद्रो का फील्ड दौरा

i) मरम्मत और नवीनीकरण के लिए प्राक्कलन तैयार करने के लिए गोवा और चेन्नई में एफएसआई कार्यालय भवनों का निरीक्षण किया।

ii) मात्स्यिकी बंदरगाह प्रस्ताव के आधुनिकीकरण के सिलसिले में पारादीप का दौरा किया।

iii) मात्स्यिकी बंदरगाहों के विकास के लिए उपयुक्त स्थलों की पहचान के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का दौरा किया।

iv) सीएमएसी बैठक के दौरान लिए गए निर्णय के अनुसार तमिलनाडु के नगीपट्टिनम जिले में वेल्लापल्लम मात्स्यिकी बंदरगाह स्थल का दौरा किया।

v) मात्स्यिकी बंदरगाह के विकास के लिए पूर्व–व्यवहार्यता अध्ययन के संबंध में केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में वलियाथुरा मत्स्य केंद्र का दौरा किया।

5.3.9.6 सम्मेलन, कार्यशाला और प्रशिक्षण

i) जून 2022 के दौरान एनएफडीबी, हैदराबाद में आयोजित भारत के तटीय राज्यों के लिए एफआईडीएफ और पीएमएमएसवाई के तहत उच्च मूल्य की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की शुरुआत और डीपीआर तैयार करने पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

ii) दिसंबर 2022 के दौरान आईआईटी, मद्रास में आयोजित इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर हाइड्रो–एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग एंड रिसर्च एशिया एंड पैसिफिक डिवीजन की 23वीं सम्मलेन में भाग लिया।

5.3.9.7 विजिटर्स

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार और समुद्रीतटवर्ती राज्योंध्केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारी, जिन्होंने चर्चाओं, निरीक्षणों, बैठकों आदि के लिए इस संस्थान का दौरा किया, उनका विवरण नीचे दिया गया है:

तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक सरकार

i) एफआईडीएफ के तहत प्रस्तावित मात्स्यिकी बंदरगाह परियोजनाओं के विकास के संबंध में राज्य मत्स्यपालन विभाग के इंजीनियरों ने दौरा किया ।

5.3.9.8 वित्तीय

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान सीआईसीईएफ द्वारा 400. 61 लाख रुपये जबकि वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान 31 दिसंबर 2022 तक 372.51 लाख रुपये का व्यय किया गया है।

5.3.9.9 आयोजन

- 21 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया
- संस्थान में 15 अगस्त 2022 को 75वां स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति के उत्साह के साथ मनाया गया।
- हिंदी दिवस 14 सितंबर 2022 को मनाया गया
- सतर्कता जागरूकता सप्ताह 26 अक्टूबर से 1 नवंबर 2022 तक मनाया गया
- 1 नवंबर 2022 को कन्नड़ राज्योत्सव मनाया गया
- 22 नवंबर 2022 को संविधान दिवस मनाया गया
- 16 से 31 दिसंबर 2022 के बीच मनाया गया ।

5.3.9.10 राजभाषा/हिंदी शिक्षण योजना का कार्यान्वयन

भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार संस्थान में राजभाषा के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों के साथ एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया था। समिति ने समय–समय पर बैठक की और आधिकारिक पत्राचार में हिंदी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा की।

श्री एन वेंकटेश प्रसाद, निदेशक	अध्यक्ष
एन.रवि शंकर, उप निदेशक (सीई)	सदस्य
एम.बी.बेलियप्पा, उप निदेशक (सीई)	सदस्य
एन.के. पात्रा, उप निदेशक (अर्थशास्त्री)	सदस्य

संस्थान ने 14 सितंबर 2022 को हिंदी दिवस और 13 से 24 सितंबर 2022 के बीच हिंदी पखवाड़ा मनाया

4.11 तस्वीरें

आधुनिकीकरण प्रस्ताव के लिए पारादीप फिशरी हार्बर का दौरा

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पूर्व–व्यवहार्यता अध्ययन

बिहार में पूर्व–व्यवहार्यता अध्ययन

5.4 केंद्रीय मात्स्यिकी नौचालन, समुद्री और इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान, (सिफनेट)

5.4.1 प्रस्तावना

स्वतंत्रता के बाद भारतीय मात्स्यिकी ने केंद्र और राज्य सरकारों के उचित प्रेरणा और सहायता के साथ उल्लेखनीय तकनीकी विकास देखा है। इस दिशा में क्रांतिकारी परिवर्तनों में से एक उन्नत डीप सी में मत्स्यन जलयानों की शुरुआत थी, जिसके लिए उनके संचालन के लिए योग्य और प्रमाणित कर्मियों की भारी मांग की आवश्यकता थी। मत्स्यपालन उद्योग की मांगों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर उपयुक्त मात्स्यिकी प्रशिक्षण प्रणाली के आयोजन की तत्काल आवश्यकता और महत्व को महसूस करते हुए, मर्चेंट शिपिंग अधिनियम (1958) में निर्धारित डीप सी मत्स्यन जलयानों की वैधानिक मैनिगं आवश्यकताएं और सहायक तट प्रतिष्ठानों के लिए कुशल कर्मियों को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने 1963 में कोच्चि केंद्रीय मात्स्यिकी नौचालन और इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान – सिफनेट) की स्थापना की। संस्थान मूल रूप से वर्ष 1963 में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज ऑपरेटिव्स (सीआईएफओ) के नाम से शुरू किया गया था और बाद में 1976 में इसका नाम बदलकर सिफनेट कर दिया गया। मर्चेंट शिपिंग (संशोधन) अधिनियम 1987 में यह निर्धारित किया गया

कि यांत्रिक प्रणोदन वाले सभी मत्स्यन वाले जलयानों को उचित रूप से प्रमाणित कर्मियों द्वारा संचालित किया जाना आवश्यकता है और मत्स्यन के विविधीकरण और डीप सी मत्स्यन के विकास का प्रभावी कार्यान्वयन तभी हो सकता है। विविध प्रकार के और स्तरीय जलयानों के प्रभावी प्रयोग के लिए समर्थ और पर्याप्त मानवशक्ति हमेशा उपलब्ध हों। तत्पश्चात उपर्युक्त उद्देश्य को पाने के लिए संस्थान की दो इकाइयॉ, एक 1968 में चेन्नई में तथा दूसरा 1981 में विशाखपट्टनम में स्थापित की गई, जिससे देश में प्रशिक्षित मानवशक्ति की बढती मांग को पूरा कर सके।

5.4.2 अध्यादेश

i) महासागरगामी तथा गभीर सागर मत्स्यग्रहण जलयानों के प्रचालन तथा अनुबंधित संस्थापनों के संचालन के लिए तकनीकी मानवशक्ति का सृजन करना ।

ii) मात्स्यिकी संस्थापनों के प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित मानव शक्ति का सृजन करना।

iii) नील क्रांति और प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के दक्षता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत तटीय राज्यों के मछुआरों को प्रशिक्षित करना।

iv) समुद्रवर्ती राज्यों तथा संघ राज्यों से जुडे मछुआरा प्रशिक्षण केंद्रों के संचालन के लिए तकनीकी प्राध्यापकों को प्रशिक्षण देना।

v) मत्स्यन प्रौद्योगिकी के सुधार को त्वरित करने केलिए मत्स्यन यानों, मत्स्यन गियरों तथा उपस्करों पर अध्ययन का आयोजन करना और मछुआरों की उत्पादकता एवं समुद्री मत्स्य उत्पादों की बढोत्तरी के लिए विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान करना।

vi) दक्षिण–पूर्व एशिया, मध्य–पूर्व एवं अफ्रीकी क्षेत्रों के विकासशील राष्ट्रों को समुद्री मात्स्यिकी के विकास केलिए तकनीकी मानवशक्ति सृजित करने में सहायता देना ।

vii) तकनीकी मानवशक्ति अपेक्षिकताओं के विशेष संदर्भ में सभी मामलों में तकनीकी प्रारामर्श सेवाएं प्रदान करना ।

5.4.3 सिफनेट की संगठनात्मक संरचना

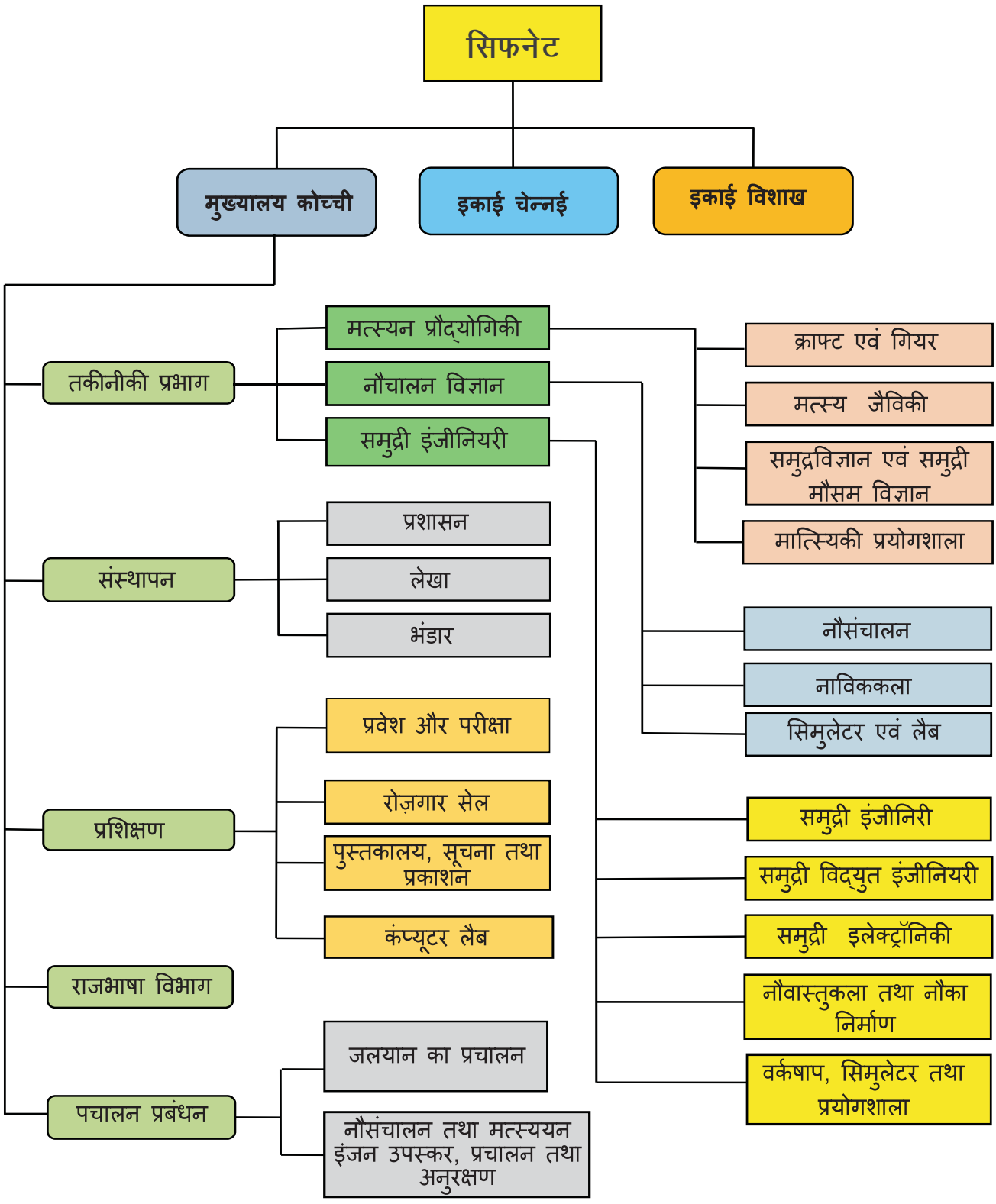

तीनों केंद्रों के अंतर्गत कार्यरत सिफनेट कर्मचारियों की स्थिति का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है।

31 दिसंबर 2022 तक सिफनेट के कुल कर्मचारी, स्वीकृत पद, भरे हुए और रिक्त पद आदि की संख्या

पद की श्रेणी	स्वीकृत शक्ति	भरे गए पद	कुल रिक्त पद
वर्ग क''	40	21	19
वर्ग ''ख'' (राजपत्रित)	6	2	4
वर्ग ''ख'' (अराजपत्रित)	66	27	39
वर्ग ''ग''	167	97	70
कुल	**279**	**147**	**132**

5.4.5 सिफनेट द्वारा संचालित पाठ्यक्रम

संस्थान नीचे बताए अनुसार विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित करता है:

(i) कोच्चीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एण्ड टेक्नॉलजी (कुसाट), कोच्ची से संबद्व तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम बैचलर ऑफ फिशरीज साइन्स (नॉटिकल साइंस

(ii) नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (एनसीवीटी) से संबद्व श्रम मंत्रालय द्वारा अनुमोदित 2 साल की अवधि के दो ट्रेड कोर्स, वेसल नेविगेटर कोर्स (वीएनसी) और मरीन फिटर कोर्स (एमएफसी) ।

(iii) प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के तहत आऊट रीच तथा इन हाऊस कार्यक्रमों के जरिए तटीय राज्यों के मछुआरों के लिए अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम ।

(iv) सहयोगी संगठनों के तथा राज्य सरकार के मात्स्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षक–प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा तट रक्षक अधिकारियों, वी एच एस एस के छात्रों तथा व्यावसायिक कालेज के छात्रों के लिए अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम ।

(v) प्रायोजित उम्मीदवारों के लिए एक वर्षीय अवधि के अनुषंगी पाठ्यक्रम 'षोर मेकानिक पाठ्यक्रम' ।

(vi) उम्मीदवारों की आवश्यकता के अनुसार एलेमेंटरी फिशिंग टेक्नॉलजी पाठ्यक्रम (ई एफ टी सी) तथा एडवांस्ड फिशिंग टेक्नॉलजी पाठ्यक्रम (ए एफ डी सी) नामक दो सांविधिक पाठ्यक्रम का आयोजन किया जाता है। मेट फिशिंग वेसल परीक्षा लिखने के लिए सिफनेट के बाहर के (निजी) उम्मीदवारों के लिए ई एफ टी सी पाठ्यक्रम अनिवार्य है। एम एम डी द्वारा आयोजित स्किप्पर ग्रेड–II परीक्षा लिखने के लिए ए एफ टी सी पाठ्यक्रम अनिवार्य है ।

5.4.5.1 सिफनेट की विद्यार्थी शक्ति

वित्त वर्ष 2022–23 (31 दिसंबर, 2020 तक) के दौरान बीएफएससी, एन.एस. के 143 विद्यार्थी और वीएनसी / एमएफसी के 196 प्रशिक्षुओं और शोर मैकेनिक कोर्स (एसएमसी) के कुल 18 छात्रों ने नियमित पाठ्यक्रमों में भाग लिया।

5.4.5.2 प्रशिक्षण और जलयान लक्ष्य और उपलब्धियां

वित्त वर्ष 2022–23 (दिसंबर 2022 तक) के दौरान प्रशिक्षण और परिचालन मापदंड सहित सिफनेट का निष्पादन नीचे दिया गया है।

वर्ष 2022–2023 (31 दिसंबर, 2022 तक) सिफनेट का प्रदर्शन			
क्र.सं	मापदंड	वार्षिक लक्ष्य 2022–2023	कुल उपलब्धि 31 दिसंबर 2022 तक
1. संस्थान प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए लक्ष्य			
1	स्नातक पाठ्यक्रम में छात्रों की संख्या बी एफ एस सी एसएनएस)	149	143
2	शिल्प पाठ्यक्रम के लिए वेसल नेविगेटर (एनसीवीटी) मरीन फिटर कोर्स में छात्रों की संख्या/कोर्स	240	196
3	अनुषंगी पाठ्यक्रम में छात्रों की संख्या (तट यांत्रिकी पाठ्यक्रम) (मांग के अनुसार)	20	18
4	सांविधिक तथा पुनश्चर्या पाठ्यक्रम (मांग के अनुसार)	10	1
2. अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए लक्ष्य			
5	**अल्पावधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (एसटीसी)**	1400	1172
(क)	मछुआरों के लिए प्रशिक्षण (इन हाउस)		338
(ख)	मछुआरों के लिए विस्तार प्रशिक्षण (आउटरीच)		678
(ग)	अधिकारियों के लिए एसटीसी (तट रक्षक, मत्स्य अधिकारी)		27
(घ)	व्यावसायिक छात्र / वीएचएसएस		129
3. मात्स्यिकी प्रशिक्षण जलयानों के लिए लक्ष्य			
1	समुद्र में डेज आउट	400	291
2	मत्स्यन दिन	320	220
3	मत्स्यन प्रयत्न (घंटे)	1100	695.5
4	मत्स्यन प्रयत्न (हुक)	5000	1725
5	कैच (किग्रा)	14000	17020
6	संस्थागत प्रशिक्षु दिन	2500	1432
7	संस्थानोत्तर प्रशिक्षु दिनों के बाद	3500	2373

दिसंबर 2022 तक सिफनेट के अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सारांश

क्र. सं	प्रशिक्षण कार्यक्रम	कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रतिभागियों की कुल संख्या			कुल
			कोच्चि	चेन्नई	विशाखा पट्टनम	
1	तटीय राज्यों के लिए मछुआरा प्रशिक्षण कार्यक्रम	12	97	338	80	515
2	ट्रूना लांगलाइन पर मछुआरा क्षमता निर्माण प्रशिक्षण	3	71	-	-	71
3	केंद्रशासित प्रदेश अंडमान और निकोबार के लिए मछुआरा प्रशिक्षण	2	74	-	-	74
4	पुडुचेरी संघ शासित प्रदेश के लिए मछुआरा प्रशिक्षण	13	-	396	-	396
5	व्यावसायिक और बीएफएससी छात्र के लिए पाठ्यक्रम।	5	27	-	89	116
	कुल	**35**	**269**	**734**	**169**	**1172**

5.4.5.3 पीएमएमएसवाई योजना के तहत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सिफनेट मछुआरों का प्रशिक्षण

सिफनेट ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मछुआरों के लिए मार्च 2022 से शुरू किए गए मछुआरा प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन जारी रखा। संस्थान ने अप्रैल 2022 के दौरान एफएसएस, कैंपबेल बे और फिश लैंडिंग सेंटर, टीटॉप, कार निकोबार में 74 मछुआरों के लिए दो और बैच आयोजित किए। इस कार्यक्रम के तहत कुल मिलाकर 387 मछुआरों को 10 विभिन्न बैचों के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मछुआरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

5.4.5.4 पीएमएमएसवाई योजना के तहत पुडुचेरी में सिफनेट मछुआरों का प्रशिक्षण

सिफनेट ने पीएमएमएसवाई योजना के तहत 2 नवंबर 2022 को पुडुचेरी के मछुआरों के लिए एक महीने तक चलने वाले कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसका आयोजन मत्स्यपालन विभाग, पुडुचेरी के सहयोग से फिशिंग हार्बर थेंगैथिट्टू में किया गया। 396 मछुआरों ने 2 से 30 नवंबर 2022 की अवधि के दौरान पुडुचेरी के विभिन्न केंद्रों नामतः पुदुचेरी, कराईकल, माहे, यनम में 3 दिनों की अवधि के 13 विभिन्न बैचों में प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।

पुडुचेरी के मछुआरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

5.5.5V. सिफनेट में आयोजित अन्य कार्यक्रम/बैठकें

I. पीएमएमएसवाई के तहत मछुआरों के प्रशिक्षण के लिए सिफनेट और एमपीईडीए–नेटफिश के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू)।

सिफनेट और एमपीईडीए–नेटफिश ने भारत के सभी तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मछुआरा समुदाय के लिए संयुक्त रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। यह पहल मछुआरा समुदाय के सर्वोत्तम हित में की गई है और इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत पर्याप्त कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करके मछुआरा समुदाय के कल्याण और सामाजिक–आर्थिक उत्थान के साथ–साथ संसाधन संरक्षण और पोस्ट–हार्वेस्ट गुणवत्ता प्रबंधन करना है।

13 अप्रैल 2022 को एमपीईडीए, कोच्चि में पीएमएमएसवाई के तहत मछुआरों के प्रशिक्षण के लिए सिफनेट और एमपीईडीए–नेटफिश के बीच समझौता ज्ञापन।

II. केरल में सिफनेट द्वारा मत्स्यन वाली नौकाओं के ओबीएम में एलपीजी की प्रभावकारिता पर प्रायोगिक अध्ययन

मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, सिफनेट ने एलपीजी के साथ 9.9 एचपी और 25 एचपी ओबीएम का उपयोग करते हुए, मैसर्स सूर्य मरीन एनर्जी प्रा. लिमिटेड के एलपीजी किट के साथ लगे ओबीएम का परिचालन परीक्षण किया। ट्रायल 20 अप्रैल से 14 मई 2022 की अवधि के लिए आयोजित किया गया था। सिफनेट के निदेशक और अन्य समन्वय अधिकारियों ने 10 मई 2022 को त्रिवेंद्रम के अंचुथेंगु बीच में साइट का दौरा किया और मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी।

III. 5 जून 2022 को सिफनेट कोच्चि, चेन्नई और विजाग में विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का आयोजन ।

5 जून 2022 को सिफनेट कोच्चि, चेन्नई और विजाग में

विश्व पर्यावरण दिवस 2022 मनाया गया। तीनों केंद्रों के विभिन्न शिक्षण फैकल्टी ने जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण, ओजोन रिक्तीकरण और ग्लोबल वार्मिंग, जीरो अपशिष्ट, ऑनली वन अर्थ, प्रदूषकों का कॉकटेल – सफेद प्रदूषण (प्लास्टिक के टुकड़े) से पीड़ित महासागर, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में सूक्ष्म प्लास्टिक की उपस्थिति जैसे विभिन्न विषयों पर वार्ता की। पोस्टर पर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए संदेश प्रदर्शित करते हुए सिफनेट वाइजाग यूनिट में हार्बर रोड पर एक जुलूस निकाला गया। कार्यक्रम का समापन तीनों परिसरों में पौधरोपण कर के किया गया।

5 जून 2022 को सिफनेट मुख्यालय कोच्चि में विश्व पर्यावरण दिवस 2022 और चेन्नई और वाईज़ेग में दो इकाइयों में समारोह

सिफनेट कोच्चि के संकाय सदस्यों द्वारा पर्यावरण दिवस के विषयों पर प्रस्तुतिकरण

IV. विश्व महासागर दिवस का उत्सव

8 जून 2022 को सिफनेट मुख्यालय कोच्चि में विश्व महासागर दिवस मनाया गया। निदेशक, सिफनेट ने समारोह का उद्घाटन किया जिसमें संकाय सदस्यों ने भाग लिया और एमएफसीध्वीएनसी छात्रों ने महासागरों के महत्व के बारे में कागजात प्रस्तुत किए।

8 जून 2022 को सिफनेट मुख्यालय कोच्चि में विश्व महासागर दिवस समारोह

IV. राष्ट्रीय मात्स्यिकी कृषक दिवस समारोह

11 जुलाई 2022 को सिफनेट, कोच्चि में राष्ट्रीय मात्स्यिकी किसान दिवस का आयोजन किया गया। बीएफएससी और वीएनसी/एमएफसी पाठ्यक्रमों के फैकल्टीज सदस्य और छात्रों ने मत्स्य कल्चर और खेती के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत की।

V. 21 नवंबर 2022 को विश्व मात्स्यिकी दिवस 2022 का समारोह

21 नवंबर 2022 को विश्व मात्स्यिकी दिवस, 2022 मनाया गया। सिफनेट कोच्चि में सिफनेट के निदेशक श्री एके चौधरी ने समारोह का उद्घाटन किया। विषयों पर डॉ बिजुमन केबी, एसआई (एफटी) और श्रीमती अमृतवर्षिणी, प्रशिक्षक एफटी (एफटी) नामक फैकल्टीज द्वारा तकनीकी पेपर प्रस्तुत किया गया था, बीएफएससी/एनएस के छात्रों ने विभिन्न पेपर भी प्रस्तुत किए।

सिफनेट यूनिट, विजाग में, समारोह का आयोजन संस्थान में किया गया जहाँ सभी फैकल्टीज, कर्मचारियों और जलयान कर्मचारियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। वरिष्ठ फैकल्टी सदस्यों ने समुद्री पर्यावरण की रक्षा और

संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता पर विचार साझा किए। वीएनसी/एमएफसी के चयनित प्रशिक्षुओं ने विश्व मात्स्यिकी दिवस के महत्व पर भाषण दिया और भाग लेने वाले प्रशिक्षुओं को उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहित करने और प्रेरित करने के लिए पुरस्कार वितरित किए गए। कार्यालय परिसर से मत्स्यन बंदरगाह तक और वापसी के लिए पोस्टर, बैनर के साथ सभी कर्मचारियों और प्रशिक्षुओं की एक रैली का आयोजन किया गया था ताकि मछुआरा लोगों और हितधारकों के बीच जागरूकता बढ़ाई जा सके।

सिफनेट, कोच्चि में 21 नवंबर 2022 को विश्व मात्स्यिकी दिवस 2022 का समारोह

VII. एनएफडीबी द्वारा दमन संघ शासित प्रदेशों में आयोजित की गई विश्व मात्स्यिकी दिवस, समारोह 2022 में सिफनेट की भागीदारी

सिफनेट 21 नबंवर, 2022 को संघ शासित प्रदेश दमन में एनएफडीबी द्वारा आयोजित विश्व मात्स्यिकी दिवस समारोह 2022 में शामिल हुआ और प्रदर्शनी मैदान में एक स्टाल लगाया। मछुआरों के लिए तेलुगू में सिफनेट अध्ययन सामग्री श्री जतीन्द्र नाथ स्वैन, आईएएस माननीय सचिव मत्स्यपालन विभाग (जीओआई) द्वारा दमन में श्री सागर मेहरा, संयुक्त सचिव (आईएफ एंड ए) और डॉ सुवर्णा, मुख्य कार्यकारी, एनएफडीबी और श्री सौरभ मिश्रा, आईएएस, मत्स्यपालन विभाग, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव संघ शासित प्रदेश की उपस्थिति में जारी की गई।

सिफनेट ने केन्द्र शासित प्रदेश दमन में एनएफडीबी द्वारा आयोजित विश्व मात्स्यिकी दिवस समारोह 2022 में भाग लिया

VIII. स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर – सिफनेट द्वारा स्वच्छ तट सुरक्षित सागर अभियान

मंत्रालय के निर्देश के अनुसार, सिफनेट ने 'स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर स्वच्छ तट सुरक्षित समुद्र' अभियान चलाया। 26 अगस्त 2022 को जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए अधिकारियों, कर्मचारियों और छात्रों द्वारा स्वच्छ तट सुरक्षित समुद्र से संबंधित कैप्शन वाले पोस्टरों और बैनरों के साथ समुद्र तट पर सैर की गई। 17 सितंबर 2022 को कोच्चि में कुझुपिल्ली बीच और चेराई बीच पर समुद्र तट की सफाई का अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में समस्त स्टाफ एवं विद्यार्थियों ने बढ़–चढ़कर भाग लिया।

इस सिलसिले में 12 अगस्त 2022 को सिफनेट कोच्चि में बीएफएससी (एनएस), वीएनसी और एमएफसी के छात्रों के लिए 'स्वच्छ तट सेव सी' (प्लास्टिक से आजादी) विषय पर एक पोस्टर ड्राइंग प्रतियोगिता आयोजित की गई।

17 सितंबर, 2022 को अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस के एक भाग के रूप में, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, हैदराबाद की ओर से तटीय जलकृषि प्राधिकरण, सिफनेट यूनिट चेन्नई और भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण ने ओल्कोट मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल ग्राउंड, बेसेंट नगर, चेन्नई में 'स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर' अभियान के महत्व पर जागरूकता पैदा करने के लिए चेन्नई में 6K रन का आयोजन किया है। डॉ एल मुरुगन, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी और सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार ने इस अवसर की शोभा बढ़ाई और झंडी दिखा कर दौड़ की शुरुआत की।

स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर/''स्वच्छ तट सुरक्षित समुद्र'' अभियान

26 अगस्त 2022 को एर्नाकुलम के कुजिहिपल्ली बीच और चेराई बीच में सिफनेट कोच्चि द्वारा आयोजित स्वच्छ तट सुरक्षित समुद्र से संबंधित पोस्टरों और बैनरों के साथ समुद्र तट पद यात्रा

सिफनेट कोच्चि में 17 सितंबर 2022 को कोच्चि के कुझुपिल्ली बीच और चेरई बीच पर क्लीन कोस्ट सेफ सी बीच क्लीनिंग प्रोग्राम आयोजित किया गया

IX. सिफनेट ने राजभाषा पर संसदीय समिति की बैठक में भाग लिया

राजभाषा पर संसदीय समिति द्वारा त्रिवेंद्रम में 24 सितंबर 2022 को निरीक्षण आयोजित किया गया था। समिति ने सिफनेट मुख्यालय कोच्चि में राजभाषा के कार्यान्वयन के संबंध में रिपोर्ट की समीक्षा की।

X. सिफनेट ने 2 से 31 अक्टूबर 2022 तक 'स्वच्छता पर विशेष अभियान और लंबित मामलों के निपटान 2.0' का आयोजन किया ।

मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, सिफनेट ने 2 से 31 अक्टूबर 2022 तक सिफनेट मुख्यालय कोच्चि और दो इकाइयों में 'स्वच्छता पर विशेष अभियान और लंबित मामलों का निपटान 2.0' पर कार्यक्रम आयोजित किया।

सभी कर्मचारियों और छात्रों को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया गया था और साफ–सफाई के लिए जगह आवंटित की गई है। सफाई कार्यक्रम में सभी स्टाफ सदस्यों और छात्रों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

अभियान के भाग के रूप में, श्री जतीन्द्र नाथ स्वैन, आईएएस, सचिव, मत्स्यपालन, भारत सरकार ने विशेष अभियान 2.0 के संचालन की समीक्षा करने के लिए 20 अक्टूबर 2022 को सिफनेट इकाई विशाखापत्तनम का दौरा किया ।

डॉ. एल. मुरुगन, माननीय राज्य मंत्री (एमओएस), मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने 21 अक्टूबर 2022 को सिफनेट यूनिट, चेन्नई का दौरा किया। माननीय मंत्री ने सिफनेट यूनिट, चेन्नई द्वारा संचालित विशेष अभियान 2.0 गतिविधियों की समीक्षा और सिफनेट, चेन्नई परिसर के सभी स्थानों का निरीक्षण किया।

श्री सागर मेहरा, संयुक्त सचिव (प्रशासन और अंतर्देशीय मत्स्यपालन) मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार ने 29 अक्टूबर 2022 को सिफनेट कोच्चि में आयोजित 'स्वच्छता 2.0 पर विशेष अभियान' का निरीक्षण/समीक्षा करने के लिए सिफनेट, कोच्चि का दौरा किया। संयुक्त सचिव (आईएफ एंड ए) ने सिफनेट, कोच्चि के सभी अनुभागों और पूरे परिसर का निरीक्षण किया। उन्होंने सिफनेट के निदेशक और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। संयुक्त सचिव (आईएफ एंड ए) द्वारा परिसर में एक नारियल का पौधा लगाया गया।

सिफनेट कोच्चि में विशेष स्वच्छता अभियान 2.0

XI. सिफनेट की गरिमामयी यात्रा

1. श्री जतीन्द्र स्वैन, आईएएस, सचिव मत्स्यपालन विभाग ने 20 अक्टूबर, 2022 को सिफनेट इकाई विशाखापत्तनम का दौरा किया

2. डॉ. एल. मुरुगन, माननीय राज्य मंत्री (एमओएस), मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने 21 अक्टूबर 2022 को सिफनेट यूनिट, चेन्नई का दौरा किया

3. श्री सागर मेहरा, संयुक्त सचिव (प्रशासन और अंतर्देशीय मत्स्यपालन), मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार ने 29 अक्टूबर 2022 को सिफनेट, कोच्चि का दौरा किया

4. डॉ. एल. मुरुगन, माननीय राज्य मंत्री, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी तथा सूचना और प्रसारण, भारत सरकार ने 31 दिसंबर 2022 को सिफनेट, कोच्चि का दौरा किया

श्री जतीन्द्र स्वैन, आईएएस, सचिव मत्स्यपालन विभाग ने 20 अक्टूबर, 2022 को सिफनेट इकाई विशाखापत्तनम का दौरा किया।

डॉ. एल. मुरुगन, माननीय राज्य मंत्री (एमओएस), मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने 21 अक्टूबर 2022 को सिफनेट यूनिट, चेन्नई का दौरा किया।

श्री सागर मेहरा, संयुक्त सचिव (प्रशासन और अंतर्देशीय मत्स्यपालन), मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार ने 29 अक्टूबर 2022 को सिफनेट, कोच्चि का दौरा किया।

डॉ. एल. मुरुगन, माननीय राज्य मंत्री, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी तथा सूचना और प्रसारण, भारत सरकार ने 31दिसंबर 2022 को सिफनेट, कोच्चि का दौरा किया

XII. प्रदर्शनी में सिफनेट की भागीदारी

1. सिफनेट ने मेहसाणा गुजरात में 8 से 10 जुलाई, 2022 तक 'गरवी गुजरात' प्रदर्शनी में भाग लिया। सिफनेट ने अपनी गतिविधियों को प्रदर्शित करने के लिए एक स्टाल लगाया है।

2. सिफनेट ने 20 से 24 जून 2022 तक '13वें कृषि मेला 2022', पुरी, ओडिशा में भाग लिया। सिफनेट ने विभिन्न पोस्टरों/मॉडल/प्रदर्शनियों को प्रदर्शित करने के लिए एक स्टाल लगाया है ।

3. सिफनेट ने मत्स्यपालन विभाग, केरल सरकार द्वारा 18 से 21 नवंबर 2022 तक पुथरीकंदम मैदानम, त्रिवेंद्रम में आयोजित 'केरल फिश फेस्ट 2022' प्रदर्शनी में भाग लिया। सिफनेट ने प्रदर्शनी में एक स्टॉल लगाया है।

4. सिफनेट ने देहरादून में 7 से 9 जुलाई, 2022 तक स्टॉल लगाकर 'राइज इन उत्तराखंड 2022 प्रदर्शनी' में भाग लिया

5.5 भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण

5.5.1 परिचय

भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण स्पष्ट अधिदेश के फ्रेमवर्क के अंतर्गत भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) में समुद्री मात्स्यिकी संसाधनों का सर्वेक्षण, मूल्यांकन और मॉनिटरिंग करने के लिए भारत सरकार की नोडल एजेंसी है। संस्थान, 1946 में अपनी स्थापना के बाद से, सतत् उपयोग के लिए समुद्री मत्स्य संसाधनों पर महत्वपूर्ण भू–संदर्भित जानकारी उत्पन्न कर रहा है। इसके अलावा, संस्थान नियमित सर्वेक्षण परियोजनाओं के कार्यान्वयन में भी शामिल है और विभिन्न बाथमीट्रिक क्षेत्रों में संसाधनों

की पहचान करने के लिए विविध प्रायोगिक मत्स्यन का संचालन करता है। एफएसआई को भारतीय जल में टूना पर डेटा एकत्र करने और भारत की राष्ट्रीय रिपोर्ट के रूप में हिंद महासागर टूना आयोग (आईओटीसी) को प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संस्थान कार्यकाल के आधार पर सिफनेट द्वारा प्रायोजित छात्रों को जलयानों पर सर्वेक्षण जलयानों का प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। एफएसआई के पास 11 डीप सी के सर्वेक्षण जलयानों का एक बेड़ा है, 2 मल्टीफिलामेंट टूना लॉन्गलाइनर्स, 2 मोनोफिलामेंट टूना लॉन्गलाइनर्स और 7 स्टर्न संयुक्त अत्याधुनिक तकनीक वाले ट्रॉलर शामिल हैं, जिन्हें संस्थान के जनादेश को पूरा करने के लिए छह मुंबई, मोरमुगाओ, कोचीन, चेन्नई, विशाखापत्तनम और पोर्ट ब्लेयर परिचालन आधारों से तैनात किया जा रहा है।

5.5.2 अधिदेश

मत्स्य क्षेत्र की विकासात्मक गतिविधियों के साथ–साथ राष्ट्रीय और वैश्विक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संस्थान का जनादेश समय–समय पर ट्यून किया जाता है। संस्थान का अधिदेश नीचे दिया गया है:

i) खोजपूर्ण सर्वेक्षण, फिशिंग ग्राउंड का चार्टिंग, भारतीय ईईजेड और आसपास के उच्च समुद्रों में मत्स्य के स्टॉक का आकलन और इसके अलावा राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के अनुरोध पर विशिष्ट सर्वेक्षण

ii) राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सम्मेलनों और समझौतों और अन्य संबद्ध गतिविधियों में निहित मात्स्यिकी प्रबंधन मुद्दों पर सलाह प्रदान करने के लिए डेटा संग्रह और मत्स्य संसाधनों की क्षमता का आवधिक पुनः सत्यापन

iii) भारतीय ईईजेड में मत्स्यन की गतिविधियों को विनियमित करने और जिम्मेदार मत्स्यपालन के लिए आचार संहिता (सीसीआरएफ) को बढ़ावा देने के लिए कोरल रिफ्स सहित, निगरानी, नियंत्रण और निगरानी (एमसीएस) का अनुप्रयोग सहित मात्स्यिकी संसाधनों के सर्वेक्षण की निगरानी करना।

iv) समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादक और संबंधित पहलुओं के लिए डेटा बैंक बनाए रखना और अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए मत्स्य संसाधनों पर जानकारी का प्रसार करना और समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन और संबंधित पहलुओं के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों और मत्स्यपालन मंत्रालय, एएच एंड डी कृषि और किसान कल्याण, भारत सरकार के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करना।

v) पर्यावरण के संरक्षण और समुद्री आवास की पारिस्थितिकी के विशेष संदर्भ में मत्स्यन गियर, सामान और उपकरणों की उपयुक्तता का आकलन।

vi) आनुवंशिक उपकरण और तकनीकों के अनुप्रयोग सहित मत्स्य स्टॉक की पहचान और जैव विविधता अध्ययन।

vii) कारीगर, मशीनीकृत और औद्योगिक क्षेत्रों के लाभ के लिए रिमोट सेंसिंग के अनुप्रयोग सहित समुद्री मात्स्यिकी पूर्वानुमान।

viii) मत्स्यन कार्यकर्ताओं, मछुआरों, मत्स्य अधिकारियों और छात्रों के व्यावहारिक प्रशिक्षण के माध्यम से मानव संसाधन विकास।

5.5.3 विस्तृत विवरण के साथ संस्थान का ऑर्गनोग्राम/संगठनात्मक चार्ट

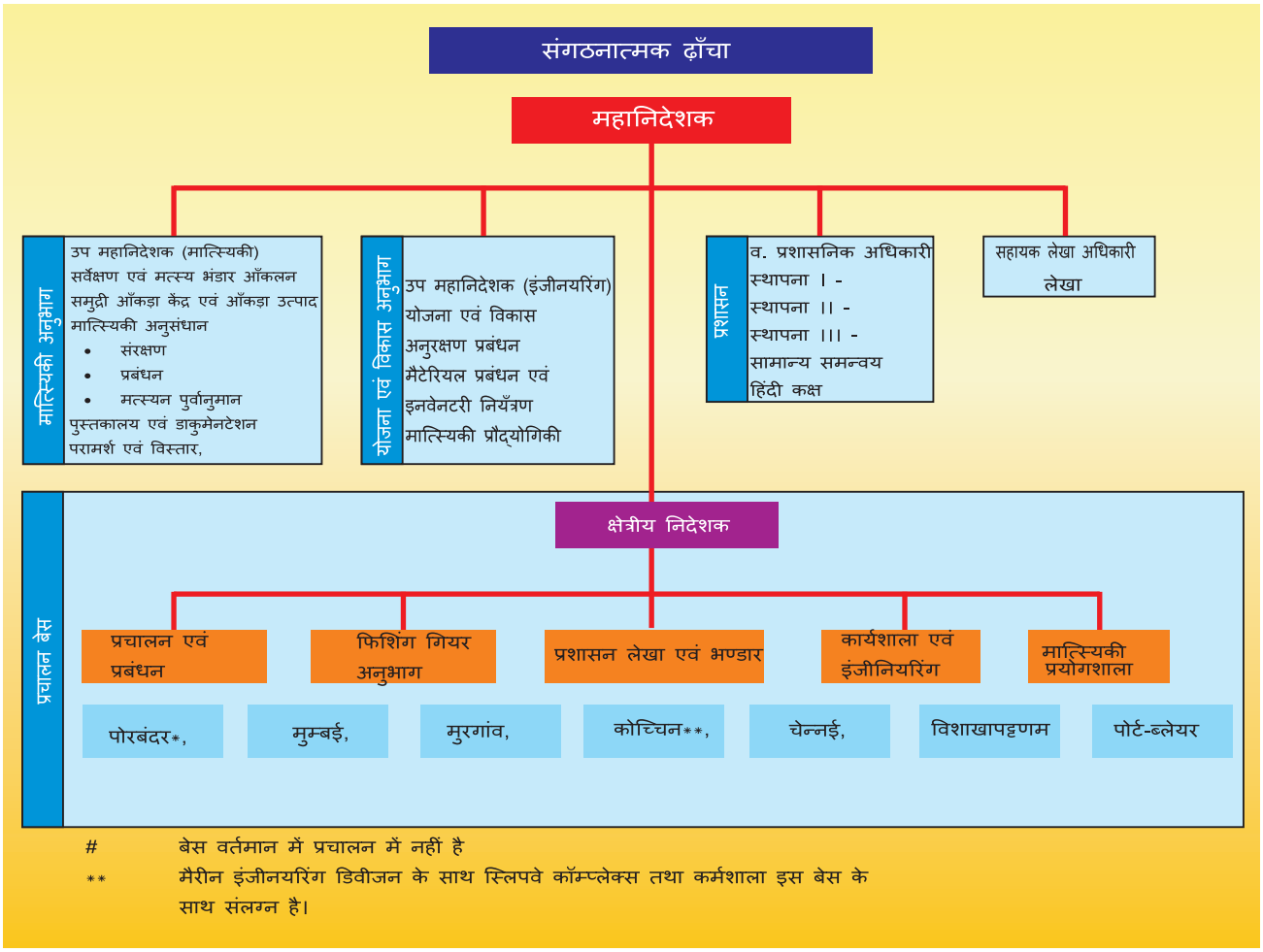

\# बेस वर्तमान में प्रचालन में नहीं है

** मैरीन इंजीनयरिंग डिवीजन के साथ स्लिपवे कॉम्प्लेक्स तथा कर्मशाला इस बेस के साथ संलग्न है।

5.5.4 स्टाफ संख्या (दिसंबर, 2022 तक)

वर्ग	वर्ग	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद
क	वैज्ञानिक	25	11	14
	तकनीकी	16	12	04
	प्रशासनिक	01	01	-
ख	वैज्ञानिक	29	23	06
	तकनीकी	41	21	20
	प्रशासनिक	33	23	10
	फ्लोटिंग	91	23	68
ग	वैज्ञानिक	01	-	01
	तकनीकी	163	66	97
	प्रशासनिक	139	65	64
	फ्लोटिंग	184	38	146
	कुल	**713**	**283 (39.70%)**	**430 (60.30%)**

5.5.6 वर्ष के दौरान लक्ष्यों की तुलना में प्रमुख पहलें और उपलब्धियां

i. सर्वेक्षण जलयानों के लक्ष्य और उपलब्धियां

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान, सर्वेक्षण जलयानों ने 5025 के लक्ष्य के मुकाबले 3025 घंटे (स्तनपायी सर्वेक्षण के 605 घंटे सहित) के कुल मत्स्यन प्रयास का उपयोग करके 1685 के लक्ष्य के मुकाबले 910 मत्स्यन दिन (दिसंबर 2022 तक) हासिल किए। ट्रूना लॉन्गलाइनर्स एक साथ संयुक्त, 3,57,040 के लक्ष्य के मुकाबले कुल 90,495 हुक (दिसंबर 2022 तक) का संचालन किया ।

ii. व्यय

2022–23 में (31.12.2022) तक किया गया व्यय 6,490.32 (रु. लाख में) है

5.5.7 बैठक

i) वर्ष 2021–22 के लिए एफएसआई की परिचालन और वैज्ञानिक गतिविधियों (आरओएसए) बैठक की वार्षिक समीक्षा 18 से 19 अप्रैल 2022 के दौरान एफएसआई के कोचीन जोनल बेस में डॉ. आर. जयबास्करन, महानिदेशक, एफएसआई की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी।

ii) वर्ष 2022–23 के लिए अर्धवार्षिक आरओएसए बैठक 23 नवंबर 2022 को डॉ. आर. जयबास्करन, महानिदेशक, एफएसआई की अध्यक्षता में इसके मुंबई बेस में आयोजित की गई थी ।

iii) एफएसआई के इस कोचीन बेस की सलाहकार समिति की बैठक (सीसीएम) 7 अप्रैल 2022 को डॉ. अदीला अब्दुल्ला आईएएस, मत्स्यपालन निदेशक, केरल सरकार की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी ।

iv) केरला।

अर्धवार्षिक आरओएसए बैठक 23 नवंबर 2022 को मुंबई (मुख्यालय) में आयोजित की गई ।

एफएसआई के कोचीन बेस की सलाहकार समिति की बैठक 7 अप्रैल, 2022 को हुई

5.5.8 वर्ष के दौरान आयोजित कार्यशाला/ओपन–हाउस/संगोष्ठी

विस्तार गतिविधियों के हिस्से के रूप में, एफएसआई के बेसों ने 3 क्षेत्रीय कार्यशालाओं/ओपन हाउस और संगोष्ठी का आयोजन किया। कार्यशाला में मछुआरों, स्कूल/कॉलेज के छात्रों और राज्य के अधिकारियों सहित कुल 300 प्रतिभागियों ने भाग लिया। 2100 आगंतुकों ने ओपन–हाउस से लाभ उठाया जो सर्वेक्षण जलयानों और कार्यालय परिसरों पर आयोजित किए गए थे। विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	एफएसआईबेस	विषय	स्थान और तिथि
1	मोरमुगाओ	''मत्स्यन की आधुनिक तकनीकों'' पर संगोष्ठी	गोवा, 27 अप्रैल 2022
2		''गोवा तट के समुद्री मत्स्य संसाधनः संरक्षण और सतत उपयोग'' पर कार्यशाला	गोवा, 5 मई 2022
3	कोचीन	''भारत के दक्षिण–पश्चिमी तट के समुद्री मत्स्य संसाधन'' पर कार्यशाला	कोचीन, 2 दिसंबर 2022

अप्रैल 2022 को गोवा में "आधुनिक मत्स्यन की तकनीक" पर संगोष्ठी

5 मई 2022 को गोवा में ''गोवा तट के समुद्री मत्स्य संसाधनः संरक्षण और सतत उपयोग'' पर कार्यशाला

2 दिसंबर को कोचिन में ''भारत के दक्षिण पश्चिमी तट के समुद्री मत्स्य संसाधन" पर कार्याशाला

5.5.9 वैज्ञानिक निष्कर्षों की मुख्य टिप्पणियों

एफएसआई ने आईसीएआर–सीआईएफटी (केंद्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान) और एमपीईडीए–नेटफिश (समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान और समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण) के सहयोग से प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के केंद्रीय क्षेत्र योजना घटक के तहत 'भारत में समुद्री स्तनपायी स्टॉक मूल्यांकन' परियोजना शुरू की है। ।

एफएसआई के चेन्नई बेस से जुड़े जलयानों द्वारा किए गए सर्वेक्षण में लगभग 1387 संख्या में। समुद्री स्तनधारियों की उपस्थिति दर्ज की गई। जिन प्रजातियों की पहचान की गई उनमें *स्टेनेला एटेन्यूएट, स्टेनेला*

लॉग्निरोस्ट्रिस, टर्सिओप्स ट्रंकेट्स, ग्रैम्पस ग्रिसस, टर्सिओप्स एडंकस, स्टेनेला कोएरुलेओल्बा और ग्लोबिसफेलस मैक्रोरहिंकस शामिल हैं। कोचीन बेस, मोरमुगाओ बेस और पोर्ट ब्लेयर बेस में क्रमशः 11,08, 845 और 41 समुद्री स्तनधारियों की संख्या दर्ज की।

Survey done by the vessels attached to Chennai Base of FSI

5.5.10 गणमान्य व्यक्तियों का दौरा

i) श्री जतींद्र नाथ स्वैन, आईएएस, सचिव, मत्स्यपालन, भारत सरकार के साथ डॉ (श्रीमती) सुवर्णा के साथ चंद्रप्पागिरी, आईएफएस, मुख्य कार्यकारी, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी), डॉ. अतुल पाटने, आईएएस, मात्स्यिकी आयुक्त महाराष्ट्र और श्री पंकज कुमार, आईएएस, प्रबंध निदेशक, महाराष्ट्र मत्स्य विकास निगम (एमएफडीसी) ने 24 अप्रैल 2022 को एफएसआई, मुंबई (मुख्यालय) और मुंबई बेस का दौरा किया।

ii) एजेन्सी के प्रतिनिधियों का दल फ्रेंकाइस डे डेवलपमेंट (एएफडी), जिसमें श्री ब्रूनो बोसले, सुश्री लुसिया टेरानोवा, सुश्री मैरियन वेलुट, सुश्री अक्षिता शर्मा और सुश्री मौलश्री डागर शामिल हैं उन्होंने 29 जून 2022 को एफएसआई के कोचीन बेस और 30 जून 2022 को मुंबई (मुख्यालय) का दौरा किया ताकि एफएसआई और ब्लू इकोनॉमी के लिए क्षमता निर्माण के लिए फंडिंग सहित सहयोग के तरीकों के बारे में चर्चा की जा सके।

ii) डॉ. जुज्जवरापु बालाजी, आईएएस, संयुक्त सचिव (समुद्री मात्स्यिकी), मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार और श्री शंकर लक्ष्मण, संयुक्त आयुक्त (मात्स्यिकी बंदरगाह), मत्स्यपालन विभाग ने आईएमओ ग्लोलिटर परियोजना और समग्र एफएसआई गतिविधियों की समीक्षा करने के लिए 26 सितंबर 2022 को एफएसआई, मुंबई का दौरा किया ।

iv) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी के लिए माननीय राज्य मंत्री (एमओएस) डॉ. एल. मुरुगन ने 15 जुलाई 2022 को एफएसआई के पोर्ट ब्लेयर बेस से जुड़े एमएफवी ब्लू मार्लिन का दौरा किया।

v) श्री टी. राहुल कुमार रेड्डी आईएएस और सुश्री सर्जना यादव आईएएस, सहायक सचिवों ने 2 अगस्त 2022 को 2020 बैच के आईएएस अधिकारियों के कार्यक्रम के तहत एफएसआई के इस कोचीन बेस का दौरा किया ।

vi) डॉ. अदीला अब्दुल्ला आईएएस, मत्स्यपालन निदेशक, केरल सरकार के श्री साजू,

मत्स्यपालन के संयुक्त निदेशक, एर्नाकुलम जिला, केरल सरकार के साथ 28 सितंबर 2022 को एफएसआई के कोचीन बेस का दौरा किया ।

vii) श्रीमती एस रेश्मी , सहायक निदेशक (राजभाषा), मत्स्यपालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, मत्स्यपालन विभाग ने 29 से 30 अगस्त 2022 के दौरान एफएसआई (मुख्यालय), मुंबई में राजभाषा पर एक निरीक्षण किया।

viii) श्री जतीन्द्र नाथ स्वैन, भारत सरकार के सचिव ने 30 सितंबर 2022 को कार्यों की प्रगति देखने और स्थानीय मछुआरों के साथ चर्चा करने के लिए वर्सोवा पुराने जेटी के साथ–साथ नए नियोजित जेटी का दौरा किया।

ix) श्री जतीन्द्र नाथ स्वैन, आईएएस, सचिव भारत सरकार, मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, नई दिल्ली ने 20 अक्टूबर 2022 को एफएसआई के विशाखापत्तनम बेस का दौरा किया ।

x) डॉ एल मुरुगन, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार ने 21 अक्टूबर 2022 को एफएसआई, चेन्नई का दौरा किया।

xi) श्री सागर मेहरा, माननीय संयुक्त सचिव (अंतर्देशीय मत्स्यपालन और प्रशासन), मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, मत्स्यपालन विभाग ने स्वच्छता विशेष अभियान 2.0 के तहत आयोजित गतिविधियों की समीक्षा करने के लिए 29 अक्टूबर 2022 को एफएसआई के कोचीन बेस का दौरा किया।

xii) श्री शंकर एल. संयुक्त आयुक्त (मात्स्यिकी) भारत सरकार, मत्स्यपालन विभाग ने एफएसआई–एमडीडी की गतिविधियों की समीक्षा करने के लिए 4 नवंबर, 2022 को एफएसआई–समुद्री इंजीनियरिंग डिवीजन के कोचीन बेस का दौरा किया।

xiii) माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय और मंत्रालय के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों के साथ–साथ मंत्रालय के अधिकारियों ने 7 नवंबर, 2022 फिंगर जेटी, मोरमुगाओ हार्बर गोवा में फिंगर जेटी में बर्थ किए गए जहाजों एमएफवी सागरिका और एमएफवी येलो फिन का दौरा किया ।

xiv) माननीय डॉ एल मुरुगन केंद्रीय मत्स्य राज्य मंत्री, एएचएंडडी और सूचना प्रसारण, भारत सरकार के कोचीन मत्स्यन बंदरगाह के आधुनिकीकरण के संबंध में अपनी आधिकारिक यात्रा पर 30 दिसंबर 2022 को कोच्चि पहुंचे।

xv) श्री वी. श्रीनिवास राव, उप सचिव, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, मत्स्यपालन विभाग ने 14 दिसंबर 2022 को एफएसआई के विशाखापत्तनम बेस का दौरा किया। अपनी यात्रा के दौरान, उन्होंने कार्यशाला, जाल मरम्त अनुभाग, स्थापना अनुभाग और विभागीय संग्रहालय का निरीक्षण किया।

फ्रांस दूतावास और फ्रांसीसी विकास एजेंसी (एएफडी) के प्रतिनिधिमंडल ने 30 जून 2022 को एफएसआई, मुंबई का दौरा किया।

माननीय डॉ. एल मुरुगन मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री (एमओएस) ने 15 जुलाई 2022 को पोर्ट ब्लेयर बेस से जुड़े एमएफवी ब्लू मार्लिन का दौरा किया।

श्री जतीन्द्र नाथ स्वैन, आईएएस, सचिव भारत सरकार, मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, नई दिल्ली ने 20 अक्टूबर 2022 को विशाखापत्तनम बेस में एफएसआई अधिकारियों के साथ चर्चा की ।

5.5.11 महत्वपूर्ण घटनाएँ

क. विश्व मात्स्यिकी दिवस

21 नवंबर 2022 को भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण (मुख्यालय) और विभिन्न स्थानों पर इसके सभी बेसों ने विश्व मात्स्यिकी दिवस मनाया। इस अवसर पर 'मात्स्यिकी संसाधनों के सतत उपयोग', 'मत्स्यपालन मूल्य श्रृंखला में सामाजिक जिम्मेदारी', 'सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेज एंड हाइजीनिक हैंडलिंग ऑफ फिश' और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के समुद्री मात्स्यिकी संसाधन सतत वृद्धि प्रबंधन और संरक्षण', 'आंध्र प्रदेश तट के समुद्री मात्स्यिकी संसाधन के मरीन फिशरी रिसोर्सेज' और 'जिम्मेदार मात्स्यिकी के लिए आचार संहिता (सीसीआरएफ) पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। मछुआरों के लाभ के लिए मछुआरा रैलियों और कार्यशालाओं का भी आयोजन किया गया। एफएसआई के ठिकानों (बेसों) ने राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी) द्वारा स्वामी विवेकानंद ऑडिटोरियम, दमन, गुजरात और सीफूड फेस्टिवल में आयोजित कार्यक्रमों में भी भाग लिया।

एफएसआई (मुख्यालय) और आधार कार्यालयों में विश्व मात्स्यिकी दिवस मनाया गया।

एफएसआई (मुख्यालय) और बेस कार्यालयों में विश्व मात्स्यिकी दिवस मनाया गया।

5.5.12 सागर परिक्रमा

सितंबर, 2022 के दौरान माननीय केंद्रीय मंत्री के ''सागर परिक्रमा चरण–2'' नामक कार्यक्रम के लिए पोत मत्स्यवरूष्टि को अभिनियोजित किया गया था जिसका का उद्देश्य मछुआरों, तटीय समुदायों और हितधारकों के साथ बातचीत की सुविधा प्रदान करना है ताकि सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न मत्स्य संबंधी योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी का प्रसार किया जा सके, आत्मनिर्भर भारत की भावना के रूप में सभी मछुआरों, मत्स्य किसानों और संबंधित हितधारकों के साथ एकजुटता का प्रदर्शन करना। राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा और तटीय मछुआरा समुदायों की आजीविका और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा के लिए समुद्री मत्स्य संसाधनों के उपयोग के बीच स्थायी संतुलन पर ध्यान देने के साथ जिम्मेदार मत्स्यपालन को बढ़ावा देना है। जलयान 23 सितंबर 2022 को कार्यक्रम के लिए रवाना हुआ और वह सागर परिक्रमा के दूसरे चरण के पूरा होने के बाद 30 सितंबर 2022 को बंदरगाह पर लौट आया।

सागर परिक्रमा चरण–II के आयोजन में एफएसआई ने भाग लिया।

5.5.13 ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट 2022 में भागीदारी

एफएसआई के मुंबई बेस ने 29 अप्रैल 2022 से 1 मई 2022 तक सरसाना अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र, सूरत, गुजरात में आयोजित ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट 2022 में भाग लिया। आसपास के स्कूलों, कॉलेजों और अन्य संस्थानों के छात्रों सहित 1500 से अधिक लोगों ने हमारे स्टॉल का दौरा किया। उन्हें एफएसआई के काम, संचालित जलयानों और मत्स्यन के विभिन्न तरीकों और एफएसआई द्वारा लोकप्रिय गियर के बारे में जानकारी दी गई।

एफएसआई के मुंबई बेस में सूरत गुजरात में आयोजित ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट 2022 में भाग लिया।

5.5.14 आईएमओ–ग्लोलिटर प्रोजेक्ट

12 से 13 सितंबर 2022 के दौरान एम्बैस्डर होटल, मुंबई में आईएमओ की नेशनल टास्क फोर्स–ग्लोलिटर परियोजना की एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। डॉ. सी. सुवर्णा, आईएफएस, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एनएफडीबी मुख्य अतिथि थे और श्री गोपीकृष्ण सी., डिप्टी डीजी, डीजी शिपिंग कार्यशाला के सम्मानित अतिथि थे। डॉ. एस. सुंदरमूर्ति , ग्लोलिटर परियोजना के राष्ट्रीय सलाहकार , मत्स्यपालन मंत्रालय, विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मत्स्यपालन विभाग और सीआईएफटी,सीएमएफआरआई,एमपीईडीए–नेटफिश जैसे संस्थानों के अधिकारियों ने कार्यशाला में भाग लिया। आईएमओ के दूसरे दिन–ग्लोलिटर प्रोजेक्ट नेशनल टास्क फोर्स वर्कशॉप में डॉ. अतुल पाटने, आईएएस, मात्स्यिकी आयुक्त, महाराष्ट्र और डॉ. रविशंकर सीएन, निदेशक / वाइस चांसलर (कुलपति), सीआईएफई, मुंबई ने शिरकत की।

आईएमओ–ग्लोलिटर प्रोजेक्ट की राष्ट्रीय टॉस्क फोर्स की कार्यशाला मुंबई में आयोजित

5.5.15 राजभाषा गतिविधियां

क. हिंदी पखवाड़ा / कार्यशालाएं

भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, मुख्यालय, मुंबई और इसके बेस कार्यालयों ने 14 सितंबर 2022 को **''हिंदी दिवस''** और 14 से 28 सितंबर 2022 के दौरान **''हिंदी पखवाड़ा''** मनाया। हिंदी पखवाड़े के दौरान, हिंदी निबंध लेखन, हिंदी टिप्पण और आलेखन, राजभाषा पर सामान्य ज्ञान, अंताक्षरी, हिंदी कविता पाठ जैसे विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। आयोजन के दौरान प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए।

एफएसआई के अधिकारियों और कर्मचारियों के लाभ के लिए विभिन्न विषयों पर कुल 15 हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

ख. राजभाषा निरीक्षण

श्रीमती एस रेश्मी, सहायक निदेशक (राजभाषा), मत्स्यपालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, मत्स्यपालन विभाग ने 29 से 30 अगस्त 2022 के दौरान एफएसआई (मुख्यालय), मुंबई में राजभाषा पर एक निरीक्षण किया। उन्होंने एफएसआई (मुख्यालय), मुंबई के अधिकारियों और कर्मचारियों के लाभ के लिए 29 अगस्त 2022 को 'राजभाषा में जांच बिन्दु' पर एक कार्यशाला भी आयोजित की।

ग. बेसों द्वारा प्राप्त हिन्दी पुरस्कार / शील्ड

विशाखापत्तनम में केंद्र सरकार के बीच राजभाषा (हिंदी) के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एफएसआई का विशाखापत्तनम बेस (लगातार दूसरे वर्ष के लिए) दूसरे स्थान पर रहा। वर्ष 2020–2021 के लिए कोच्चि में सभी केंद्र सरकार के कार्यालयों के बीच कोचीन बेस ने राजभाषा कार्यान्वयन के लिए प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। एफएसआई के मोरमुगाओ बेस ने वर्ष 2019–20, 2020–21 के लिए राजभाषा कार्यान्वयन में प्रथम पुरस्कार और वर्ष 2021–2022 के लिए द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया ।

5.5.16 अन्य महत्वपूर्ण घटनाएँ

वर्ष के दौरान एफएसआई (मुख्यालय) और इसके सभी बेसों द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण गतिविधियां और कार्यक्रम आयोजित किए गए। समस्त स्टाफ सदस्यों ने सभी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया।

क्र.सं.	विषय / घटना	तारीख
1	अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस	22 जून 2022
2	सतर्कता जागरूकता सप्ताह	31 अक्टूबर 2022 से 6 नवंबर 2022 तक
3	स्वच्छता ही सेवा अभियान / स्वच्छता भारत पखवाड़ा **स्वच्छ सुरक्षित सागर अभियान**	2–31 अक्टूबर 2022 17 सितंबर 2022
5	राष्ट्रीय एकता दिवस	31 अक्टूबर 2022
6	संविधान दिवस	26 नवंबर 2022

एफएसआई (मुख्यालय) और इसके बेस कार्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह

एफएसआई (मुख्यालय) और इसके बेस कार्यालयों में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया

स्वच्छता ही सेवा अभियान/स्वच्छ भारत पखवाड़ा और स्वच्छ सुरक्षित समुद्र अभियान कार्यक्रम मुंबई (मुख्यालय) और बेस कार्यालयों में आयोजित किया गया

एफएसआई (मुख्यालय) और इसके बेस कार्यालयों में संविधान दिवस मनाया गया

5.6 राष्ट्रीय मात्स्यिकी पोस्ट–हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण संस्थान (निफेट)

5.6.1 परिचय

निफेट कैंपस

एकीकृत मत्स्य परियोजना, निफेट के फोरेरनर की स्थापना वर्ष 1952 में क्विलोन में इंडो–नॉर्वेजियन प्रोजेक्ट के रूप में भारत, नॉर्वे और यूएनडीपी की सरकारों के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते परिणाम के रूप में की गई थी। मूल उद्देश्य क्षेत्र और समुदायों को विशेष रूप से मात्स्यिकी में विकसित करना था। नार्वे के विशेषज्ञों के साथ परियोजना का मुख्यालय 1963 में कोच्चि में स्थानांतरित कर दिया गया था। इस क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव के कारण, बाद के वर्षों में केरल के कन्नूर, कर्नाटक के कारवार और तमिलनाडु मंडपम में परियोजना की समान इकाइयों की स्थापना देखी गई। 1972 में संबंधित राज्य सरकारों को सौंपे जाने तक इन इकाइयों ने अपनी गतिविधियाँ जारी रखीं ।

कोच्चि में परियोजना का क्रियान्वयन भारत सरकार द्वारा ले लिया गया और इसका नाम बदलकर एकीकृत मात्स्यिकी परियोजना (आईएफपी) कर दिया गया और इसने कृषि मंत्रालय के तहत केंद्र सरकार की योजना के रूप में कार्यक्रम जारी रखा। भारत सरकार ने भारतीय मात्स्यिकी के विकास में परियोजना की गतिविधियों और मात्स्यिकी उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में विकास गतिविधियों के लिए इसकी स्थायी आवश्यकता को पहचानते हुए, 26दिसंबर 1974 से एकीकृत मत्स्य परियोजना को एक स्थायी संगठन के रूप में घोषित किया। तत्पश्चात परियोजना के कार्यक्रमों और नीतियों को विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के तहत तैयार और कार्यान्वित किया गया था।

2005 में कैडर समीक्षा समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार आईएफपी के जनादेश को कृषि मंत्रालय द्वारा पुनर्निर्धारित और पुनर्परिभाषित किया गया था। परिणामस्वरूप, प्रसंस्करण, विपणन और प्रशिक्षण प्रभाग, प्रशीतन और सिविल इंजीनियरिंग अनुभागों को आईएफपी में बनाए रखा गया जबकि अन्य प्रभागों को कृषि मंत्रालय के अधीन अन्य अधीनस्थ कार्यालयों अर्थात् भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण (एफएसआई) और केंद्रीय मात्स्यिकी नौचालन इंजीनियरिंग और प्रशिक्षण संस्थान (सिफनेट) में स्थानांतरित कर दिया गया था। भारत सरकार ने दिनांक 3 मई 2008 की राजपत्र अधिसूचना संख्या एसओ 937 के अनुसार आईएफपी का नाम बदलकर राष्ट्रीय मात्स्यिकी पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण संस्थान (निफेट) कर दिया।

5.6.2 मिशन और जनादेश

i) पोस्ट हार्वेस्ट तकनीक का उन्नयन और परामर्श, जॉब वर्क और प्रशिक्षण के माध्यम से ग्रामीण मछुआरा समुदाय, लघु उद्योग, निर्यात प्रसंस्करण घरों और छात्रों जैसे लाभार्थियों को इसका हस्तांतरण

ii) कम मूल्य, अपरंपरागत और मौसम में प्रचुर मात्रा में मत्स्यों सहित मत्स्य की सभी किस्मों की प्रक्रिया और उत्पाद विविधीकरण के माध्यम से मूल्य वर्धित उत्पादों का विकास

iii) फसलोत्तर प्रौद्योगिकी, प्रशीतन प्रौद्योगिकी, गुणवत्ता नियंत्रण और मूल्य वर्धित उत्पादों में प्रशिक्षण प्रदान करना

iv) मत्स्य प्रसंस्करण में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों/महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों के लिए परामर्श सेवाएं और प्रशिक्षण प्रदान करना, स्थानीय मत्स्य किसानों, मछुआरा समुदाय के स्वयं सहायता समूहों, पंचायती राज संस्थानों के तहत कार्यरत मछुआरा सहकारी समितियों का समर्थन करना

v) कम मूल्य, अपरंपरागत प्रजातियों और मौसम में प्रचुर मात्रा में मत्स्यों सहित मत्स्य की किस्मों से मूल्यवर्धित उत्पादों का सार्वजनिकिकरण और परीक्षण विपणन

vi) नए क्षेत्रों में मूल्य वर्धित उत्पादों की लोकप्रियता

और परीक्षण विपणन के माध्यम से गतिविधियों का विस्तार और सभी राज्यों में चरणबद्ध तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों पर अतिरिक्त ध्यान देने के साथ चरणबद्ध तरीके से सभी राज्यों में बाजार विकसित करना और उद्यमियों को समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में प्रवेश करने के लिए उत्साहित करना।

5.6.3 अनिवार्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजनाएं

i) पोस्ट हार्वेस्ट के क्षेत्र में नई पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं की शुरूआत के लिए योजनाएं।

ii) संवर्धित उत्पादन प्रक्रिया के अनुरूप राज्य के साथ–साथ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के बाहर उपभोक्ताओं के बड़े हिस्से को कवर करने के लिए संस्थान के मार्केटिंग प्रयासों की पहुंच बढ़ाने की योजनाएं।

iii) फसलोत्तर क्षेत्र में मात्स्यिकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी में मानव संसाधन विकास गतिविधियों के लिए योजनाएँ ।

iv) ग्रामीण उपयुक्त प्रौद्योगिकी डिजाइनिंग और प्रसार केंद्र की स्थापना के लिए योजना ।

v) परामर्श सेवाओं और जॉब वर्क के माध्यम से लघु उद्योगों, निर्यात घरों और मछुआरिन समूहों को सहायता प्रदान करने की योजना।

vi) केनेड/ड्राइड/पिक्कल/बैटर और ब्रेडेड मत्स्य जैसे नए उत्पादों के विकास से संबंधित विभिन्न अनुसंधान कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए प्रयोगशाला को मजबूत करने की योजना।

vii) पीएमएमएसवाई के तहत प्रमुख घटकों के कार्यान्वयन के लिए रणनीतिक इनपुट और समर्थन का विस्तार करना

5.6.4 2022–23 के दौरान प्रमुख गतिविधियां और प्रदर्शन

1. प्रसंस्करण अनुभाग

यह अनुभाग क्रम संख्या 1 और 2 में उल्लिखित अधिदेशों को पूरा करता है। 1 और 2।

फिश स्लाइसिंग प्रसंस्करण हॉल

यह अनुभाग राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उच्च गुणवत्ता और आर्थिक रूप से व्यवहार्य, उपभोक्ता के अनुकूल और सुविधाजनक फ्रोजन उत्पादों जैसे कि विभिन्न किस्मों, स्लाइस, ड्रेस्ड मछलियों और मत्स्य कीमा से आईक्यूएफ होल मत्स्य के निरंतर उत्पादन पर जोर देता है,

बेट्रेड एवं ब्रेडेड उत्पादों की तैयारी

फिश कटलेट, फिश पिकल, फिश वेफर, फिश मिक्सचर और फिश करी आदि जैसे विविध मूल्य वर्धित उत्पाद के विकास के लिए वॉक–इन कूलर, साइलेंट कटरध्चॉपर,

मॉडिफाइड एटमॉस्फियर पैकेजिंग (एमएपी) मशीन और चेस्ट फ्रीजर से सुसज्जित प्लांट में पायलट स्केल किचन के साथ उपरोक्त सुविधा का उपयोग नए उत्पादों के अनुसंधान, विकास और मानकीकरण के लिए किया जाता है।

टूना केनिंग ऑपरेशन

निफेट के कैनिंग प्लांट में प्री–कुकिंग चौंबर, एग्जॉस्टिंग चैंबर, डबल सीमिंग मशीन, स्टरलाइजेशन चैंबर/काउंटर प्रेशर ऑटोक्लेव और बॉयलर जैसी मशीनरी हैं। इन सुविधाओं के भीतर, तेल में टूना, पानी में डाइट टूना, तेल में टूना फ्लेक्स, तेल में मैकेरल, रिटोर्ट पाउच आदि जैसे तैयार उत्पादों के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

ताजा मत्स्य निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए प्रचार और विपणन उपाय के रूप में सूखे पट्टे के आधार पर देश से मत्स्य और मत्स्य उत्पादों का निर्यात करने वाले उद्यमियों को टूना प्रसंस्करण संयंत्र उपलब्ध कराया जाता है।

टूना लॉइन की तैयारी

वित्त वर्ष 2022–23 (31 दिसंबर 2022 तक) के दौरान निफेट द्वारा कुल 81.75 टन कच्चे माल (9.810 टन उत्पाद को आगे मूल्यवर्धन के लिए उपयोग किया गया) को संसाधित किया गया था। 61.60 टन विभिन्न फ्रोजेन उत्पादों, सूखे उत्पादों और मूल्य वर्धित उत्पादों और कैंड उत्पादों का विकास किया गया।

2. **विपणन अनुभाग:** यह अनुभाग उत्पाद विकास और प्रशिक्षण गतिविधियों के संबंध में विकसित उत्पादों का परीक्षण विपणन करता है दूसरों की तुलना में निफेट की विशिष्टता पायलेट स्केल उत्पादन और परीक्षण विपणन सुविधाएं हैं। यह उन्नत संस्करण प्रयोगशाला स्तर से अनुप्रयुक्त अनुसंधान के बराबर है जो वास्तविक व्यावसायिक उत्पादन स्तर पर आसानी से दोहराया जा सकता है। प्रशिक्षुओं के अलावा मछुआरिन, एसएचजी और विश्वविद्यालय के छात्रों दोनों को उत्पादन के दौरान बड़ी मात्रा में कच्चे माल को संभालने में शामिल जटिलताओं से अवगत कराया जाता है। परीक्षण विपणन अनुभाग के माध्यम से प्राप्त उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया उत्पादों के निरंतर सुधार में भी सहायता करती है। इन सभी गतिविधियों के लिए कच्चा माल विपणन अनुभाग द्वारा विभाग के जलयानों और मछुआरा सहकारी समितियों से लैंडिंग के माध्यम से प्राप्त किया जाता है।

इस वर्ष के दौरान, कोच्चि और विशाखापत्तनम इकाई में मछुआरा सहकारी समितियों और विभाग के जलयानों से कुल 134.54 टन (दिसंबर 2022 तक) उतरा।

कुल 129.43 टन (31 दिसंबर 2022 तक) मत्स्य और मत्स्य उत्पादों का परीक्षण एर्नाकुलम स्टॉल, पलाई स्टॉल, डीलर्स और विशाखापत्तनम इकाई के माध्यम से किया गया और इससे 103.46 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।

3. प्रशिक्षण अनुभाग

यह अनुभाग उपरोक्त अनुभागों में उल्लिखित अधिदेश के संबंध में गतिविधियाँ करता है। एक व्यापक परिप्रेक्ष्य के लिए, इस खंड में विश्वविद्यालय/कॉलेज के छात्र और महिला मछुआरा स्वयं सहायता समूह (संयंत्र और ऑन–साइट के रूप में संचालित) के दो अलग–अलग लक्षित समूह हैं।

4. मात्स्यिकी पोस्ट–हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी में ऑन–जॉब प्रशिक्षण

निफेट मुख्यालय, कोच्चि और विशाखापत्तनम ने देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के 52 बैचों में 611 छात्रों के लिए ऑन–जॉब प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है और रिपोर्ट अवधि के दौरान कुल 5.35

लाख का राजस्व प्राप्त किया। प्रशिक्षुओं को पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं में व्यावहारिक अनुभव दिया गया। भाग लेने वाले विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की सूची नीचे सूचीबद्ध है:

महाविद्यालयों ने भाग लिया	विषय	बैचों की संख्या	कुल	प्रशिक्षु दिन	आय
अन्नामलाई विश्वविद्यालय, तमिलनाडु	बीएफएससी	3	60	316	60000
एमईएस अस्माबी कॉलेज, त्रिशूर, केरल	बी. वॉक. मत्स्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी	3	33	238	31000
धनलक्ष्मी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, त्रिची, तमिलनाडु	बी.टेक. फूड टेक्नॉलोजी	3	12	97	12000
सेंट अल्बर्ट कॉलेज, एर्नाकुलम, केरल	एमएससी एप्लाइड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर	4	68	562	73000
कुरियाकोसग्रेगोरियस कॉलेज, पम्पाडी, केरल	बीएससी खाद्य विज्ञान और गुणवत्ता नियंत्रण	1	6	42	6000
एमईएस पोन्नानी, कॉलेज, मलप्पुरम, केरल	एमएससी एक्वा और फिशरी माइक्रोबायोलॉजी	2	34	287	34000
वीएनएस कॉलेज, कोन्नी, केरल	बीएससी औद्योगिक सूक्ष्म और जीव विज्ञान	2	35	263	35000
फातिमा माथा नेशनल कॉलेज, कोल्लम, केरल	एम.एससी जूलॉजी	1	1	8	1000
कुफोस, पानागड, कोच्चि, केरल	एमएफएससी.फिश प्रोसेसिंग	4	16	118	16000
विमला कॉलेज, त्रिशूर, केरल	बी. वॉक खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी	1	1	8	1000
कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कोच्चि, केरल	एमएससी माइक्रोबाईलोजी	1	1	8	1000
सिफनेट, कोच्चि, केरल	बीएफएससी	3	11	83	11000
मदुरै कामराज विश्वविद्यालय, तमिलनाडु	एमएससीसमुद्री जीव विज्ञान	1	3	21	3000
करुणा विश्वविद्यालय, केरल	एमएससी खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी	1	5	35	5000
कालीकट विश्वविद्यालय, मलप्पुरम, केरल	एमएससी खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी	1	31	155	32000
निफ्टेम, हरियाणा	बी. टेक. खाद्य प्रौद्योगिकी और प्रबंधन	1	1	9	1000
सेंट थॉमस कॉलेज, पलाई, केरल	बी. वॉक. खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी	1	7	56	7000
एमईएस अस्माबी कॉलेज, त्रिशूर, केरल	बी. वॉक. मत्स्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी		5	40	5000
केरल विश्वविद्यालय,	एमएससी जलीय जीव विज्ञान और मत्स्यपालन	1	16	144	16000
अनुसूचित जनजाति। टेरेसा कॉलेज, एर्नाकुलम, केरल	बी. वॉक खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी	1	20	100	20000

महाविद्यालयों ने भाग लिया	विषय	बैचों की संख्या	कुल	प्रशिक्षु दिन	आय
आशुतोष कॉलेज, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	बीएससी औद्योगिक मत्स्य और मात्स्यिकी	2	43	386	43000
लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, पंजाब	एमएससी माइक्रोबायोलॉजी	1	2	20	2000
एसएन कॉलेज, चेरथला, केरल	एमएससी जीव विज्ञान	1	6	30	6000
एसएन कॉलेज नटिका, केरल	बीएससी खाद्य प्रसंस्करण और सुरक्षा	1	8	40	8000
टीके माधव मेमोरियल कॉलेज, अलापुझा, केरल	बीएससी जूलॉजी	1	24	112	24000
सेंट जोसेफ कॉलेज फॉर वुमेन, विशाखापत्तनम, एपी	बीएससी सीबीटी	1	36	504	36000
सेंचुरियन यूनिवर्सिटी, ओडिशा	बीएफएससी	1	1	14	1000
नियोतिया विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल	बीएफएससी	1	1	14	1000
सेंट जोसेफ महिला कॉलेज, विशाखापत्तनम, एपी	बीएससी सीबीटी	1	36	360	
डॉ. वीएस कृष्णा कॉलेज, विशाखापत्तनम, एपी	बीएससी वॉक. एक्वाकल्चर	1	25	325	25000
आरडीएस कॉलेज, बिहार	बीएससी औद्योगिक मत्स्यपालन	1	2	26	2000
डॉ. एल. बुल्लाया कॉलेज, विशाखापत्तनम, एपी	बीएससी (सीबीजेड)	1	20	220	20000
श्री वेंकटेश्वर पॉलिटेक्निक कॉलेज, तमिलनाडु	मात्स्यिकी पॉलिटेक्निक	1	3	33	
कुल		**49**	**575**	**4674**	**540000**

मूल्य संवर्धन पर व्यावहारिक प्रशिक्षण

प्रशीतन उपकरणों से प्रशिक्षुओं का परिचय

माइन्स मिट की पैकेजिंग

मूल्य संवर्धन तकनीकी सत्र

मूल्य संवर्धन तकनीकी सत्र

तिरुवंतपुरम में मछुआरा महिलाओं के लिए संवर्धन उत्पादन विकास पर प्रशिक्षण

डीएचएएन फाउंडेशन, विशाखापत्तनम प्रशिक्षण के दौरान, प्रतिभागियों को सी–फूड जैसी अत्यधिक खराब होने वाली वस्तु को संभालने के दौरान स्वच्छता से निपटने के महत्व के बारे में बताया गया। प्रशिक्षुओं को कटलेट, पिकल, वेफर्स, मिक्सचर, फिंगर्स, रोल्स, समोसा, फिश करी, फिश पोलीचाथु , मसालों के साथ सूखे प्रॉन, प्रॉन चटनी पाउडर, आदि जैसे विभिन्न समुद्री खाद्य मूल्य वर्धित उत्पादों के उत्पादन की जानकारी भी दी गई।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान तैयार किए गए मूल्य वर्धित उत्पाद

फिश कटलेट

फिश करी

फिश समोसा

फिश फिंगर

फिश रोल

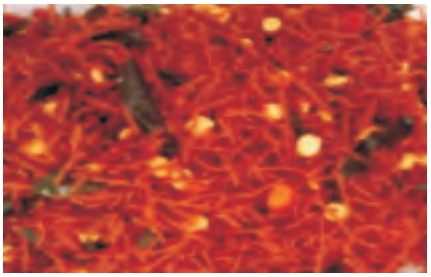

फिश मिक्चर

विकास (वीएपी) प्रशिक्षण नीचे सूचीबद्ध है:

प्रायोजन एजेंसियां	संख्या	प्रशिक्षु दिन	राजस्व (रु)
सेंट जेवियर्स कॉलेज, वैकोम	13	26	13000
टीएसएसएस, तिरुवनंतपुरम	23	69	4600
निफाम	30	90	30000
टीएसएसएस, तिरुवनंतपुरम	17	51	3400
नयारंबलम सर्विस को–ऑप बीएनके	10	30	10000
सेंट थेरेसा कॉलेज, एर्नाकुलम	10	20	2000
व्यक्तिगत प्रशिक्षण	1	2	1000
डीएचएएन फाउंडेशन, विशाखापत्तनम	33	99	0
कुल	**137**	**387**	**64000**

5.6.5 मात्स्यिकी पोस्ट–हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी में अल्पावधि प्रशिक्षण

निफेट, कोच्चि ने सेंट बर्चमैन्स कॉलेज चंगनास्सेरी, कोट्टायम के 29 बीएससी जूलॉजी और इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के छात्रों के लिए मात्स्यिकी पोस्ट–हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी पर अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम के दौरान, प्रशिक्षुओं को मत्स्यन बाद की प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं में व्यावहारिक अनुभव दिया जाता है।

5.6.6 मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लिया गया

निफेट ने 'मत्स्य एक स्वस्थ भोजन है' संदेश के साथ विकसित विभिन्न मत्स्य उत्पादों को लोकप्रिय बनाने और

परीक्षण विपणन के लिए विभिन्न सरकारी और गैर–सरकारी एजेंसियों द्वारा आयोजित 12 प्रदर्शनियों और मेलों में सक्रिय रूप से भाग लिया है।

ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट, सूरत

उड़ीसा में मात्स्यिकी प्रदर्शनी

क्र.सं.	विवरण	द्वारा आयोजित	अवधि	जगह
1.	ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट (जीपीबीएस 2022–23)	आईसीएआर–सिफरी	29 अप्रैल से 1 मई 2022	सूरत, गुजरात
2.	विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस संगोष्ठी–स्वस्थ जीवन के लिए सुरक्षित मत्स्य	सीआईएफटी, कोच्चि	7 जून 2022	सीआईएफटी, कोच्चि
3.	13 वां कृष मेला	ओडिशा सरकार	20 से 24 जून 2022	जगन्नाथ धाम पुरी, उड़ीसा
4.	मात्स्यिकी कार्यशाला 2022	निदेशक मात्स्यिकी, भोपाल	24 सितंबर 2022	ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर, इंदौर
5.	25 वीं राष्ट्रीय कृषि प्रदर्शनी	सेंटर कल्चर साइंस फॉर यूथ, कोलकाता	24 से 27 अगस्त 2022	सेंट्रल पार्क मैदान, साल्ट लेक, कोलकाता
6	मातृभूमि कृषि उत्सव 2022	मातृभूमि	7 से 11 अक्टूबर 2022	इंदिरा गांधी म्युनिसिपल स्टेडियम, पलक्कड़
7.	विजन राजस्थान 2022	राजस्थान सरकार	1 से 3 नवंबर 2022 तक	सिरोही, राजस्थान
8.	कृषि मेला 2022	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बैंगलोर	3 से 6 नवंबर 2022	जीकेवीके कैंपस, बैंगलोर
9.	केरल फिश उत्सव 2022	मत्स्यपालन विभाग, केरल	18 से 21 नवंबर 2022	पुत्तरीकंदम मैदान, तिरुवनंतपुरम
10.	विश्व मात्स्यिकी दिवस	मत्स्यपालन मंत्रालय और एनडीएफबी	21 नवंबर 2022	स्वामी विवेकानंद सभागार, दमन
11.	एक्वाकल्चर एंड फिशरीज में जेंडर पर 8 वां वैश्विक सम्मेलन	एसओएफआईआई, सीआईएफटी, जीएपी	21 से 223 नवंबर 2022 तक	आईएमए हॉल, कलूर

क्र.सं.	विवरण	द्वारा आयोजित	अवधि	जगह
12.	रिस्पॉन्सिबल एक्वाकल्चर एंड सस्टेनेबल फिशरीज इंटरेक्शन (राशी) पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन	कॉलेज ऑफ फिशरीज, त्रिपुरा	13 से 16 दिसंबर 2022	कॉलेज ऑफ फिशरीज, त्रिपुरा

5.6.7 निफाट में नॉर्वे के राजदूत का दौरा

महामहिम हैंस जैकब फ्राइडनलंड, नॉर्वे के राजदूत और
राजदूत वेणु राजमोनी, केरल सरकार के विशेष कार्यकारी अधिकारी, निफेट, कोच्चि की यात्रा

भारत में नार्वे के राजदूत महामहिम हैंस जैकब फ्राइडनलंड ने 30 मई, 2022 को कोचीन में निफेट के कार्यालय का दौरा किया। निफेट को पहले इंडो–नॉर्वेजियन प्रोजेक्ट के रूप में जाना जाता था, देश में मत्स्यन उद्योग के विकास और मत्स्यन गतिविधि से जुड़े समुदायों में रहने की स्थिति में सुधार के लिए नीन्दकारा क्विलोन, केरल में वर्ष 1952 में नार्वे की पहली विदेशी सहायता विकास परियोजना स्थापित की गई थी। राजदूत के साथ भारतीय दूतावास नॉर्वे के अधिकारी भी थे। राजदूत वेणु राजामोनी, केरल सरकार के विशेष कार्य अधिकारी ने बाहरी सहयोग के लिए निफेट का भी दौरा किया।

5.6.8 स्वच्छता अभियान 2022 चरण I और II

निफेट मुख्यालय कोच्चि एवं विशाखापत्तनम में निफेट ने सफाई अभियान शुरु किया। स्वच्छ भारत अभियान विशेष अभियान 2.0 का पहला 2 से 31 अक्टूबर, 2022 तक और दूसरा चरण 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2022 तक मनाया गया। परिसर की सफाई कचरे का संग्रह और निपटान, फाइलों और रजिस्टरों की छटनी, प्रश्नोत्तरी और ड्राइंग आदि पर प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। विभिन्न जगरों पर स्वच्छता ही सेवा के पोस्टर प्रदर्शित किए गए।

स्वच्छता अभियान के दौरान शपथ ग्रहण

आसपास के क्षेत्रों की सफाई

चिल्ड टूना प्लांट के पास सफाई

आसपास के क्षेत्रों की सफाई

कार्यालय परिसर की सफाई

अध्याय–6

व्यापार संबंधी मामले

6.1 परिचय

हाल के दशकों में, मात्स्यिकी और जलीय कृषि उत्पादों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा है और महाद्वीपों और क्षेत्रों में फैल रहा है। यह विस्तार आर्थिक विकास और वैश्वीकरण से जुड़ी सांस्कृतिक और तकनीकी प्रगति से प्रेरित है। इसके अलावा, उदार व्यापार नीतियों के साथ–साथ मूलभूत सुविधा और तकनीकी उन्नति जो वैश्वीकृत संचार को सक्षम बनाती हैं, भोजन की आदतों सहित सीमाओं के पार आर्थिक परस्पर निर्भरता और सांस्कृतिक प्रसार को गति दी है। वर्तमान में, उत्पादक तेजी से दूर के बाजारों तक पहुंचने में सक्षम हो गए हैं, जबकि उपभोक्ताओं ने अपने जलीय खाद्य विकल्पों को स्थानीय जल में पकड़ी या खेती की जाने वाली प्रजातियों से बहुत अधिक विविधता देखी है। इसके अलावा, आय में वृद्धि, एक बड़ा मध्यम वर्ग और शहरीकरण, विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में, व्यापारिक जलीय खाद्य उत्पादों की कुल मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

वर्तमान में, जलीय उत्पादों में व्यापार निर्यात राजस्व, रोजगार और मूल्यवर्धन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, साथ ही वैश्विक खाद्य सुरक्षा में योगदानकर्ता है, जिसमें मूल्य श्रृंखला में विविध और परस्पर जुड़े हितधारक शामिल हैं। यह कई छोटे द्वीप विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जहां जलीय उत्पाद का निर्यात कुल व्यापारिक व्यापार और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के महत्वपूर्ण हिस्से के लिए होता है।

2020 के दौरान जलीय उत्पादों का विश्व निर्यात, कुल 59.8 मिलियन टन लाइव वेट (शैवाल को छोड़कर) था, जिसकी कीमत 151 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। यह 2018 में 165 बिलियन अमरीकी डालर मूल्य के 67 मिलियन टन के रिकॉर्ड उच्च स्तर से (मूल्य में 8.4 प्रतिशत और मात्रा में 10.5 प्रतिशत) गिरावट दर्शाता है। 2020 में, 225 राज्यों और क्षेत्रों ने मात्स्यिकी और जलीय कृषि उत्पादों की कुछ व्यापारिक गतिविधियां प्रतिवेदित की हैं। व्यापार किए गए जलीय उत्पादों का मूल्य कुल कृषि व्यापार (वानिकी को छोड़कर) का 11 प्रतिशत और 2020 में कुल वाणिज्य व्यापार का लगभग 1 प्रतिशत है। ये हिस्सा कई देशों में बहुत अधिक हैं, वाणिज्य व्यापार के कुल मूल्य के 40 प्रतिशत से अधिक (जैसे) काबो वर्डे, आइसलैंड और मालदीव आदि)। इसके अलावा, यह अनुमान लगाया गया है कि 2030 में जलीय कृषि से बढ़ते योगदान के साथ कुल उत्पादन का एक स्थिर हिस्सा (36 प्रतिशत) निर्यात किया जाएगा।

सामान्यतः 1976 से 2020 तक, मात्स्यिकी और जलीय कृषि उत्पादों (शैवाल को छोड़कर) के वैश्विक निर्यात का मूल्य औसत वार्षिक वृद्धि दर 6.9 प्रतिशत और वास्तविक रूप में 3.9 प्रतिशत (मुद्रास्फीति के लिए समायोजित) के अनुरूप बढ़ा। इसी अवधि में (एसओएफआईए (एसओएफआईए, 2022) मात्रा के संदर्भ में 2.9 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा।

व्यापार किए जाने वाले जलीय उत्पादों की लगभग 90 प्रतिशत मात्रा (लाइव वजन समतुल्य) में संरक्षित उत्पाद होते हैं, जिनमें से अधिकांश जमे हुए होते हैं। हालांकि, ताजा जलीय उत्पादों की मांग और पैकेजिंग और रसद प्रौद्योगिकियों की उन्नति ने समय के साथ व्यापार की मात्रा में ताजा उत्पादों के अनुपात में वृद्धि देखी है।

2020 के दौरान, चीन जलीय जन्तु (प्राणि) उत्पादों का दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक बना हुआ है, इसके बाद नॉर्वे और वियतनाम हैं, यूरोपीय संघ सबसे बड़ा एकल आयातक बाजार है। सबसे बड़े आयातक देश संयुक्त राज्य अमेरिका हैं, इसके बाद चीन और जापान हैं। मात्रा (लाइव वजन) के संदर्भ में, चीन न केवल घरेलू खपत बल्कि कच्चे माल के प्रसंस्करण और पुनः निर्यात के लिए बड़ी मात्रा में प्रजातियों का आयात करने वाला शीर्ष देश है।

6.2 भारत में निर्यात परिदृश्य

मत्स्य और मत्स्य उत्पादों का निर्यात भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए रोजगार, आय सृजन और बढ़ती विदेशी मुद्रा आय के मामले में महत्वपूर्ण है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, भारत ने 7.76 बिलियन अमेरिकी डॉलर (57,586 करोड़ रुपये) मूल्य के 13,69,264 मीट्रिक टन सीफूड का निर्यात किया, जो मूल्य के हिसाब से अब तक का सर्वाधिक निर्यात है। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन भारतीय समुद्री भोजन (सीफूड) के प्रमुख आयातक हैं। फ्रोजेन झींगा प्रमुख निर्यात वस्तु बनी रही। 2021–2022 में, भारत ने 123 देशों को मत्स्य और मात्स्यिकी उत्पादों का निर्यात किया। भारत की निर्यात बास्केट में झींगा, फिनफिश, कटलफिश, स्क्वीड, ड्राइट फिश, प्रशीतित वस्तुएं और जीवित वस्तुएं शामिल हैं। झींगा निर्यात मात्रा के मामले में कुल निर्यात का 53.18 प्रतिशत और मूल्य के मामले में कुल निर्यात का 74.16 प्रतिशत, पेसिफिक व्हाइट लग श्रिम्प लिटोपेनियस वन्नामेई सीफूड निर्यात बास्केट में सबसे महत्वपूर्ण योगदानकर्ता है।

6.3 निर्यात क्षेत्र में आरंभ की गई पहल

पीएमएमएसवाई के अंतर्गत सरकार द्वारा मत्स्य उत्पादन को 22 मीट्रिक टन तक बढ़ाने और वर्तमान मूल्य से निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, भारत सरकार ने सतत एवं जिम्मेदार तरीके से मत्स्य पालन क्षेत्र की समग्र क्षमता का दोहन करने के लिए अनेक पहलों को आरंभ किया है। मत्स्य निर्यात के संबंध में जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, वे निम्नलिखित हैः

क. मत्स्य उत्पादों के निर्यात को अगले पांच वर्षों में 1 लाख करोड़ रूपये तक बढ़ाना।

ख. नए तथा मूल्य वर्धित उत्पादों को सम्मिलित करतु हुए निर्यात बास्केट का विविधीकरण करना

ग. नवीनतम बाजारों की खोज करना तथा मौजूदा बाजारों का विस्तार करना

घ. उच्च मूल्य के उत्पादों तथा मूल्य वर्धित् उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देना

ङ. निर्यात के लिए जलीय कृषि प्रजातियों के विविधीकरण को बढ़ावा देना

च. बाजार तक पहुंच को सुगम बनाने, बाजार संबंधी अड़चनों को कम करने और स्वच्छता संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए संस्थागत तंत्र की व्यवस्था करना

छ. निर्यात के अवसरों से लाभान्वित करने के लिए मछुआरों तथा किसानों को सक्षम बनाना

6.4 आयात और निर्यात का विनियमन

पशुधन और पशुधन उत्पादों का व्यापार जिसमें मत्स्यध्मात्स्यिकी उत्पाद शामिल हैं, का विनियमन भारत सरकार की व्यापार नीति–निर्यात आयात नीति (एक्सिम) द्वारा विनियमित की जाती है, जिसे वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाता है तथापि, पशुधन और पशुधन उत्पादों के आयात के जरिए एक्जोटिक बीमारियों के प्रवेश को रोकने के लिए, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय इस तरह के उत्पादों के व्यापार को पशुधन आयात अधिनियम, की धारा 3 और 3क के प्रावधानों के अनुसार विन्यमित करती है। विभाग मत्स्य और मत्स्य उत्पादनों के आयात तथा निर्यात संबंधित मुद्दों की स्वच्छता एवं फाइटो–स्वस्छता पर निगरानी रखती है।

"मत्स्य सहित जीवित पशुओं का निर्यात निर्यात आयात नीति के अनुसार, प्रतिबंधित सूची (इसे आयात करने की स्वतंत्रता नहीं है।) की श्रेणी में आता है जिसके लिए महानिदेशक, विदेश व्यापार (डीजीएफटी) से आयातक को लाइसेंस लेना होता है। डीजीएफटी इस मंत्रालय की संस्तुति पर लाइसेंस जारी करते हैं। यह मंत्रालय जोखिम विश्लेषण और संबंधित जर्मप्लाज्म नीति के आधार पर संस्तुति पर निर्णय लेता है। केन्द्रीय सरकार को पशुधन आयात अधिनियम 1898 की धारा 3 के अनुसार जीवित पशुओं के आयात को विनियमित, प्रतिबंधित और निषिद्ध करे की शक्ति प्राप्त है। पशुधन आयात अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन मंत्रालय ने 10 जून, 2014 को अधिसूचना सा.का. 1495 (ई) और 1496 (ई) जारी की। इन अधिसूचनाओं में पशुओं की श्रेणियां जिन्हें "पशुधन" कहा जाए, उनके आयात तथा जीवित पशुओं की संगरोध प्रक्रियाओं के लिए पशु चिकित्सा स्वास्थय प्रमाण–पत्र की आवश्यकता को परिभाषित किया गया है।

"निर्यात आयात नीति के अनुसार पशुधन और मत्स्य/मात्स्यिकी उत्पादों को ओपन जनरल लाइसेंस (ओजीएल) के अंतर्गत श्रेणीकृत किया गया है। केन्द्र सरकार को पशुधन आयात अधिनियम 1898 की धारा 3क के अनुसार पशुधान उत्पादों के आयात को विनियमित,

प्रतिबंधित तथा निषिद्ध करने की शक्ति प्राप्त है। इस संबंध में, मंत्रालय ने 17 अक्टूबर, 2015 को अधिसूचना सा.का. 2666 (ई) जारी की, जिसमें पशुधन उत्पादों एवं पशुधन उत्पादों के आयात की प्रक्रिया को बताया गया है। इन उत्पादों के आयात को मूलतः अनुमति दी जाती है और यह स्वच्छता आयात परमिट (आसआपी) के अधीन होती है जो पशु चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाणपत्रों के माध्यम से किए गए जोखिम विश्लेषण पर आधारित होते हैं जिन्हें पशुधन उत्पादों के आयात के साथ संलग्न करना होता है। विभाग पशुधन और मत्स्य उत्पादों के लिए एसआईपी जारी करता है जो उत्पाद की प्रकृति के आधार पर एक वर्ष अथवा छः महीने के लिए वैध होती और विविध परेषणों के लिए उपयोग में लाई जा सकती है।

एसआईपी लाइसेंस नहीं है, लेकिन एक प्रमाणपत्र है जो भारत की स्वच्छता अपेक्षाओं को प्रमाणित करता है। पशुओं/मत्स्य और पश/मत्स्य उत्पादों के आयात को निर्धारित समुद्री पत्तनों, बंगलोर, चेन्नै, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता के हवाई अड्डों से ही अनुति दी गई है, जहां पशु संगरोध और प्रमाणन सेवाएं (एक्यूपीएस) व्यवस्था उपलब्ध हैं, मत्स्य उत्पादों के आयात को विशाखापट्टनम समद्री पत्तन (आंध्र प्रदेश राज्य में) समुद्री तथा कोच्चि का हवाई अड्डा और डैंड कस्टम स्टेशन, पेट्रापोल (केवल बंगलादेश के आयात के लिए) से अनुमति प्रदान की गई है। तथापि, इस क्षेत्र की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय व्यवसाय को सुगम बनाने के लिए पत्तनों की अधिसूचना भी जारी कर रहा है।

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अधीन संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में एक जोखिम विश्लेषण संबंधी समिति गठित की गई है। यह समिति मत्स्य तथा मत्स्य उत्पादों सहित विभिन्न पशुधन उत्पादों के आयात किए जाने के संबंध में स्वच्छता आयात परमिट जारी करने के लिए आवेदनों पर विचार करती है। दिनांक 16 अक्टूबर, 2014 की अधिसूचना सं. का आ. 2666 (अ) में आवश्यक संशोधन करने के पश्चात इस मंत्रालय ने ऑनलाइन स्वच्छता आयात परमिट आवेदन प्रस्तुत करने, स्वच्छता आयात परमिट पर कार्रवाई करने तथा उन्हें जारी करने के लिए एक वेबपोर्टल लांच किया है।

प्रतिबंधित मदों की दशा में, महानिदेशक विदेशी व्यापार (डी जी एफ टी) आवेदनों को मत्स्यपालन विभाग को अग्रेषित करते हैं जिनमें आयातक के पक्ष में आयात लाइसेंस जारी करने के लिए विचार किए जाने से पूर्व उनकी टिप्पणी मांगी जाती है। यदि यह मामला जीवित देशी जलचर जीवों के आयात से संबंधित होता है तो उसे संयुक्त सचिव (व्यापार) की अध्यक्षता में गठित मत्स्यपालन विभाग में भारतीय महासागर में देशी जलचर प्रजातियों के परिचय संबंधी राष्ट्रीय समिति को विचारार्थ भेज दिया जाता है। उक्त समिति की सिफारिशों तथा मत्स्यपालन विभाग के परीक्षण और टिप्पणी के आधार पर आवेदनों को अनुमोदित किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, मत्स्यपालन क्षेत्र में व्यापार किए जाने को सरल और सुगम बनाने के उद्देश्य से, मत्स्यपालन विभाग ने सी ए ए से अनुमोदित ओवरसीज सप्लायरों से एस पी एफ झींगा ब्रूडस्टॉक के आयात के लिए स्वच्छता आयात परमिट की अपेक्षा को हटा दिया है। तथापि, पत्तन प्रवेश द्वार पर पशु संगरोध तथा प्रमाणन सेवा (ए क्यू सी एस) प्री बोर्डर क्वारंटीन सर्टिफिकेट तथा अन्य सर्टिफिकेट का सत्यापन करने से पूर्व सीमा शुल्क को आक्षेप न होने का प्रमाण पत्र जारी करेगा जिसमें निर्यातक देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अति संवेदनशील प्रजातियों में ओ आई ई सूचीबद्ध रोगजनक से मुक्त होने की घोषणा की गई है।

*****

अध्याय–7

अनुसूचित जाति उप-योजना (एस.सी.एस.पी.) और अनुसूचित जन जाति उप-योजना (टी.एस.पी.)

मत्स्यपालन विभाग का उद्देश्य अपनी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत मात्स्यिकी क्षेत्र के विकास के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की अवसंरचना को सुदृढ़ करना है। देश की अधिकांश जनसंख्या अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, समाज के अन्य पिछड़ा वर्गों तथा महिलाओं से संबंधित है जो मात्स्यिकी क्षेत्र की गतिविधियों से जुड़ी है। इसके परिणाम स्वरूप , इस विभाग द्वारा अनेक योजनाएं लागू की जा रही हैं, जिनका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को लाभान्वित करना है।

नीति आयोग के दिनांक 15, दिसंबर, 2010 के अ.शा. पत्र सं. एन– 11016/12/(I)/2009–पी.सी. के द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति उप–योजना (एस.सी.एस.पी.) के अन्तर्गत निधियों का 16.6 प्रतिशत हिस्सा निर्धारित किया जाना है। इस विभाग ने वित्त वर्ष 2022–23 के बजट अनुमान में एस.सी.एस.पी. घटक के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत 236.81 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की है। वित्त वर्ष 2022–23 में 31 दिसंबर, 2022 तक विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत आवंटित राशि में से 8.23 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है।

इस विभाग को अनुसूचित जन जाति उप–योजना के अन्तर्गत 2017–18 तक निधियां चिह्नित करने की छूट प्रदान की गई थी। वित्त वर्ष 2018–19 से अनुसूचित जन जाति उप–योजना के अन्तर्गत 8.60 प्रतिशत राशि निर्धारित की गई है। इस विभाग ने वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान संशोधित अनुमान में 127.78 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की है जिसमें से 33.84 करोड़ रुपये की राशि पहले ही खर्च की जा चुकी है (31 दिसंबर, 2022 तक)।

*****

अध्याय–8

महिला सशक्तिकरण

8.1 मात्स्यिकी क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका

महिलाएं, भारत की जनसंख्या का लगभग आधा हिस्सा हैं जो हमारे राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। महिलाएं समुद्री मात्स्यिकी तथा जलीय कृषि, विशेषकर लघु उद्योग तथा कारीगर मात्स्यिकी क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह अनुमान है कि लगभग 5.4 मिलियन लोग पूर्णतः मत्स्यपालन गतिविधियों से जुड़े हुए हैं और उनमें से 3.90 मिलियन मछुआरे तथा 1.50 मछुआरा महिलाएँ हैं। वे मत्स्यपालन, जलीय कृषि, सी–फूड प्रोसेसिंग तथा अन्य संबद्ध सेवाओं सहित विश्वभर में पूरे समुद्री खाद्य पदार्थों के उद्योग में कार्यरत जनसंख्या के आधे हिस्से का प्रतिनिधित्व करती हैं।

महिलाओं द्वारा शुरु की गई गतिविधियों में संदत्त और असंदत्त मूल्य श्रृंखला का प्रसार जिनमें प्री और पोस्ट हार्वेस्ट की गतिविधियां शामिल हैं। इनमें समुद्री शैवाल तथा शैलफिश का संग्रह करना, मछली पकड़ना, जाल बुनना और उसकी मरम्मत करना, प्रसंस्करण करना, विक्रय करना, स्थानीय तथा अन्तर–क्षेत्रीय व्यापार करना भी शामिल है। महिलाओं द्वारा केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गुजरात तथा पूर्वोत्तर जैसे राज्यों में कलेम, केंकड़े, फिशफ्राई, समुद्री शैवाल, चंक आदि ही पकड़ती हैं।

महिलाएं लघु–पैमाने पर मत्स्यपालन के घरेलू स्तर पर वित्त प्रबंधन तथा सामुदायिक स्तर पर जलीय संसाधनों के प्रबंधन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। महिलाओं को देशीय तथा स्थानीय तटीय समुदायों में स्थानीय एवं परंपरागत पारिस्थितिकी की अच्छी–खासी जानकारी होती है जिससे वे समुद्री तथा तटीय पारिस्थितिकी के सतत उपयोग तथा संरक्षण में अपना योगदान देती हैं।

लघु उद्योगों तथा कारीगर मत्स्यपालन क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं को कामगार के रूप में अपने अधिकारों की सुरक्षा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनकी भूमिका प्रायः एक असंगठित कामगार के रूप में होती है। उन्हें सामाजिक सुरक्षा, पूंजी तथा उधार मिलने की सीमित सुविधा है उन्हें भूमि का अधिकार मिलने और मत्स्यपालन संसाधनों तक उनकी पहुंच में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्हें असुरक्षित, अनहाइजेनिक तथा अनुचित कार्य परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ता है। अधिकांश स्थानों पर, महिलाओं को पोस्ट हार्वेस्ट कार्यकलापों में काम करते हुए मछली लैंडिंग केन्द्रों तथा बाजारों में मूलभूत सुविधाओं के लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। मछली पकड़ने के काम में उनकी भूमिका मछली एकत्र करने तथा हाथ से छटाई करने या छोटे–छोटे जल स्रोतों से मछली पकड़ने तक सीमित है। तथापि, रोजगार के अवसर आमतौर पर सीजनल प्रकृति के होते हैं और पारिश्रामिक भी बहुत कम मिलता है। इसके अतिरिक्त, पुरुष और महिलाओं द्वारा अर्जित आय में काफी अन्तर होता है क्योंकि महिलाओं की आय बहुत कम होती है।

पशुपालन, डेयरी तथा मत्स्यपालन से जुड़ी महिलाओं को फायदा दिलाए जाने पर विशेष ध्यान देने के लिए यह विभाग प्रयासरत रहा है। राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड देश में मात्स्यिकी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए कार्य कर रहा है तथा यह भी सुनिश्चित करता है कि महिला उद्यमियों/किसानों को पर्याप्त समर्थन और प्रोत्साहन दिया जाए। अपनी स्थापना से ही, बोर्ड ने केवल महिला उद्यमियों/किसानों के लिए 108 परियोजनाओं को निधियां प्रदान किया है जिनकी कुल परियोजना लागत की धनराशि 7955.45 लाख रुपये है। राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड ने मत्स्यपालन क्षेत्र में विशेष रूप से महिलाओं के लिए विभिन्न जागरुकता कार्यक्रम, कार्यशालाएं, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अलावा तटीय क्षेत्रों में शैवाल कृषि, कल्चर का सजावटी मछली, प्रजनन और एसएचजी, महिलाओं को प्रोत्साहन, तालाबों तथा टैंकों में फूड–फिश धान–सह मछली की खेती, जलाशयों में केज कृषि, बैकयार्ड पुनः संचारी जलीय कृषि प्रणाली (आर.ए.सी.) इकाइयों की स्थापना, पूर्वोत्तर राज्यों में स्वदेशी प्रजातियों के लिए प्रजनन इकाइयों की स्थापना, ए.ए.एच.एल., मछली विपणन वाहन की खरीद, कोल्ड चेन प्रबंधन, फिश ड्राइंग और प्रोसेसिंग के अलावा विभिन्न जागरुकता कार्यक्रम, कार्यशालाएं/संगोष्ठियां क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण और आयोजन, विशेष रूप से

मात्स्यिकी क्षेत्र में महिलाओं के लिए एक्सपोजर (विजिट कार्यक्रम के लिए वित्तीय तथा तकनीकी सहायता प्रदान की और विभिन्न मात्स्यिकी तथा जलीय कृषि परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए महिलाओं के लिए स्टार्टअप/उद्यमिता के अवसर सृजित किए गए ताकि महिलाओं की व्यवसाय क्षेत्र में उन्नति हो सके और 5 महिला एफएफपीओएस को तमिलनाडु, त्रिपुरा, और मणिपुर, राज्यों में प्रोत्साहन। एनएफडीबी ने व्यापार मॉडल पर महिलाओं को प्रोत्साहित करने और सशक्त बनाने के लिए 'उद्यमी मॉडल पर विशेष रूप से महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला', मात्स्यिकी के लिए जेंडर समावेशी मॉडल', मात्स्यिकी क्षेत्र में अवसरों पर महिलाओं के लिए जागरूकता और एक्सपोजर पैदा करने के लिए 'जलवायु अनुकूल जनजातीय विकास सम्मिश्रण स्वदेशी ज्ञान के साथ उपयुक्त प्रौद्योगिकी और महिलाओं को सशक्त बनाने पर राष्ट्रीय सम्मेलन' का आयोजन किया।

एनएफडीबी ने आकस्मिक विकलांगता और मृत्यु के दौरान महिला मछुआरों और आश्रित परिवार के सदस्यों के जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समूह दुर्घटना बीमा योजना के तहत 9.61 लाख महिला लाभार्थियों को कवर किया है और देश भर की मछुआरा महिलाएं ''SSS India @75; वार्षिक रिपोर्ट 2020–21 भारतीय मात्स्यिकी से 100 सुपर सक्सेस स्टोरीज" के रूप मेंएनएफडीबी ने सफल महिला उद्यमियों की 31 सफलता की कहानियों का दस्तावेजीकरण किया है।

8.2 मात्स्यिकी तथा जलीय कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका:

8.2.1 मीठे पानी में मोती कृषि

मीठेपानी में मोती की कृषि जल–फार्मिंग पद्धतियों में एक विविधतापूर्ण कार्यकलाप है। यह केंद्रीय मीठाजल जलकृषि संस्थान, भुवनेश्वर द्वारा विकसित एक विकासशील तकनीक है। तीन चिह्नित मीठे पानी की मोती सीप हैं–लेमेल्तीडेन्स मार्जिनलीस, एल कोरीनलीस तथा पेरेसिया कोरूगाटा। तीन प्रकार की सुधारात्मक प्रक्रियाओं के माध्यम से मोती की विभिन्न किस्मों की कृषि की जाती है। वर्तमान में, प्रौद्योगिकी ने महिलाओं सहित कई ग्रामीण, कारीगर और उद्यमी समुदायों को आकर्षित किया है। इस चयनित महिला समूहों को आय के वैकल्पिक स्रोत के लिए मोती कृषि कला में प्रशिक्षिति किया जा सकता है।

8.2.2 घरों के बैकयार्ड में सजावटी मत्स्यपालन कृषि

बैक यार्ड में लघु–उद्योग सजावटी मछली कृषि उद्यम सापेक्ष रूप से स्थायी उद्यम है। सजावटी मछली कृषि की परंपरा को दूरवर्ती गांवों में, सामान्यतः अभिनव प्रयोग को अपनाने तकनीकों तथा आर्थिक रूप से फायदे वाली तकनीकों से महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक लाभप्रद कारोबार माना जाता है।

8.2.3 सामुदायिक तालाब में जलीय कृषि

तटीय क्षेत्रों में छोटे तथा बड़े बैकयार्ड तालाबों की संख्या बहुत अधिक होती है जिनका उपयोग बहुत नहाने, कपड़े धोने तथा उपिंग ग्राउंड के रूप में किया जाता है जिससे पर्यावरण संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि महिलाओं को ऐसे उपेक्षित निकायों में फिशफ्राइ, फिंगरलिंग्स तथा बहुत कम प्रचालन लागत पर मछली उत्पादन की अल्पावधि के लिए प्रयोग में लाए जाने से उनका सतत आर्थिक विकास संभव हो सकता है।

8.2.4 बीज संग्रहण तथा वर्गीकरण

बीज संग्रहण तथा वर्गीकरण का कार्य महिलाओं द्वारा किया जा सकता है। इससे उनकी आय में वृद्धि होगी। यह देखने में आया है कि महिलाएं केकड़े, बड़ी मोती, मोती तथा आयस्टर के जुबनाइक सी–बास फैटिनिंग का वर्गीकरण करके उन्हें जीवित बेचकर जिससे अपनी आर्थिक दशा में सुधार कर सकती है।

8.3 जलीय कृषि में स्त्री–पुरुष संबंधी मुख्य समस्याएं

तकनीकी प्रसार तथा समुचित तकनीकों को उपयोग तर्कसंगत तथा योजनाबद्ध रूप में किया जाना चाहिए। उनको बाजार से संबंधित सूचनाओं के साथ समझ–बूझ के साथ जोड़ने का कोई तंत्र नहीं है। घरेलु कार्यों को प्राथमिकता देने के कारण महिलाओं को आगे आने से रोका जाता है।

8.4 पोस्ट हार्वेस्ट में व्यावसायिक भूमिका

भारत में मछुआरा महिलाएं तट से विभिन्न प्रकार की मछलियों की छटाई तथा वर्गीकरण का कार्य करती हैं ताकि उन्हें स्थानीय बाजार में बेचा जा सके। मछली को आग पर सेकने जैसी परंपरागत (देशी तकनीकी ज्ञान)

आई.टी. को अपना कर उत्पादों को निकट के स्थानीय बाजारों में बेचा जाता है। महिलाएं मछली को पैक करने तथा अन्य पोस्ट हार्वेस्ट प्रसंस्करण कार्यों में लगी रहती हैं। महिलाएं अपना स्वयं सहायता समूह बनाकर संगठित रही हैं तथा अपने मूल्यवर्धित उत्पादों को प्रदर्शिनियों, मेलों के माध्यम से बेच रही हैं और आजकल तो उनके उत्पाद सुपर मार्केटों में भी देखे जा सकते हैं और उनका निर्यात भी किया जा रहा है।

8.5 जैंडर बजट सेल

इस विभाग में एक जैंडर बजट सेल की स्थापना की गई है जिसका उद्देश्य इस रूप में लाना है स्त्री–पुरुष के बीच असमानता को दूर किया जा सके और महिलाओं का विकास किया जा सके। इस सेल की अध्यक्षता संयुक्त सचिव, मत्स्यपालन (प्रशा. तथा अंतर्देशीय मत्स्यपालन) करते हैं। विभाग ने महिला घटक के लिए अलग से कोई बजट तो निर्धारित नहीं किया है, किंतु राज्यों/कार्यान्वयन एजेंसियों को यह सलाह दी गई है कि विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही विद्यमान केंद्रीय प्रायोजित/केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं के लिए आवंटित निधियों का लगभग 30 प्रतिशत हिस्सा महिला लाभार्थियों के लिए उपयोग को जेंडर बजट सेल ने निम्नलिखित योजनाओं की पहचान की है, जिनके अंतर्गत निधियां महिला लाभार्थियों के लिए आवंटित की जाती हैं:

- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी.एम.एम.एस.वाई.)
- मात्स्यिकी अवसंरचना विकास निधि (एफ.आई.डी.एफ.)
- राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास निधि

*****

अध्याय–9

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

9.1 अवलोकन

महासागर हमारे नीले ग्रह की सतह के 72 प्रतिशत हिस्से को कवर करते हैं और वैश्विक आबादी के एक बड़े हिस्से को भोजन और आजीविका प्रदान करते हैं। दुनिया भर के महासागरों और समुद्रों में मात्स्यिकी संसाधन कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं को सहायता देते हैं।

मात्स्यिकी, जो एक महत्वपूर्ण समुद्री संसाधन है, नीली अर्थव्यवस्था का मूल है। यह करोड़ों लोगों को भोजन प्रदान करता है और तटीय समुदायों की आजीविका में बहुत योगदान देता है। यह खाद्य सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसमें व्यापार के अवसरों की भी बड़ी संभावना है। जलीय कृषि, जो भोजन और आजीविका के प्रावधान के लिए विशाल क्षमता प्रदान करता है, इसके विकास में प्राकृतिक पूंजी के मूल्य को शामिल करता है, इसमें उत्पादन के पूरे चक्र में पारिस्थितिक मानकों का सम्मान करना, टिकाऊ, समुचित रोजगार और निर्यात के लिए उच्च मूल्य वस्तुओं की पेशकश करना शामिल है।

समुद्री खाद्य उत्पादों में बढ़ती सार्वजनिक मांग को पूरा करने के लिए, प्राकृतिक मात्स्यिकी संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया जा रहा है और उन्हें खतरे में डाला जा रहा है। इसलिए, जनसंख्या की आवश्यकता और पर्यावरणीय स्वास्थ्य के बीच संतुलन खोजने की तत्काल आवश्यकता ने 'टिकाऊ मछली पकड़ने और जलीय कृषि को बढ़ावा देने' को प्रोत्साहन प्रदान किया है। जबकि जलीय कृषि में बढ़ती दुनिया की खाद्य आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए निरंतर मजबूत विकास की क्षमता है, अच्छी तरह से प्रबंधित मत्स्यपालन आर्थिक और पोषण संबंधी लाभ को बढ़ावा देने के लिए सालाना लाखों टन अधिक मछली प्रदान कर सकता है।

मछली एक वैश्विक 'अच्छी' और दुनिया की सबसे 'व्यापारिक वस्तु' होने के नाते, संसाधनों के स्थायी प्रबंधन की मांग करती है। विशेष रूप से बन जाता है 'अंतर्राष्ट्रीय सहयोग' मछली स्टॉक के मामले में महत्वपूर्ण है जो माइग्रेटरी और स्ट्रैडलिंग हैं और विभिन्न देशों द्वारा साझा किए जाते हैं। इसलिए, इस दिशा में प्रतिबद्धताओं और समझौतों को बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास जारी हैं।

भारत यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन दी लॉ ऑफ सी (यू. एन.सी.एल.ओ.एस.), 1982, यूनाइटेड नेशंस फिश स्टॉक एग्रीमेंट (यू. एन. एफ. एस. ए.), 2001, यू.एन. कन्वेशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, 1995, एफ.ए.ओ. कोड ऑफ कन्डकट फोर रिस्पोंसिबल फिशरीज एण्ड इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन्स रिलेटिड टू मेरिन फिशरीज 1995, क्योटो घोषणा तथा कार्य योजना, 1995, समुद्र में मछुआरों को सुरक्षा तथा स्वास्थ्य, आई.एल.ओ. अपेक्षाएं तथा संयुक्त राष्ट्र धारणीय विकास लक्ष्य (एस.डी.जी. 14) सहित अनेक अंतर्राष्ट्रीय लिखतों तथा समझौतों पर हस्ताक्षरी हैं। भारत विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कंवेंशनों, संधियों या करारों का पक्षकार, तथा क्षेत्रीय मात्स्यिकी निकायों (आर.एफ.बी.) का सदस्य है और मात्स्यिकी के क्षेत्र के अनेक अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के प्रति वचनबद्ध है।

भारत, एशिया प्रशांत मात्स्यिकी आयोग (ए.पी.एफ.आई. सी.) एशिया तथा प्रशांत में जलीय कृषि केंद्र नेटवर्क (एन. ए.सी.ए), एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र में मात्स्यिकी उत्पादों के लिए विपणन सूचना तथा तकनीकी परामर्शी सेवा का अन्तःसरकारी सेवा संगठन (इनफोफिश), हिंद महासागर टुना आयोग (आई.ओ.टी.सी.) तथा बंगाल की खाड़ी अंतः सरकार संगठन (बी.ओ.बी.पी–आई.जी.ओ.) सहित विभिन्न प्रादेशिक मात्स्यिकी निकायों का सदस्य है। इसके अतिरिक्त कई अन्य क्षेत्रीय निकायों का सदस्य है जो भारत पर्यावरण (यथा दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम, प्राकृतिक संरक्षणार्थ अंतर्राष्ट्रीय संघ) तथा व्यापार, बंगाल की खाड़ी बहु क्षेत्रीय तकनीकी आर्थिक सहयोग–बिमसटेक) के संबंध में कार्य करने वाले अन्य क्षेत्रीय निकायों का भी सदस्य है। यहां तक कि इसके आर्थिक तथा भौगोलिक, भू–राजनैतिक स्थापनाओं जैसे कि दक्षिण एशिया प्रादेशिक सहकारी संघ या 'सार्क' ने भी समय–समय पर मात्स्यिकी तथा पर्यावरण, दोनों, से संबंधित मामलों में अनेक पहल आरंभ की हैं।

भारत अधिकांश ऐसे क्षेत्रीय संगठनों का पक्षकार (ए पी एफ आई सी, बी ओ बी पी–आई ओ जी तथा एन ए सी ए)

है और इसकी प्रकृति सलाहकार की है तथा इसकी भूमिका और कार्य नीतिगत दलील तथा क्षमता निर्माण तक सीमित है।

9.2 क्षेत्रीय मात्स्यिकी प्रबंध संगठन की भूमिका

क्षेत्रीय मात्स्यिकी प्रबंधन संगठन ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठन (आर एफ एम ओ) हैं जिनकी स्थापना उन देशों द्वारा की गई है जो इस क्षेत्र में मछली पकड़ने में रुचि रखते हैं। इनमें से कुछ विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी मत्स्य स्टॉक का प्रबंधन करते हैं तथा अन्य क्षेत्रों में विशेष रूप से हाइली माइग्रेटरी प्रजातियां जो सर्वत्र पायी जाती हैं, का उल्लेखनीय रूप से टूना पर वृहत विशेष ध्यान केन्द्रित करते हैं। आई.ओ.टी.सी. के संरक्षण तथा प्रबंधन उपायों के संबंध में अनेक संकल्प हैं, जो उसके सदस्यों के लिए बाध्यकारी हैं।

क्षेत्रीय मात्स्यिकी प्रबंधन संगठन (आर.एफ.एम.ओ.) मात्स्यिकी परबंधन अन्तः सहभागिता को सरल और सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय समुद्री टूना आयोग (आई ओ टी सी) एक क्षेत्रीय मात्स्यिकी प्रबंधन संगठन है जिसका भारत एक पक्षकार है जो अपने सक्षमता क्षेत्र के अन्तर्गत भारतीय सागरों में टूना और टूना जैसी प्रजातियों के प्रबंधन विनियमन का अधिकार रखता है।

भारतीय समुद्री टूना आयोग (आई.ओ.टी.सी.) एक क्षेत्रीय मात्स्यिकी प्रबंधन संगठन है जिसका भारत एक संविदाकारी तथा सहकारिता पक्षकार (सीवीसी) के रूप में सदस्य है। मत्स्यपालन विभाग के पास विशेष रूप से आई.ओ.टी.सी. में नेतृत्व की भूमिका निभाने की योजनाएं हैं। मत्स्यपालन विभाग के अधिकारियों ने इसकी सभी बैठकों में बढ़–चढ़ कर भाग लिया है और देश के राष्ट्रीय हितों के संरक्षण और लघु पैमाने पर मछुआरा समुदाय के हितों की रक्षा करने के लिए आवश्यक हस्तक्षेप किया है। भारत हाल ही में 2022 में सहयोगी गैर–अनुबंध दलों (सीएनसीपी) के रूप में दक्षिण हिंद महासागर मात्स्यिकी समझौते (एसआईओएफए) में शामिल हुआ है, और विभाग एक अनुबंधित पक्ष बनने के लिए कदम उठा रहा है।

9.3 विश्व व्यापार संगठन और अन्य वैश्विक संगठनों के साथ संलग्नता

विश्व स्तर पर, मत्स्य अरबों लोगों के लिए किफायती प्रोटीन, पोषण, आय और आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। 3.3 अरब से अधिक लोग अपने कुल पशु प्रोटीन के कम से कम 20: के लिए मत्स्य पर निर्भर हैं। मात्स्यिकी लाखों नौकरियों को बनाए रखता है, परंपराओं और ज्ञान को पीढ़ी–दर–पीढ़ी आगे बढ़ाता है।

मत्स्य भी दुनिया में सबसे अधिक कारोबार वाली खाद्य वस्तुओं में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 2020 में लगभग 151 बिलियन अमरीकी डालर के मात्स्यिकी और जलीय कृषि उत्पादों का उत्पादन हुआ, (एफएओ–सोएफआईए, 2022)। दुनिया भर के देश अपने समुद्री मात्स्यिकी क्षेत्र को चलाने के लिए अरबों डॉलर में सब्सिडी प्रदान करते हैं। कई अध्ययनों से संकेत मिलता है कि कुछ मत्स्यन क्षमता बढ़ाने वाली सब्सिडी ओवरफिशिंग और ओवरकैपेसिटी, ओवरफिश्ड स्टॉक्स (स्टॉक्स की कमी) और अवैध, अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड (आईयूयू) में योगदान समुद्री मात्स्यिकी क्षेत्र को दी जाती है इसलिए, विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों के ढांचे के भीतर मात्स्यिकी सब्सिडी से निपटने के लिए एक समाधान खोजने का निर्णय लिया और मात्स्यिकी सब्सिडी पर डब्ल्यूटीओ वार्ता को स्पष्ट करने और मात्स्यिकी सब्सिडी पर मौजूदा डब्ल्यूटीओ विषयों में सुधार करने के लिए शुरू किया गया।

यूएन एसडीजी 14.6 में कहा गया है, ''2020 तक, मात्स्यिकी सब्सिडी के कुछ रूपों को प्रतिबंधित करें, जो अत्यधिक क्षमता और अत्यधिक मत्स्यन में योगदान करते हैं, और उन सब्सिडी को समाप्त करते हैं जो अवैध, असूचित और अनियमित (आईयूयू) मत्स्यन में योगदान करते हैं और उचित और प्रभावी एस एंड डीटी को पहचानते हुए ऐसी नई सब्सिडी शुरू करने से परहेज करते हैं। विकासशील और कम विकसित देशों के लिए विश्व व्यापार संगठन मात्स्यिकी सब्सिडी वार्ता का एक अभिन्न अंग होना चाहिए।''

देश और गरीब मछुआरों के हितों को सुरक्षित करने के लिए मत्स्यपालन विभाग, वाणिज्य विभाग के साथ काम कर रहा है। भारतीय मछुआरों के हितों की रक्षा करने और समुद्री मत्स्य पालन क्षेत्र में विकास की आकांक्षा के लिए सुरक्षित नीति स्थान के लिए उचित और प्रभावी विशेष और विभेदक उपचार (एसएंडडीटी) हासिल करने के विशेष संदर्भ में मत्स्य सब्सिडी विषयों पर बातचीत के संबंध में विश्व व्यापार संगठन के मोर्चे पर भारत द्वारा ली जाने वाली पोजीशन के लिए, विभाग ने वाणिज्य विभाग

और विश्व व्यापार संगठन में भारत के स्थायी मिशन के साथ–साथ सचिव स्तर के परामर्श का आयोजन किया साथ ही अंतर–मंत्रालयी और राज्य की भागीदारी के साथ उचित स्थिति पर पहुंचने के लिए विभाग द्वारा संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स गठित की गई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में, विभाग के अधिकारियों ने विश्व व्यापार संगठन की मात्स्यिकी सब्सिडी पर नियमों (एनजीआर) पर बातचीत समूहों के साथ–साथ इस संबंध में अंतर–सत्रीय और द्विपक्षीय बैठकों में भाग लिया। माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 12–17 जून, 2022 के दौरान जिनेवा में आयोजित विश्व व्यापार संगठन के 12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (एमसी–12) में भाग लिया, जिसमें मत्स्यपालन विभाग के सदस्य भी शामिल थे। डब्ल्यूटी के एमसी–12 ने विस्तृत विचार–विमर्श के बाद 17 जून 2022 को मात्स्यिकी सब्सिडी पर समझौते को अपनाया। 'ओवरकैपेसिटी एंड ओवरफिशिंग' के लिए सब्सिडी को प्रतिबंधित करने के प्रमुख मुद्दों में से एक वर्तमान समझौते में निष्कर्ष निकाला गया क्योंकि कई विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों में विविध पद थे। इसलिए, भारत सहित विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों ने भविष्य में बकाया मुद्दों पर बातचीत जारी रखने पर सहमति जताई है, जिसमें ओवरकैपेसिटी और ओवरफिशिंग पिलर के तहत सब्सिडी पर रोक लगाने का मामला भी शामिल है।

यह विभाग एक ओर जहाँ सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित कर रहा है, वहीं दूसरी ओर, सभी सुसंगत बैठकों, अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, मात्स्यिकी क्षेत्र से संबंधित बहु–पक्षीय और क्षेत्रीय मंचो पर आगे बढ़कर और कारगर भूमिका निभाने का प्रस्ताव करता रहा है।

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) में एग्रीमेंट ऑन सब्सिडी एण्ड काउंटरवेलिंग उपायों (ए.एस.सी.एस) के अधीन विषयों को विकसित करने के बारे में बातचीत जारी हैं जिससे कुछ ऐसी सब्सिडी को निषिद्ध किया जा सके जो निम्नलिखित है (i) विधि विरुद्ध, अवांछित तथा अविनियमित (आई.यू.यू) मत्स्यन (ii) अतिदोहित घोषित स्टॉक के मत्स्यन (iii) अतिदोहन तथा क्षमता से अधिक दोहन कर मत्स्यपालन विभाग देश के हितों तथा आर्थिक रूप से निर्धन मछुआरा समुदाय के हितों की सुरक्षा के लिए, वाणिज्य विभाग से कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रहा है। विश्व व्यापार संगठन मंच पर, मत्स्यपालन विभाग ने वाणिज्य विभाग और विश्व व्यापार संगठन के लिए भारत के स्थायी मिशन के साथ सचिव स्तर पर विचार विमर्श और अन्तर–मंत्रालयों तथा राज्यों की सहभागिता से संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में विभाग द्वारा एक कार्यबल का गठन किया गया जिसका उद्देश्य समुचित तथा प्रभावी स्पेशल एवं डिफरेंशियल ट्रीटमैंट (एस. एण्ड डी.टी.) सुनिश्चित करने के विशेष संदर्भ में मात्स्यिकी आर्थिक सहायता विषय पर चल रही वार्ताओं के संबंध में भारत द्वारा आरंभ की जाने वाली युक्तिसंगत स्थिति में पहुंचना है जिससे भारतीय मछुआरों के हितों की रक्षा की जा सके और समुद्री मात्स्यिकी के क्षेत्र में विकासपरक आकांक्षाओं के लिए नीति सुनिश्चित की जा सके। भारतीय शिष्टमण्डल के रूप में, मत्स्यपालन विभाग के अधिकारियों ने विश्व व्यापार संगठन के मात्स्यिकी सहायता संबंधी वार्ताकारी समूह संबंधी नियमों (एनजीआर) के कलस्टर बैठक तथा इस संबंध में अन्तर सत्रीय तथा द्विपक्षीय बैठकों में भाग लिया।

इसी प्रकार, भारत ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ जिसे पूर्व में ऑफिस इंटरनेशनल डेस एपीजूटीज (ओ.आई.ई.) के नाम से जाना जाता है, में भी प्रतिनिधित्व किया है। यह डब्ल्यू.टी.ओ. एग्रीमेंट ऑन सेनिटरी–एण्ड फाइटो सैनिटरी–मेजर्स (एस.पी.एस एग्रीमेंट) द्वारा मान्यता प्राप्त है अतः यह मात्स्यिकी क्षेत्र से संबंधित है।

अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडराइजेशन (आई.एस.ओ.) एक अन्य ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसके अन्तर्गत आई.एस.ओ/टी.सी. 234–मात्स्यिकी तथा जलकृषिय एक विशेषज्ञता प्राप्त तकनीकी समिति है, जो मात्स्यिकी क्षेत्र से संबंधित वैश्विक मानक विकसित करती है।

मात्स्यिकी क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के संबंध में, मत्स्यपालन विभाग ने इस समय नार्वे, बंगलादेश, आइसलैंड, मोरक्को और वियतनाम के साथ समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए हैं और वे चालू हैं। उनकी प्रगति संयुक्त कार्य दलों (जे.डब्ल्यू. जी.) के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर है। चूंकि पहले इंडोनेशिया के साथ हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन के संबंध में अवधि समाप्त हो चुकी है, अतः भारत तथा इंडोनेशिया की ओर से इसके नवीकरण के लिए समझौता ज्ञापन पर बातचीत चल रही है। इसके अतिरिक्त, कोरिया गणराज्य के साथ एक ड्राफ्ट समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने के लिए सक्रियता से विचार किया जा रहा है। साथ ही, भारत

तथा श्रीलंका के बीच मात्स्यिकी मामलों पर संयुक्त कार्य दल का तंत्र मौजूद है। इस संबंध में भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त कार्यदल की पांचवी बैठक के लिए प्रिप्रेटरी मीटिंग मत्स्यपालन विभाग के सचिव की अध्यक्षता में जनवरी, 2022 को होने जा रही है। इस क्षेत्र के आर्थिक मूल्य की वजह से कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग तथा पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा कई अन्य देशों के साथ हस्ताक्षर किए गए विभिन्न समझौता ज्ञापनों के अन्तर्गत मात्स्यिकी क्षेत्र की द्विक्षीय सहयोग के क्षेत्र में से एक क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया है।

सिंगापुर–भारत सहभागिता कार्यालय (एसआपीओ) की टीम भारत के साथ सिंगापुर के आर्थिक संबंधो को मजबूत करने और उसमें विविधता लाने के अपने मिशन पर काम कर रही है। एसआपीओ का अधिदेश प्राप्त है कि वह भारत सरकार या भारत की राज्य सरकारों के साथ भागीदारी कर आपसी लाभ वाली परियोजनाओं की संयुक्त रूप से खोज करे।

1. मात्स्यिकी और जलकृषि (आरएएस), रोग प्रबंधन और सॉफ्ट रोल क्रैब) पर चर्चा करने के लिए 10 मार्च, 2022 को आयोजित एसआईपीओ बैठक में मत्स्यपालन विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया, एसआईपीओ और डीओएफ और अन्य मात्स्यिकी संगठनों/संस्थानों (आईसीएआर और सीआईएफई) के बीच खारे पानी की जलकृषि के लिए कम लागत वाली आरएएस पर पायलट परियोजना के प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए 27 मई, 2022 को सीआईएफई, रोहतक में बैठक आयोजित की गई।
2. मत्स्यपालन विभाग के अधिकारियों नें 12 अप्रैल, 2022 को वर्चुअल मोड के माध्यम से आयोजित आईयूयू मत्स्यन पर ईएएस कार्यशाला में भाग लिया।

फूड एण्ड एग्रीकल्चर आरेगेनाइजेशन (आई.ए.ओ.) और अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (आर.एम.ओ.) द्वारा संयुक्त रूप से लागू की जा रही ग्लोलिटर पार्टनरशिप (जीएएलपी) परियोजना में लीड पार्टनरिंग कंट्री के रूप में भारत की सहभागिता के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई है और इसके लिए भारत का चयन किया गया है। जीएलपी परियोजना के क्रियान्वयन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 27 मई, 2021 और 21 दिसंबर, 2021 को जीएलपी के लिए भारत का एक अग्रगणी देश के रूप मे अह्वान से संबंधित ग्लोलिटर टीम वीसी मीटिंग में विभाग ने वर्चुअल बैठक में भाग लिया।

विभाग के अधिकारियों द्वारा जिन अन्य महत्वपूर्ण बैठकों में भाग लिया, इस प्रकार हैं:

- मत्स्यपालन विभाग के अधिकारियों ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, तट रक्षक और राज्य सरकार के साथ हाइब्रिड प्रारूप (फार्मेट) में 25 मार्च 2022 को भारत और श्रीलंका के बीच 5वें संयुक्त कार्य समूह में भाग लिया।
- 14 से 16 मार्च 2022 को सबांग (इंडोनेशिया के असेह प्रांत) में भौतिक प्रारूप (फिजिकल फार्मेट) में सबांग में और उसके आसपास बंदरगाह बुनियादी ढांचे के विकास पर संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की बैठक की।
- जी16 हिंद महासागर तटीय राज्यों का 32वां सत्र 25 से 26 अप्रैल 2022 को माले, मालदीव में आयोजित किया गया।
- 5 मई 2022 को आयोजित बीओबीपी–आईजीओ बीओबीपी–आईजीओ) की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक और 6 मई 2022 को चेन्नई में इंसुलेटिंग मरीन फिशरीज सेक्टर पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की।
- प्रशासन और वित्त पर स्थायी समिति, एससीएएफ (एससीएएफ19 (एससीएएफ19) 11 मई 2022 को वर्चुअल मोड के माध्यम से निर्धारित की गई है
- अनुपालन समिति (सीओसी19) का 19वां सत्र 8 से 10 मई 2022 के दौरान वर्चुअल मोड के माध्यम से निर्धारित किया गया है
- प्रबंधन प्रथाओं पर 13–14 मई 2022 को तकनीकी समिति की बैठक (डीसीएम05) आयोजित की गई।

एम्स्टर्डम, बर्लिन, रोम, स्टॉकहोम, विएना में 25 मई 2022 को एम्स्टर्डम, बर्लिन, रोम, स्टॉकहोम, विएना में 26 मई 2022 को और एम्स्टर्डम, बर्लिन, रोम, स्टॉकहोम, वियना में 27 मई 2022 को जलकृषि पर सीओएफआई उप–समिति का 11वां सत्र आयोजित किया गया।

- 29 मार्च– 1 अप्रैल 2022 से सेशेल्स में आयोजित सुरक्षित हैंडलिंग गाइड और प्रजातियों की पहचान गाइड के विकास सहित बाय–कैच लैंडिंग, मूल्य निर्धारण, ट्रेसेबिलिटी और गुणवत्ता को बढ़ाने पर आईओआरए–प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- एशिया प्रशांत मात्स्यिकी आयोग (एपीएफआईसी) – कार्यकारी समिति का 78वां सत्र 21 से 23 जून 2022 के दौरान वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया
- लिस्बन, पुर्तगाल में 27 जून से 1 जुलाई 2022 के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में आईओआरए की भागीदारी
- पेरिस, फ्रांस में 12 से 15 जून 2022 के दौरान विश्व व्यापार संगठन का बारहवां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (एमसी–12) और 9 जून 2022 को अनौपचारिक डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीय बैठक पेरिस, फ्रांस में आयोजित की गई।
- संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 27 जून से 1 जुलाई 2022 के दौरान लिस्बन, पुर्तगाल में आयोजित किया गया
- ला रीयूनियन, फ्रांस में 4 से 8 जुलाई 2022 के दौरान दक्षिणी हिंद महासागर मात्स्यिकी समझौते (एसआईओएफए) की पार्टियों की 9वीं बैठक
- जी–16 का 33वां सत्र 31 अक्टूबर से 2 नवंबर 2022 तक बैंकाक, थाईलैंड में आयोजित किया गया।
- 4 से 21 नवंबर 2022 तक आयोजित ''सस्टेनेबल फिशरीज डेवलपमेंट'' पर युवा नेताओं के लिए ऑनलाइन ज्ञान सह–निर्माण कार्यक्रम में वर्चुअली मोड से भाग लिया
- 5 से 9 सितंबर 2022 तक मत्स्य पालन, रोम, इटली में मात्स्यिकी पर समिति का 35वां सत्र हुआ।
- सिंगापुर में 29 नवंबर से 2 दिसंबर 2022 तक 'वर्ल्ड एक्वाकल्चर सिंगापुर 2022: नेक्स्ट जनरेशन एक्वाकल्चर इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी विल फीड द वर्ल्ड'
- 13 से 17 फरवरी 2023 तक इंटरनेशनल काउंसिल फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ द सी (आईसीईएस)–एफएओ जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन फिशिंग टेक्नोलॉजी एंड फिश बिहेवियर (आईसीईएस–एफएओ डब्ल्यूजीएफटीएफबी23) की 23वीं बैठक और सतत और रेजिलिंट मात्स्यिकी के लिए फिशिंग टेक्नोलॉजी में नवाचार पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी कोच्चि, कोरल में आयोजित की गई

यह विभाग नीली क्रांतिः ट्रैंच–रिस्पांस कोविड–19 और रिकवरी ऑफ फिशरीज, ट्रैंच–2 हार्नेसिंग दि पोटेंसियल ऑफ एक्वेरियम रिसोर्सेज दी कांप्लिमेंट दि "प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)" के संबंध में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने के परियोजना प्रस्ताव पर विचारत–विमर्श कर रहा है। मत्स्यपालन विभाग संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (एफ.ए.ओ.) और इसकी अन्य निकायों जैसे मत्स्यपालन संबंधी समिति (सी.ओ.एफ.आई) इसकी उप समितियों अर्थात जलीय कृषि संबंधी उप समिति (सी.ओ.आई.–ए.क्यू.) तथा मत्स्य संबंधी उप समिति (सी.ओ.एफ.आई.–एफ.टी.) के साथ सक्रिय रूप से सहयोग और सहकारिता से जुड़ा हुआ है। भारत ने एशिया पेसिफिक फिशरीज कमीशन (ए.पी.एफ.आई.सी.) जो कि संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन (एफ.ए.ओ) है, में बढ़ चढ़ कर भाग लिया।

*****

अध्याय–10

लेखा विभाग - मत्स्यपालन विभाग

10.1 मत्स्यपालन विभाग का लेखन संगठन

सचिव, मत्स्यपालन विभाग में मुख्य लेखा प्राधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं जिनकी सहायता वित्त सलाहकार तथा मुख्य लेखा नियंत्रक करते हैं। मूल वित्त नियम 2017 के नियम 70 के अनुसार, मंत्रालय/विभाग के सचिव, इस मंत्रालय/विभाग के मुख्य लेखा प्राधिकारी होंगे जो:

क. अपने मंत्रालय या विभाग के वित्तीय प्रबंधन के प्रति उत्तरदायी और जिम्मेदार होंगे।

ख. वे यह सुनिश्चित करेंगे कि मंत्रालय या विभाग के लिए विनियोजित लोक निधियों का उपयोग उन्हीं प्रयोजनों के लिए किया जाएगा जिनके लिए वे हैं।

ग. वे उस मंत्रालय या विभाग की निर्दिष्ट परियोजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मंत्रालय या विभाग के संसाधनों का कारगर, कुशल, किफायती और पारदर्शी उपयोग करने के लिए जिम्मेदार होंगे और कार्य निष्पादन संबंधी मानकों का अनुपालन करेंगे।

घ. वे परीक्षण के लिए लोक लेखा समिति या किसी अन्य संसदीय समिति के समक्ष उपस्थित होंगे।

ङ. वे अपने मंत्रालय के लिए निर्दिष्ट कार्यक्रमों और परियोजनाओं के कार्य निष्पादन की नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी करेंगे जिसमें निर्धारित करेंगे कि क्या वर्णित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है।

च. इस मंत्रालय या विभाग से संबंधित व्यय तथा अन्य विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार होंगे जो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी विनियमों, दिशा–निर्देशों या सिद्धांतों के अवसर अपेक्षित होंगे।

छ. वे यह सुनिश्चित करेंगे कि उनका मंत्रालय या विभाग वित्तीय लेन–देन का पूरा और समुचित लेखा–जोखा रखेगा और ऐसी प्रणालियों और प्रक्रियाओं को अंगीकार करेगा जिससे आन्तरिक नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा।

ज. वे यह सुनिश्चित करेंगे कि उनका मंत्रालय कार्यों के निष्पादन तथा सेवा एवं आपूर्ति की अधिप्राप्ति के लिए सरकार की खरीद प्रक्रिया का अनुपालन करेगा और निष्पक्ष, सम्यक, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धा तथा लागत प्रभावी तरीके से लागू करेगा।

झ. यह सुनिश्चित करेगा कि उनका मंत्रालय या विभाग निम्नलिखित प्रभावी तथा समुचित कदम उठाए:

1. सरकार के लिए देय सभी धनराशि एकत्र करे
2. अप्राधिकृत, अनियमित तथा निष्फल व्यय से बचे।

सिविल लेखा नियम–पुस्तक के पैरा 1.3 के अनुसार महा लेखा नियंत्रक के लिए और मुख्य लेखा प्राधिकारी की ओर से निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार है:

क. वेतन और लेखा कार्यालयों/प्रधान लेखा कार्यालय के माध्यम से किए गए सभी भुगतानों की व्यवस्था करना शिवाय जहां आहरण और संवितरण अधिकारी कतिपय प्रकार के भुगतान करने के लिए प्राधिकृत हैं।

ख. मंत्रालय/विभाग के लेखाओं को संकलित तथा समेकित करना और उन्हें विहित रूप में यहां लेखा नियंत्रक लेखा के समक्ष प्रस्तुत करना, अपने मंत्रालय/विभाग के अनुदान–मांग के लिए वार्षिक विनियोग लेखा तैयार करना, उन्हें उनसे विधिवत लेखा परीक्षा करवाना और और विधिवत प्राधिकारी से विधिवत उन्हें महालेखा नियंत्रक, के समक्ष प्रस्तुत करना तथा उन्हें मुख्य लेखा हस्ताक्षरित करना।

ग. विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों तथा वेतन और लेखा कार्यालयों द्वारा किए गए भुगतानों और रखे गए लेखा संबंधी रिकार्डों की आन्तरिक जांच की व्यवस्था करना और सरकार के मंत्रालयों/

विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में रखे गए वित्तीय लेन–देन संबंधित रिकार्डों की जांच करना।

मुख्य लेखानियंत्रक, मत्स्यपालन विभाग अपने दायित्वों का निर्वहन लेखानियंत्रक/सहायक लेखानियंत्रक, लेख, तीन प्रधान लेखा अधिकारी, मुख्यालय और 10 वेतन तथा लेखा अधिकारी की सहायता से करते हैं। पांच वेतन और लेखा कार्यालय दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर) में स्थित हैं जबकि चेन्नई, कोच्ची, कोलकाता, मुम्बई और नागपुर में एक–एक हैं। विभाग/मंत्रालय से संबंधित सभी भुगतान पी.ए.ओ/सी.सी.डी.ओ जो संबंधित पी.ए.ओ से सम्बद्ध हैं, के माध्यम से किए जाते हैं। आहरण और संवितरण अधिकारी अपने सभी दावों और बिलों को उन निदिष्ट पी.ए.ओ/सी.डी.डी.ओ जो सिविल लेखा नियम–पुस्तक में निहित उपबंधों तथा सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए प्राप्ति तथा भुगतान नियम और अन्य आदेशों के अनुसार आवश्यक समीक्षा करने के पश्चात चौक/रिजीज, ई.पेमेंट जारी करते हैं

सिविल लेखा नियम–पुस्तक के पैरा 1.2.3 के अनुसार, प्रधान लेखा कार्यालय, मुख्यालय जो प्रधान लेखा अधिकारी के अधीन है, निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी हैं:

क. महालेखा नियंत्रक द्वारा विहित तरीके से मंत्रालय विभाग के लेखाओं का समेकन करने के लिए

ख. मंत्रालय/विभाग द्वारा नियंत्रित अनुदान मांग के वार्षिक विनियोजन लेखा तैयार करने, केन्द्रीय सरकार (सीविल) के वित्त लेखा के केन्द्रीय लेन–देन तथा ब्यौरों को महालेखा नियंत्रक, के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए

ग. भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से तथा अनुदान का भुगतान करने के लिए और जहां–कहीं इस कार्यालय के पास आहरण– लेखा है, वहां संघ राज्य सरकार/प्रशासन से/के लिए भुगतान।

घ. लेखा प्रणाली प्रबंधन, यदि कोई हो, के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, नियम पुस्तक तैयार करना और वेतन तथा लेखा कार्यालयों के लिए तकनीकी सलाह का प्रतिपादन करना, महालेखा नियंत्रक, के साथ आवश्यक संपर्क स्थापित करना और लेखा मामलों में समग्र समन्वय और नियंत्रण लागू करना।

ङ. मंत्रालय/विभाग द्वारा संचालित विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत व्यय की समग्र प्रगति पर नजर रखने के लिए मंत्रालय/विभाग के लिए विनियोजन लेखा परीक्षा के रजिस्टरों का रखा जाना

प्रधान लेखा कार्यालय/अधिकारी लेखा संगठन के सभी प्रशासनिक और समन्वय कार्यों का भी निर्वहन करता है और विभाग तथा स्थानीय वेतन तथा लेखा कार्यालयों और आउट स्टेशन वेतन तथा लेखा कार्यालयों को आवश्यक वित्तीय, तकनीकी लेखा सलाह भी देता है।

सिविल लेखा नियम पुस्तक में निहित प्रावधानों के अनुसार, वेतन और लेखा कार्यालय अपने मंत्रालयों/विभागों से संबंधित संदाय करते हैं और कतिपय मामलों में निधियां आहरित करने के लिए प्राधिकृत किए गए विभागीय आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा संदाय किए जाएंगे ताकि प्रत्यायित बैंकां के कार्यालयों/विभाग की प्राप्तियों और भुगतानों की हैडलिंग की जा सके। ये संदाय संबंधित मंत्रालय/विभाग के वेतन तथा लेखा कार्यालयों में अलग से रखे जाने के लिए सूची में दर्ज किए जा सकेंगे।

प्रत्येक वेतन तथा लेखा कार्यालय या आहरण एवं संवित्तरण अधिकारी को चौक/ई–पेमेंट के द्वारा संदाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है कि वह उस प्रत्यायित बैंक की विशेष शाखा/शाखाओं में ही चौक/ई–पेमेंट आहरित करे जिसमें उस वेतन एवं लेखा कार्यालय या आहरण एवं संवितरण अधिकारी का यथा–स्थिति खाता है। मंत्रालय/विभाग भी सभी प्राप्तियों का अन्ततः लेखा–जोखा वेतन तथा लेखा कार्यालय की लेखा–बही में रखा जाता है। वेतन एवं लेखा कार्यालय विभागीकृत लेखा संगठन की एक मूलभूत इकाई होती है। इसके कार्य निम्नलिखित हैं:–

क. सभी बिलों की चौक आहरण न करने वाले आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत ऋण तथा सहायता–अनुदान सहित पूर्व में जांच करना और संदाय करना

ख. विहित नियमों और विनियमें के अनुरूप सटीक एवं समय पर संदाय करना

ग. प्राप्तियों की समय पर वसूली करना

घ. चैक आहरित करने वाले आहरण एवं संवितरण अधिकारी को तिमाही साख–पत्र जारी करना

और उनके वाउचरों/बिलों की तेजी से जांच करना।

ङ. उनके द्वारा तैयार किए गए प्राप्ति एवं व्यय के मासिक लेखाओं को संभाल कर रखना, उन्हें चैक आहरित करने वाले आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के लेखाओं के साथ सम्मिलित करना।

च. आमेलित आहरण एवं संवितरण अधिकारी से भिन्न सामान्य भविष्य निधि (जी.पी.एफ) खातों का अनुरक्षण और सेवानिवृत्ति फायदों का प्राधिकृत करना।

छ. सभी डी.डी.आर शीर्षों का अनुरक्षण

ज. ई–पेमेंट के रूप में बैंकिंग व्यवस्था करने के जरिए मंत्रालय/विभाग के लिए कारगर सेवा की डेलीवरी

झ. विहित लेखा मानकों, नियमों और सिद्धांतों का अनुपालन करना।

ञ. समय–समय पर सटीक, वृहत, संगत और उपयोगी वित्तीय रिपोर्टिंग करना।

मत्स्यपालन विभाग के संबंध में विभागीय लेखा संगठन की समग्र जिम्मेदारी निम्नलिखित हैः–

क. मंत्रालय के मासिक लेखाओं का समेकन करना और उन्हें महालेखा नियंत्रक, के समक्ष प्रस्तुत करना

ख. वार्षिक विनियोजन लेखा

ग. केन्द्रीय लेन–देन का विवरण

घ. लेखा एक नजर में तैयार किया जाना।

ङ. केन्द्रीय वित्त लेखा जिसे महालेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय और प्रधान लेखा निदेशक के समक्ष रखा जाता है।

च. अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाएं/स्वायत्त निकाय आदि को सहायता–अनुदान का संदाय करना।

छ. सभी वेतन एवं लेखा अधिकारियों और प्रशिक्षण विभाग, वित्त मंत्रालय और महालेखानियंत्रक आदि जैसे अन्य संगठनों के परामर्श से को तकनीकी सलाह देना।

ज. प्राप्ति बजट तैयार करना

झ. पेंशन बजट तैयार करना

ञ. वेतन एवं भुगतान अधिकारियों/चैक आहरित करने वाले आहरण तथा संवितरण अधिकारियों के लिए और उनकी ओर से चैकबुक की प्राप्ति और पूर्ति करना।

ट. महालेखानियंत्रक कार्यालय के साथ आवश्यक संपर्क स्थापित करना और लेखा संबंधी मामलों एवं प्रत्यायित बैंकों के साथ समग्र समन्वय और नियंत्रण करना।

ठ. प्रत्यायित बैंक अर्थात भारतीय स्टेट बैंक के जरिए मत्स्यपालन विभाग के लिए और उसकी और से सभी प्राप्तियों और भुगतानों का सत्यापन तथा समायोजन करना

ड. मत्स्यपालन विभाग से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक के साथ लेखा रखना और रोकड़ शेष का समायोजन करना।

ढ. त्वरित भुगतान सुनिश्चित करना

ण. पेंशन/भविष्य निधि तथा अन्य सेवानिवृत्ति फायदों का त्वरित निपटान करना

त. मत्स्यपालन विभाग के नियंत्रणाधीन, अधीनस्थ तथा संलग्न कार्यालयों और अनुदान ग्राही संस्थाओं, स्वायत्त निकायों आदि की आन्तरिक लेखा परीक्षा

थ. सभी संबंधित प्राधिकारियों/प्रभागों को लेखा संबंधी सूचना उपलब्ध कराना

द. मत्स्यपालन विभाग का बजट समन्वय संबंधी कार्य करना

ध. नई पेंशन स्कीम की निगरानी तथा समय–समय पर पेंशन संबंधी मामलों का पुनरीक्षण करना

न. लेखाओं और ई–पेमेंट का कंप्यूटरीकरण

न. लेखा संगठन के प्रशासनिक तथा समन्वय कार्य

प. कार्यान्वयन एजेंसियों/अनुदान ग्राही संस्थाओं/ स्वायत्त निकायों आदि में अन्य केन्द्रीय व्यय, केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं के अन्तर्गत पी.एफ.एम.एस का लागू किया जाना।

फ. मत्स्यपालन विभाग में गैर–कर प्राप्ति पोर्टल (एन.टी.आर.पी)

8. प्रभावी बजटीय तथा वित्तीय नियंत्रण को कारगर तरीके से सरल और सुगम बनाने के लिए लेखा संबंधी सूचना तथा ब्यौरे वित्त सलाहकार तथा मुख्य लेखा प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। मत्स्यपालन विभाग के अनुदान के विभिन्न उप–शीर्ष/वस्तु शीर्ष के अन्तर्गत मासिक तथा प्रगामी व्यय संबंधी आकड़ें वरिष्ठ अधिकारियों सहित विभाग के बजट अनुभाग को प्रस्तुत किए जाने हैं। बजट प्रावधानों में से व्यय की प्रगति साप्ताहित रूप में सचिव, अपर सचिव तथा वित्त सलाहकार एवं मंत्रालय के प्रभागाध्यक्षों को भी प्रस्तुत की जाती है ताकि वित्त वर्ष की अन्तिम तिमाही में व्यय की बेहतर निगरानी के प्रयोजन के लिए अनुदान पर नियंत्रण रखा जा सकेगा।

9. लेखा संगठन इस मंत्रालय के गृह निर्माण अग्रिम, मोटर कार अग्रिम के अधिकारियों/कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि के खातों जैसे दीर्घ कालिक अग्रिम खातों का भी रख रखाव करता है।

10. कार्यालय प्रमुखों द्वारा प्रस्तुत किए गए सेवा संबंधी ब्यौरों और पेंशन कागजात के आधार पर वेतन और लेखा कार्यालयों द्वारा आहरण एवं संवितरण अधिकारी से संसंगत सूचना तथा बिल प्राप्त होने पर वेतन एवं लेखा कार्यालयों द्वारा केन्द्रीय सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजनाः केन्द्रीय भविष्य निधि के अन्तर्गत ग्रेटयूटी, वेतन छुट्टी के समतुल्य नकदी तथा भुगतान जैसे सभी सेवा निवृत्ति फायदें और संदाय आदि जारी किए जाते हैं।

10.2 आन्तरिक लेखा परीक्षा विंग

आन्तरिक लेखा परीक्षा विंग इस विभाग के विभिन्न कार्यालयों के लेखाओं की लेखा परीक्षा करता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकार द्वारा जो नियम, विनियम और प्रक्रियाएं विहित किए गए हैं। ये कार्यालय अपने दिन–प्रतिदिन के कार्यकरण में उनका अनुपालन करें। आन्तरिक लेखा परीक्षा एक स्वतंत्र–लेखा परीखा है जिसका उद्देश्य मूल्य संवर्धन संबंधी आश्वासन तथा परामर्श गतिविधि की रूपरेखा तैयार करना और किसी संगठन के प्रचालन कार्य में सुधार करना है। मूल रूप में इसका लक्ष्य उस संगठन की मदद करना है जिसके अंतर्गत सुव्यवस्थित, अनुशासित दृष्टिकोण में मूल्याकंन लाकर उसके उद्देश्यों को हासिल किया जा सके और जोखिम प्रबंधन, नियंत्रण, शासन प्रक्रिया की कारगरता में सुधार किया जा सके। यह उद्देश्यपरक आश्वासन तथा सलाह देने का एक ऐसा सशक्त साधन है जो मूल्य संवर्धन करता है और प्रभाव में परिवर्तन लाता है जिससे शासन में वृद्धि होती है और जोखिम प्रबंधनखामियों में सुधार/नियंत्रण जवाबदेही में अपेक्षित सुधार होता है। यह विंग प्रक्रियात्मक त्रुटियों/खामियों को दूर करने के लिए बहुमूल्य सूचना उपलब्ध कराती है और इस प्रकार यह प्रबंधन के लिए एक सहायक के रूप में कार्य करती है। किसी यूनिट की लेखा परीक्षा की कालावधि, उसकी प्रकृति, उसके कार्य की मात्रा तथा विधियों की राशि से नियंत्रित होती है।

आन्तरिक लेखा परीखा विंग मुख्य लेखा प्राधिकारी तथा वित्त सलाहकार के समग्र मार्गदर्शन में कार्यरत है जिसमें आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की सक्षमता तथा कारगरता सुनिश्चित करने के लिए समुचित तरीके से शासन ढांचे को सुदृढ़ करने की क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने पर विशेष ध्यान दिया गया है।

महालेखा नियंत्रक कार्यालय, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के द्वारा दिनांक 15 मई, 2017 को जारी ज्ञापन सं. जी 25014/33/2015–16/एमएफ–सीजीए/आईएडी/306–53 के अनुसरण में ओर कार्यालय यह लेखा नियंत्रक द्वारा जारी सामान्य आन्तरिक लेख परीखा (वर्जन 1.0) में निहित उपबंधों के अनुसार सचिव (मत्स्यपालन) की अध्यक्षता में इस विभाग का गठन किया गया है और आन्तरिक लेखा परीक्षा समिति के विचारार्थ विषयोंको लेखा मुख्य नियंत्रयक कार्यालय के क.ज्ञा.सं. एग्री/आईएडब्ल्यू/ऑडिट कमेटी/फिशरीज/2020–21 दिनांक 15 सितंबर, 2020 में परिभाषित किया गया है।

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान लेखा परीक्षा का विशेष ध्यान वेतन निर्धारण में अधिसंदाय एवं कम संदाय की गई राशि की त्रुटियों का पता लगाए जाने पर था।

31 दिसम्बर, 2022 की स्थिति के अनुसार मत्स्यपालन विभाग में बकाया आंतरिक लेखा परीक्षा के पैराओं की स्थिति नीचे दी गई है–

विभाग	31 मार्च, 2022 तक बकाया पैरा	1 अप्रैल, 2022 से 30 जून, 2022 तक उठाए गए पैरा	1 अप्रैल, 2022 से 30 जून, 2022 तक छोड़े गए पैरा	30 जून, 2022 तक कुल बकाया पैरा
मात्स्यिकी इकाई	192	शून्य	शून्य	192
कुल	**192**	**शून्य**	**शून्य**	**192**

विभाग	30 जून, 2022 तक बकाया पैरा	1 अप्रैल, 2022 से 30 सितंबर, 2022 तक उठाए गए पैरा	1 अप्रैल, 2022 से 30 सितंबर, 2022 तक छोड़े गए पैरा	30 सितंबर, 2022 को कुल बकाया पैरा
मात्स्यिकी इकाई	192	शून्य	शून्य	192
कुल	**192**	**शून्य**	**शून्य**	**192**

विभाग	30 जून, 2022 तक बकाया पैरा	1 अक्टूबर, 2022 से 31 दिसंबर, 2022 तक उठाए गए पैरा	1 अक्टूबर, 2022 से 31 दिसंबर, 2022 तक छोड़े गए पैरा	31 दिसंबर, 2022 को कुल बकाया पैरा
मात्स्यिकी इकाई	192	शून्य	शून्य	192
कुल	**192**	**शून्य**	**शून्य**	**192**

10.3 बैंकिंग प्रबंध

भारतीय स्टेट बैंक मत्स्यपालन विभाग में वेतन तथा लेखा कार्यालयों तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकृत बैंक है। वेतन और लेखा अधिकारियों/चौक आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए ई–पैमेंट का निपटान, सीएमपी, एसबीआई, हैदराबाद के माध्यम से विक्रेताओं/लाभार्थियों के बैंक खाते के पक्ष में किया जाता है। कुछ मामलों मे वेतन और लेखा अधिकारियों द्वारा जारी किए गए चैकों को भुगतान हेतु अधिकृत बैंक की नामित शाखाओं में प्रस्तुत किया जाता है। संबंधित कर प्राप्ति पोर्टल–चैक आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा प्राप्तियां गैर/वेतन और लेखा अधिकारीयों/चैक आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा प्राप्तियां गैर–कर प्राप्ति पोर्टल (एन.टी.आर.पी.) को छोड़कर अधिकृत बैंकों को भेज दी जाती है। यदि अधिकृत बैंक में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो लेखा महानियंत्रक, व्यय विभाग वित्त मंत्रालय का विशेष अनुमोदन अपेक्षित होगा।

प्रधान लेखा कार्यालय के पास 10 (दस) वेतन और लेखा कार्यालय हैं पांच वेतन और लेखा कार्यालय दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित है जबकि चेन्नै, कोच्चि, कोलकाता, मुम्बई और नागपुर में एक–एक कार्यालय हैं। विभाग/मंत्रालय से संबद्ध सभी भुगतान उन वेतन और लेखा अधिकारियों/चैक आहरण एवं संवितरण अधिकारियों से संबंधित वेतन और लेखा कार्यालयों से संबद्ध हैं, के माध्यम से किए जाते हैं। आहरण और संवितरण अधिकारी अपने दावों/बिलों को उन विनिर्दिष्ट वेतन एवं लेखा कार्यालयों/चैक आहरण एवं संवितरण कार्यालयों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं जो सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए सिविल लेखा नियम–पुस्तक, प्राप्ति और भुगतान नियम और अन्य आदेशों में निहित उपबंधों के अनुसार आवश्यक संवीक्षा करने के पश्चात, ई–पेमेंट रीलीज जारी करते हैं।

10.4 लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली

लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पी.एफ.एम.एस.) को प्रारंभिक रूप में एक योजनागत स्कीम के रूप में शुरू किया गया जिसे पूर्ववर्ती योजना आयोग में वर्ष 2008–09 में चार फ्लैगशिप (सर्वोत्कृष्ट) योजनाओं अर्थात मनरेगा, एन.आर.एच.एम. सर्व शिक्षा अभियान और पी.एम.जी.एस.वाई. को मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब और मिजोरम के चार राज्यों में एक प्रायोगिक योजना के रूप में सी.पी.एस.एम.एस. का

नाम दिया गया। पूरे मंत्रालयों/विभागों में प्रारंभिक चरण में नेटवर्क की स्थापना होने के पश्चात, यह निर्णय लिया गया है कि केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और राज्य सरकारों की एजेंसियों को वित्तीय नेटवर्क से जोड़ने के लिए सी.पी.एस.एम.एस. (पी.एफ.एम.एस.) का एक राष्ट्रीय रोल आउट आरंभ किया जाए। इस योजना के अन्तर्गत पूर्ववर्ती योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय की 12 वीं योजना में जो पहल आरंभ की गई थी, उन्हें शामिल किया गया था। इस समय, पी.एफ.एम.एस. को कार्यालय लेखा महानियंत्रक द्वारा पूरे देश में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय की योजना को लागू किया जा रहा है।

वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 15 जुलाई, 2016 के का.ज्ञा.सं.66(29)पी.एफ.–II/2016 के अनुसार, माननीय प्रधानमंत्री जी ने केन्द्रीय योजनागत स्कीमों को लागू करने के लिए वित्तीय प्रबंधन में सुधार किए जाने की आवश्यकता पर काफी बल दिया है जिससे जस्ट–इन–टाइम रिलीज को सरल और सुगम बनाया जा सके और निधियों के उपयोग की निगरानी की जा सके जिसमें अन्तिम उपयोग की सूचना भी शामिल है। पी. एफ.एम.एस. कार्यालय महानियंत्रक, लेखा द्वारा व्यय विभाग में लागू की गई है जिसका भुगतान, ट्रैकिंग, मानिटरिंग, लेखांकन, समायोजन, और रिपोर्टिंग कार्यवाई करने के लिए एण्ड–टू–एण्ड सल्यूशन है। इसमें ट्रैकिंग रिलीज, तथा अन्तिम माडल यूटिलाइनेशन की मानिटरिंग के एक एकीकृत प्लेटफार्म के लिए स्कीम मैनेजर्स की व्यवस्था की गई है।

जस्ट–इन–टाइम रिलीज को लागू करने और एण्ड यूसेज ऑफ फंड की निगरानी करने के लिए निदेशों का अनुपालन करते हुए, वित्त मंत्रालय द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं के अन्तर्गत सभी वित्तीय संव्यवहारों/भुगतानों को शामिल करने के लिए पी.एफ.एम.एस. के उपयोग को एक समान बनाया जाए। इन योजनाओं की पूर्ण निगरानी करने के लिए पी.एफ.एम. एस. संबंधी सभी कार्यान्वयन एजेंसियों (आई.ए.) का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है और सभी कार्यान्वयन एजेंसियों (आई.ए.) द्वारा पी.एफ.एम.एस. के व्यय, अग्रिम और अन्तरण (ई.ए.टी.) माड्यूल का उपयोग करना भी अनिवार्य है। इस कार्यान्वयन योजना में केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं के सभी आंकड़ों को पूर्ण रूप से शामिल किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ प्रत्येक मंत्रालय/विभाग द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जाने है:

क. सभी केन्द्रीय योजनाओं की मैपिंग की जानी चाहिए/समनुरूप बनाया जाना चाहिए और उन्हें पी.एफ.एम.एस. प्लेटफॉर्म पर लाया जाना चाहिए।

ख. निधियां प्राप्त करने वाली और इनका उपयोग करने वाली सभी कार्यान्वयन एजेंसियों का पी. एफ.एम.एस. पर अनिवार्य रूप से पंजीकृत किया जाना आवश्यक है।

ग. सभी पंजीकृत एजेंसियों द्वारा भुगतान, अग्रिम और अन्तरण करने के लिए पी.एफ.एम.एस. माड्यूलों का उपयोग किया जाना अनिवार्य है।

घ. केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं के संबंध में व्यय करने वाली सभी विभागीय एजेंसियों को पंजीकृत होना चाहिए और उन्हें पी.एफ.एम.एस. माड्यूल का अनिवार्य रूप से उपयोग करना चाहिए।

ङ. सभी अनुदानग्राही संस्थाएं जो केन्द्रीय सरकार से अनुदान प्राप्त करनी हैं, उन्हें अनुदान के भुगतान/अन्तरण/अग्रिम संदाय करने के लिए पी.एफ.एम.एस. माड्यूल को अपनाना चाहिए। इससे केन्द्रीय सरकार से निधियों का दावा करने के लिए ऑन लाइन यटिलाइजेशन सर्टिफिकेट तैयार करने में सुगमता होगी।

च. विभाग को पी.एफ.एम.एस. के अनुरूप अपनी भावी प्रणाली/अप्लीकेशन को समेकित करने के लिए कार्यवाई की जानी चाहिए।

10.5 अधिदेश को लागू करने के लिए माड्यूल

केन्द्रीय मंत्रिमंडल अनुमोदन के अनुसार पी.एफ.एम.एस. द्वारा हितधारकों के लिए माड्यूल विकसित किए गए हैं/विकसित किए जा रहे हैं और इसके लिए निम्नवत अधिदेश है:

I. निधि प्रवाह मॉनिटरिंग (ई.ए.टी. माड्यूल)

क. एजेंसी पंजीकरण

ख. पी.एफ.एम.एस., ई.ए.टी. माड्यूल के माध्यम से व्यय प्रबंधन और निधि का उपयोग

ग. पंजीकृत एजेंसियों के लिए लेख माड्यूल

घ. ट्रेजरी इंटरफेश

ङ. पी.एफ.एम.एस.–पी.आर.आई. फंड फ्लो और यूटिलाइजेशन इंटरफेश

च. राज्यों की योजनाओं के लिए फंड ट्रैकिंग हेतु राज्य सरकारों के लिए तंत्र

छ. विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ई.ए.पी.) की निगरानी

II. डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डी.बी.टी.) माड्यूल

क. लाभार्थियों के लिए वेतन एवं लेखा कार्यालय

ख. लाभार्थियों के लिए एजेंसी

ग. लाभार्थियों के लिए राज्य की ट्रेजरी

III. बैंकिंग इंटरफेश

क. सी.बी.एस. (कोर बैंकिंग सॉल्यूशन)

ख. भारतीय डाक

ग. आर.बी.आई. (भारतीय रिजर्व बैंक)

घ. नाबार्ड और सहकारी बैंक

10.6 वर्धित अधिदेश को लागू करने के लिए माड्यूल

I. वेतन और लेखा कार्यालय का कंप्यूटरीकरण– भारत सरकार का ऑन लाइन भुगतान, प्राप्ति तथा लेखांकन

क. प्रोग्राम डिवीजन

ख. डी.डी.ओ. माड्यूल

ग. पी.ए.ओ. माड्यूल

घ. पेंशन मड्यूल

ङ. जी.पी.एफ. तथा एच.आर. माड्यूल

च. जी.एस.टी.एन. सहित प्रातियां

छ. वार्षिक वित्तीय विवरण

ज. कैश फ्लो मैनेजमेंट

झ. नॉन–सिविल मिनिस्ट्री के साथ इंटरफेश

ii. नॉन–टैक्स रिसीट पोर्टल

10.7 अन्य विभागीय पहल

पी.एफ.एम.एस. का लाभ उठाने के लिए, कई अन्य विभागों ने अपनी विभागीय आवश्यकताओं के अनुरूप यूटिलिटी विकसित करने के लिए पी.एफ.एम.एस. के प्रस्ताव तैयार किए हैं जो निम्नवत हैः–

क. सी.बी.डी.टी. पैन वैलिडेशन

ख. जी.एस.टी.एन. बैंक एकाउंट वैलिडेशन

10.8 कार्यान्वयन रणनीति

लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली(पीएफएमएस) को चरणबद्ध तरीके से लागू करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई है और यह वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित है।

10.9 उन्नत वित्तीय प्रबंधन के माध्यम सेः

क. निधियों का सही समय पर जारी किया जाना (जे आई टी)

ख. अंतिम उपयोग सहित निधियों के उपयोग की निगरानी।

10.10 रणनीति

क. पीएफएमएस का यूनिवर्सल रोल आउट जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल किया गया हैः

ख. पीएफएमएस पर सभी कार्यान्वयन एजेंसियों का अनिवार्य रूप से पंजीकरण किया जाना

ग. सभी कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा पीएफएमएस के व्यय अग्रिम तथा अन्तरण (बीएटी) माड्यूलों का अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाना।

10.11 केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं/संव्यवहारों के लिए रणनीति का लागू किया जाना–

पूरा की जाने वाली गतिविधियां निम्नलिखित हैः

क. अनिवार्य रूप से पंजीकरण किया जाना और कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा ईएटी माड्यूल का उपयोग किया जाना

ख. योजनाओं की सभी संगत सूचनाओं की मैपिंग ।

ग. प्रत्येक योजना के बजट को पीएफएमएस पर अपलोड किया जाना।

घ. प्रत्येक योजना के कार्यान्वयन सोपान का निर्धारण किया जाना।

ङ. पीएफएमएस अर्थात नरेगा साफ्ट, आवास सॉफ्ट के अनुरूप विशिष्ट योजनाओं के सिस्टम इंटरफेश का समेकित किया जाना।

च. प्रशिक्षकों की तैनाती और प्रशिक्षण

10.12 केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए रणनीति का लागू किया जाना

राज्यों द्वारा शुरू की जाने वाली गतिविधियां निम्नलिखित हैं:

क. पीएफएमएस के साथ राज्य ट्रेजरी का समेकन किया जाना।

ख. पीएफएमएस (प्रथम स्तर और उससे कम) पर सभी राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों का पंजीकरण किया जाना।

ग. सुसंगत केन्द्रीय योजनाओं के साथ राज्य योजनाओं की मैपिंग किया जाना।

घ. पीएफएमएस पर राज्य योजनाओं को समनुरूप बनाया जाना

ङ. प्रत्येक राज्य योजना की पहचान और अनुरूप पद सोपान

च. राज्य योजना घटक का समनुरूप किया जाना

छ. विशिष्ट साफ्टवेयर एप्लीकेशन के साथ पीएफएमएस का समेकन

ज. प्रशिक्षकों की तैनाती और प्रशिक्षण

झ. कार्यान्वयन के लिए अनवरत सहायता

इस समय, मत्स्यपालन विभाग के कुल दस वेतन और लेखा कार्यालय हैं जिनमें पांच (05) वेतन और लेखा कार्यालय दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र(एनसीआर) में स्थित है और मुम्बई, चेन्नै, कोच्ची, कोलकाता तथा नागपुर प्रत्येक में एक–एक हैं जो पीएफएमएस पर सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। सभी भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से किए जाते हैं और ई–पैमेंट लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे जमा किए जा रहे हैं।

I. **पीएफएमएस के कर्मचारी सूचना प्रणाली माड्यूलः** इस माड्यूल को मत्स्यपालन विभाग के सभी आहरण एवं संवितरण कार्यालयों में लागू किया जा रहा है।

II. **पीएफएमएस का सीडीडीएस माड्यूलः** पीएफएमएस का सीडीडीओ माड्यूल मत्स्यपालन विभाग के सभी चौक आहरण एवं संवितरण कार्यालयों में तैयार किए गए हैं।

III. विभाग में गैर–कर राजस्व संग्रहण के लिए ऑनलाइन पोर्टल (भारतकोष) नॉन–टैक्स रिसीट पोर्टल(एनटीआरपी)

क. उद्देश्य वन स्टॉप विंडो की व्यवस्था करना है जिससे नागरिक/कार्पोरेट/अन्य यूजर्स भारत सरकार को देय गैर–कर राजस्व का ऑनलाइन भुगतान कर सके।

ख. भारत सरकार के गैर कर राजस्व में अलग–अलग विभागों/मंत्रालयों द्वारा एकत्र की गई प्राप्तियों में बड़े बकेट शामिल हैं। ये प्राप्तियां मुख्य रूप से लाभांशों, ब्याज प्राप्तियों, आर.टी.आई आवेदन फीस तथा नागरिकों/कार्पोरेट/अन्य प्रयोक्ताओं से कई अन्य भुगतानों से प्राप्त होती हैं।

ग. ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पूर्ण रूप से सुरक्षित आई.टी. परिवेश है जो सामान्य प्रयोक्ताओं/नागरिकों को ड्राफ्ट बनवाने के लिए बैंक जाने संबंधी परेशानियों से बचाता है और तत्पश्चात सेवा प्राप्त करने के लिखतों को सरकारी कार्यालय में जमा करने में मदद करता है। यह सरकारी खातों में इन लिखतों को जमा करने होने वाले विलम्ब से बचाने में मदद करता है और बैंक खातों में इन लिखतों को जमा करने में विलम्ब होने की अवांछित प्रक्रिया को दूर करता है।

घ. एन.टी.आर.पी इंटरनेट बैंकिंग क्रेडिट/डेबिट कार्ड जैसे ऑनलाइन पेमेंट टैक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए पारदर्शी परिवेश में तत्काल भुगतान किए जाने की प्रक्रिया को सुगम बनाती है।

10.13 लेखा संगठन में नए घटना क्रम निम्नलिखित हैः–

लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पी.एफ.एम.एस) की ऑन लाइन संदाय प्रणाली में बढ़ाए गए सुरक्षा कवच का लागू किया जाना

पी.एफ.एम.एस प्लेटफार्म पर सुरक्षा संबंधी उपाय सुनिश्चित करने के लिए राजकोष प्रचालन के किए निम्नलिखित फीचर लागू किए जा रहे हैं:

क. वेतन एवं लेखा कार्यालयों (पी.ए.ओ) द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर करने से पूर्व, बिना चूक के फिजिकल बिल से प्रत्येक भुगतान अनुरोध का सत्यापन किया जाना।

ख. पी.एफ.एम.एस के पी.ए.ओ तथा डी.डी.ओ माड्यूल से संबंधित अधिकारियों द्वारा यूजर रजिस्ट्रेशन के लिए एन.आई.सी/जी.ओ.वी डॉमॅन ई–मेल आई.डी का उपयोग किया जाना।

ग. काफी समय से निष्क्रिय पाए गए यूजर्स का डिएक्टीवेट किया जाना।

घ. स्थायी रूप से स्थानातंरित होने/सेवा अधिवर्षिता आयु प्राप्त करने पर पी.ए.ओ/ए.ए.ओ यूजर टाइप के यूजर आई डी/डीजिटल–की का डिएक्टिवेट किया जाना।

ङ. पी.एफ.एम.एस में ओ.टी.पी आधारित लॉक–इन सिस्टम का चरणबद्ध रूप में लागू किया जाना।

10.14 मत्स्यपालन विभाग की सभी योजनाओं के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों के संबंध में अप्रयुक्त शेष धनराशि और उपयोग प्रमाण पत्र का ब्यौरा

(राशि करोड़ में)

	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार			31 दिसंबर, 2022 की स्थिति के अनुसार		
योजना का नाम	यूसी देय	यूसी अदेय	अप्रयुक्त धनराशि	यूसी देय	यूसी अदेय	अप्रयुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
मात्स्यिकी की एकीकृत विकास और प्रबंधन	271.79	0.00	271.79	230.90	0.00	230.90
पाकिस्तान द्वारा जब्त मत्स्यन पोतों के रिप्लेसमेंट के लिए पैकेज	2.10	0.00	2.10	2.10	0.00	2.10
तटीय जल कृषि प्राधिकरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मात्स्यिकी और जल कृषि अवसंरचना विकास निधि	9.60	0.00	9.60	1.82	0.00	1.82
राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड	0.00	11.27	11.27	11.27	0.00	11.27
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	210.90	892.32	1103.22	678.46	171.73	850.19
कुल	**494.39**	**903.59**	**1397.98**	**924.55**	**171.73**	**1096.28**

विभाग का लेखा संगठन

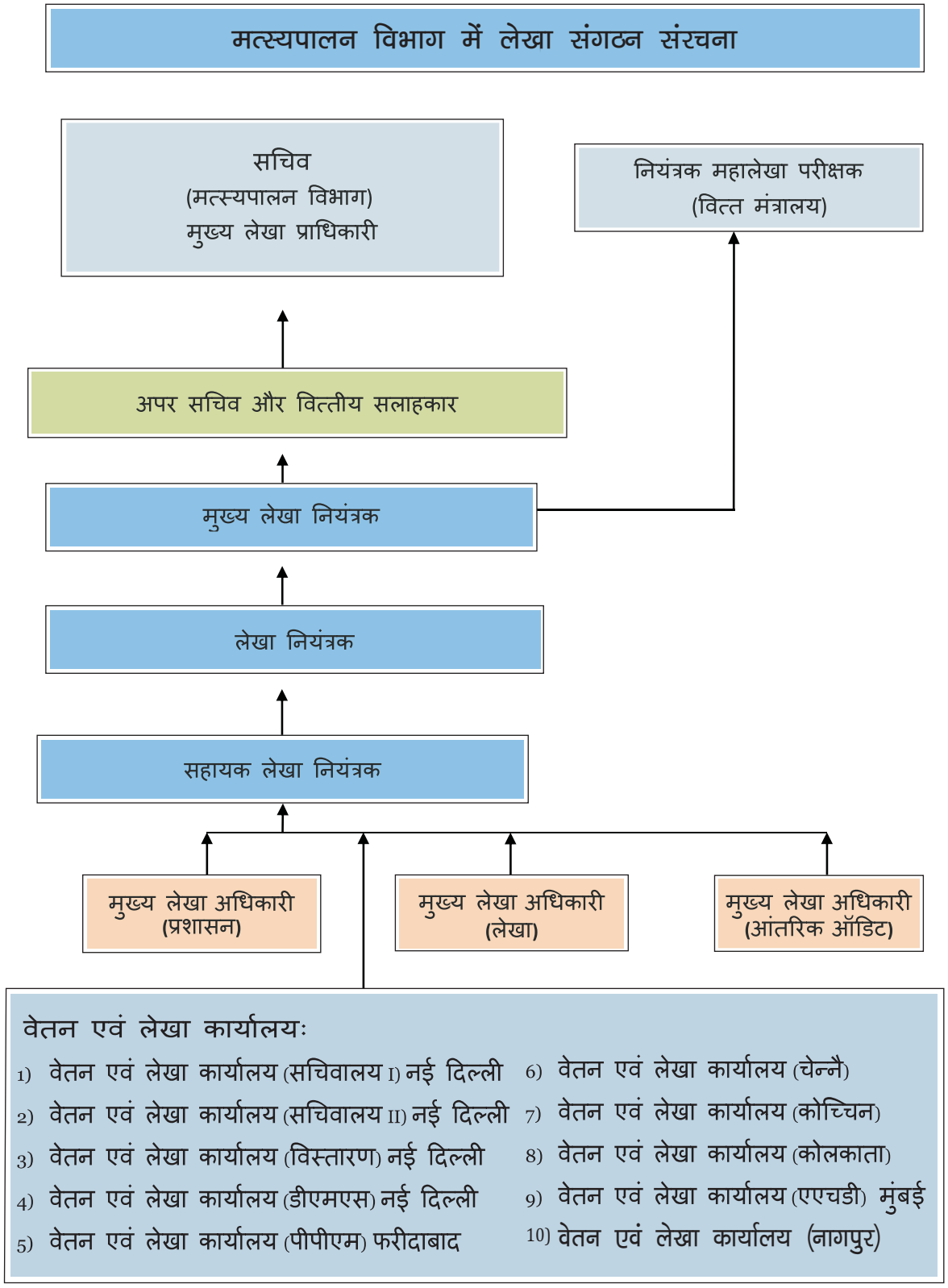
मत्स्यपालन विभाग में लेखा संगठन संरचना
सचिव
(मत्स्यपालन विभाग)
मुख्य लेखा प्राधिकारी
नियंत्रक महालेखा परीक्षक
(वित्त मंत्रालय)
अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार
मुख्य लेखा नियंत्रक
लेखा नियंत्रक
सहायक लेखा नियंत्रक
मुख्य लेखा अधिकारी
(प्रशासन)
मुख्य लेखा अधिकारी
(लेखा)
मुख्य लेखा अधिकारी
(आंतरिक ऑडिट)
वेतन एवं लेखा कार्यालयः
1) वेतन एवं लेखा कार्यालय (सचिवालय I) नई दिल्ली
2) वेतन एवं लेखा कार्यालय (सचिवालय II) नई दिल्ली
3) वेतन एवं लेखा कार्यालय (विस्तारण) नई दिल्ली
4) वेतन एवं लेखा कार्यालय (डीएमएस) नई दिल्ली
5) वेतन एवं लेखा कार्यालय (पीपीएम) फरीदाबाद
6) वेतन एवं लेखा कार्यालय (चेन्नै)
7) वेतन एवं लेखा कार्यालय (कोच्चिन)
8) वेतन एवं लेखा कार्यालय (कोलकाता)
9) वेतन एवं लेखा कार्यालय (एएचडी) मुंबई
10) वेतन एवं लेखा कार्यालय (नागपुर)

*****

अनुलग्नक

मत्स्यपालन विभाग का संगठनात्मक ढांचा

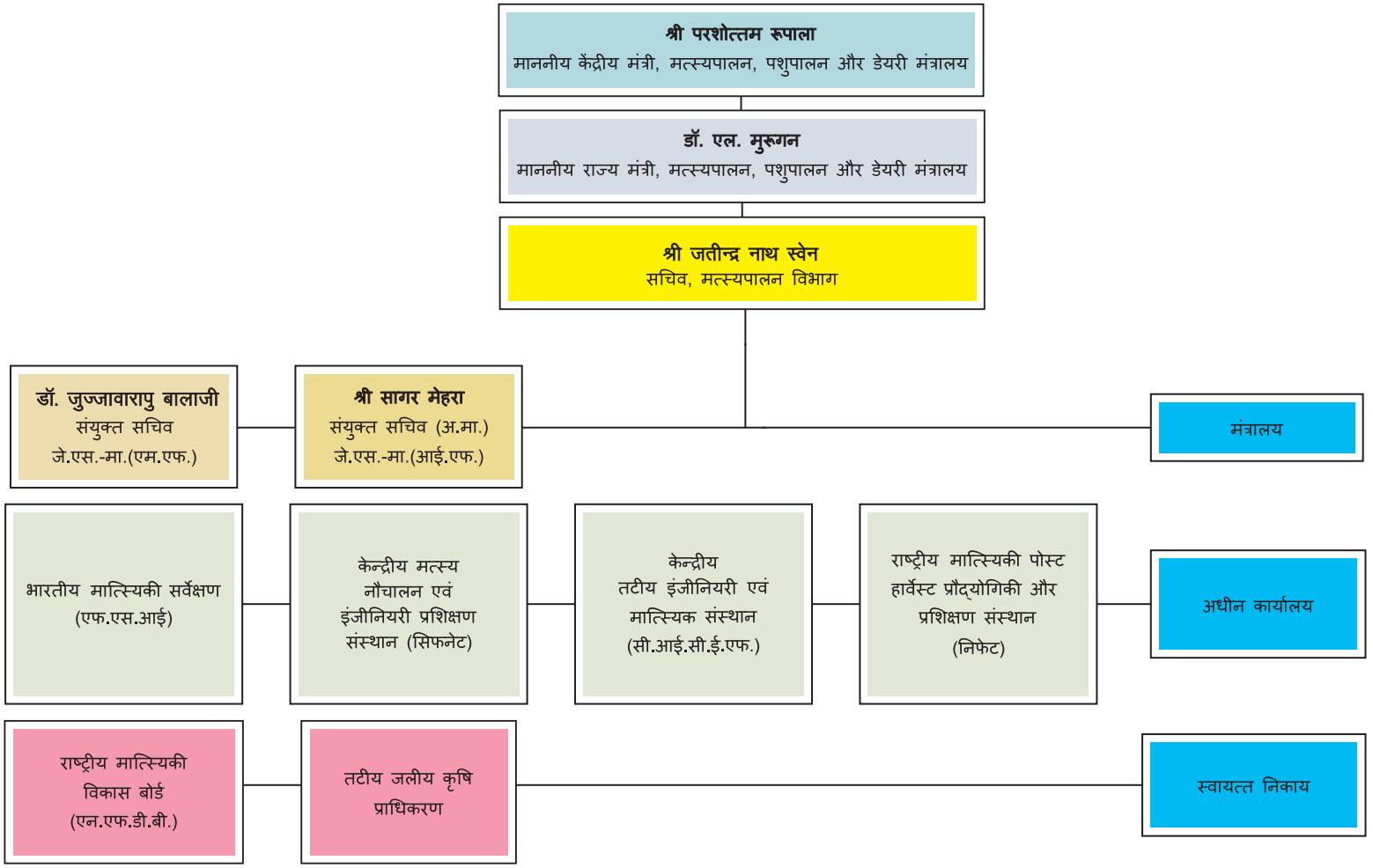

संयुक्त सचिवों को कार्य का आबंटन (अंतर्देशीय एवं समुद्री) मत्स्यपालन विभाग

संयुक्त सचिव (प्रशासन एवं अंतर्देशीय मात्स्यिकी)

प्रशासन–I, प्रशासन–II, नकद, सामान्य प्रशासन, ट्रेड एवं कोडेक्स एलिमेंटेरियस, योजना समन्वय, सामान्य समन्वय, आम शिकायत एवं प्रशासनिक सुधार, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, राजभाषा, सूचना प्रौद्योगिकी। अंतर्देशीय कैप्चर मात्स्यिकी, एफ.आई.डी.एफ., एन.एफ. डी.बी., फिसकोफेड से संबंधित सभी मामले, ट्रेड–एसआईपी, अंतर्देशीय मात्स्यिकी के लिए आई.सी.ए.आर. संस्थानों के साथ समन्वय, सी.आई.एफ.आर.आई., सी.आई.एफ.ए., सी.आई.एफ.ई., डी.सी.एफ.आर., एन.बी.एफ.जी.आर. एवं अंतर्देशीय मात्स्यिकी से संबंधित अन्य संस्थान, अंतर्देशीय मत्स्यन अवसंरचना, कोल्ड–चेन बाजार, फिश लैंडिंग सेंटर एवं अन्य पोस्ट हार्वेस्ट प्रचालन, तटीय राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों के अलावा सभी राज्यों में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, अंतर्देशीय मछुआरा कल्याण योजना एवं कार्यक्रम, के.सी.सी., मत्स्यपालन विभाग का प्रशासन (मात्स्यिकी संस्थानों एवं सी.ए.ए. के प्रशासन से संबंधित मामलों के अलावा), बजट एवं लेखा, मात्स्यिकी सांख्यिकी, अंतर्देशीय मात्स्यिकी, प्रेस/इंफार्मेशन सोशल मीडिया, वेबसाईट/डैसबोर्ड से संबंधित कार्यकलाप, संसदीय कार्य एवं समन्वय, सचिव, मत्स्यपालन द्वारा सौंपे गए अन्य मामले।

संयुक्त सचिव (समुद्री मात्स्यिकी एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी)

समुद्री मात्स्यिकी, तटीय जलकृषि एवं मैरीकल्चर से संबंधित सभी मामले, सी.ए.ए. के भौगोलिक क्षेत्राधिकार के अंदर तटीय क्षेत्रों के मामले, संघरोध एवं रोग–विनियमन, निगरानी एवं नियंत्रण, प्रशासनिक मामलों के अलावा भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, सिफनेट, सी.आई.सी.ई.एफ., निफेट–मात्स्यिकी संस्थानों से संबंधित मामले, आई.सी.ए.आर. के सी.आई.एफ.आर.आई., सी.आई.बी.ए., सी.आई.एफ.टी., एन.आई.ओ., एन.आई.ओ.टी., सी.एस.आर.आई., एन.बी.एफ.जी.आर. संस्थानों एवं समुद्री मात्स्यिकी से संबंधित अन्य संस्थानों के साथ समन्वय, तटीय जल कृषि प्राधिकरण (सी.ए.ए.), मत्स्यन बंदरगाह, मत्स्य उतराई केंद्रों एवं अन्य पोस्ट हार्वेस्ट प्रचालन जैसे कोल्ड चेन, बाजार इत्यादि सहित समुद्री मत्स्यन अवसंरचना, निर्यात को बढ़ावा देना, एम.पी.ई.डी.ए., आर.जी.सी.ए. इ. आई.ए. के मामले, आई.ओ.टी.सी., एफ.ए.ओ., ओ.आई.सी., डब्लू.टी.ओ. ईत्यादि से संबंधित मामले, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं, सभी समुद्री राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत योजना की मॉनिटरिंग, नियंत्रण एवं निगरानी, समुद्री मछुआरा कल्याण योजना एवं कार्यक्रम, कोर्ट मामले–समुद्री मात्स्यिकी, एवं सचिव (मत्स्यपालन) द्वारा सौंपे गए अन्य मामले।

अनुलग्नक-II

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान वित्तीय आबंटन और व्यय

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार वास्तविक खर्च
(रुपये करोड़ में)

बजट घटक	बजट आकलन	संशोधित आकलन	अंतिम बजटीय आवश्यकता	वास्तविक खर्च
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	1879.00	1410.00	1290.00	1174.90
राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड	12.00	12.00	12.00	12.00
तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण	19.00	13.00	13.00	13.00
मात्स्यिकी और जलकृषि अवसंरचना विकास निधि	4.40	4.60	4.60	4.60
जलीय पशु स्वास्थ्य और संगरोध निदेशालय	28.73	24.00	23.16	21.68
राष्ट्रीय मात्स्यिकी पोस्ट–हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण संस्थान	106.86	103.23	98.95	90.66
भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण	37.92	34.51	34.54	34.37
केन्द्रीय तटीय इंजीनियरी मात्स्यिकी संस्थान	14.43	14.43	11.40	10.66
केन्द्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान	5.08	4.90	4.92	4.86
सचिवालय आर्थिक सेवाएं	11.04	3.50	3.50	3.50
कुल व्यय	**2118.46**	**1624.18**	**1496.09**	**1370.25**

संक्षिप्ति

संक्षिप्त रुप	पूर्ण रुप
एएक्यूयू	जलीय जंतु संगरोध इकाई
एएफटीसी	उन्नत मत्स्य पालन प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम
एआईसी	जलीय नवाचार केंद्र
एकेएएम	आजादी का अमृत महोत्सव
एओसी	एक्वा वन सेंटर
एपीएफआईसी	एशिया–प्रशांत मत्स्य आयोग
एपीएफआईसी	एशिया–प्रशांत मत्स्य आयोग
एक्यूसीएस	पशु संगरोध और प्रमाणन सेवाएं
एक्यूएफ	जलीय संगरोध सुविधा
एएससीएम	सब्सिडी और काउंटरवेलिंग उपायों पर समझौता
बीई	बजट अनुमान
बिम्सटेक	बहु–क्षेत्रीय तकनीकी आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल
बीएमसी	ब्रुड स्टॉक गुणन केंद्र
बीओबीपी–आईजीओ	बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर–सरकारी संगठन
सीएए	तटीय जलकृषि प्राधिकरण
सीबीएफ	कृषि आधारित मत्स्य पालन
सीबीएस	कोर बैंकिंग समाधान
सीसीआरएफ	जिम्मेदार मत्स्य पालन के लिए आचार संहिता
सीजीएफएम	मात्स्यिकी प्रबंधन पर क्लस्टर समूह
सीआईसीईएफ	मत्स्य पालन के लिए केंद्रीय तटीय इंजीनियरिंग संस्थान
सीआईएफए	मीठे पानी के जलीय कृषि के लिए केंद्रीय संस्थान
सिफनेट	केंद्रीय मत्स्य पालन समुद्री और इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान
सीआईएफओ	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज ऑपरेटिव्स
सीएमएफआरआई	केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान
सीओएफआई	मत्स्य पालन समिति
सीओएफआ–एक्यू	जलीय कृषि पर उप–समिति
सीओएफआई–एफटी	मछली व्यापार पर उप–समिति

सीपीआईओ	केंद्रीय जन सूचना अधिकारी
केंद्रीय लोक निर्माण विभाग	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग
सीएस	केंद्रीय क्षेत्र योजना
सीएसएस	केंद्रीय प्रायोजित योजना
डीएएचक्यू	जलीय जंतु स्वास्थ्य एवं संगरोध निदेशालय
डीबीटी	प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण
डीडीएल	रोग निदान प्रयोगशाला
डीडीओ	आहरण और वितरण अधिकारी
डीएफएस	वित्तीय सेवा विभाग
डीजीएफटी	विदेश व्यापार महानिदेशालय
डीएलसी	जिला स्तरीय समिति
डीओएफ	मत्स्य पालन विभाग
डीपीआईआईटी	उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग
डीएसएफएस	डीप सी फिशिंग स्टेशन
ईएपी	बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाएं
ईएटी	व्यय, अग्रिम और स्थानांतरण
ईई	पात्र संस्थाएं
ईईजेड	विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र
ईआईएस	कर्मचारी सूचना प्रणाली
ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूडी	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/विकलांग व्यक्ति
एफएओ	खाद्य और कृषि संगठन
एफएओ/यूएन	खाद्य और कृषि संगठन/संयुक्त राष्ट्र
एफएफपीओ/सीएस	मछली किसान उत्पादक संगठन/कंपनियां
एफआईडीएफ	मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड
फिशकोफेड	नेशनल फेडरेशन ऑफ फिशर्स कोऑपरेटिव्स लिमिटेड
एफएलसी	मछली लैंडिंग केंद्र
एफएमपीआईएस	मछली बाजार मूल्य सूचना प्रणाली
एफएसआई	भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण
जीएआईएस	समूह दुर्घटना बीमा योजना
जीएपी	अच्छा जलीय कृषि अभ्यास

जीएलपी	ग्लो लिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट
जीवीए	सकल मूल्य जोड़ा गया
आईए	कार्यान्वयन एजेंसियां
आईसीसी	निवेश निकासी प्रकोष्ठ
आईआईएसएफ	भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव
आईएलओ	अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन
आईएमसी	भारतीय मेजर कार्प
आईएमओ	अंतर्राष्ट्रीय मैरिटाइम संगठन
इन्फोफिश	एशिया और प्रशांत क्षेत्र में मात्स्यिकी उत्पादों के लिए सूचना और तकनीकी सलाहकार सेवाएं
आई ओ आर ए	हिंद महासागर रिम एसोसिएशन
आईओटीसी	हिंद महासागर ट्यून आयोग
आईएसओ	इंटरनैशनल ऑर्गनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन
आईटीके	स्वदेशी तकनीकी ज्ञान
आईयूयू	अवैध, असूचित और अनियमित
जेडब्ल्यूजी	संयुक्त कार्य समूह
केसीसी	किसान क्रेडिट कार्ड
एलपीसी	लीड पार्टनरशिप कंट्री
एमएपी	संशोधित वायुमंडल पैकेजिंग
एमसीएस	निगरानी, नियंत्रण और निगरानी
एमएफसी	समुद्री फिटर कोर्स
एमएफवी	मैकेनाइज्ड फिशिंग वेसल
मनरेगा	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
एमएमटी	मिलियन मीट्रिक टन
एमओए	समझौते का ज्ञापन
एमएससीएस	बहु–राज्य सहकारी समिति
नाबार्ड	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
एनएसीए	एशिया और प्रशांत में जलीय कृषि केंद्रों का नेटवर्क
एनबीसी	न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर
एनबीएफजीआर	मछली आनुवंशिक संसाधन के राष्ट्रीय ब्यूरो

एनसीडीसी	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम
एनसीवीटी	व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय परिषद
एनएफडीबी	राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड
एनजीआर	नियमों के बातचीत समूह
एनआईएफपी	राष्ट्रीय अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि नीति
निफ्फट	नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फिशरीज पोस्ट–हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग
एनएलई	नोडल ऋण देने वाली संस्थाएं
एन एम पी	राष्ट्रीय समुद्री कृषि नीति
एनआरसीपी	राष्ट्रीय अवशेष नियंत्रण कार्यक्रम
एनएसपीएएएडी	जलीय पशु रोगों के लिए राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम
एनटीआरपी	गैर–कर रसीद पोर्टल
ओआईई	ऑफिस इंटरनेशनल डेस एपिजूटीस
ओएलआईसी	राजभाषा कार्यान्वयन समिति
पीएसी	परियोजना मूल्यांकन समिति
पीएओ	वेतन और लेखा कार्यालय/प्रधान लेखा कार्यालय
पीडीसी	परियोजना विकास प्रकोष्ठ
पीएफएमएस	सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली
पीआईएसएफएच	फिशिंग हार्बर्स का पूर्व–निवेश सर्वेक्षण
पी एल	लार्वा पोस्ट करें
पीएमएमएसवाई	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना
पीएमयू	परियोजना निगरानी इकाई
आरएएस	री–सर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम
आरई	संशोधित अनुमान
आरएफबी	क्षेत्रीय मत्स्य निकाय
आरएफएमओ	क्षेत्रीय मत्स्य प्रबंधन संगठन
आरकेवीवाई	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
आरओएसए	परिचालन और वैज्ञानिक गतिविधियों की समीक्षा
आरटीआई	सूचना का अधिकार
एस एंड डीटी	विशेष और विभेदक उपचार
सार्क	क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संघ

एससीपी	स्वयं निहित प्रस्ताव
एससीएसपी	अनुसूचित जाति उप योजना
एसडीजी	सतत विकास लक्ष्यों
एसजीओ	सचिवों का क्षेत्रीय समूह
एसएचजी	स्वयं सहायता समूह
एसआईडीए	स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी
एसआईपीओ	सिंगापुर–भारत भागीदारी कार्यालय
एसएलबीसी	राज्य स्तरीय बैंकर समिति
एसएलसी	राज्य स्तरीय समिति
एसएमसी	शोर मैकेनिक कोर्स
एसओपी	मानक संचालन प्रक्रिया
एसपीएफ	विशिष्ट रोगजनक मुक्त
एसपीएस	स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपाय
टीईएफआर	तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट
यूएनसीएलओएस	समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन
यूएनएफएसए	संयुक्त राष्ट्र मछली स्टॉक समझौता
यूटी	केंद्र शासित प्रदेश
वीएनसी	वेसल नेविगेटर कोर्स
डब्ल्यूएएडब्ल्यू	विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह
डब्ल्यूजीएमएसएस	समुद्री सुरक्षा और सुरक्षा पर कार्य समूह
डब्ल्यूटीओ	विश्व व्यापार संगठन

सत्यमेव जयते

मत्स्यपालन विभाग

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

भारत सरकार